SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

2025 की प्रतिवेदन सं. 22

(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल एवं वाणिज्यिक)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
2025 की प्रतिवेदन सं. 22
(अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक)

संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई:

लोक सभा -

राज्य सभा -

विषय-सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii-xiv
अध्याय-I: प्रस्तावना		
लेखापरीक्षा अधिदेश	1.1	1
लेखापरीक्षा के प्रकार	1.2	1
लेखापरीक्षा का समग्र क्षेत्र	1.3	3
सिविल मंत्रालयों/विभागों का बजट और व्यय	1.4	3
विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेशों का बजट एवं व्यय	1.5	4
लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा संचालन एवं लेखापरीक्षा निष्कर्ष	1.6	5
सीपीएसई पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के पूरक के रूप में जारी सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियां	1.7	6
लंबित एटीएन की स्थिति	1.8	7
अध्याय-II: केन्द्रीय मंत्रालय		
(I) संस्कृति मंत्रालय		
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय		
बिजली प्रभारों का परिहार्य भुगतान	2.1	9
(II) विदेश मंत्रालय		
भारतीय उच्चायोग, लंदन		
मंत्रालय के अनुमोदन के बिना शपथपत्र शुल्क का उद्ग्रहण	2.2	12
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय		
₹ 2.96 करोड़ के जीएसटी का गलत भुगतान	2.3	15
(III) गृह मंत्रालय		
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल		
जोखिम एवं कठिनाई भत्ते का अनियमित भुगतान	2.4	16

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल		
निधियों का अवरोधन एवं अभिप्रेत लाभों की गैर-प्राप्ति	2.5	19
अनुग्रह राशि का परिहार्य भुगतान	2.6	24
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल		
₹ 17.44 करोड़ का व्यर्थ व्यय	2.7	26
नवनिर्मित भवन का गैर-उपयोग	2.8	29
त्रुटिपूर्ण योजना के परिणामस्वरुप ₹ 6.93 करोड़ का निष्फल व्यय तथा ₹ 1.16 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ	2.9	35
सशस्त्र सीमा बल		
पाँच वर्षों से अधिक समय तक ₹ 80.91 लाख की निधि का अवरोधन	2.10	38
(IV) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय		
ऊर्जा प्रभारों पर अधिक व्यय	2.11	42
(v) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय		
अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं	2.12	44
(VI) पंचायती राज मंत्रालय		
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि		
राज्यों द्वारा अव्ययित अनुदान को वापस न करना	2.13	66
अध्याय-III : विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेश		
(क) व्यय		
केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		
अंडमान लोक निर्माण विभाग		
एमपीलैड्स के अंतर्गत इंडोर स्पोर्ट्स हॉल के निर्माण पर ₹ 62.61 लाख का निष्फल व्यय	3.1	71

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
कार्यालय श्रम आयुक्त, पोर्ट ब्लेयर		
मृत कर्मचारियों के आश्रितों को कुल ₹ 33.90 लाख के मुआवजे का कम भुगतान	3.2	74
जिला परिषद, दक्षिण अंडमान		
₹ 87.28 लाख का निष्फल व्यय	3.3	77
केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़		
श्रम आयुक्त कार्यालय, चंडीगढ़		
चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का कार्यकरण	3.4	80
केन्द्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव		
लोक निर्माण प्रभाग, दमन		
विभागीय प्रभारों के गैर-उद्ग्रहण के कारण राजस्व की हानि	3.5	114
केन्द्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप		
लक्षद्वीप लोक निर्माण प्रभाग		
बचत बैंक खाते में निधियों को अनियमित रुप से रखना	3.6	116
(ख) राजस्व		
केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख		
अपर उपायुक्त, लेह		
स्टाम्प शुल्क का कम उदग्रहण	3.7	119
अध्याय-(IV): केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय		
उर्वरक विभाग		
दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड		
लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों से विचलन में अर्जित छुट्टी का नकदीकरण	4.1	123
परिशिष्ट	**129-159**	
अनुलग्नक	**161-236**	

प्राक्कथन

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में केन्द्र सरकार के 28 मंत्रालयों और पाँच संवैधानिक निकायों/सचिवालयों तथा विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेश सहित सामान्य एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत उनके क्षेत्रीय कार्यालयों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित वे उदाहरण उल्लिखित हैं जो वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए थे और साथ ही वे भी हैं जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आए थे परंतु उनको पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया जा सका था। वर्ष 2022-23 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी यथावश्यक शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में केंद्र सरकार के 28 मंत्रालयों और पांच संवैधानिक निकायों/सचिवालयों और विधायिका रहित पांच केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित 55 अनुदानों के अंतर्गत वित्तीय लेन-देन की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। इन 28 मंत्रालयों और पांच संवैधानिक निकायों/सचिवालयों के सकल व्यय में वर्ष 2021-22 में ₹ 15,07,147.05 करोड़ से 7.14 *प्रतिशत* बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 16,14,830.70 करोड़ हो गई।

इस प्रतिवेदन में छह मंत्रालयों/विभागों, पाँच केंद्र शासित प्रदेशों और एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा के 24 उदाहरणात्मक मामले[1] शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में शामिल मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विहंगावलोकन नीचे दिया गया है:

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ: केंद्रीय मंत्रालय

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय

बिजली प्रभार का परिहार्य भुगतान

राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बिजली की खपत आवश्यकताओं का आंकलन करने तथा वास्तविक स्तर तक संस्वीकृत भार को कम करने में विफलता के परिणामस्वरूप अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान निर्धारित बिजली प्रभारों के प्रति ₹ 1.97 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.1 पृष्ठ सं. 9)

[1] लेखापरीक्षा प्रभाव के अंतर्गत तीन मामले शामिल हैं (पैरा 1.6 एवं परिशिष्ट-III)

विदेश मंत्रालय

भारतीय उच्चायोग, लंदन

मंत्रालय के अनुमोदन के बिना शपथपत्र शुल्क का उद्ग्रहण

मिशन ने मंत्रालय की मंजूरी के बिना पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करते समय शपथपत्र शुल्क उद्ग्रहित किया तथा 01 अप्रैल 2021 से 04 नवंबर 2022 की अवधि के दौरान ₹ 2.35 करोड़ (£2,33,200) का शपथ पत्र शुल्क एकत्र किया।

(पैराग्राफ सं. 2.2 पृष्ठ सं. 12)

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

₹ 2.96 करोड़ के जीएसटी का गलत भुगतान

पुणे, लखनऊ, बरेली, कोलकाता तथा चेन्नई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा बुक नाउ एंड पे लेटर योजना के अंतर्गत स्पीड पोस्ट सेवाओं हेतु डाक प्राधिकारियों को जुलाई 2017 से जून 2022 तक ₹ 2.96 करोड़ के जीएसटी का अनियमित भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ सं. 2.3 पृष्ठ सं. 15)

गृह मंत्रालय

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल

जोखिम एवं कठिनाई भत्ते का अनियमित भुगतान

मंत्रालय के निदेशानुसार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की नमूना-जांच की गई इकाइयों में जोखिम और कठिनाई भत्ते के भुगतान को विनियमित करने में विफलता के परिणामस्वरुप मार्च 2020 से मार्च 2023 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 33.19 करोड़ के भत्ते का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.4 पृष्ठ सं. 16)

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

निधियों का अवरोधन एवं अभिप्रेत लाभों की गैर-प्राप्ति

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा अपने स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु चयनित एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, लोक निर्माण संगठन के साथ प्रभावी ढंग से समन्वय

करने में विफल होने के परिणामस्वरुप जनवरी 2020 से काम के रुक जाने एवं निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध रद्द हुआ, जिससे ₹ 11.75 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ तथा प्रस्तावित लागत ₹ 27.56 करोड़ से ₹ 56.15 करोड़ हो गई।

(पैराग्राफ सं. 2.5 पृष्ठ सं. 19)

अनुग्रह राशि का परिहार्य भुगतान

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तैनात मृत कर्मचारियों के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान जारी करते समय मुआवजा खंड लागू करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने जनवरी 2024 तक संबंधित पीएसयू से ₹ 2.95 करोड़ की राशि की वसूली की है तथा ₹ 1.10 करोड़ की राशि बकाया है।

(पैराग्राफ सं. 2.6 पृष्ठ सं. 24)

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल

₹ 17.44 करोड़ का व्यर्थ व्यय

81 मिमी मोर्टार फील्ड फायरिंग रेंज के लिए प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता की जांच करने के लिए गठित तकनीकी समिति के निष्कर्षों को अनदेखा करते हुए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने अगस्त 2017 में दमोह (मध्य प्रदेश) में ₹ 16.55 करोड़ की लागत से एक साइट का अधिग्रहण किया, जिसे भूमि की रखवाली करने वाली प्लाटून के वेतन और भत्ते पर ₹ 88.41 लाख (मार्च 2023 तक) का व्यय करने के बावजूद अभिप्रेत उपयोग में नहीं लाया जा सका।

(पैराग्राफ सं. 2.7 पृष्ठ सं. 26)

नवनिर्मित भवन का गैर-उपयोग

'X' में नवनिर्मित स्थायी एकीकृत भवन में कमियों को दूर करने में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की विफलता के परिणामस्वरूप चार वर्षों से अधिक समय तक भवन का उपयोग नहीं हुआ। भवन के निर्माण पर खर्च की गई ₹ 14.57 करोड़ की राशि निष्फल रही।

(पैराग्राफ सं. 2.8 पृष्ठ सं. 29)

त्रुटिपूर्ण योजना के परिणामस्वरूप ₹ 6.93 करोड़ का निष्फल व्यय तथा ₹ 1.16 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ

अनिवार्य निर्माण कार्यों जैसे सीवेज उपचार संयंत्र, बाह्य बिजली कनेक्शन तथा आंतरिक सड़कों आदि के गैर-प्रबंधन के कारण आवासीय मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण होने के छः वर्षों से अधिक समय के पश्चात भी जबलपुर स्थित 29वीं बटालियन के कर्मचारियों को आबंटित नहीं किया जा सका था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.93 करोड़ का अवरोधन हुआ तथा मकान किराया भत्ते पर ₹ 1.16 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.9 पृष्ठ सं. 35)

सशस्त्र सीमा बल

पाँच वर्षों से अधिक समय तक ₹ 80.91 लाख की निधि का अवरोधन

भूमि अधिग्रहण पर सामयिक निर्णय लेने में सशस्त्र सीमा बल की विफलता के परिणामस्वरुप पाँच वर्षों से अधिक समय तक ₹ 80.91 लाख की राशि के अवरोधन में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.10 पृष्ठ सं. 38)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

ऊर्जा प्रभारों पर अधिक व्यय

राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा लगाए गए ऊर्जा प्रभारों पर गलत टैरिफ श्रेणी के प्रति भुगतान करके ₹ 1.99 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया।

(पैराग्राफ सं. 2.11 पृष्ठ सं. 42)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं

अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रणालीगत समस्याओं ने योजनाओं की प्रभावशीलता को

सीमित कर दिया। कार्यान्वयन में दिशानिर्देशों का उल्लंघन देखा गया, जिसमें अपात्र छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, गैर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी आय प्रमाण पत्रों के साथ या बिना आय प्रमाण पत्रों के आवंटन स्वीकार करना तथा गैर-नामांकित स्कूली छात्रों को भुगतान शामिल थे। इसके अतिरिक्त, प्री मैट्रिक छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरित करना और पात्रता सीमा से अधिक भुगतान करना भी अनियमितताओं में शामिल थे।

(पैराग्राफ सं. 2.12 पृष्ठ सं. 44)

पंचायती राज मंत्रालय

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

राज्यों द्वारा अव्ययित अनुदान को वापस न करना

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के संबंध में जारी अनुदानों के उपयोग की निगरानी करने में विफलता के परिणामस्वरुप सितंबर 2023 तक कुल ₹ 903.42 करोड़ का अप्रयुक्त अनुदान वापस नहीं किया गया।

(पैराग्राफ सं. 2.13 पृष्ठ सं. 66)

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ: विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेश

व्यय

केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

अंडमान लोक निर्माण विभाग

एमपीलैड्स के अंतर्गत इंडोर स्पोर्ट्स हॉल के निर्माण पर ₹ 62.61 लाख का निष्फल व्यय

सड़क निर्माण प्रभाग, अंडमान लोक निर्माण विभाग, विम्बर्लीगंज ने सांसद और जिला प्राधिकरण की सहमति के बिना कार्य के दायरे और आवश्यकता में पर्याप्त परिवर्तन किए जिसके परिणामस्वरूप संस्वीकृत राशि कार्य पूरा होने से पहले ही समाप्त हो गई। ₹ 62.61 लाख का व्यय करने के बाद कार्य बंद कर दिया गया जिससे व्यय निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ सं. 3.1 पृष्ठ सं. 71)

कार्यालय श्रम आयुक्त, पोर्ट ब्लेयर

मृत कर्मचारियों के आश्रितों को ₹ 33.90 लाख के मुआवजे का कम भुगतान

कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के अंतर्गत मृत कर्मचारियों के आश्रितों को देय मुआवज़ा के गलत परिकलन के परिणामस्वरुप पांच कर्मचारियों के मामले में कुल ₹ 26.81 लाख के मुआवज़े का कम भुगतान हुआ तथा उस पर ₹ 7.09 लाख का ब्याज भी देना पड़ा।

(पैराग्राफ सं. 3.2 पृष्ठ सं. 74)

जिला परिषद, दक्षिण अंडमान

₹ 87.28 लाख का निष्फल व्यय

जिला परिषद, दक्षिण अंडमान द्वारा रखरखाव अनुबंध अवधि के समाप्त होने के पश्चात शवदाहगृह के रखरखाव में विफल होने के परिणामस्वरुप यह गैर-कार्यात्मक एवं आर्थिक मरम्मत से परे हो गया, जिसके परिणामस्वरुप इसके निर्माण पर किया गया ₹ 87.28 लाख का व्यय निष्फल हुआ।

(पैराग्राफ सं. 3.3 पृष्ठ सं. 77)

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़

श्रम आयुक्त कार्यालय, चंडीगढ़

चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (सीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू) का कार्यकरण

सीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड, विशेषज्ञ समिति तथा सलाहकार समिति से युक्त शासन एवं निगरानी संरचना के गठन और कार्यकरण से संबंधित कमियों ने पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण के लिए एकत्रित श्रम उपकर का उपयोग करने के बोर्ड के अधिदेशित कार्य पूर्ति पर नकारात्मक प्रभाव डाला। इसका कारण श्रमिकों और प्रतिष्ठानों की पहचान/पंजीकरण और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में श्रमिकों में जागरुकता की कमी थी। इसके अतिरिक्त उपकर के आकलन हेतु निर्माण लागत को संशोधित नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ सं. 3.4 पृष्ठ सं. 80)

केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव

लोक निर्माण प्रभाग, दमन

विभागीय प्रभारों के गैर-उद्ग्रहण के कारण राजस्व की हानि

लोक निर्माण प्रभाग-दमन स्थानीय निकाय की ओर से निष्पादित निर्माण कार्यों पर, सीपीडब्ल्यूडी नियम पुस्तिका के प्रावधानों के उल्लंघन में, विभागीय प्रभारों का उद्ग्रहण करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरुप ₹ 66.74 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 3.5 पृष्ठ सं. 114)

केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप

लक्षद्वीप लोक निर्माण प्रभाग

बचत बैंक खाते में निधियों को अनियमित रुप से रखना

लक्षद्वीप लोक निर्माण विभाग ने विद्युत कार्यों के लिए आवंटित वार्षिक बजटीय निधियों को विद्युत विभाग के पृथक बचत बैंक खाते में जमा किया (2013 से 2023) एवं अप्रयुक्त शेष राशि को सरकारी खाते में जमा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.97 करोड़ से ₹ 4.08 करोड़ के बीच की निधियां अनियमित रूप से रखी गईं।

(पैराग्राफ सं. 3.6 पृष्ठ सं. 116)

राजस्व

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख

अपर उपायुक्त, लेह

स्टाम्प शुल्क का कम उदग्रहण

42 पारिवारिक निपटान विलेखों एवं चार विभाजन विलेखों के मामलों में स्टाम्प शुल्क कम लगाया गया जिसके परिणामस्वरुप सरकारी राजकोष को ₹ 92.82 लाख के राजस्व की हानि हुई। ₹ 53.45 लाख का जुर्माना भी बकाया था।

(पैराग्राफ सं. 3.7 पृष्ठ सं. 119)

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग

दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में अर्जित छुट्टी का नकदीकरण

डीपीई दिशानिर्देशों के विचलन में अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा 2014-15 से 2022-23 के दौरान ₹ 45.61 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ सं. 4.1 पृष्ठ सं. 123)

अध्याय-I

प्रस्तावना

1.1 लेखापरीक्षा अधिदेश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को संघ एवं राज्यों, सरकारी कंपनियों एवं निगमों, निकायों एवं प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में अधिदेश भारत के संविधान तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से प्राप्त होता है। सीएजी संविधान द्वारा निर्धारित एकमात्र प्राधिकरण है जिसे संघ एवं राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अधिनियम की धारा 13 (धारा 17 के साथ पठित) और धारा 16 के अंतर्गत, संघ, प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों के सभी व्यय, सभी प्राप्तियों और अन्य लेन-देनों की लेखापरीक्षा करना सीएजी का कर्तव्य है। संविधान तथा अधिनियम की धारा 14, 15, 19 और 20 के अंतर्गत सीएजी के अधिदेश में निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों और निगमों की लेखापरीक्षा करना भी सम्मिलित है। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को यथाप्रकरण संसद के या राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.2 लेखापरीक्षा के प्रकार

सीएजी मुख्य रुप से तीन प्रकार की लेखापरीक्षा अर्थात् वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा करता है।

वित्तीय लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने से संबंधित है कि किसी इकाई की वित्तीय विवरणी और सूचनाएँ ठीक से तैयार की गई है, सभी प्रकार से पूर्ण है तथा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग और नियामक ढांचे के अनुसार पर्याप्त प्रकटन के साथ प्रस्तुत की गई है।

अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित लेनदेन की जाँच करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू विधियों, नियमों, विनियमों, और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्गत आदेशों एवं अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है तथा साथ ही अभिप्रेत उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेकशीलता एवं प्रभावकारिता का निर्धारण करना है।

निष्पादन लेखापरीक्षा का संबंध सरकार द्वारा लोक निधियों की प्राप्ति और अनुप्रयोग में मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावकारिता की लेखापरीक्षा से है। निष्पादन लेखापरीक्षा में विश्लेषण अनुपालन विषयों से अलग एवं परे है तथा इकाई द्वारा की गई गतिविधि के वास्तविक लाभ पर नई सूचना, विश्लेषण या अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों तथा लेखापरीक्षा एवं लेखा (संशोधन) विनियम 2020 के आधार पर की जाती हैं। ये मानक और विनियम वे मानदंड निर्धारित करते हैं जिनका लेखापरीक्षा करते समय लेखापरीक्षकों से अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। इनके अंतर्गत लेखापरीक्षकों को न केवल अनुपालन में चूक के विशिष्ट प्रकरणों की रिपोर्टिंग करनी होती है, बल्कि लेखापरीक्षित संस्थाओं की वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण व्यवस्थाओं में विद्यमान कमियों को भी उजागर करना होता है।

सीएजी द्वारा अपनाए गए लेखापरीक्षा मानकों में यह अपेक्षित है कि रिपोर्टिंग के लिए भौतिक अवधारणा लेन-देन की प्रकृति, मात्रा और परिमाण के अनुरूप हो। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से यह अपेक्षित है कि वे कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा ऐसी नीतियां एवं प्रक्रियाएं तैयार करने में समर्थ बनाएं जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार हो तथा वे श्रेष्ठतर शासन में योगदान दें।

1.3 लेखापरीक्षा का समग्र क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा के समग्र क्षेत्र में संघ सरकार के सामान्य और सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत 28 मंत्रालय और पाँच संवैधानिक निकाय/सचिवालय सम्मिलित हैं **(परिशिष्ट-I)**।

1.4 सिविल मंत्रालयों/विभागों का बजट एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए, 55 सिविल अनुदानों सहित, 28 मंत्रालयों और पाँच संवैधानिक निकायों/सचिवालयों के संस्वीकृत प्रावधान[1], व्यय और बचत की स्थिति **तालिका सं. 1.1** में दर्शाई गई है। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-II** में दिया गया है।

तालिका सं. 1.1: संस्वीकृत प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

खण्ड	2021-22			2022-23		
	संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
राजस्व (प्रभारित)	5,596.89	4,755.77	-841.12	5,609.10	4,975.28	-633.82
राजस्व (दत्तमत)	16,21,697.17	14,79,863.59	-1,41,833.58	17,64,790.08	15,78,384.10	-1,86,405.98
पूंजीगत (प्रभारित)	131.57	126.23	-5.34	185.16	181.18	-3.98
पूंजीगत (दत्तमत)	79,705.22	22,401.46	-57,303.76	40,217.33	31,290.14	-8,927.19
कुल	**17,07,130.85**	**15,07,147.05**	**-1,99,983.80**	**18,10,801.67**	**16,14,830.70**	**-1,95,970.97**

स्रोत: संघ सरकार विनियोग लेखे (सिविल) 2021-22 और 2022-23

[1] संस्वीकृत प्रावधान = बजट अनुमान + अनुपूरक प्रावधान

1.5 विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेशों का बजट एवं व्यय

विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंध में बजट प्रावधान गृह मंत्रालय (एमएचए) के प्रशासनिक नियंत्रण में है। यद्यपि केन्द्र शासित प्रदेशों का सामान्य प्रशासन गृह मंत्रालय का उत्तरदायित्व है, जबकि संघ सरकार के अन्य मंत्रालय/विभाग भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I और II में उल्लिखित विषयों पर निधियों का प्रबंधन करते है, जहाँ तक वे इन क्षेत्रों से संबंधित हैं। इस प्रकार अनुदानों की विस्तृत मांग (डीडीजी) में केन्द्र शासित प्रदेशों में संघ सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों से संबंधित गतिविधियों पर होने वाले व्यय से संबंधित प्रावधान भी सम्मिलित हैं।

वर्ष 2022-23 में विधायिका रहित पाँच केन्द्र शासित प्रदेशों में संस्वीकृत प्रावधान और व्यय का विवरण **तालिका सं. 1.2** में दिया गया है।

तालिका सं. 1.2: 2022-23 में बजटीय आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	संस्वीकृत प्रावधान		कुल व्यय		बचत(-)/आधिक्य(+)			
					राजस्व		पूंजीगत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राशि	*प्रतिशत*	राशि	*प्रतिशत*
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,176.55	587.42	5,086.99	471.70	-89.56	1.73	-115.72	19.70
चंडीगढ़	5,306.67	539.40	5,306.36	472.44	-0.31	0.01	-66.96	12.41
दादरा और नगर हवेली तथा दमन तथा दीव	2,952.96	929.16	1,564.32	929.10	-1,388.64	47.03	-0.06	0.01
लद्दाख	2,553.37	3,404.85	2,089.72	2,090.15	-463.65	18.16	-1,314.70	38.61
लक्षद्वीप	1,235.55	221.91	1,195.92	87.45	-39.63	3.21	-134.46	60.59
कुल	**17,225.10**	**5,682.74**	**15,243.31**	**4,050.84**	**-1,981.79**	**11.51**	**-1,631.90**	**28.72**

स्रोत: संघ सरकार विनियोग लेखे (सिविल) 2022-23

1.6 लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा संचालन एवं लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना प्रक्रिया के अनुसार, अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का चयन सामयिकता, महत्वपूर्णता, सामाजिक प्रासंगिकता आदि के अतिरिक्त जोखिम आकलन के आधार पर किया जाता है। जोखिम आकलन में इकाइयों की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन, गबन, दुर्विनियोग, धोखाधड़ी आदि के पूर्व दृष्टांतों के साथ-साथ पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निष्कर्ष भी सम्मिलित किए जाते हैं। लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर इकाइयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किए जाते हैं। प्राप्त उत्तरों के आधार पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का निपटान किया जाता है तथा, आवश्यकतानुसार, अनुपालना के लिए कार्रवाई करने का परामर्श दिया जाता है। संबंधित मंत्रालय/विभाग से उत्तर प्राप्त करने के बाद महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु संसाधित किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे जाते हैं।

सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) और 143(7) अथवा संसद के सांविधिक निगमों के गठन से संबंधित अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। सांविधिक लेखापरीक्षक (चार्टर्ड अकाउंटेंट) की नियुक्ति सीएजी द्वारा सीपीएसई के लेखाओं को प्रमाणित करने के लिए की जाती है तथा सीएजी को ऐसे लेखापरीक्षित लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के प्रावधानों के अंतर्गत सीपीएसई से संबंधित प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

इस प्रतिवेदन के अध्याय-II में सामाजिक और सामान्य क्षेत्र के 28 मंत्रालयों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर महत्त्वपूर्ण अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं।

अध्याय-III में विधायिका रहित पाँच केन्द्र शासित प्रदेशों (यूटी) अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप के नियंत्रणाधीन सरकारी विभागों/कार्यालयों की लेखापरीक्षा से उजागर हुई महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं।

अध्याय-IV में सीपीएसई के 2022-23 तक के लेनदेन की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप उजागर अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं।

संबंधित अध्यायों में शामिल अभ्युक्तियों के अतिरिक्त लेखापरीक्षा के अनुरोध पर कुल ₹1.01 करोड़ **(परिशिष्ट-III)** की राशि भी वसूल की गई है।

लोक लेखा समिति (पीएसी) की अनुशंसा पर वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को निर्देशित किया था कि वे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों पर अपनी प्रतिक्रिया इनकी प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर भेज दें। तदनुसार, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों का लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रारूप अनुच्छेद अग्रेषित किए जाते हैं तथा उनसे छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध किया जाता है।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने 24 अनुच्छेदों में से 13 अनुच्छेदों के उत्तर नहीं भेजे थे (जून 2025 तक)। शेष 11 अनुच्छेदों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तर को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया है। इनमें से नौ लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में संबंधित अभिकरणों ने सुधारात्मक उपाय किए हैं जिन्हें प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

1.7 सीपीएसई पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के पूरक के रूप में जारी सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

वित्तीय लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा के समग्र क्षेत्र में केंद्र सरकार के 15 मंत्रालयों के अंतर्गत 85 सीपीएसई सम्मिलित हैं **(परिशिष्ट-IV)**। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा

वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के पश्चात् सीएजी ने भौतिकता और महत्त्व के आधार पर चयनित सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरण पर निर्गत कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ **परिशिष्ट-V** में दी गई हैं। **परिशिष्ट-VI** में उन सीपीएसई की सूची दी गई है जिनके संबंध में कोई टिप्पणी जारी नहीं की गई।

1.8 लंबित एटीएन की स्थिति

संसद में दिनांक 17 अगस्त 1995 को प्रस्तुत अपने 105वें प्रतिवेदन (10वीं लोकसभा, 1995-96) में लोक लेखा समिति ने अनुशंसा की थी कि सीएजी के प्रतिवेदनों के सभी अनुच्छेदों पर कार्रवाई की टिप्पणियाँ (एटीएन) 31 मार्च 1996 से लेखापरीक्षा रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए। तत्पश्चात्, व्यय विभाग के अधीन एक निगरानी प्रकोष्ठ बनाया गया, जिसे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से समन्वयन एवं लेखापरीक्षा द्वारा यथावत जांच किए गए एटीएन के संग्रहण तथा उन्हें संसद में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि से चार माह की निर्धारित अवधि के भीतर लोक लेखा समिति को भेजने का कार्य सौंपा गया था।

30 जून 2025 तक, इस प्रतिवेदन में सम्मिलित सिविल मंत्रालयों/विभागों के 17 एटीएन में से 13 एटीएन पत्राचाराधीन थे तथा 4 एटीएन प्राप्त नहीं हुए थे **(परिशिष्ट-VII)**। विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेशों के नौ एटीएन पत्राचाराधीन थे **(परिशिष्ट-VIII)**।

अध्याय II

केन्द्रीय मंत्रालय

इस अध्याय में छः केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करते हुए तेरह लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं।

(I) संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय

2.1 बिजली प्रभारों का परिहार्य भुगतान

राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बिजली की खपत आवश्यकताओं का आंकलन करने तथा वास्तविक स्तर तक संस्वीकृत भार को कम करने में विफलता के परिणामस्वरूप अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान निर्धारित बिजली प्रभारों के प्रति ₹ 1.97 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) (निष्पादन मानक-मीटरिंग एवं बिलिंग) विनियम 2002 के अनुसार, लोड कटौती हेतु आवेदन मूल संस्वीकृति के दो वर्ष बाद स्वीकार किया जाएगा। विनियमन में आगे बताया गया कि लोड में कटौती मूल ऊर्जाकरण के समय भार के अधिकतम 50 *प्रतिशत* तक सीमित होगी। अप्रैल 2007 के संशोधित विनियमों में भी लोड में कमी के लिए समान प्रावधान था।

विनियमन के अनुसार, बिलिंग के प्रयोजन हेतु बिलिंग मांग का तात्पर्य इनमें से सबसे अधिक है- (i) संविदा मांग[2] (ii) बिलिंग चक्र के दौरान मीटर में दर्ज अधिकतम मांग संकेतक (एमडीआई), अथवा (iii) संस्वीकृत भार जहां भी आपूर्ति

[2] 'संविदा' मांग केवीए (किलो वोल्ट एम्पीयर) में मांग है, जैसा आपूर्ति अनुबंध में प्रावधान किया गया है, जिसके लिए लाईसेंसधारी शासन की शर्तों के अधीन समय समय पर आपूर्ति की विशिष्ट प्रतिबद्धता करता है। किसी भी मामले में, यह संस्वीकृत भार के 60 *प्रतिशत* से कम नहीं होगा। मांग प्रभारों का तात्पर्य केवीए में बिलिंग मांग के आधार पर बिलिंग चक्र अथवा बिलिंग अवधि हेतु प्रभार्य राशि है।

अनुबंध में संविदा मांग प्रदान नहीं की गई थी। इस प्रकार, जबकि वास्तव में उपयोग की गई मांग सहमत संविदा मांग से कम है फिर भी भुगतान पूर्ण संविदा मांग का किया जाना है। तदनुसार, निर्धारित प्रभारों को संस्वीकृत भार अथवा अधिकतम मांग रीडिंग, जो भी अधिक है, पर उद्ग्रहण किया जाना है। इस प्रकार, संस्वीकृत भार को अधिकतम मांग से अधिक रखने से परिहार्य निर्धारित प्रभारों का भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए) के पास मार्च 2010 से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद का एक बिजली कनेक्शन[3] है। बिजली बिलों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि अप्रैल 2018 से मार्च 2022 तक की अवधि के दौरान एनजीएमए द्वारा बिजली की वास्तविक खपत संविदा मांग (संस्वीकृत भार) से लगातार कम थी। इस अवधि के दौरान बिजली की खपत संविदा मांग के छः से 34 *प्रतिशत* के बीच थी। एनजीएमए ने अप्रैल 2018 से मार्च 2022 के दौरान इस कनेक्शन के लिए 3176 केडब्ल्यू[4] के संस्वीकृत भार हेतु बिजली के निर्धारित प्रभारों के प्रति ₹ 3.95 करोड़ का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा की राय है कि एनजीएमए को अप्रयुक्त संस्वीकृत भार (अनुबंध मांग) के कारण निर्धारित प्रभारों के भुगतान से बचने के लिए प्रारंभिक संस्वीकृत भार को 50 *प्रतिशत* तक कम करना चाहिए था, जैसा डीईआरसी विनियमन के अंतर्गत अनुमेय था। यदि भार को प्रारम्भिक संस्वीकृत भार के 50 *प्रतिशत* तक कम कर दिया गया होता तो एनजीएमए उक्त अवधि के दौरान निर्धारित बिजली प्रभारों हेतु भुगतान की गई राशि का आधा, अर्थात् ₹ 1.97 करोड़ की बचत कर सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (मई 2022/अगस्त 2023), एनजीएमए ने बताया (दिसम्बर 2023) कि प्रसिद्ध कलाकारों की कला वस्तुओं/चित्रकलाओं को नमी से बचाकर रखने के लिए यह अनिवार्य था कि उस क्षेत्र को हर समय वातानाकुलित

---

3 उपभोक्ता सं. 8165976862

4 3176 केडब्ल्यू के संस्वीकृत भार हेतु संविदा मांग 3176 केवीए से 3970 केवीए तक के बीच थी जो बिजली बिलों में दर्शाए गए विद्युत घटक पर निर्भर है।

रखा जाए। इसे ध्यान में रखते हुए सीपीडब्ल्यूडी ने, तकनीकी विशेषज्ञ होने के नाते भवन के लिए तत्कालीन निदेशक (एनजीएमए) के परामर्श से बिजली भार को परिकलित किया तथा एनजीएमए के परिसर में संभावित रूप से खपत होने वाली बिजली की संविदा मांग की सिफारिश की। एनजीएमए ने इस मामले में सीपीडब्ल्यूडी प्राधिकारियों से बार-बार संपर्क किया परंतु कोई उत्तर नहीं मिला।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बिजली के प्रारम्भिक रुप से संस्वीकृत भार का उपयोग अप्रैल 2018 से मार्च 2022 के दौरान छः से 34 *प्रतिशत* के बीच था जो यह इंगित करता है कि भार का प्रारम्भिक निर्धारण वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित नहीं था। इसके अतिरिक्त, एनजीएमए ने बिजली के खपत नमूने का विश्लेषण नहीं किया, जिससे कि संस्वीकृत भार को कम करने के कदम उठाए जा सके। लेखापरीक्षा में वैसा ही इंगित (मई 2022/अगस्त 2023) किए जाने के पश्चात ही इसकी समीक्षा प्रारम्भ की गई।

संस्कृति मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई 2024) में बताया कि एनजीएमए ने बिजली भार की यथार्थता की जांच करने तथा वांछित संदर्भ तक कथित भार को कम करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया हेतु सीपीडब्ल्यूडी के संबंधित प्राधिकारी को आश्वस्त किया था। इन्होंने एनजीएमए को मामले की सभी विसंगतियों तथा तथ्यों को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) तथा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) दोनों के संज्ञान में लाने तथा यथाशीघ्र सुलझाने का निर्देश दिया है।

(II) विदेश मंत्रालय

भारतीय उच्चायोग, लंदन

2.2 मंत्रालय के अनुमोदन के बिना शपथपत्र शुल्क का उद्ग्रहण

मिशन ने मंत्रालय की मंजूरी के बिना पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के संबंध में प्रति शपथपत्र £22 का शपथपत्र शुल्क उद्ग्रहित एवं संग्रहित किया। इसके परिणामस्वरूप 01 अप्रैल 2021 से 04 नवंबर 2022 की अवधि के दौरान कुल ₹ 2.35 करोड़ (£2,33,200)[5] के शपथपत्र शुल्क का अतिरिक्त संग्रह हुआ।

विदेश मंत्रालय ने सभी मिशनों/पोस्टों[6] को "वीज़ा, ओसीआई[7] और कांसुलर शुल्क को स्थानीय मुद्राओं में एवं लागू शुल्कों को नकद मुद्राओं में परिवर्तित करने के तौर-तरीकों" पर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए। मंत्रालय ने आगे, "पासपोर्ट और पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए शुल्क को स्थानीय मुद्राओं में परिवर्तित करने के तौर-तरीके" पर अनुदेश[8] जारी किए जिसके अंतर्गत मंत्रालय ने 01 अप्रैल 2021 से लागू परिवर्तनीय नकद मुद्राओं में पासपोर्ट और पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं की संशोधित दरें निर्धारित कीं। उपर्युक्त परिपत्र में पासपोर्ट आवेदनों के संबंध में आवेदक से किसी प्रकार का शपथपत्र शुल्क वसूलना निर्धारित नहीं किया गया था। मिशन की वेबसाइट पर भी ऐसा कोई शुल्क प्रदर्शित नहीं किया गया है। मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत, कर, शुल्क आदि को केवल सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद ही प्रभारित किया जा सकता है।

---

5 अप्रैल 2021 से नवंबर 2022 तक औसत विनिमय की दर पर 100.95 x £ 233200

6 जेएस (सीपीवी) के परिपत्र सं. VII/406/21/2016 दिनांक 12 मार्च और 25 मार्च 2021 के माध्यम से

7 ओसीआई-प्रवासी भारतीय नागरिकता, यह एक अप्रवासन स्थिति है जो भारतीय मूल के एक विदेशी नागरिक को अनिश्चित काल के लिए भारत में रहने और काम करने के लिए प्राधिकृत करती है।

8 कार्यालय ज्ञापन सं. VI/401/01/14/2019 दिनांक 30 मार्च 2021 के माध्यम से

लेखापरीक्षा ने ग्लोबल पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम (जीपीएसपी[9]) डेटा से पाया कि 01 अप्रैल 2021 से 04 नवंबर 2022 तक 10,441 मामलों में, पासपोर्ट और आपातकालीन प्रमाण-पत्र[10] (केवल i और iii के लिए) के संबंध में निम्नलिखित शपथपत्रों के लिए मंत्रालय की मंजूरी के बिना £22 का शुल्क प्रभारित किया गया था:

i. रुप-रंग में परिवर्तन के लिए शपथपत्र शुल्क (जब आवेदक के रूप-रंग में काफी बदलाव आ जाता है, तो उसे रूप-रंग में परिवर्तन भरना होगा)

ii. एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए शपथपत्र शुल्क (आवेदक को यह शपथपत्र भरना अपेक्षित है जब उसका पासपोर्ट तीन वर्ष पहले समाप्त हो गया है)।

iii. नाम परिवर्तन विलेख (आवेदक के नाम परिवर्तन के मामले में, आवेदक यह शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है)।

लेखापरीक्षा द्वारा अप्रैल 2022 में इंगित किए जाने के पश्चात, मामला स्पष्टीकरण के लिए मंत्रालय को भेजा गया था। मंत्रालय ने 04 नवंबर 2022 के आदेश के जरिए सूचित किया कि पासपोर्ट जारी करने की मौजूदा नियमावली के अनुसार, ऐसा कोई शपथपत्र/विलेख प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। परिणामतः, मिशन द्वारा 04 नवम्बर 2022 से शपथपत्र शुल्क वसूल करने बंद कर दिए गए थे।

---

9 जीपीएसपी पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए ऑनलाइन सेवा पोर्टल है। पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं के लिए, आवेदकों को http://embassy.passportindia.gov.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन करना आवश्यक है। विवरण भरने के बाद, एक वेब फ़ाइल नंबर और आवेदन पत्र तैयार किया जाएगा और आवेदक द्वारा प्रिंट किया जा सकता है। यह पासपोर्ट और संबंधित सेवाओं के वितरण के लिए सरल, कुशल और पारदर्शी प्रक्रियाओं को सक्षम बनाता है।

10 आवेदक के पास वैध पासपोर्ट की अनुपलब्धता (खोने, क्षति या समाप्ति के कारण) और जहां तुरंत नया पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता है, के मामले में भारत की एकतरफ़ा यात्रा के लिए भारतीय नागरिक को एक आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है।

इस कारण 10,441 मामलों से कुल अतिरिक्त संग्रह £2,33,200 (आईएनआर 2,35,41,540) (अप्रैल 2021 - 04 नवंबर 2022) था जिसे **तालिका सं. 2.1** में संक्षेप में दर्शाया गया है:

तालिका सं. 2.1: कुल अधिक संग्रह

क्र सं.	सेवा	शपथपत्र शुल्क वाली सेवाओं की संख्या	प्राप्त शपथपत्रों की संख्या	प्रति शपथपत्र शुल्क	अधिक प्रभार (£)
1.	आपातकालीन प्रमाण-पत्र	551	555[11]	22	12210
2.	पासपोर्ट	9890	10045[12]	22	220990
	कुल	**10441**	**10600**		**233200**

बिना किसी प्राधिकार तथा मंत्रालय की मंजूरी के मिशन द्वारा शुल्क लगाना और संग्रह करना गलत था। मिशन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में शपथपत्र शुल्क की अधिक वसूली को स्वीकार किया और बताया कि इस संबंध में मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर 04 नवंबर 2022 से शपथपत्र शुल्क लगाना बंद कर दिया गया है।

मामला नवंबर 2023, दिसंबर 2023 और अप्रैल 2024 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2025 तक प्रतीक्षित था।

---

[11] प्रत्येक के लिए एक शपथपत्र वाली 547 सेवाएँ + प्रत्येक के लिए दो शपथपत्र वाली 4 सेवाएँ

[12] एक शपथपत्र वाली 9738 सेवाएं + प्रत्येक के लिए दो शपथपत्रों वाली 149 सेवाएं + प्रत्येक के लिए सभी तीनों शपथपत्रों वाली 3 सेवाएं

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

2.3 ₹ 2.96 करोड़ के जीएसटी का गलत भुगतान

पुणे, लखनऊ, बरेली, कोलकाता तथा चेन्नई में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा बुक नाउ एंड पे लेटर योजना के अंतर्गत स्पीड पोस्ट सेवाओं हेतु डाक प्राधिकारियों को जुलाई 2017 से जून 2022 तक ₹ 2.96 करोड़ के जीएसटी का अनियमित भुगतान किया गया।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश को दी जाने वाली स्पीड पोस्ट सेवाओं पर अधिसूचना सं. 12/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के माध्यम से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की छूट थी, जिसे बाद में अधिसूचना सं. 04/2022 दिनांक 13 जुलाई 2022 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था।

पुणे, लखनऊ, बरेली, कोलकाता तथा चेन्नई में क्षेत्रीय पोसपोर्ट कार्यालयों (आरपीओ) ने क्रेडिट सुविधा का लाभ लेने के लिए एक थोक उपभोक्ता[13] के रूप में बीएनपीएल (बुक नाउ एंड पे लेटर) योजना के अंतर्गत स्पीड पोस्ट सेवाओं के लिए डाक विभाग के साथ अलग से अनुबंध[14] किया।

यह पाया गया था कि इन आरपीओ ने जुलाई 2017 से जून 2022 तक की अवधि के दौरान 18 *प्रतिशत* की दर पर जीएसटी सहित बीएनपीएल मासिक बिल का भुगतान किया जिनमें जीएसटी की छूट थी। इसका परिणाम इस अवधि के दौरान ₹ 2.96 करोड़[15] के जीएसटी के गलत भुगतान में हुआ।

---

13 थोक उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो किसी कैलेंडर माह में स्पीड पोस्ट बुकिंग कार्यालय में ₹ 10,000 मूल्य का स्पीड पोस्ट व्यवसाय प्रदान करता है के रुप में परिभाषित है।

14 आरपीओ, पुणे जनवरी 2016 में, लखनऊ जनवरी 2016 में, आरपीओ, कोलकाता जुलाई 2017 में आरपीओ, चेन्नई जुलाई 2016 में और आरपीओ बरेली मई, 2018 में

15 आरपीओ, पुणे ने ₹ 60.42 लाख, आरपीओ, लखनऊ ₹ 135.41 लाख, आरपीओ, बरेली- ₹ 28.99 लाख, एवं आरपीओ, कोलकाता- ₹ 2.92 लाख तथा आरपीओ चेन्नई- ₹ 68.15 लाख का अधिक भुगतान किया।

संबंधित आरपीओ अभ्युक्तियों से सहमत हुए तथा बताया कि उन्होंने इसे डाक विभाग (आरपीओ पुणे, कोलकाता) के समक्ष उठाया है या इसे (आरपीओ लखनऊ, बरेली) के समक्ष रखेंगे।

आरपीओ का उत्तर पुष्टि करता है कि अधिसूचना के अनुसार, कर छूट के संदर्भ में बिलों की यथार्थता को भुगतान करने से पूर्व सुनिश्चित नहीं किया गया था।

उत्तर में, विदेश मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2024) कि उन्होनें जीएसटी राशि की वापसी/आगामी बिलों में समायोजन के लिए डाक विभाग, नई दिल्ली को लिखा है।

(III) गृह मंत्रालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल

2.4 जोखिम एवं कठिनाई भत्ते का अनियमित भुगतान

मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22.02.2019 में उल्लेखित वर्गीकृत क्षेत्र के अनुसार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की इकाइयों में जोखिम एवं कठिनाई भत्ते को विनियमित करने में विफलता के परिणामस्वरुप मार्च 2020 से मार्च 2023 के बीच की अवधि हेतु ₹ 33.19 करोड़ के भत्तों का अनियमित भुगतान हुआ।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने दिनांक 31 जुलाई 2017 के कार्यालय ज्ञापन[16] (ओएम) के द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) एवं असम राइफल (एआर) के कार्मिकों हेतु जोखिम एवं कठिनाई भत्ते, (आरएचए) को जोखिम एवं कठिनाई मैट्रिक्स के अनुसार नियत किया। इस मैट्रिक्स के अनुसार फील्ड क्षेत्रों के वर्गीकरण की समीक्षा गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल करके संयुक्त समिति द्वारा की गई। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने 22 फरवरी 2019 को एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) जारी किया जिसमें सीएपीएफ कार्मिकों को आरएचए के

[16] सं॰ 27012/40/सीएफ-3396706/2017-पीएफ-I

अनुदान हेतु क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया। इस वर्गीकरण के अनुसार, असम राज्य (सात जिलों को छोडकर)[17] आरएचए के अनुदान हेतु पात्र नहीं था।

कार्यालय ज्ञापन के अनुसार वर्गीकृत क्षेत्रों के रूप में न पहचाने गए क्षेत्रों में वर्ग अधिकारियों एवं अधिकारी दर्जे के नीचे के कर्मियों की पात्रता केन्द्र सरकार के कर्मचारियों[18] के समान होगी। इसी स्थिति को गृह मंत्रालय ने दिनांक 14 अगस्त 2020 के आदेश के माध्यम से दोहराया।

गुवाहाटी विमानपत्तन, डिब्रूगढ़ विमानपत्तन एवं सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), 68 बटालियन, देवेन्द्रनगर, सोनितपुर, असम में तैनात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), विमानन सुरक्षा समूह (एएसजी) इकाईयों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इन इकाइयों ने अपने कार्मिकों को आरएचए प्रदान किया था।

चूंकि इन सीएपीएफ इकाईयों के स्थान वर्गीकृत क्षेत्रों में शामिल नहीं थे इसलिए, आरएचए इन सीएपीएफ इकाइयों के कर्मियों को देय नहीं था। इसके परिणामस्वरुप मार्च 2020 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान ₹ 33.19 करोड़[19] की राशि के आरएचए का अनियमित भुगतान हुआ **(अनुलग्नक 2.1)**।

तथापि, ये इकाइयां 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) द्वारा अनुशंसित दर पर विशेष प्रतिपूरक भत्ते (दूरस्थ स्थान) एवं 7वें सीपीसी द्वारा अनुशंसित दर पर विशेष आर्थिक भत्ता (एसडीए) हेतु पात्र थी, जिनका भुगतान कर्मचारियों को नहीं

---

17 धुबड़ी, दक्षिण सलमारा, करीमगंज, चिरांग, बक्सा, दरांग, रंगिया

18 उत्तर-पूर्व क्षेत्र पर आधारित इकाईयों में तैनात कार्मिक 7वें सीपीसी मूल वेतन के 10 *प्रतिशत* की दर पर विशेष ड्यूटी भत्तों (एसडीए) सहित 6वें सीपीसी की पुरानी दरों पर विशेष प्रतिपूर्ति (दूरवर्ती स्थान) भत्तों (एससीए) के भुगतान हेतु पात्र थे।

19 ₹ 11.21 करोड़ (सीआईएसएफ गुवाहाटी विमानपत्तन), ₹ 3.10 करोड़ (सीआईएसएफ डिब्रूगढ़ विमानपत्तन) एवं ₹ 18.88 करोड़ (68वीं बटालियन, एसएसबी, सोनितपुर, असम)।

किया गया था। इसलिए, परिणामी प्रभाव मार्च 2020 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान ₹ 15.53[20] करोड़[21] का अधिक भुगतान था **(अनुलग्नक 2.1)**।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई, डिब्रूगढ़ विमानपत्तन ने अपने उत्तर (नवम्बर 2022) में बताया कि सह-स्थित 171 बटालियन, सीआरपीएफ, डिब्रूगढ़, असम द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के अनुसार उनके कर्मियों को आरएचए प्रदान किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि ऑयल दुलियाजन, बीसीपीएल डिब्रूगढ़ में सह-स्थित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाईयों एवं सीआरपीएफ कार्मिक की 171 बटालियन को भी आरएचए मिल रहा था। तथापि, इस संबंध में कोई विशेष आदेश लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

सशस्त्र सीमा बल निदेशालय, नई दिल्ली ने सूचित किया (नवम्बर 2023) कि 68वीं बटालियन के कार्मिकों के संबंध मे आरएचए का दावा नवम्बर 2023 से बंद कर दिया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, विमानपत्तन गुवाहाटी की इकाई ने मामले को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मुख्यालय को अग्रेषित कर दिया (जून 2023) जिसने यह निदेशित किया (जून 2023) कि मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए मामले का निपटान किया जाए (14 अगस्त 2020), जो यह स्पष्ट करता है कि असम का सम्पूर्ण क्षेत्र सामान्य क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत है। तद्नुसार, इकाई ने सूचित किया (सितंबर 2023) कि आरएचए का भुगतान जुलाई 2023 से बंद कर दिया गया है।

---

20 भुगतान किया गया आरएचए (₹ 33.19 करोड)- एससीए प्लस देय एसडीए (₹ 17.66 करोड़) = अनियमित भुगतान (₹ 15.53 करोड)

21 मार्च 2020 से मार्च 2023 तक सीआईएसएफ, गुवाहाटी विमानपत्तन से संबंधित ₹ 4.64 करोड, अप्रैल 20 से जनवरी 23 तक 68वीं बटालियन एसएसबी, सोनितपुर असम से संबंधित ₹ 9.57 करोड़, मार्च 2020 से मार्च 2023 तब सीआईएसएफ डिब्रूगढ़ विमानपत्तन से संबंधित ₹ 1.32 करोड़।

मंत्रालय सीएपीएफ की सभी इकाईयों में यह सुनिश्चित करते हुए समीक्षा करे कि संवितरित किया जा रहा आरएचए गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22 फरवरी 2019 के अनुरूप है।

मामला अक्टूबर 2023 को मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2025 तक प्रतीक्षित था।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

2.5 निधियों का अवरोधन एवं अभिप्रेत लाभों की गैर-प्राप्ति

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा अपने स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु चयनित एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, लोक निर्माण संगठन के साथ प्रभावी ढंग से समन्वय करने में विफल होने के परिणामस्वरुप जनवरी 2020 से कार्य के रुक जाने एवं निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध रद्द हुआ, जिससे ₹ 11.75 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ एवं अपने कर्मियों को आवासीय परिसर प्रदान करने के अभिप्रेत परिणाम प्राप्त किए बिना प्रस्तावित लागत ₹ 27.56 करोड़ से बढ़कर ₹ 56.15 करोड़ हो गई।

गृह मंत्रालय ने दिल्ली में सरकारी भवन सुरक्षा (जीबीएस) इकाइयों में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों के लिए आवासीय परिसर के निर्माण के लिए 15 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दी (अप्रैल 2006)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने आवास इकाइयों के निर्माण के लिए पट्टे के आधार पर मैदानगढ़ी में अंनतिम रूप से सात एकड़ भूमि आवंटित की (मार्च 2013)।

गृह मंत्रालय ने इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मोड[22] के अंतर्गत

---

[22] ईपीसी अनुबंध में, मालिक अपनी आवश्यकताएं बताता है और ठेकेदार विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करता है, सभी सामग्रियों और उपकरणों की खरीद करता है और फिर मालिक को एक कामकाजी सुविधा या संपत्ति देने के लिए निर्माण करता है। ठेकेदार को परियोजना का सर्वेक्षण, जांच, डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण करना होगा और अनुबंध में निर्धारित अपने सभी दायित्वों का निरीक्षण, पूर्ति, अनुपालन एवं निष्पादन करना होगा।

मैदानगढ़ी में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए 263 कर्मचारी क्वार्टरों[23] के निर्माण को मंजूरी दी (नवंबर 2015)। यह कार्य राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (इंडिया) लिमिटेड (एनबीसीसी) द्वारा निष्पादित किया जाना था। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने परियोजना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया (जून 2016) जिसके अंतर्गत एनबीसीसी को आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर कार्य के लिए निविदा जारी करनी थी तथा निविदा और लागत के आकलन के बाद एनबीसीसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया जाना था। एनबीसीसी ने जुलाई 2016 में निविदा जारी की और सितंबर 2016 में निर्माण एजेंसी को ₹ 27.56 करोड़ का कार्य सौंपा गया।

एनबीसीसी ने सीआईएसएफ को परियोजना की अंतिम लागत ₹ 33.75 करोड़ बताई (अक्टूबर 2016)। ₹ 33.75 करोड़ की लागत पर फ्लैटों के निर्माण के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और एनबीसीसी (दिसंबर 2016) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे बाद में संशोधित कर ₹ 27.56 करोड़ (जून 2017) कर दिया गया क्योंकि अनुबंध का निविदा मूल्य परियोजना की अनुमानित लागत से कम था।

समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, एनबीसीसी को विस्तृत इंजीनियरिंग और निर्माण कार्य प्रारम्भ एवं निष्पादित करना था और अपनी निष्पादन एजेंसियों द्वारा कार्य की गुणवत्ता और परियोजनाओं के सामयिक समापन की पूर्ण रुप से जिम्मेदारी लेनी थी। कार्य पूरा करने की कुल अवधि बाधा मुक्त साइट सौंपे जाने की तिथि से 24 महीने थी। इसके अतिरिक्त, कार्य में किसी भी देरी के कारण सीआईएसएफ द्वारा एनबीसीसी को कोई वृद्धि देय नहीं होनी चाहिए और संस्वीकृत राशि पर परियोजना की लागत निश्चित होनी चाहिए। समझौता ज्ञापन (पैराग्राफ 5.1) में यह भी प्रावधान किया गया है कि संस्वीकृत लागत से अधिक

[23] गृह मंत्रालय ने ईपीसी मोड के अंतर्गत ₹ 102.26 करोड़ की कुल लागत पर छः स्थानों पर सीआईएसएफ के लिए 554 घरों के निर्माण को मंजूरी दी थी, जिसमें ₹ 33.75 करोड़ की लागत से मैदानगढ़ी में 263 घर शामिल थे।

किसी भी संशोधित प्रारंभिक अनुमान पर विचार नहीं किया जाएगा और परियोजना लागत को संस्वीकृत अधिकतम लागत के भीतर रखा जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीआईएसएफ ने जमीन पर कब्जा लेने से पहले साइट की स्थिति की जांच/सत्यापन नहीं किया था। भूमि का एक हिस्सा भू-आकृतिक कटक[24] में आता था। सीआईएसएफ/एनबीसीसी को संबंधित प्राधिकारियों की मंजूरी लेने में 13 महीने का समय लगा और अक्टूबर 2017 में बाधा मुक्त साइट निर्माण एजेंसी को सौंप दिया गया। इस प्रकार, एनबीसीसी द्वारा नवंबर 2017 से कार्य शुरू किया गया और अक्टूबर 2019 तक इसे पूरा किया जाना था।

अग्निशमन विभाग (अक्टूबर 2016) और दिल्ली शहरी कला आयोग (नवंबर 2017) की अभ्युक्तियों के आधार पर, एनबीसीसी ने प्रस्तावित भवनों के निर्मित क्षेत्र में लगभग 4.75 *प्रतिशत* की वृद्धि का प्रस्ताव सीआईएसएफ को दिया। इसने सीआईएसएफ को स्थान की आवश्यकता[25] के कारण उच्च प्लिंथ स्तर और सड़क स्तर की आवश्यकता के बारे में सूचित किया (दिसंबर 2017), जिसे बाद में सीआईएसएफ के साथ बैठक के बाद फरवरी 2018 में बढ़ा दिया गया था। तत्पश्चात्, एनबीसीसी ने विस्तृत औचित्य (अगस्त 2018) के साथ लागत में वृद्धि का प्रस्ताव रखा। तथापि, सीआईएसएफ ने एनबीसीसी द्वारा प्रस्तावित ₹ 31.00 करोड़ की संशोधित लागत को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया (मई 2019) कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार लागत में वृद्धि अनुमत नहीं है।

---

24 रूपात्मक कटक का वर्णन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 2006 के दिल्ली मानचित्र द्वारा प्रदान किए गए भूकंपीय क्षेत्र के आधार पर किया गया है। यह अत्यधिक पारिस्थितिक महत्व का है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए एवं अप्रतिबंधित और अनियोजित विकास से मुक्त रखा जाना चाहिए। तदनुसार, सीआईएसएफ को रिज प्रबंधन बोर्ड से मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इसी तरह, चूंकि भूमि असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य के पास थी, सीआईएसएफ ने मंजूरी के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से संपर्क किया।

25 स्थान की आवश्यकता-एनबीसीसी ने सीआईएसएफ प्लॉट के आसपास सड़कों के स्तर में वृद्धि के कारण उच्च प्लिंथ स्तर और सड़क स्तर की आवश्यकता के बारे में सीआईएसएफ को सूचित किया। इसके अलावा, सीबीआई और सीआरपीएफ अस्पताल जैसे विपरीत भूखंडों का प्राकृतिक जमीनी स्तर सीआईएसएफ भूखंड से लगभग 1.5 मीटर अधिक था।

एनबीसीसी ने भुगतान[26] में देरी मैदानगढ़ी परियोजना के आरए बिलों से अन्य परियोजनाओं के परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली के निर्णय और सीआईएसएफ के स्तर पर विभिन्न अनुमोदन/निर्णयों के लंबित होने का आरोप (सितंबर 2020), लगाते हुए जनवरी 2020 में कार्य बंद कर दिया। कार्य को रोके जाने के समय, केवल 37 *प्रतिशत* कार्य ही पूरा हुआ था। 10वें आरए बिल तक कुल मिलाकर ₹ 9.25 करोड़ का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, जुटाव अग्रिम के रूप में ₹ 2.50 करोड़ का भुगतान किया गया था, जिसमें से 10वें आरए बिल तक केवल ₹ 0.93 करोड़ का समायोजन किया गया था। एनबीसीसी द्वारा निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध 18 जून 2021 को रद्द कर दिया गया था।

तत्पश्चात्, एनबीसीसी ने जनवरी 2022 और अगस्त 2023 में शेष कार्य के लिए क्रमशः ₹ 38.06 करोड़ और ₹ 47.20 करोड़ की अनुमानित लागत का प्रस्ताव रखा। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2024 में, मैदानगढ़ी परियोजना के मूल प्रस्ताव के संबंध में तुलनात्मक लागत वृद्धि की मांग करने वाले सीआईएसएफ के पत्र (दिसंबर 2023) के उत्तर में, एनबीसीसी ने ₹ 56.15 करोड़ के लिए एक संशोधित समझौता ज्ञापन लागत प्रस्तुत किया, जो मूल आवंटित लागत से 103 *प्रतिशत* अधिक था। एनबीसीसी द्वारा लागत वृद्धि के लिए दिए गए व्यापक औचित्य में चट्टान की खुदाई, दोहरी पाइपलाइन, सौर प्रकाश और हीटिंग जैसे अतिरिक्त कार्य क्षेत्र जो दिसंबर 2016 से अनिवार्य हो गए, निर्मित क्षेत्र में 4.75 *प्रतिशत* की वृद्धि, आसपास के सड़क स्तर में वृद्धि के कारण भवन के प्लिंथ स्तर में वृद्धि, प्रमात्रा बिल में विचलन, 13 जुलाई 2022 से सरकारी कार्यों के लिए जीएसटी दर को 12 *प्रतिशत* से बढ़ाकर 18 *प्रतिशत* करना और 2017 से 2023 तक लागत सूचकांक में वृद्धि, था।

---

[26] पहले, तीसरे, पांचवें, छठे और सातवें आरए बिलों में देरी 11 दिनों से लेकर 47 दिनों तक थी। सीआईएसएफ ने सूचित किया (अक्टूबर 2023) कि 9वें और 10वें आरए बिलों के भुगतान में 145 और 202 दिनों की देरी मात्रा में विचलन के कारण हुई थी जो मूल प्रमात्रा बिल (बीओक्यू) के अनुसार नहीं थी। 9वें और 10वें आरए बिलों के संबंध में ₹ 1.61 करोड़ का भुगतान 31 मार्च 2020 को जारी किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि जनवरी 2020 से एनबीसीसी द्वारा काम पूरी तरह से रोक दिया गया था।

उपरोक्त आधार पर लागत वृद्धि के लिए एनबीसीसी का अनुरोध इंगित करता है कि उसने पूर्व-निर्माण सर्वेक्षणों और अनुमानों का सही ढंग से आकलन नहीं किया। वह ईपीसी अनुबंध के अंतर्गत अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहा, जिसे समझौता ज्ञापन के अनुसार वृद्धि मुक्त रहना आवश्यक था। अनुमानों को सही ढंग से लागू करने में एनबीसीसी की विफलता और अनुबंध की प्रकृति के कारण संशोधित परियोजना लागत के प्रस्तावों को मंजूरी देने में सीआईएसएफ की असमर्थता ने गतिरोध पैदा किया जिसके कारण कार्य रुक गया। सीआईएसएफ/गृह मंत्रालय ने एनबीसीसी द्वारा प्रस्तावित संशोधित परियोजना लागत पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है (मार्च 2024)। इसके अतिरिक्त, कार्य पूरा करने के लिए समय विस्तार पर भी निर्णय की आवश्यकता थी।

अपने उत्तर में सीआईएसएफ ने बताया (मार्च 2024) कि सीआईएसएफ और एनबीसीसी के बीच समझौता ज्ञापन अभी भी जारी है। संशोधित लागत प्रस्ताव की स्वीकृति के बिना इसे क्रियान्वित करने में एनबीसीसी की अनिच्छा के कारण परियोजना में देरी हुई है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) द्वारा उल्लिखित शर्तों और लागत तथा समय लंघन के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देश के कारण एनबीसीसी के संशोधित लागत प्रस्तावों पर सहमति नहीं हुई।

सीआईएसएफ का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि अनुबंधित रूप से एनबीसीसी संस्वीकृत लागत के भीतर कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उत्तरदायी था फिर भी सीआईएसएफ परियोजना का मालिक होने के नाते समय पर और उचित मानक के अनुसार कार्य के निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए समय पर निर्णय लेने के लिए भी उत्तरदायी था। इसके अतिरिक्त, कार्य एनबीसीसी को ₹ 27.56 करोड़ की लागत पर सौंपा गया था जो इस परियोजना के लिए संस्वीकृत लागत ₹ 33.75 करोड़ से कम था। एनबीसीसी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर समय पर विचार करने और अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में सीआईएसएफ की असमर्थता के कारण समय लगा और लागत में लगभग 103 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जबकि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से साढ़े चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कार्य

अधूरा है। इस कारण ₹ 11.75[27] करोड़ की निधियां अवरुद्ध हुई और सीआईएसएफ कार्मिकों को आवासीय परिसर प्रदान करने का अभिप्रेत उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

मामला मंत्रालय को मार्च 2024 में प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2025 तक प्रतीक्षित था।

2.6 अनुग्रह राशि का परिहार्य भुगतान

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मृतक कर्मचारियों के परिजनों को अनुग्रह राशि जारी करते समय मुआवजा खंड को लागू करने में विफल रहा एवं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 17 मृतक कार्मिक जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तैनात थे, के परिजनों को ₹ 4.05 करोड़ की अनुग्रह राशि का परिहार्य भुगतान किया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने जनवरी 2024 तक संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से कुल ₹ 2.95 करोड़ की राशि की वसूली की है तथा ₹ 1.10 करोड़ की राशि बकाया है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में से एक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की सुरक्षा हेतु अपने कार्मिकों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 में प्रावधानों के अनुसार तैनात करता है। सीआईएसएफ द्वारा संबंधित पीएसयू के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में निबंधन और शर्ते निर्दिष्ट की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एमओयू मानक के अनुसार, मृत्यु या अक्षमता या चोट के लिए मुआवजे हेतु खंड यह निर्धारित करता है कि "ड्यूटी के दौरान किसी भी सीआईएसएफ कार्मिक की मृत्यु या अक्षमता या चोट की घटना में ग्राहक संगठन सरकार द्वारा निर्धारित दर पर या उस दर पर जिस पर पीएसयू अपने कर्मचारियों को मृत्यु के मामले में भुगतान कर रहा है, जो भी अधिक हो, पर मृत्यु अनुग्रह राशि भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि मामला उग्रवादियों/नक्सलियों/आतंकवादियों/डाकुओं/

---

[27] ₹ 11.75 करोड़ (₹ 9.25 करोड़ आरए बिल + ₹ 2.50 करोड़ जुटाव अग्रिम जिसमें ₹ 0.93 करोड़ चालू खाता बिलों के भुगतान के दौरान समायोजित किए गए।

असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई में मृत्यु का है, तो महानिदेशक, सीआईएसएफ द्वारा विशेष सिफारिश भी की जा सकती है।”

गृह मंत्रालय के पुलिस II प्रभाग के पुनर्वास एवं कल्याण निदेशालय ने 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान सीआईएसएफ को अनुग्रह राशि के आधार पर कुल ₹ 7.00 करोड़ की निधियां प्रदान की थी। इसमें से, उसने उक्त अवधि के दौरान पीएसयू में ड्यूटी पर 17 मृतक सीआईएसएफ कार्मिकों के परिजनों को कुल ₹ 4.05 करोड़ का अनुग्रह राशि का भुगतान जारी किया गया था (**अनुलग्नक 2.2**)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 15 मामलों में सीआईएसएफ ने सीआईएसएफ/गृह मंत्रालय के एमओयू के प्रावधानों के उल्लंघन में मृतकों के परिजनों को ₹ 3.55 करोड़ की अनुग्रह राशि का भुगतान जारी किया। इसके अतिरिक्त, ओएनजीसी मेहसाणा एवं ओएनजीसी नाज़िरा के मामले में, यद्यपि सीआईएसएफ और ग्राहक संगठनों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं फिर भी ₹ 0.50 करोड़ की अनुग्रह राशि का भुगतान जारी किया गया। सीआईएसएफ ने न तो यह अनुग्रह राशि प्राप्त की और न ही संबंधित ग्राहक संगठन से उपरोक्त की प्रतिपूर्ति हेतु कोई कदम उठाया था।

नवंबर 2022 और मई 2023 में इंगित किए जाने के बाद, सीआईएसएफ ने बताया (जनवरी 2024) कि उसने सभी संबंधित इकाइयों को मृतक सीआईएसएफ कर्मियों के परिजोनों को दी गई अनुग्रह राशि को संबंधित ग्राहक संगठनों (पीएसयू) से वापस लेने के लिए उन्हें दर्ज करने का निर्देश दिया है। सीआईएसएफ ने यह भी सूचित किया कि कुल ₹ 4.05 करोड़ की परिहार्य अनुग्रह राशि के भुगतान में से 13 पीएसयू ने अनुग्रह राशि जारी कर दी है और सीआईएसएफ को कुल ₹ 2.95 करोड़ का भुगतान जारी कर दिया है। सीआईएसएफ ने आगे बताया कि संबंधित महानिरीक्षक (आईजी) को अनुग्रह राशि के अनियमित भुगतान की जल्द वसूली के लिए शेष ग्राहक संगठनों के साथ संपर्क करने की सलाह दी गई है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि शेष चार मामलों[28] में ₹ 1.10 करोड़ की राशि अभी भी बकाया थी तथा मामला प्रबंधन स्तर पर प्रक्रियाधीन था।

इस प्रकार, सीआईएसएफ मृतक कार्मिकों के परिजनों को अनुग्रह राशि जारी करते समय मुआवजा खंड लागू करने में असफल रहा। इसके अतिरिक्त, सीआईएसएफ को 2020-21 से पूर्व के सभी मामलों की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

मामला नवम्बर 2023 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया; उनका उत्तर जून 2025 तक प्रतीक्षित था।

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल

2.7 ₹ 17.44 करोड़[29] का व्यर्थ व्यय

दमोह (मध्य प्रदेश) में 81 मिमी मोर्टार फील्ड फायरिंग रेंज के लिए प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता की जांच करने हेतु गठित तकनीकी समिति के निष्कर्षों को अनदेखा करते हुए, सहायक हथियार प्रशिक्षण विद्यालय- भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, करेरा ने अगस्त 2017 में ₹ 16.55 करोड़ की लागत पर भूमि का अधिग्रहण किया जिसका अभिप्रेत उपयोग नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने भूमि की सुरक्षा हेतु भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की एक प्लाटून के वेतन और भत्तों (मार्च 2023 तक ₹ 88.41 लाख का किया गया व्यय) पर आवर्ती व्यय जारी रखा।

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 21 के अनुसार, लोक धन से व्यय करने वाले या प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए। प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय आदेश एवं सख्त मितव्ययिता भी लागू करनी चाहिए एवं देखना चाहिए कि सभी प्रासंगिक वित्तीय नियमों और विनियमों का पालन उनके अपने कार्यालय और अधीनस्थ संवितरण अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, नियम 21(i) एवं (ii)

---

28 एसएसपी सलेम, एनएचपीसी धौलीगंगा, पीएचएफपी हरिद्वार और ओएनजीसी नज़ीरा।

29 ₹ 17,43,76,518 (एफएफआर अनुबंध - ₹ 16,55,34,750 + प्लाटून को वेतन और भत्ते - ₹ 88,41,768)

में इस बात पर बल दिया गया है कि लोक धन से किए गए व्यय के संबंध में प्रत्येक अधिकारी से वही सतर्कता बरतने की अपेक्षा की जाती है जैसे एक सामान्य विवेकी व्यक्ति अपने स्वयं के धन को व्यय करने के संबंध में रखेगा। प्रथम दृष्ट्या व्यय अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए।

भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) बल ने सहायक हथियार[30] प्रशिक्षण स्कूल (एसडब्ल्यूटीएस) स्थापित करने के लिए 81 मिमी मोटार्र[31] सहायक हथियारों के लिए एफएफआर रेंज की विशिष्टताओं के अनुसार 5000 मीटर लम्बाई एवं चौड़ाई की अधिकतम प्रभावी रेंज की आदर्श लम्बाई की फील्ड फायरिंग रेंज (एफएफआर) के लिए मध्य प्रदेश में भूमि चिन्हित करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2005)।

तदनुसार, दमोह, मध्य प्रदेश (एमपी) में 727.47 हेक्टेयर (1818.67 एकड़) भूमि चिन्हित की गई (09 जनवरी 2015)। एसडब्ल्यूटीएस की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि खरीद की उपयुक्तता की जांच के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया। तकनीकी समिति ने 22 जून 2015 को यह बताते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि प्रस्तावित भूमि आस-पास के गांवों में आबादी होने के कारण 81 मिमी मोर्टास फायरिंग रेंज के लिए सुरक्षित नहीं थी तथा भूमि माप (लम्बाई-2,350 मीटर एवं चौड़ाई-1,640 मीटर) फायरिंग रेंज (लम्बाई- 5,020 मीटर एवं चौड़ाई 3,887 मीटर) के लिए अपेक्षित पैरामीटर के अनुसार नहीं था। समिति ने ग्रामीणों को किसी अन्य स्थान पर पुनर्वासित करने की भी सिफारिश की। समिति की रिपोर्ट के बावजूद, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने अधिग्रहण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया (02 जनवरी 2016)। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने दमोह में एसडब्ल्यूटीएस एवं एफएफआर की स्थापना हेतु 654.38 हेक्टेयर (1616.97 एकड़) भूमि के अधिग्रहण/ हस्तांतरण के लिए ₹ 16.55 करोड़ की राशि संस्वीकृत की (10 मार्च 2016)। दमोह कलेक्टर एवं कमांडेंट, एसडब्ल्यूटीएस- भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल करेरा

30 युद्ध के दौरान सहायक हथियारों का उपयोग किया जाता है।

31 81 मिमी बोर का आकार या कैलिबर है जो बंदूक बैरल बोर के नाममात्र आंतरिक व्यास को निर्दिष्ट करता है।

(शिवपुरी) के बीच 01 अगस्त 2017 से 30 वर्षों के लिए 22 अगस्त 2017 को ₹ 16.55 करोड़[32] के पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर किए गए। इस भूमि के स्थलाकृति सर्वेक्षण एवं मिट्टी की जांच पर ₹ 35.36 लाख का व्यय किया गया।

तथापि, जनवरी 2022 में लेखापरीक्षा ने पाया कि दमोह में एसडब्ल्यूटीएस- फील्ड फायरिंग रेंज को स्थापित करने के लिए प्रस्तावित भूमि 81 मिमी मोर्टार की फायरिंग रेंज के लिए उपयुक्त न होने के कारण अभी भी अप्रयुक्त पड़ी थी तथा भूमि की सुरक्षा हेतु एक सहायक कमांडेंट की कमान के अंतर्गत आईटीबीपी की एक प्लाटून[33] तैनात की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार को इस अनुरोध के साथ मौजूदा भूमि को अभ्यर्पित करने का निर्णय लिया गया (03 फरवरी 2020) कि वह राशि को वापस कर दें अथवा इसे बटियारगढ़ मध्य प्रदेश में दूसरी प्रस्तावित भूमि की लागत के सापेक्ष में समायोजित कर लें। तथापि, इस निर्णय पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई।

अपने उत्तर में (अक्टूबर 2023), एसडब्ल्यूटीएस- आईटीबीपी, करेरा, शिवपुरी नें बताया कि 81 मिमी मोर्टार के फील्ड फायरिंग रेंज के लिए 9,000-10,000 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु सभी संभावनाएं समाप्त होने के बाद एवं ऐसी भूमि की गैर-उपलब्धता के कारण, महानिदेशक (डीजी) आईटीबीपी ने हाल ही में उप महानिरीक्षक (डीआईजी) (एसडब्ल्यूटीएस), आईटीबीपी को उसी 1,616.97 एकड़ भूमि पर एसडब्ल्यूटीएस स्थापित करने का निर्देश दिया जिसे इस उद्देश्य के लिए आईटीबीपी के नाम पर पहले ही आवंटित एवं परिवर्तित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, दमोह भूमि पर एसडब्ल्यूटीएस हेतु लेआउट प्लान के अनुमोदन एवं प्राधिकृत अवसंरचना के लिए संस्वीकृति जारी करना महानिदेशालय में प्रक्रियाधीन है। यह भी बताया गया है कि सहायक हथियार प्रशिक्षण स्कूल, आईटीबीपी को दमोह (मध्य प्रदेश) भूमि पर स्थानांतरित करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

---

32 डी.डी. सं. 500953 दिनांक 28 जुलाई 2017 (कलेक्टर दमोह म.प्र. के पक्ष में) के द्वारा अदा किया गया।

33 कंपनी आकार की सैन्य इकाई का एक उपविभाग जिसमें सामान्यतः दो या अधिक दस्ते होते हैं।

भूमि एक हथियार अर्थात् 81 मिमी मोर्टार को छोड़कर सभी फील्ड फायरिंग रेंज के लिए उपयुक्त है। अधिग्रहित भूमि का उपयोग उन सैनिकों को हथियार प्रशिक्षण देने में किया जाएगा जो सीमा की सुरक्षा के लिए भारत-चीन सीमा पर तैनात है। एसडब्ल्यूटीएस को दमोह (मध्य प्रदेश) भूमि पर स्थानांतरित करने के लिए की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की समय सीमा, दिसम्बर 2023 तक अंतिम तिथि स्थानांतरित करने सहित आईटीबीपी के संबंधित कर्मचारियों को सौंप दी गई है।

एसडब्ल्यूटीएस आईटीबीपी करेरा (शिवपुरी) का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 81 मिमी मोर्टार के एफएफआर को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य अधूरा रह गया। इसके अतिरिक्त, दमोह में एसडब्ल्यूटीसी की स्थापना की प्रकिया छः वर्ष (मई 2024) से अधिक समय समाप्त हो जाने के बावजूद भी पूरी नहीं हुई है। तथ्य यह है कि अगस्त 2017 में भूमि अधिग्रहण पर ₹ 16.55 करोड़ के व्यय होने के बावजूद भी इस भूमि का अभिप्रेत उपयोग नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, आईटीबीपी ने इस भूमि की सुरक्षा हेतु आईटीबीपी के प्लाटून के वेतन एवं भत्तों (मार्च 2023 तक ₹ 88.41 लाख का किया गया व्यय) पर व्यय करना जारी रखा।

मामला अगस्त 2023 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया; उनका उत्तर जून 2025 तक प्रतीक्षित था।

2.8 नवनिर्मित भवन का गैर-उपयोग

समझौता ज्ञापन/अनुबंध के अनुसार, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा ठेकेदार के साथ-साथ राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (परियोजना प्रबंधन सलाहकार) के माध्यम से नवनिर्मित भवन 'X' में कमियों को दूर करने में विफलता के परिणामस्वरुप चार वर्षों से अधिक समय तक उक्त भवन का उपयोग नहीं हुआ। भवन के निर्माण पर खर्च की गई ₹ 14.57 करोड़ की राशि निष्फल रही।

अधिक ऊंचाई पर अत्यधिक ठंड और प्रतिकूल जलवायु की स्थिति में भारत-चीन सीमा की रक्षा करने वाले आईटीबीपी कर्मचारियों को रहने के लिए बेहतर स्थिति प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आईटीबीपी के लिए भवन

'X' के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं ₹ 17.21 करोड़ के व्यय को मंजूरी प्रदान की (अगस्त 2016)। परियोजना का मूल उद्देश्य मितव्यय और पर्यावरण-अनुकूल पद्धति का उपयोग करके चौबीस घंटे और पूरे वर्ष रहने योग्य तापमान (+)22 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना था, भले ही बाहरी तापमान (-) 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि भवन 'X' आईटीबीपी की पहली पायलट परियोजना थी।

आईटीबीपी ने उक्त भवन के निर्माण के लिए नामांकन के आधार पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसीएल) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रुप में नियुक्त किया (जुलाई 2016)। समझौता ज्ञापन के खंड 2 (कार्य विवरण) के अनुसार, एनपीसीसीएल सेवाओं और विकास निर्माण कार्यों[34] के साथ-साथ कंपनी स्तर के भवन का निर्माण भी करेगा। समझौता ज्ञापन के खंड 3.2 के अनुसार, एनपीसीसीएल अपने निष्पादन अभिकरणों द्वारा कार्य की गुणवत्ता और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी लेगा। समझौता ज्ञापन के खंड 3.4 के अनुसार, आईटीबीपी या स्वयं/उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति स्वयं/उनको संतुष्ट करने के लिए किसी भी समय निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सकता है कि भवन का निर्माण अनुमान में दिए गए ड्राइंग और विनिर्देश के अनुसार किया जा रहा है। यदि निरीक्षण के दौरान कोई त्रुटि या भिन्नता पाई जाती है तो एनपीसीसीएल को उसे अपने खर्च पर ठीक कराना होगा।

एनपीसीसीएल ने ठेकेदार को ₹ 15.94 करोड़ में निर्माण कार्य सौंपा (सितंबर 2016), जिसे पूरा करने के लिए प्रारंभिक समय नवंबर 2017 था। अनुबंध के अनुसार,

---

34 विद्युत कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) निर्माण कार्य और हरित विशेषताएं।

विशेष सेवाएं अर्थात् रेडिएंट अंडरफ्लोरिंग हीटिंग सिस्टम[35], सोलर थर्मल वॉटर हीटिंग सिस्टम[36], सोलर फोटो वोल्टाइक सिस्टम[37] और जियोथर्मल फ्रेश एयर सिस्टम[38] वास्तुकारों द्वारा डिजाइन और इंजीनियर किए गए थे और आईआईटी रूड़की द्वारा अनुमोदित किए गए थे। अनुबंध के अनुसार, वास्तुकारों द्वारा तैयार किए गए निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित मापदंडों के अनुसार सिस्टम डिजाइन, विनिर्माण, परिनिर्माण, कार्यचालन और सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्णतः ठेकेदार की होगी।

इसके अतिरिक्त, प्रणाली के चालू होने के बाद इसे आईटीबीपी को सौंपा जाना था और तत्पश्चात् उन्हें बारह महीने तक लगातार, त्रुटि दायित्व अवधि के साथ ओवरलैप करते हुए, मानक डिजाइन किए गए मानदंडों के अनुसार निष्पादन की निगरानी करनी थी। यदि इस अवधि के दौरान निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया और सुधार/प्रतिस्थापन, डिजाइन में सुधार या कोई अन्य परिवर्तन आवश्यक महसूस किया गया, तो इसे ठेकेदार द्वारा मालिक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के किया जाना था, तथापि ये सुधार केवल वास्तुकारों से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही किए जा सकते थे। विशिष्ट सेवाओं अर्थात् रेडियंट अंडरफ्लोरिंग हीटिंग सिस्टम, सोलर थर्मल वॉटर हीटिंग सिस्टम, सोलर फोटो वोल्टाइक सिस्टम और जियोथर्मल फ्रेश एयर सिस्टम की त्रुटि दायित्व अवधि को ऐसे पिछले सुधार से शुरू माना

---

35 रेडिएंट अंडर फ्लोरिंग हीटिंग सिस्टम- रेडिएंट अंडर फ्लोरिंग हीटिंग सिस्टम सीधे कमरे के फर्श को गर्मी की आपूर्ति करते हैं। सिस्टम काफी हद तक रेडिएंट हीट ट्रांसफर पर निर्भर करते हैं - इन्फ्रारेड रेडिएशन के माध्यम से कमरे में लोगों और वस्तुओं को सीधे गर्म सतह से गर्मी की आपूर्ति।

36 सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जो सूर्य से ऊर्जा का उपयोग करके पानी को गर्म करने में मदद करती है।

37 सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम एक विद्युत शक्ति प्रणाली है जिसे फोटोवोल्टिक्स के माध्यम से उपयोग करने योग्य सोलर ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें कई घटक होते हैं, जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने और बिजली में परिवर्तित करने के लिए सोलर पैनल, आउटपुट को प्रत्यक्ष से प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए एक सोलर इन्वर्टर, साथ ही एक कार्यशील प्रणाली स्थापित करने के लिए माउंटिंग, केबलिंग और अन्य विद्युत सहायक उपकरण शामिल हैं।

38 जियोथर्मल फ्रेश एअर सिस्टम घरों और व्यावसायिक भवनों के लिए हीटिंग, कूलिंग और गर्म पानी प्रदान करने के लिए पृथ्वी के अपेक्षाकृत स्थिर तापमान का उपयोग करती है।

जाएगा। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन विशिष्ट सेवाओं को एक एकल पैकेज के रूप में माना जाएगा और उनमें से किसी को भी अलग नहीं माना जा सकता था क्योंकि संयुक्त निष्पादन से ऐसे डिज़ाइन किए गए आउटपुट सुनिश्चित होंगे जो परियोजना के कार्यकरण के लिए प्रमुख महत्व के थे।

आईटीबीपी ने 33वें चालू खाता बिल (मार्च 2019) तक कुल ₹ 14.57 करोड़ की राशि जारी की। एनपीसीसीएल ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि उक्त भवन का कार्य सभी मामलों में पूरा हो गया था। सचिव, सीमा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय ने अपने दौरे (सितंबर 2020) के दौरान आईटीबीपी को अनुदेश दिया कि भवन औपचारिक रूप से तभी सौंपा जाना था जब निर्धारित मानदंड, विशेष रूप से तापमान के रखरखाव के संबंध में संतोषजनक हों। तदनुसार, आईटीबीपी ने वर्ष 2020-21 से शुरू होने वाले दो शीतकालीन सत्रों के लिए सभी हरित सुविधाओं, मशीनरी, उपकरण आदि की दक्षता, य़र्थाथता और निष्पादन की जांच करने के लिए 19 अक्टूबर 2020 को परीक्षण के आधार पर उक्त भवन को अधिकृत किया।

परीक्षण अधिभोग के दौरान, आईटीबीपी ने पाया (नवंबर 2020) कि रेडियंट फ्लोर हीटिंग और गर्म पानी की आपूर्ति ठीक से कार्य नहीं कर रही थी। उस समय, उक्त भवन में साठ से अधिक आईटीबीपी अधिकारी रहते थे। आईटीबीपी ने नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 में एनपीसीसीएल से रेडियंट फ़्लोरिंग हीटिंग और गर्म पानी की आपूर्ति संबंधित त्रुटियों का समाधान करने का अनुरोध किया ताकि भवन को निर्धारित डिजाइन मानदंडों के अनुसार कार्यात्मक बनाया जा सके। इतनी ऊंचाई पर तैनात जवानों को रहने के लिए आरामदायक वातावरण प्राप्त हो सके, इसके लिए यह अपेक्षित था।

आगे यह भी पाया गया कि भवन के अंदर का वांछित तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के सापेक्ष में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच था, जबकि बाहर का तापमान (-) 25.6 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ तक कि इस तापमान को भी अधिक समय तक नहीं बनाए रखा जा सकता था। इस प्रकार, एनपीसीसीएल भवन में वांछित तापमान प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका। एनपीसीसीएल ने स्वीकार किया कि

उक्त भवन में नवीकरण ऊर्जा सुविधाओं के डिजाइन संबंधी विचार और उसके कार्यान्वयन में अंतर था जिसके कारण डिजाइन किया गया तापमान प्राप्त नहीं किया जा सका।

खराब कार्यन्वयन के कारण संरचना में अन्य प्रमुख त्रुटियाँ अर्थात बायो डाइजेस्टर टैंक[39] का ठीक से कार्य न करना, दीवारों पर दरारें, खराब इन्वर्टर, सोलर फोटो वोल्टाइक सिस्टम का ठीक से कार्य न करना, भंडारण टैंक से पाइपलाइन का टूट जाना, खराब तापमान गेज, रिसाव की समस्या आदि भी विकसित हुई।

उपरोक्त कमियों के बारे में आईटीबीपी द्वारा एनपीसीसीएल को दिसंबर 2020/ जनवरी 2021 में सूचित किया गया था। फरवरी 2021 में, पूरे संयंत्र को बंद कर दिया गया तथा आईटीबीपी के सैनिकों को पुराने फाइबर प्रबलित प्लास्टिक झोपड़ियों में स्थानांतरित करना पड़ा।

दिसंबर 2022 और मार्च 2023 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, आईटीबीपी ने बताया (मार्च 2023) कि भवन को दो सर्दियों के मौसम के लिए परीक्षण के आधार पर लिया गया था, लेकिन अभिकरण डिज़ाइन किए गए तापमान को प्राप्त करने में विफल रहा। अप्रैल 2024 में, आईटीबीपी ने बताया कि एनपीसीसीएल द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनुमान को गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था। उसे गृह मंत्रालय ने इन निदेशों सहित वापस किया कि एनपीसीसीएल से अतिरिक्त लागत के बिना सभी समस्याओं को दूर करने और परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेख किया गया कि शेष निधि[40] अनुबंध में उल्लिखित मापदंडों को प्राप्त करने के बाद ही जारी की जाएगी।

---

[39] बायो डाइजेस्टर टैंक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है।

[40] कुल संस्वीकृत राशि ₹ 17.21 करोड़; निर्माण कार्य ठेकेदार को ₹ 15.94 करोड़ में सौंपा गया; एनपीसीसीएल को ₹ 1.37 करोड़ की शेष राशि को छोड़ करके ₹ 14.57 करोड़ जारी किए गए। सोलर पीवी, सोलर थर्मल सिस्टम, रेडिएंट फ्लोर हीटिंग आदि जैसे हरित सुविधाओं से संबंधित भुगतान बकाया है।

मंत्रालय को जून 2023 और जुलाई 2024 में अभ्युक्ति जारी की गई थी। गृह मंत्रालय (सीमा प्रबंधन प्रभाग) ने सूचित किया (मई 2024) कि एनपीसीसीएल ने फरवरी 2024 में सुधार योजना प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार भवन को अप्रैल 2025 तक सुधारात्मक कार्रवाई और अगली सर्दी के दौरान आवश्यक प्रणालियों[41] की जांच और परीक्षण करने के बाद एनपीसीसीएल द्वारा आईटीबीपी को सौंपा जाना था। गृह मंत्रालय ने अपने आगे के उत्तर (सितंबर 2024) में उपरोक्त तथ्यों को दोहराया और बताया कि भवन का निर्माण पूरा हो चुका है एवं केवल हरित सुविधाओं की कार्यात्मकता से संबंधित सुधार निर्माण कार्य तथा भवन के अंदर डिज़ाइन किए गए तापमान को बनाए रखने का कार्य किए जाने की आवश्यकता है। एनपीसीसी ने त्रुटि सुधार कार्य जून 2024 में शुरू किया है और इसके 30 सितंबर 2024 तक पूरा होने की आशा है तथा भवन का परीक्षण आगामी सर्दी के मौसम में अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक किया जाएगा। अपने नवीनतम उत्तर (मई 2025) में, आईटीबीपी ने सूचित किया कि दिसम्बर 2024 में किए गए प्रणाली परीक्षणों के दौरान, रेडिएंट फ्लोर हीटिंग सिस्टम में जमे हुए और लीक वाले हिस्सों सहित कई समस्याएं चिन्हित की गईं। इसमें आगे बताया गया कि वर्तमान में एनपीसीसीएल द्वारा उक्त भवन का सुधार कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है तथा रेडिएंट फ्लोर हीटिंग सिस्टम को पुनः चालू करने के लिए फर्श को हटाने का कार्य प्रगति पर था।

मंत्रालय का उत्तर इंगित करता है कि ₹ 14.57 करोड़ का व्यय करने और जुलाई 2019 में कार्य पूरा होने के बावजूद डिजाइन अनुमानक और कार्यान्वय में अंतर होने के कारण भवन के अंदर डिजाइन किया गया तापमान प्राप्त नहीं हो सका जिससे भवन का उपयोग नहीं किया जा सका। यद्यपि, भवन में कमियां नवंबर 2020 में पाई गईं और कमियों को दूर करने के लिए सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में फरवरी 2022 में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, सुधार कार्य दो वर्ष से अधिक समय

[41] नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा सुविधाएँ और भवन के अंदर डिज़ाइन किए गए तापमान की उपलब्धता

के बाद, अर्थात् जून 2024 में शुरू हुआ और अभी भी जारी है (मई 2025)। इस प्रकार, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में ड्यूटी करने वाले आईटीबीपी अधिकारियों को रहने योग्य आवास प्रदान करने का उद्देश्य मई 2025 तक, अर्थात् मंत्रालय द्वारा कार्य की मंजूरी के आठ वर्ष बाद भी अप्राप्त रहा।

2.9 त्रुटिपूर्ण योजना के परिणामस्वरुप ₹ 6.93 करोड़ का निष्फल व्यय तथा ₹ 1.16 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ

अनिवार्य निर्माण कार्यों जैसे सीवेज उपचार संयंत्र, बाह्य बिजली कनेक्शन तथा आंतरिक सड़कों आदि के गैर-प्रबंधन के कारण आवासीय मकानों का, निर्माण कार्य पूर्ण होने के छः वर्षों से अधिक समय के पश्चात भी जबलपुर स्थित 29वीं बटालियन के कर्मचारियों को आबंटित नहीं किया जा सका था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.93 करोड़ का अवरोधन हुआ तथा मकान किराया भत्ते पर ₹ 1.16 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2005 के नियम 132(ii) के अनुसार, निर्माण कार्यों हेतु किसी भी संस्वीकृति से पहले विस्तृत डिजाइन तथा अनुमान तैयार किया जाएगा। सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तिका 2014 की धारा 4.2.1(2) के अनुसार, विस्तृत अनुमान पूर्ण एवं जितना संभव हो उतना व्यापक होना चाहिए तथा विस्तृत वास्तुकला आरेखणों, प्रारम्भिक संरचनात्मक योजनाओं, विभिन्न सेवाओं के प्रारम्भिक ले-आउट आरेखणों, विस्तृत आरेखणों तथा/अथवा शामिल कार्य के विभिन्न संघटकों की विशेषताओं आदि, जैसा लागू हो, से समर्थित होना चाहिए।

महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) ने 28 सितम्बर 2015 को 29वीं बटालियन, आईटीबीपी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में 48 परिवारिक क्वार्टरों (टाईप-II/32 संख्या तथा टाईप-III/16 संख्या) के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति प्रदान की। उसी दिन, आईटीबीपी ने इन क्वार्टरों के निर्माण हेतु मेसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल)[42] के साथ एक

---

[42] भारत सरकार का उद्यम

अनुबंध किया। तत्पश्चात् ईपीआईएल ने 22 दिसंबर 2015 को अनुबंध के अधीन निविदा के माध्यम से उपरोक्त कार्य को तीसरे पक्ष[43] को ₹ 9.79 करोड़ की अनुमानित लागत के सापेक्ष में ₹ 8.37 करोड़ के कुल मूल्य पर आबंटित किया। ईपीआईएल के साथ अनुबंध के अनुसार, कार्य के समापन की निर्धारित तिथि 27 मार्च 2017 थी। अनुबंध में निर्माण कार्यों के समापन की तिथि से एक वर्ष की त्रुटि दायित्व अवधि का भी प्रावधान था। इस अवधि के दौरान, ईपीआईएल को आईटीबीपी द्वारा इंगित त्रुटियों की मरम्मत/सुधार बिना किसी लागत के करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2023) कि सभी 48 आवासीय क्वार्टरों (टाईप-II/32 संख्या तथा टाईप-III/16 संख्या) का निर्माण ईपीआईएल द्वारा ₹ 6.93 करोड़ की लागत पर 31 अक्टूबर 2018 तक पूर्ण किया गया था। आईटीबीपी जबलपुर द्वारा निर्माण में त्रुटियों के सुधार की जांच करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था। तकनीकी समिति द्वारा इंगित की गई त्रुटियों को ईपीआईएल द्वारा दूर करने के पश्चात क्वार्टरों की आईटीबीपी जबलपुर ने 26 नवम्बर 2019 को अपने कब्जे में ले लिया। तथापि, क्वार्टरों में अनिवार्य सेवाओं जैसे सीवरेज उपचार संयंत्र, बाह्य बिजली कनेक्शन तथा आंतरिक सड़कों आदि के अभाव के कारण आज तक (अक्टूबर 2023) उन्हें आबंटित नहीं किया जा सका। आईटीबीपी निर्माण कार्य के अनुमोदन की मांग करते समय ऐसी आवश्यकता की परिकल्पना करने में विफल रहा तथा संस्वीकृत प्राधिकारी ने भी इस कमी को इंगित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, आईटीबीपी ने आवासीय मकानों की पूर्णता के साथ इन सेवाओं को एक अलग कार्य के रूप में पूरा करने के प्रावधान हेतु कोई कदम नहीं उठाए थे। निर्माण की कमियों की जांच करने हेतु गठित तकनीकी समिति भी इन मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव को इंगित करने में विफल रही। आईटीबीपी प्रबंधन की ओर से इन परिहार्य कमियों के परिणामस्वरूप ₹ 6.93 करोड़ की लागत पर 31 अक्टूबर 2018 को निर्मित सभी 48 आवासीय क्वार्टर (टाईप-।।/32 संख्या तथा टाईप-।।।/16 संख्या) पांच वर्षों से अधिक समय के लिए अप्रयुक्त पड़े रहे (अक्टूबर 2023 तक)।

---

[43] मेसर्स डी ठक्कर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 22 दिसंबर 2015 के समझौते के अंतर्गत

इसके अतिरिक्त, आईटीबीपी जबलपुर को अपने कार्मिकों को परिसर से बाहर रहने हेतु भुगतान किए जा रहे मकान किराया भत्ता (एचआरए) के कारण आवर्ती परिहार्य व्यय भी वहन करना पड रहा है। आईटीबीपी द्वारा दिसंबर 2019 से अगस्त 2023 तक अपने कर्मिकों को एचआरए के लिए ₹ 1.16 करोड़ का भुगतान किया गया था।

इस प्रकार, आईटीबीपी की ओर से त्रुटिपूर्ण योजना के परिणामस्वरुप न केवल ₹ 6.93 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ बल्कि इसने सरकारी आवास स्थान के लिए इच्छित लाभार्थियों को सरकारी आवास से भी वंचित रखा। इसके अतिरिक्त, एचआरए के भुगतान के लिए ₹ 1.16 करोड़ (जिसके बढ़ने की संभावना है) परिणामी परिहार्य भुगतान का कारण बना। पांच वर्षों से अधिक समय से खाली पड़े इन आवासीय क्वार्टरों के रखरखाव के कारण अतिरिक्त वित्तीय देयता से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, आईटीबीपी जबलपुर ने उत्तर दिया (जनवरी 2023) कि उपर्युक्त क्वार्टरों की सुपुर्दगी के समय अनिवार्य सेवाएं जैसे सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी), बाह्य बिजली कनेक्शन तथा आंतरिक सड़कें आदि ईपीआईएल द्वारा प्रदान नहीं की गई थीं। उसने आगे बताया कि ईपीआईपीएल ने जनवरी 2023 में इन सेवाओं पर कार्य शुरू कर दिया था जिसे 31 मार्च 2023 तक पूरा किए जाने की संभावना थी। तथापि, कार्य को ईपीआईएल द्वारा अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। आईटीबीपी जबलपुर (अगस्त 2023 तथा अक्टूबर 2023) तथा मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि 48 आवासीय क्वार्टरों हेतु मूल संस्वीकृति कार्य क्षेत्र में बाह्य विकास निर्माण कार्य जैसे बाह्य विद्युतीकरण तथा एसटीपी शामिल नहीं थे। बाह्य सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण नव निर्मित क्वार्टरों का उपयोग नहीं किया जा सका था। आईटीबीपी ने बताया (मई 2024) कि कार्य पूरा कर लिया गया है तथा सुपुर्दगी प्रक्रिया प्रगति में है। अपने नवीनतम उत्तर (मार्च 2025) में, आईटीबीपी जबलपुर ने बताया कि आवासीय क्वार्टरों का अधिग्रहण जून 2024 में कर लिया गया है तथा ई-पोर्टल के माध्यम से अधिकारियों को आबंटित किए जा रहे हैं।

आईटीबीपी जबलपुर/मंत्रालय के उत्तर लेखापरीक्षा तर्क की पुष्टि करते हैं कि 48 आवासीय क्वार्टरों के निर्माण की परियोजना को आवश्यक सेवाओं की परिकल्पना किए बिना अनुमोदित किया गया था जिससे योजना स्तर पर ही कमियां उजागर हो गईं। तथ्य यह है कि अभिकरण द्वारा क्वार्टरों की सुपुर्दगी के तीन वर्षों से अधिक समय के पश्चात आवश्यक सेवाओं पर कार्य शुरू किया गया तथा आबंटन सौंपे जाने के छः वर्ष बाद ही किया जा सका जो परियोजना की योजना में खामियों को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरुप एचआरए का भुगतान भी हुआ जो परिहार्य था।

उत्तर में गैर-अधिभोग के वर्षों में प्राकृतिक क्षरण के कारण वास्तविक अधिभोग से पहले इन क्वार्टरों के रखरखाव पर वित्तीय देयता पर यदि कोई हो, के बारे में कुछ नहीं बताया गया है।

मंत्रालय को भविष्य में ऐसी किसी भी पुनरावृत्ति से बचने के लिए योजना चरण से ही सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

सशस्त्र सीमा बल

2.10 पाँच वर्षों से अधिक समय तक ₹ 80.91 लाख की निधि का अवरोधन

भूमि अधिग्रहण पर सामयिक निर्णय लेने में सशस्त्र सीमा बल की विफलता के परिणामस्वरुप पाँच वर्षों से अधिक समय तक ₹ 80.91 लाख की राशि का अवरोधन हुआ तथा समय लंघन के कारण भूमि लागत में ₹ 16.18 लाख की वृद्धि हुई।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 21 निर्धारित करता है कि लोक धन से व्यय करने अथवा प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा मार्गदर्शित किया जाना चाहिए और उससे लोक धन से किए गए व्यय के संबंध में उसी तरह की सतर्कता बरतने की अपेक्षा की जाती है जैसा कि सामान्य विवेक वाला व्यक्ति अपने स्वयं के धन व्यय के संबंध में करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय व्यवस्था और सख्त मितव्ययिता को भी लागू करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उसके स्वयं के कार्यालय एवं

अधीनस्थ संवितरण अधिकारियों द्वारा सभी प्रासंगिक वित्तीय नियम-विनियम का पालन किया जाता है।

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), बल मुख्यालय, नई दिल्ली के प्रस्ताव (अक्टूबर 2017) के आधार पर, गृह मंत्रालय ने 55$^{वीं}$ बटालियन, सशस्त्र सीमा बल, पिथौरागढ के लिए बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) की स्थापना के लिए उत्तराखंड के द्वालीसेरा में 1.28 एकड़ (0.520 हेक्टेयर) की निजी भूमि खरीदने के लिए ₹ 80.91 लाख की राशि संस्वीकृत की (दिसंबर 2017)। यह कुल राशि अगस्त 2018 में उप भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डीएलएओ), पिथौरागढ के पास जमा की गई थी।

आरसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013[44] (अधिनियम) के अनुसार, लोक हित में भूमि अधिग्रहण के मामले में, अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना और प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण के लिए भुगतान प्राप्त करने के बाद, अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत एक घोषणा प्रारम्भिक अधिसूचना जारी होने से 12 महीने के भीतर भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है ऐसा न करने पर अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया जब्त कर ली जाएगी। डीएलएओ ने प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर (अक्टूबर 2018) भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के जब्त होने से बचने के लिए अक्टूबर 2019 के अंत तक उसके द्वारा मसौदा घोषणा जारी किया जाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना (जुलाई 2017) के अनुसार उक्त भूमि आंशिक रूप से पंचेश्वर बांध के जलाशय में जलमग्न हो जाएगी।

---

[44] भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2020) कि सशस्त्र सीमा बल ने शुरू में प्रस्तावित भूमि के आंशिक जलमग्न होने के बारे में सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना पर ध्यान नहीं दिया और राशि डीएलएओ के पास जमा कर दी। भूमि की स्थिति जानने के बाद, उन्होंने जिला प्राधिकरण से अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने का अनुरोध किया (जून 2019)। उन्होने पहले से भुगतान की गई राशि को वैकल्पिक भूमि के लिए समायोजित करने की संभावना के बारे में भी पूछताछ की। इसके अतिरिक्त, कमांडेंट, एसएसबी, पिथौरागढ़ ने एसएसबी, रानीखेत और एसएसबी, अल्मोड़ा को सौंपी गई एक रिपोर्ट (मार्च 2019) में बताया था कि उक्त भूमि बीओपी के लिए उपयुक्त थी और प्रस्तावित क्षेत्र में कई सरकारी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही थीं। तथापि, एसएसबी अक्टूबर 2019 तक यह तय करने में विफल रही कि क्या उक्त भूमि के अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ना है या डीएलएओ के पास जमा की गई राशि वापस लेनी है। इस देरी के कारण भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया जब्त हो गई। एसएसबी ने उपयुक्त वैकल्पिक भूमि के अधिग्रहण की संभावना पर भी अनुसरण नहीं किया। इस प्रकार, बीओपी की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि के चयन में एसएसबी द्वारा निर्णय लेने में असामान्य देरी से ₹ 80.91 लाख की निधियों का पांच वर्षों से अधिक समय तक अवरोधन हुआ। अधिग्रहण प्रक्रिया जब्त होने के कारण करों और अन्य व्ययों के कारण ₹ 4.10 लाख की हानि भी हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि जब डीएलएओ ने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने के लिए जुलाई 2021 में एसएसबी को उसी भूमि के लिए एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा तो वह जून 2023 तक फिर से उत्तर देने में विफल रहा।

एसएसबी, सेक्टर मुख्यालय, अल्मोड़ा ने उत्तर दिया (जून 2023) कि भूमि की बढ़ी हुई लागत के लिए डीएलएओ की मांग के अनुसार ₹ 16.18 लाख की अतिरिक्त मंजूरी के लिए फ्रंटियर मुख्यालय, रानीखेत को एक प्रस्ताव भेजा गया है।

गृह मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि एसएसबी ने उत्तराखंड सरकार और डब्ल्यूएपीसीओएस (परियोजना की डीपीआर तैयार करने वाले पीएसयू) से पंचेश्वर बांध के निर्माण के लिए समय-सीमा सूचित करने का अनुरोध किया था। फिर भी

कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात, भूमि के सामरिक स्थान और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि उसी क्षेत्र में कई सरकारी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही थीं, एसएसबी ने अधिग्रहण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। तथापि, इस समय तक भूमि की लागत बढ़ गई थी और एसएसबी ने डीएलएओ पिथौरागढ़ के पास ₹ 16.18 लाख की अतिरिक्त राशि जमा कर दी थी (जुलाई 2023) तथा अधिग्रहण प्रक्रिया में था।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कमांडेंट, एसएसबी, पिथौरागढ़ ने एसएसबी, रानीखेत और एसएसबी, अल्मोड़ा को सौंपी गई एक रिपोर्ट (मार्च 2019) में बताया था कि उक्त भूमि बीओपी के लिए उपयुक्त थी और प्रस्तावित क्षेत्र में कई सरकारी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही थीं। तथापि एसएसबी ने समय पर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के निर्णय को अंतिम रूप नहीं दिया जिसके कारण अक्टूबर 2019 में अधिग्रहण प्रक्रिया को जब्त कर लिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.10 लाख की हानि भी हुई। जब डीएलएओ द्वारा जुलाई 2021 में उसी भूमि के लिए एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो वह फिर से जून 2023 तक उत्तर देने में विफल रही। एसएसबी के इस अनिर्णय के कारण ₹ 80.91 लाख की राशि का पांच वर्ष से अधिक समय तक अवरोधन हुआ और सीमा चौकी के निर्माण में देरी हुई।

जलमग्न होने के खतरे वाली भूमि पर बीओपी के निर्माण को आगे बढ़ाने का निर्णय भी परियोजना को असुरक्षित बना सकता है।

(IV) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

2.11 ऊर्जा प्रभारों पर अधिक व्यय

राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा लगाए गए ऊर्जा प्रभारों पर गलत टैरिफ श्रेणी के प्रति भुगतान करके ₹ 1.99 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया।

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) महाराष्ट्र राज्य के भीतर उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों हेतु वितरण लाईसेंसधारकों के माध्यम से बिजली की आपूर्ति हेतु टैरिफ का निर्धारण करता है। 01 अगस्त 2012 से लागू महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 16 अगस्त 2012 के अनुसार टैरिफ की एक नई श्रेणी' 'सार्वजनिक सेवाएं' आरम्भ की गई थी। आगे, एमईआरसी के आदेश दिनांक 3 नवम्बर 2016 के अनुसार, सरकारी कार्यालयों द्वारा बिजली की खपत की लो टेंशन कनेक्शनों हेतु 'एलटी-X सार्वजनिक सेवाएँ- अन्य' तथा हाई टेंशन कनेक्शनों हेतु 'एचटी IX - सार्वजनिक सेवाएं - अन्य' के अंतर्गत शामिल किया गया था। एमईआरसी द्वारा टैरिफ को आगामी वर्षों के लिए बिलिंग की उन्हीं श्रेणियों के साथ संशोधित किया गया था।

राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक मीडिया इकाई होने से, बिलिंग उद्देश्य के लिए 'एचटी- सार्वजनिक सेवाएं अन्य' श्रेणी के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया जाना अपेक्षित था।

अप्रैल 2017 से दिसंबर 2022 तक की अवधि के लिए भुगतान किए गए बिजली बिलों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि बिजली प्राधिकरण अर्थात् महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) अधिक ऊर्जा प्रभारों का उद्ग्रहण

कर रहा था क्योंकि एनएफएआई के बिजली कनेक्शन[45] को 'एचटी-सार्वजनिक सेवाएं-अन्य' के बजाए 'एचटी-वाणिज्यिक' के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था।

'एचटी-सार्वजनिक सेवाएं - अन्य' श्रेणी के लागू टैरिफ परिपत्रों के अनुसार, बिजली प्रभार **तालिका सं. 2.2** में उल्लेखित दरों पर वसूलनीय थे।

तालिका सं. 2.2: उद्ग्राहय बिजली प्रभार

(राशि ₹ में)

अवधि	'एचटी-सार्वजनिक सेवाएं-अन्य' के अधीन वसूलनीय प्रति इकाई उर्जा प्रभार	'एचटी-वाणिज्यिक श्रेणी' के अधीन वास्तव में भुगतान किए गए प्रति इकाई ऊर्जा प्रभार
अप्रैल 2017 से मार्च 2018	9.10	11.40
अप्रैल 2018 से अगस्त 2018	9.07	11.45
सितम्बर 2018 से मार्च 2019	9.65	11.50
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	9.70	11.73
अप्रैल 2020 से मार्च 2021	9.48	11.47
अप्रैल 2021 से मार्च 2022	9.21	11.20
अप्रैल 2022 से मार्च 2023	8.96	10.95

इस प्रकार, बिजली बिलों की उचित संवीक्षा में कमी के कारण एनएफएआई द्वारा 2017-18 से 2021-22 (दिसंबर 2022 तक)[46] की अवधि के दौरान कुल ₹ 1.99 करोड़ के अतिरिक्त ऊर्जा प्रभार का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023) विभाग ने उत्तर दिया (दिसंबर 2023) कि टैरिफ को बदलने तथा अधिक राशि की वापसी हेतु मामले को एमएसईडीसीएल के साथ उठाया गया है।

उत्तर दर्शाता है कि एनएफएआई, पुणे ने भुगतान करने से पूर्व लागू टैरिफ दरों की यथार्थता को सुनिश्चित नहीं किया था।

---

45 एनएफएआई के पास दो बिजली मीटर कनेक्शन हैं, अर्थात मीटर सं. 170019078240 और 170091005626।

46 एनएफएआई का दिसंबर 2022 में एनएफडीसी में विलय कर दिया गया है जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

मामला फरवरी 2024 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2025 तक प्रतीक्षित था।

(V) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

2.12 अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं

अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की लेखापरीक्षा से कार्यान्वयन में कमियां एवं दिशानिर्देशों से विचलन के उदाहरण प्रकट किए, जैसे कि:-

- **उन लाभार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना जिन्होंने न्यूनतम अंक तथा आय सीमा के पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया था:**
- **गैर-सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र;**
- **आय प्रमाणपत्रों के बिना आवेदन;**
- **एक परिवार से दो से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना;**
- **उन छात्रों को छात्रवृत्तियों का भुगतान जो स्कूल में नामांकित नहीं थे;**
- **गैर संचालित स्कूलों के छात्रों को छात्रवृत्ति का संवितरण;**
- **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों का प्री-मैट्रिक छात्रों को निर्गम;**
- **कई छात्रवृत्तियों का लाभ ले रहे लाभार्थी;**
- **अनुरक्षण भत्ता, ट्यूशन शुल्क आदि के लिए पात्र सीमा से अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान।**

2.12.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम,1992 की धारा 2 (सी) के अंतर्गत सशक्त केंद्र सरकार ने मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और जोरोस्टर (पारसी) को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (बाद में मंत्रालय के रुप में संदर्भित) इन समुदायों के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण हेतु नवम्बर 2007 से पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और जनवरी 2008 से प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को कार्यान्वित कर रहा है। ये

योजनाएं प्राथमिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने, उन पर स्कूली शिक्षा के वित्तीय बोझ को कम करने और बाद में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने, उच्च शिक्षा में उनकी उपलब्धि दर बढ़ाने तथा उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से कार्य करती हैं। योजनाओं के अंतर्गत छात्रों को ट्यूशन शुल्क, दाखिला शुल्क तथा अनुरक्षण भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं। योजना की मुख्य विशेषताएं **अनुलग्नक 2.3** में दी गई है।

यह योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होने के कारण इनका 100 *प्रतिशत* वित्त पोषण संघ सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों को छात्रवृति प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। यद्यपि योजनाओं के प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी मंत्रालय की है**,** फिर भी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन को योजनाओं के अंतर्गत छात्रों की पात्रता को सत्यापित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

2.12.2 प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा के उद्देश्य से, वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के लिए प्रासंगिक योजना डाटा मंत्रालय से प्राप्त किया गया तथा उसका विश्लेषण किया गया। डाटा विश्लेषण के निष्कर्षों को प्रबंधन पत्र (जून 2021) के माध्यम से मंत्रालय के साथ साझा किया गया था। तत्पश्चात, डाटा विश्लेषण के दौरान पहचाने गए कमी वाले क्षेत्रों को सत्यापित करने के लिए फील्ड लेखापरीक्षा की गयी थी। फील्ड लेखापरीक्षा में 27 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों में 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि को शामिल किया गया। मंत्रालय स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों को यथासंभव अद्यतन कर दिया गया है।

डाटा विश्लेषण के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए तथा नमूने में अल्पसंख्यक आबादी के छोटे आकार को महत्व देते हुए विस्तृत फील्ड लेखापरीक्षा के लिए नमूने का चयन किया गया था। नमूना 27 राज्यों और सात केन्द्र शासित प्रदेशों के 174

जिलों से लिया गया था। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से 1,589 संस्थानों में 34,418 आवेदनों की लेखापरीक्षा की गई थी। इसी प्रकार, 1,635 संस्थानों में 30,723 आवेदनों की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए लेखापरीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा ने योजना दिशानिर्देशों तथा सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुपालन के अनुसार, इन योजनाओं की योजना, वित्तीय प्रबंधन तथा कार्यान्वयन के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। प्रवेश बैठक (08 अक्टूबर 2021) के दौरान लेखापरीक्षा क्षेत्र, कार्यप्रणाली एवं नमूना पद्धति को मंत्रालय के साथ साझा किया गया था। 26 अप्रैल 2023 को हुई निर्गम बैठक में मंत्रालय के साथ प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों के सारांश पर चर्चा की गई थी। मंत्रालय (अप्रैल 2023) और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त उत्तरों को उपयुक्त रूप से लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में शामिल किया गया है।

मंत्रालय द्वारा किए गए व्यय का विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका सं. 2.3: वास्तविक व्यय एवं संस्वीकृत छात्रवृत्ति

वर्ष	प्री-मैट्रिक				पोस्ट-मैट्रिक			
	बजट अनुमान (बीई) (₹ करोड़ में)	संशोधित अनुमान (आरई) (₹ करोड़ में)	₹ करोड़ में वास्तविक व्यय (कोष्ठक में आंकड़े आरई से अधिक व्यय की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)	संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की सं. (नई एवं नवीकृत) (लाख में)	बजट अनुमान (बीई) (₹ करोड़ में)	संशोधित अनुमान (आरई) (₹ करोड़ में)	₹ करोड़ में वास्तविक व्यय (कोष्ठक में आंकड़े आरई से अधिक व्यय की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)	संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की सं. (नई एवं नवीकृत) (लाख में)
2017-18	950.00	1001.15	1108.13 *(111)*	53.11	550.00	561.29	479.72 *(85)*	6.98
2018-19	980.00	1269.00	1176.20 *(93)*	56.92	692.00	500.00	354.90 *(71)*	6.84
2019-20	1220.30	1199.82	1324.85 *(110)*	55.68	496.01	482.66	428.77 *(89)*	7.43
2020-21	1330.00	1330.00	1325.54 *(99.6)*	52.40	535.00	535.00	512.81 *(96)*	6.63
2021-22	1378.00	1378.00	1350.99 *(98)*	57.43	468.00	468.00	411.87 *(88)*	7.21
कुल	**5858.3**	**6177.97**	**6285.71** *(102)*	**275.54**	**2741.01**	**2546.95**	**2188.07** *(86)*	**35.09**

2017-18 से 2021-22 के दौरान, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वास्तविक व्यय की प्रतिशतता की सीमा संशोधित अनुमानों के 93 से 111 *प्रतिशत* के बीच रही। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत इसकी सीमा संशोधित अनुमानों के 71 से 96 *प्रतिशत* तक रही। मंत्रालय के अनुसार (फरवरी 2025), छात्रवृत्ति योजनाओं को 2021-22 से आगे कार्यान्वयन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी भी अनुमोदित किया जाना है।

2.12.3 छात्राओं के लिए निर्धारित कोटे के कवरेज के संबंध में उपलब्धि

मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए योजना दिशानिर्देश अनुबंध करते है कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के लिए 30 *प्रतिशत* छात्रवृत्ति निर्धारित की गई थी। इसके अतिरिक्त, पात्र छात्राओं के लिए 30 *प्रतिशत* न्यूनतम सीमा थी न कि अधिकतम सीमा।

वर्ष 2017-22 के दौरान छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने वाली अल्पसंख्यक समुदायों की छात्राओं की कुल प्रतिशतता **तालिका सं. 2.4** में दी गई है।

तालिका सं. 2.4: छात्राओं का कवरेज

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	प्री-मैट्रिक			पोस्ट-मैट्रिक		
	छात्रों की कुल संख्या (नए एवं नवीकृत)	छात्राओं की कुल संख्या	छात्राओं की प्रतिशतता	छात्रों की कुल संख्या (नए एवं नवीकृत)	छात्राओं की कुल संख्या	छात्राओं की प्रतिशतता
2017-18	53.11	28.23	53.15	6.98	3.94	56.45
2018-19	56.92	30.47	53.53	6.84	3.89	56.87
2019-20	55.68	29.15	52.35	7.43	4.15	55.85
2020-21	52.40	27.60	52.67	6.63	3.77	56.86
2021-22	57.43	29.81	51.91	7.21	3.93	54.48

छात्राओं/लाभार्थियों ने न केवल छात्रवृत्ति के संवितरण में न्यूनतम निर्धारित कोटा प्राप्त किया बल्कि 2017-22 के दौरान योजनाओं के अंतर्गत उनका कवरेज छात्रों की तुलना में अधिक था।

2.12.4 प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल कार्यप्रवाह के अनुसार, छात्र द्वारा आवेदन के प्रस्तुतीकरण के पश्चात, इसे संस्थान नोडल अधिकारी (आईएनओ)/जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ)/राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) द्वारा सत्यापित किया जाता है। अंतिम सत्यापन के पश्चात, लाभार्थी अभिलेख सृजित किया जाता है तथा लाभार्थी खाते को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) द्वारा सत्यापित किया जाता है। तत्पश्चात्, योग्यता सूची तैयार[47] की जाती है। योग्यता सूची में आने वाले आवेदकों की संख्या नई छात्रवृत्तियों की संख्या की सीमा के अनुसार सीमित है। तत्पश्चात् भुगतान फाइल तैयार की जाती है तथा डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति संवितरित की जाती है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है।

2.12.4.1 छात्रवृत्ति के संवितरण में देरी

आवेदकों को प्रतिपूर्ति के आधार पर छात्रवृत्तियाँ संवितरित की गई हैं। योजनाओं के लाभार्थी आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं। इसलिए छात्रवृत्तियों का समयोचित संवितरण योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण होता है ताकि छात्रों को शिक्षा जारी रखने में वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े।

कुछ संस्वीकृत आदेशों की नमूना जांच पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी विशेष वित्तीय वर्ष के छात्रवृत्ति भुगतान की एक पर्याप्त राशि आगामी वित्तीय वर्षों में अंतरित की गई, जैसा कि **तालिका सं. 2.5** में दर्शाया गया है:

---

47 योग्यता सूची माता-पिता/अभिभावकों की आय तथा आवेदकों की 'जन्म तिथि' के आधार पर तैयार की गई थी। उन मामलों में जहां माता-पिता की आय समान है वहां योग्यता सूची आवेदक की 'जन्म तिथि' मानदंड से तैयार की जाएगी (वरिष्ठ को प्राथमिकता)

तालिका सं 2.5: आगामी वित्तीय वर्षों में छात्रवृत्तियों का संवितरण

(₹ करोड़ में)

प्री-मैट्रिक					पोस्ट-मैट्रिक				
नमूना जांच की गई संस्वीकृतियों की संख्या	राशि	वर्ष से संबंधित	उसी वर्ष के दौरान अदा की गई	अगामी वर्ष के दौरान अदा की गई	संस्वीकृतियों की कुल संख्या	राशि	वर्ष से संबंधित	उसी वर्ष के दौरान अदा की गई	अगामी वर्ष के दौरान अदा की गई
8	75.94	2020-21	70.85	5.09 (2021-22)	22	93.31	2020-21	56.87	36.44 (2021-22)
36	43.95	2021-22	0	43.95 (2022-23)	27	27.27	2021-22	0	27.27 (2022-23)
15	92.93	2022-23	0	92.93 (2023-24)	8	75.45	2022-23	0	75.45 (2023-24)

तालिका दर्शाती है कि लाभार्थियों को छात्रवृत्ति संवितरण में विलम्ब हुआ। भुगतान में विलम्ब योजनाओं के उद्देश्य की प्राप्ति अर्थात् छात्रों के माता-पिता/अभिभावक के वित्तीय बोझ को कम करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

मंत्रालय ने इस देरी के लिए विभिन्न कारणों को जिम्मेदार ठहराया जैसे कि एनएसपी पोर्टल पर आवेदन का पंजीकरण नवम्बर-दिसम्बर तक और सत्यापन प्रक्रिया जनवरी-फरवरी और उसके बाद तक जारी रहती है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी/बैंकिंग समस्याओं के कारण कुछ भुगतानों मे देरी हुई। मंत्रालय ने यह भी बताया कि वह उसी वित्तीय वर्ष के दौरान योग्यता सूची को अंतिम रुप देने और उसी वर्ष छात्रवृत्ति संवितरित करने का प्रयास करता है।

विशेष वित्तीय वर्ष में पिछले वर्षों से संबंधित छात्रवृत्ति के संवितरण के विवरण के संबंध में, मंत्रालय ने आगे बताया कि पिछले वर्षों के लाभार्थियों की संख्या का मिलान नहीं किया जा रहा था तथा पहली और दूसरी तिमाही में किए गए भुगतान पिछले वर्षों से संबंधित हैं जबकि तीसरी और चौथी तिमाही में किए गए भुगतानों को चालू वर्ष के भुगतानों के रूप में माना जा सकता है। वहीं दूसरी ओर, मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति (वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों पर) को उत्तर देते हुए प्रस्तुत किया कि अधिकतर छात्रवृत्ति भुगतान फरवरी और मार्च (चौथी तिमाही) माह में किए गए हैं। यह इंगित करता है कि

मंत्रालय के पास किसी विशेष लाभार्थी को छात्रवृत्ति के संवितरण में देरी की निगरानी एवं प्रमात्रा निर्धारित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

मंत्रालय छात्रवृत्ति आवेदनों को संसाधित करने के विभिन्न चरणों एवं समय-सीमा का पालन करने हेतु समय-सीमा निर्धारित करे ताकि छात्रवृत्तियों का भुगतान बिना किसी विलम्ब के किया जा सके।

2.12.4.2 अपात्र छात्रों को छात्रवृत्ति जारी करना

आवेदनों के सत्यापन की प्राथमिक जिम्मेदारी संस्थान के नोडल अधिकारी की है। आईएनओ को आवेदन पत्र में विवरण की सत्यता की पुष्टि करनी होती है तथा योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक की पात्रता निर्धारित करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करनी होती है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों की भौतिक प्रतिलिपि का रखरखाव करना होता है। जिला/राज्य नोडल अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर आईएनओ से इन दस्तावेजों की प्रतिलिपि मांग सकते हैं। आवेदक की पात्रता निर्धारित करने में आईएनओ एक महत्वपूर्ण नियंत्रण कारक है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि आवेदकों को छात्रवृत्ति के लिए अपनी पात्रता के समर्थन में दस्तावेज[48] अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेखापरीक्षा में इस नियंत्रण कारक में कमजोरी पाई गई तथा साथ ही, डीएनओ/एसएनओ/मंत्रालय की ओर से निगरानी में कमी के कारण अपात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

(i) पिछली कक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त किए बिना छात्रवृत्ति का नवीकरण

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, छात्रवृत्ति की निरंतरता (नवीकरण आवेदकों के लिए) पिछले वर्ष की परीक्षा में 50 *प्रतिशत* अंक प्राप्त करने तथा उसी संस्थान/स्कूल में उसी पाठयक्रम को जारी रखने के अधीन थी।

---

[48] एनएसपी ₹ 50,000 तक की छात्रवृत्ति के लिए किसी भी दस्तावेज़ को अपलोड करना अनिवार्य नहीं करता है। छात्रों को अपने संबंधित स्कूल/संस्थानों में आवश्यक दस्तावेज़ जमा करना पड़ता है। चूँकि दोनों छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत संवितरित सभी छात्रवृत्तियाँ ₹ 50,000 से कम हैं, इसलिए कोई सहायक दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

लेखापरीक्षा ने स्कूल/संस्थान में उपलब्ध मूल दस्तावेजों की संवीक्षा की एवं एनएसपी पोर्टल में दर्ज अंकों की प्रतिशतता और स्कूल/संस्थान में उपलब्ध अभिलेखों से लाभार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए वास्तविक अंकों के बीच विसंगतियां पाई गई।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में, 13 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 1,902 छात्र जिन्होंने पिछली कक्षा में 50 *प्रतिशत* से कम अंक प्राप्त किए थे, को योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में ₹ 37.40 लाख की राशि की छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में, 17 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 1,725 छात्रों जिन्होंने पिछली कक्षा में 50 *प्रतिशत* से कम अंक प्राप्त किए थे, को योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में ₹ 104.10 लाख की राशि की छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। विवरण **अनुलग्नक 2.4** में दिया गया है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में बताया कि वह आवेदनों के नवीकरण हेतु 50 *प्रतिशत* अंक की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है। फिर भी, राज्यों को यादृच्छिक चयन आधार पर कम से कम पांच *प्रतिशत* संस्थानों की भौतिक जांच करने हेतु इस मामले से अवगत कराया जाएगा। इस शर्त को योजना दिर्शानिर्देशों में भी जोड़ा जाएगा।

(ii) एक परिवार से दो से अधिक छात्रों को संवितरित की गई छात्रवृत्ति

योजना दिशानिर्देशों के पैरा 11 (vi) के अनुसार, छात्रवृत्ति एक परिवार से दो से अधिक छात्रों को नहीं दी जाएगी (यह मंत्रालय के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए लागू हैं)।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में, पांच राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों अर्थात् गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 774 छात्रों को ₹ 14.38 लाख की राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की गई, तथापि वे दो से अधिक छात्रों

वाले परिवारों से थे जो पहले से ही योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ उठा रहे थे।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में, चार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में, 146 छात्रों को ₹ 8.42 लाख राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की गई, तथापि वे दो से अधिक छात्रों वाले परिवारों से थे जिन्हें पहले ही छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही थी। विवरण **अनुलग्नक 2.5** में दिया गया है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में बताया कि एनएसपी ने सिस्टम से दोहरे लाभार्थियों को हटाने के लिए 2024-25 से आधार आधारित वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) की प्रणाली शुरू की है। ओटीआर के लिए डाटा सीधे यूआईडीएआई डाटाबेस से प्राप्त किया जाएगा। इसलिए, जब कभी एनएसपी के माध्यम से मंत्रालय की योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं तो यह उन पर भी लागू होगी। इससे ऐसे मामलों पर बड़े पैमाने पर रोक लगेगी। फिर भी राज्यों को यादृच्छिक चयन आधार पर कम से कम पाँच *प्रतिशत* संस्थानों की भौतिक जांच करने हेतु इस मामले से अवगत कराया जाएगा। इस शर्त को योजना दिशानिर्देशों में भी जोड़ा जाएगा।

(iii) माता-पिता/अभिभावक की आय के लिए मानदंड के उल्लंघन में प्रदान की गई छात्रवृत्तियां

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान उन छात्रों को करना था जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से आय क्रमश: ₹ 1,00,000 और ₹ 2,00,000 *प्रति वर्ष* से अधिक नहीं थी। छात्रवृत्ति आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त आय प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना था।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में, 15 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 1150 छात्रों को ₹ 42.66 लाख की राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की गई जबकि उनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 1.00 लाख से अधिक थी।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में, नौ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में उन 42 छात्रों को ₹ 3.38 लाख की राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की गई जिनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से आय ₹ 2.00 लाख *प्रति* वर्ष से अधिक थी। विवरण **अनुलग्नक 2.6** में दिया गया है।

(iv) बिना आय प्रमाण पत्र/गैर-सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र के आधार पर संवितरित की गई छात्रवृत्तियां

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों में सक्षम प्राधिकारी से जारी छात्र के माता-पिता/अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने हेतु अपेक्षित है। सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार, राजस्व मंडल अधिकारी उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट या अन्य संबंधित जिला प्राधिकारी हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि **प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** में, 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशो में 2,521 लाभार्थियों ने छात्रवृत्ति का लाभ उठाया जहां आय प्रमाण-पत्र संलग्ल नहीं थे एवं 11 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 1,555 लाभार्थियों ने छात्रवृत्ति का लाभ उठाया जहां संलग्न आय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था। कुछ मामलों में, माता-पिता/अभिभावकों द्वारा नोटरीकृत स्व-घोषणाएं या प्रधानाचार्य/स्कूल प्राधिकारियों द्वारा प्रमाण-पत्र दिए गए थे।

इसी प्रकार से, **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** में, तीन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 355 लाभार्थियों ने छात्रवृत्ति का लाभ उठाया जहां आय प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं थे एवं सात राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 756 लाभार्थियों ने छात्रवृत्ति का लाभ उठाया जहां संलग्न आय प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था। विवरण **अनुलग्नक 2.7** में दिया गया है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में बताया कि ₹50,000/- तक की राशि की छात्रवृत्ति के लिए आय प्रमाण-पत्र को अपलोड करना अनिवार्य नहीं था। मामले पर

भविष्य में सतर्कता बरतने तथा यादृच्छिक रूप से चयनित संस्थानों का भौतिक सत्यापन किए जाने के लिए सभी राज्यों के साथ उठाए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 2024-25 से एनएसपी पर आधार को अनिवार्य कर दिया गया है जो काफी हद तक ऐसी संभावनाओं को कम करेगा। इसके अतिरिक्त, जैसा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया कि आय प्रमाण-पत्र को अपलोड करने की आवश्यकता को छात्रों के लिए अनिवार्य बनाए जाने का भी प्रस्ताव है जिसकी यादृच्छिक आधार पर जांच की जाएगी।

(v) स्कूलों/संस्थानों में नामांकित नहीं हुए लाभार्थियों को छात्रवृत्ति

लेखापरीक्षा जांच के रूप में, लेखापरीक्षा दल ने सत्यापन हेतु उन विशेष संस्थान/स्कूल से संबंधित आवेदनों की सूची सहित चयनित संस्थानों/स्कूलों का दौरा किया। कुछ संस्थानों/स्कूलों के प्राधिकारियों ने सूचित किया कि सूची में दिए गए छात्रों के नाम उनके संस्थानों/स्कूलों से नहीं थे। यह अनियमितता **प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** में, 22 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में ₹281.80 लाख की छात्रवृत्ति वाले 3,479 ऐसे आवेदकों से संबंधित पाई गई।

इसी प्रकार से, **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** में, 19 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 5,190 आवेदकों में कमी पाई गई जिसमें कुल ₹399.91 लाख की छात्रवृत्ति शामिल थी। विवरण **अनुलग्नक 2.8** में दिया गया है।

कुछ मामलों का अध्ययन- उन संस्थान से छात्रवृत्ति का भुगतान जो एनएसपी पर पंजीकृत नहीं थे

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, स्कूल/संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में संस्थान नोडल अधिकारी (आईनएओ) को उस विशेष स्कूल/संस्थान से आवेदकों से संबंधित आवेदनों के प्रसंस्करण और सत्यापन के लिए एनएसपी पर पंजीकृत होना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मामले पाए जो इस प्रणाली में कमी को दर्शाते हैं:

गोवा में, चयनित संस्थानों के दौरे के दौरान, यह सूचित किया गया कि उन 19 लाभार्थियों जिन्हें ₹ 1.66 लाख की छात्रवृत्ति अदा की गई थी, को संस्थान में कभी दाखिला नहीं दिया गया था तथा उस संस्थान में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के अंतर्गत किसी भी आवेदन को संसाधित नहीं किया गया था। यह भी बताया गया कि संस्थान को आईएनओ की भूमिका में एनएसपी पोर्टल के संचालन हेतु कोई यूजर आईडी या पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ था।

हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई), करनाल के दो लाभार्थियों को 2017-19 के दौरान कुल ₹ 86,100 की छात्रवृत्ति अदा की गई थी। तथापि, संस्थान के फील्ड दौरे के दौरान, एनडीआरआई के प्रबंधन ने बताया कि संस्थान कोई भी पोस्ट-मैट्रिक डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित नहीं कर रहा था तथा लॉगइन क्रेडेंशियल के लिए एनएसपी पोर्टल पर पंजीकरण हेतु कभी आवेदन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, एनडीआरआई द्वारा यह भी पुष्टि की गई थी कि जिन दो लाभार्थियों को छात्रवृत्ति अदा की गई थी, वे एनडीआरआई के नहीं थे।

(vi) गैर-परिचालनात्मक संस्थानों/स्कूलों से छात्रों को छात्रवृत्ति का संवितरण

एनएसपी की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, संस्थान/स्कूल के पास एनएसपी पर पंजीकरण करने से पहले एक मान्य एआईएसएचई/यूडाइस[49] कोड होना चाहिए। मंत्रालय से प्राप्त डाटा के विश्लेषण ने नियंत्रणों में कमी के करण उन स्कूलों से छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहे छात्रों के जोखिम को उजागर किया जिन्हें यूडाइस+(पूर्व में यूडाइस के रूप में जाना जाता था) वेबसाइट में "गैर-परिचालनात्मक" के रूप में दर्शाया गया है।

वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान, **प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** में, नौ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में छात्रों के 2,625 आवेदनों को सत्यापित किया गया तथा कुल

---

[49] एआईएसएचई: उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण; यूडाइस: शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली

₹ 238.50 लाख की छात्रवृत्ति हेतु अनुमोदित की गई जबकि स्कूल/संस्थान जिला शिक्षा प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार गैर-परिचालनात्मक थे।

इसी प्रकार से, **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** में, छः राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश में छात्रों के 92 आवेदनों को सत्यापित किया गया था तथा कुल ₹ 8.15 लाख की छात्रवृत्ति अनुमोदित की गई थी जबकि जिला शिक्षा प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्कूल/संस्थान गैर-परिचालनात्मक थे। विवरण **अनुलग्नक 2.9** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि जुलाई 2022 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) तथा मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं का मूल्यांकन किया गया था। अध्ययन में यह भी पाया गया कि नमूना 1572 स्कूलों/संस्थानों में से 830 स्कूल/संस्थान जाली/गैर-कार्यात्मक पाए गए। इन अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर, मंत्रालय ने जुलाई 2023 में मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को अग्रेषित किया।

(vii) प्री-मैट्रिक छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करना

महाराष्ट्र में, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल में डाटा तथा राज्य विभाग से प्राप्त स्कूलों के डाटा के विश्लेषण से पता चला कि कुल ₹ 98 लाख की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति उन 1864 छात्रों को संविरित की गई थी जो उन स्कूलों में पढ़ रहे थे जिसमें केवल कक्षा 1 से 10 तक की कक्षाएं थीं।

(viii) बहु-छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने वाले लाभार्थी

योजना दिशानिर्देशों के पैरा 11 (xiii) के अनुसार, इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे छात्रों को किसी अन्य योजना के अंतर्गत लाभ उठाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, योजना दिशानिर्देशों के पैरा 11 (xiv) के अनुसार, एक छात्र एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक के लिए केन्द्र सरकार की सभी उपलब्ध छात्रवृत्तियों में से केवल एक छात्रवृत्ति का ही पात्र होगा।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला है कि आठ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में **प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** में, 472 छात्रों ने कुल ₹ 18.04 लाख की बहु-छात्रवृत्तियों का दावा किया। इसी प्रकार 12 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** में 4,794 लाभार्थियों ने कुल ₹ 311.61 लाख की बहु छात्रवृत्तियों का दावा किया। ये बहु-छात्रवृत्ति दावे (i) एक ही योजना के अंतर्गत कई दावे, (ii) कई केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत दावे, तथा (iii) केन्द्र और राज्य सरकार दोनों योजनाओं के अंतर्गत किए गए दावों की श्रेणियों में आते हैं। विवरण **अनुलग्नक 2.10** तथा **अनुलग्नक 2.11** में दिए गए हैं।

प्रतिवेदन के इस भाग (पैरा 2.4.3) में बताए गए सभी लेखापरीक्षा निष्कर्ष, नियंत्रण प्रणालियों की कमियों को दर्शाते हैं विशेष तौर पर आईएनओ के स्तर पर, जो आवेदक की पात्रता के सत्यापन के लिए प्राथमिक नियंत्रण बिंदु है। डीएनओ/एसएनओ/मंत्रालय स्तर पर नियंत्रण में कमी ने भी छात्रवृत्तियों के दुरुपयोग में योगदान दिया। परिणामस्वरूप, अपात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई जिसके परिणामस्वरुप योग्य छात्र लाभ से वंचित रह गए।

मंत्रालय ने अपात्र लाभार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रति अपने उत्तर (अप्रैल 2023 एवं फरवरी 2025) में बताया कि इस मामले को आगे की जांच तथा कार्रवाई के लिए सभी संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश के साथ उठाया जाएगा। राज्यों (मध्य प्रदेश, मणिपुर और राजस्थान) के राज्य/जिला प्राधिकारियों ने बताया कि कुछ मामलों में दोहरे भुगतान की वसूली कर ली गई थी तथा अन्य मामलों में वसूली के संबंध में कार्रवाई की जा रही थी।

मंत्रालय ने अपने बाद के उत्तर (फरवरी 2025) में यह भी बताया कि वर्ष 2022-23 से आधार आधारित बॉयोमैट्रिक प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अब सभी छात्रवृत्ति भुगतान आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली के माध्यम से डीबीटी मोड के अधीन किए जा रहे हैं। इसलिए, भविष्य में इस तरह की समस्याएं होने की संभावना नहीं हैं। मंत्रालय ने यूडाइस/एआईएसएचई विवरणी की वास्तविक

समय वैधता तथा यथार्थता की जांच हेतु मामले को शिक्षा मंत्रालय के साथ उठाने का भी प्रस्ताव रखा है जो भविष्य में गैर-मौजूदा तथा गैर-परिचालनात्मक संस्थानों को हटा देगा।

मंत्रालय को नियंत्रण जोखिमों की समीक्षा करने तथा अपात्र आवेदकों को योजनाओं का लाभ लेने से रोकने के लिए तंत्र स्थापित/मजबूत करने की आवश्यकता है।

2.12.4.3 छात्रवृत्ति का अधिक/कम भुगतान

(i) छात्रवृत्तियों का अधिक भुगतान

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, एक वर्ष में, कक्षा I-V के छात्र ₹1000[50] की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र थे; तथा कक्षा VI-X के लिए अनिवासी छात्र ₹ 5,700 एवं छात्रावासी छात्र ₹ 10,700[51] प्राप्त कर सकते थे। तथापि, ये वास्तविक भुगतान के अधीन थे। इसलिए, उन स्कूलों के छात्र जहां शिक्षा शुल्क या दाखिला शुल्क नहीं लिया जाता था, छात्रवृत्ति के भाग के रूप में इसकी प्रतिपूर्ति के पात्र नहीं थे। यह पाया गया था कि चार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में, 2,854 छात्रों को कुल ₹ 90.74 लाख की छात्रवृत्ति का अधिक भुगतान किया गया था। विवरण **अनुलग्नक 2.12** में दिए गए हैं। अधिक भुगतान के कारण निम्नवत थे:-

क) सरकारी स्कूलों जहां दाखिला शुल्क एवं ट्यूशन शुल्क नहीं लिया जाता था, में दाखिला शुल्क एवं शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति और/या

ख) स्वीकार्य भत्ते से अधिक दाखिला शुल्क/ट्यूशन शुल्क/अनुरक्षण भत्तों की प्रतिपूर्ति।

इसी प्रकार से, **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** के लिए योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, छात्रवृत्ति के घटक जैसे कि दाखिला शुल्क/अनुरक्षण शुल्क तथा अनुरक्षण

---

50 केवल अनुरक्षण भत्ता

51 प्रवेश शुल्क, ट्यूशन शुल्क और अनुरक्षण भत्ता सहित

भत्ते को लिए गए पाठ्यक्रम और छात्र के छात्रावासी/अनिवासी होने के आधार पर सीमित किया गया था। तथापि, ये वास्तविक भुगतान के अधीन भी थे। दाखिला शुल्क/ट्यूशन शुल्क की राशि प्रत्येक राज्य में अलग-अलग थी। कुछ राज्यों में, दाखिला शुल्क/ट्यूशन शुल्क सरकारी स्कूलों/संस्थानों में देय नहीं थे। फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि नौ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 7,883 छात्रों को कुल ₹ 302.15 लाख (विवरण **अनुलग्नक 2.12** में दिए गए हैं) की अधिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया। स्वीकार्य भत्ते से अधिक दाखिला शुल्क/ट्यूशन शुल्क/अनुरक्षण भत्ते की प्रतिपूर्ति अधिक भुगतान के कारण थे।

स्टैन्डअलोन आधार पर, छात्रवृत्ति भुगतान के डाटा के विश्लेषण ने आगे छात्रवृत्ति राशि को स्वीकार्य राशि तक सीमित न करने के कारण अधिक भुगतान को प्रकट किया। मणिपुर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में **प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** के अंतर्गत 44,089 छात्रों को ₹ 946.50 लाख तथा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल[52] राज्यों में **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना** के अंतर्गत 42,598 छात्रों को ₹ 737.25 लाख का अधिक भुगतान परिकलित किया गया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में बताया कि वह किसी भी अधिक भुगतान से बचने के लिए अनिवासी/छात्रावासियों तथा ट्यूशन शुल्क एवं अनुरक्षण भत्ते हेतु वर्तमान परिवर्तनीय दरों को सम्मिलित करके निर्धारित दरों पर छात्रवृत्ति की राशि का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।

(ii) पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति का कम भुगतान

चार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में, 636 छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं ट्यूशन शुल्क आदि के कम भुगतान के कारण उनकी पात्रता से कुल ₹ 17.81 लाख की छात्रवृत्ति का कम भुगतान किया गया था। विवरण **अनुलग्नक 2.13** में दिए गए हैं।

---

52 ये राज्य पूर्ववर्ती पैराग्राफ में फील्ड लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा निष्कर्षों में शामिल नहीं हैं।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में बताया कि कम भुगतान के मामलों को नोट कर लिया गया है तथा तद्नुसार, मंत्रालय निर्धारित दरों पर छात्रवृत्तियों की राशि के संशोधन का प्रस्ताव करता है जो ऐसे अवसरों की पुनरावृत्ति को रोकेगा।

(iii) अनुरक्षण भत्ते का अनियमित संवितरण

प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में ऐसे मामले पाए गए जिनमें अनिवासी छात्रों को छात्रावासियों के लिए लागू दर पर अनुरक्षण भत्ते का भुगतान किया गया।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में, नौ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 1,930 छात्रों, जो उन स्कूलों/संस्थानों में पढ़ रहे थे जहां छात्रावास की सुविधा नहीं थी या फिर अनिवासी थे, को छात्रावासियों को देय बढ़ी हुई दर (₹ 600 प्रति माह) पर कुल ₹ 101.90 लाख का अनुरक्षण भत्ता अदा किया गया।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में, अनुरक्षण भत्ता छात्रावासी के लिए ₹ 380 प्रति माह तथा अनिवासी के लिए ₹ 230 प्रति माह निर्धारित किया गया है। तथापि, सात राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में, 5,054 लाभार्थियों ने उन मामलों में, जहां संस्थान में छात्रावास की सुविधा नहीं थी या जब लाभार्थी अनिवासी छात्र थे, उच्च दर पर कुल ₹ 169 लाख के अनुरक्षण भत्ते का लाभ उठाया जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को अधिक भुगतान में हुआ। विवरण **अनुलग्नक 2.14** में दिए गए है।

ये लेखापरीक्षा निष्कर्ष आगे लाभार्थी की पात्रता स्थापित करने में आईएनओ/डीएनओ स्तर पर की गई जांचों तथा साथ ही छात्रवृत्ति राशि को अधिकतम लागू सीमा तक सीमित करने में एनएसपी पोर्टल में स्थापित नियंत्रणों में कमियों की भी पुष्टि करते हैं।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2023) में बताया कि आगे के सत्यापन और कार्रवाई के लिए मामले को सभी संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ

उठाया जाएगा। कुछ स्कूल प्राधिकारियों (आंध्र प्रदेश आदि) ने बताया कि वे योजना के दिशानिर्देशों से अवगत नहीं थे इसलिए अधिक भुगतान हुआ।

मंत्रालय ने अपने बाद के उत्तर (फरवरी 2025) में बताया कि वह 2021-22 तक स्वीकार्य सभी दरों को सम्मिलित करने के पश्चात भविष्य में निर्धारित दरों पर छात्रवृत्तियों की राशि का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।

मंत्रालय नियंत्रण जोखिमों की समीक्षा करे तथा अधिक भुगतान एवं अन्य अस्वीकार्य भुगतानों की जांच के लिए तंत्र को मजबूत करे।

2.12.4.4 शिकायत निवारण तंत्र

छात्रवृत्तियों के प्रभावी और समयोचित संवितरण के लिए, लाभार्थियों को उनकी शिकायतों का समयोचित ढंग से निवारण का अवसर प्रदान करने हेतु एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र का होना अनिवार्य था। लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना दिशानिर्देशों में केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर शिकायतों के प्रबंधन एवं ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए कोई तंत्र निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में बताया कि उसे मंत्रालय की समर्पित ई-मेल आईडी, टेलीफोन तथा लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से छात्रों, आईएनओ, डीएनओ तथा राज्यों से सीधे बड़ी संख्या में शिकायतें/मुद्दे प्राप्त होते है। उपलब्ध सूचना के आधार पर उन सभी की जांच की जाती है तथा शिकायतकर्ता की संतुष्टि हेतु तुरंत उत्तर दिया जाता है।

चूंकि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में योजनाओं का कार्यान्वयन आईएनओ/डीएनओ/ एसएनओ के पास है इसलिए राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र का सृजन आगे से स्थानीय स्तर पर लाभार्थियों को अपने मुद्दों का समयोचित ढंग से निवारण करने में मदद करेगा।

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर शिकायत निवारण की निगरानी के लिए समर्पित तंत्र स्थापित करे कि शिकायतों का उचित निवारण किया गया है।

2.12.4.5 योजनाओं की निगरानी हेतु निरीक्षण तंत्र/आंतरिक नियंत्रण

योजना दिशानिर्देश मंत्रालय/राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा मूल्यांकन और निगरानी करने, निगरानी एवं पारदर्शिता हेतु राज्यों द्वारा लाभार्थियों के डाटाबेस के रखरखाव का प्रावधान करते हैं। लेखापरीक्षा ने जांच की कि क्या योजना के लिए निर्धारित निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली प्रभावी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएसपी पोर्टल के माध्यम से निगरानी करने के अतिरिक्त योजना की निगरानी की कोई अन्य प्रणाली नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी पर एकमात्र निर्भरता का परिणाम छात्रवृत्तियों के संवितरण में विभिन्न अनियमितताओं में हुआ है जैसा कि इस प्रतिवेदन में उजागर किया गया है। यह लाभार्थी सत्यापन के स्तर पर योजनाओं के लिए कमजोर नियंत्रण तंत्र का सूचक था। योजनाओं की प्रगति के सत्यापन हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रणाली के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने बताया कि कोई विशिष्ट आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र नहीं था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि एनएसपी एक विकसित हो रहा प्लेटफार्म है तथा छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन को और अधिक मजबूत एवं पारदर्शी बनाने के लिए 2019-20 में कुछ कदम उठाए गए थे। जिसमें आधार अपवाद प्रबंधन, एनएसपी के साथ मान्य एआईएसएचई/यूडाइस/एनसीवीईटी/एसीवीटी कोड सहित संस्थानों के नए पंजीकरण, संस्थानों के केवाईसी का सत्यापन आदि जैसी जांच शामिल थीं।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ये जांच अपर्याप्त पाई गई थी क्योंकि योजनाओं के कार्यान्वयन में अनिमितताएं थी जैसा कि इस प्रतिवेदन तथा एनसीएईआर द्वारा किए गए तृतीय पक्ष मूल्यांकन में चर्चा की गई है। डीएनओ/एसएनओ स्तर पर आवेदनों की स्वतंत्र जांच और क्रास सत्यापन के दूसरे स्तर का आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर था। योजनाओं के पैमाने को देखते हुए तथा आईएनओ/डीएनओ/एसएनओ द्वारा दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन में कमियों ने योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रभावित किया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2025) में बताया कि कार्यालय ज्ञापन (नवम्बर 2020) जारी किया गया था जिसमें सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को दो *प्रतिशत* आवेदनों का अनिवार्य रुप से भौतिक सत्यापन करने की सलाह दी गई है। मंत्रालय भी जब कभी आवश्यक हो, संस्थानों/आवेदकों/लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन भी करता है। इस संबंध में, एनएसपी/मंत्रालय द्वारा दर्शाए गई कमी के आधार पर यादृच्छिक आधार पर चयनित संस्थानों का हाल ही में मंत्रालय से दलों ने भौतिक जांच हेतु सभी पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया तथा इसके निष्कर्षों को संबंधित राज्यों के साथ, जहां कहीं अपेक्षित हो, अनुशासनात्मक/अपराधिक कार्रवाई करने के लिए साझा किया।

मंत्रालय कई स्तरों पर मजबूत आंतरिक लेखापरीक्षा, भौतिक सत्यापन तंत्र का प्रावधान करके नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करे ताकि छात्रवृत्ति के संवितरण में अनियमितताओं को कम किया जा सके तथा प्रत्याशित लाभार्थियों द्वारा लाभ उठाया जा सके।

2.12.5 निष्कर्ष

अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक योजनाओं की लेखापरीक्षा में योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी को नियंत्रित करने वाले आंतरिक नियंत्रण में कमियों की पहचान की गई है।

वर्ष 2017-2022 के बीच, योजनाओं के लिए बजट आवंटन का उपयोग किया गया था जो योजनाओं की सफलता को दर्शाता है। इस योजना का लाभ अधिकतर छात्राओं द्वारा उठाया गया था।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के संस्वीकृति आदेशों की नमूना जांच पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी विशेष वित्तीय वर्ष के छात्रवृत्ति भुगतान की एक बड़ी राशि आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की गई जो छात्रवृत्ति के प्रतिपूर्ति आधार पर होने के बावजूद, इसके भुगतान में विलंब को दर्शाता है। मंत्रालय के पास किसी विशेष लाभार्थी को छात्रवृत्तियों के संवितरण में निगरानी एवं विलम्ब का आकलन करने

का कोई तंत्र नहीं था। इससे समुदाय के आर्थिक रुप से पिछड़े लाभार्थी को समायोचित वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य विफल हुआ।

आईएनओ पर आवेदनों को संसाधित करने, डीएनओ/एसएनओ स्तरों पर अनिवार्य भौतिक जांच करने में विसंगतियां तथा अपात्र आवेदनों को छाँटने के लिए एनएसपी में अपर्याप्त नियंत्रण न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त किए बिना छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने; माता-पिता की सीमा-रेखा से अधिक आय; परिवार के दो से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति संवितरित करने; तथा उन लाभार्थियो, जो संस्थान/स्कूल में नामांकित नहीं थे, द्वारा छात्रवृत्ति आहरण के मामलों का कारण बना। नियंत्रण में कमियों के परिणामस्वरुप योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली प्रत्याशित सहायता कुछ पात्र छात्रों की पहुंच से बाहर हो गई।

दस्तावेजों के सत्यापन के माध्यम से योजनाओं के अंतर्गत आवेदकों की पात्रता एवं हकदारी स्थापित करने के महत्वपूर्ण नियंत्रण संस्थान/जिला/राज्य प्राधिकारियों के पास है। संस्थान/राज्य स्तर पर की गई जांच में जोखिमों एवं कमियों को इस लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किया गया है। इन जोखिमों तथा कमियों को पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र जैसे कि क्रॉस जांच की मजबूत प्रणालियों, कई चरणों एवं स्तरों पर सत्यापन/मान्यकरण, आंतरिक लेखापरीक्षा तथा भौतिक सत्यापन तंत्रों को स्थापित करके दूर किए जाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमत होते हुए मंत्रालय (फरवरी 2025) ने सूचित किया कि इसने योजना कार्यान्वयन में कई सुधारों का प्रस्ताव किया है जो व्यय वित्त समिति (ईएफसी)/सक्षम प्राधिकारी के विचाराधीन है। संशोधित योजनाओं में मंत्रालय ने प्रणालीगत सुधारों का प्रस्ताव किया है तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों में उजागर मामलों का निपटान करने हेतु शोधक उपाय किए हैं। इन प्रणालीगत सुधारों/शोधक उपायों में आवेदकों तथा छात्रवृत्ति के आवेदनों की जांच करने वाले प्राधिकारियों का बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण शामिल है। वर्ष 2022-23 से, प्रतिबद्ध देयताओं/नवीकरण छात्रवृत्तियों का भुगतान आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अधीन किया जा रहा

है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) ने 2024-25 से आधार आधारित एक बार पंजीकरण (ओटीआर) की प्रणाली शुरू की है। इससे दोहरे लाभार्थियों पर बड़े पैमाने पर रोक लगेगी। एनएसपी-एनआईसी भविष्य में लाभार्थियों को छात्रवृत्तियों के दोहरे भुगतान से बचने के लिए एनएसपी पर उनके भुगतान को समर्थ बनाने से पहले लाभार्थियों के दोहराव को समाप्त करने के लिए डाटा एक्सचेंज विकसित कर रहा है। जिला/राज्य नोडल अधिकारी के साथ-साथ मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा यादृच्छिक रूप से चयनित संस्थानों की भौतिक जांच की प्रक्रिया मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय यह भी विचार कर रहा है:

1. अनिवासी/छात्रावासियों तथा शिक्षा शुल्क एवं अनुरक्षण भत्ते हेतु मौजूदा परिवर्तनीय दरों को सम्मिलित करके निर्धारित दरों पर छात्रवृत्तियों की राशि का संशोधन करना।
2. नवीकरण लाभार्थियों हेतु 50 *प्रतिशत* अंक की आवश्यकता को समाप्त करना।
3. शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित डाटाबेस से वास्तविक समय वैधता के माध्यम से संस्थानों की यथार्थता की जांच करना जो गैर-मौजूदा तथा गैर-संचालित संस्थानों को हटा देगी।
4. छात्रवृत्तियों का गैर-अनुमोदित पाठ्यक्रमों हेतु संवितरण किए जाने से बचने के लिए प्रत्येक संस्थान हेतु पाठ्यक्रम/कक्षा को जोड़ने की प्रक्रिया का संशोधन करना।
5. आय प्रमाण-पत्र को अपलोड करने की आवश्यकता को अनिवार्य बनाना जिसकी यादृच्छिक आधार पर जांच की जाएगी।
6. आईएनओ के पंजीकरण की प्रक्रिया का संशोधन करने हेतु डीबीटी मिशन तथा एनएसपी-एनआईसी दलों के साथ मामला उठाना ताकि एनएसपी पर स्वयं पंजीकरण करने वाले फर्जी आईएनओ से बचा जा सके।

छात्रवृत्तियों के संवितरण की दक्षता को सुधारने हेतु मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित शोधक कार्रवाई ध्यान देने योग्य है। तथापि, संशोधित योजना दिशानिर्देशों के

अंतर्गत इनका कार्यान्वयन होने के बाद ही उनकी दक्षता की जांच की जा सकती है।

(VI) पंचायती राज मंत्रालय

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

2.13 राज्यों द्वारा अव्ययित अनुदान को वापस न करना

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के संबंध में जारी अनुदानों के उपयोग की निगरानी करने में विफलता के परिणामस्वरुप सितंबर 2023 तक कुल ₹ 903.42 करोड़ का अप्रयुक्त अनुदान वापस नहीं किया गया।

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने 2006-07 से 2014-15 की अवधि के दौरान पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम (जिला संघटक) को कार्यान्वित कर रहा था। बीआरजीएफ ने स्थानीय अवसंरचना तथा अन्य विकास आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण अंतरालों को समाप्त करने हेतु मौजूदा विकासात्मक अंतर्वाह को चयनित जिलों में पूरक एवं अभिसरण करने हेतु वित्तीय संसाधन प्रदान किया। 2015-16 से बीआरजीएफ कार्यक्रम को केन्द्र सरकार की बजटीय सहायता से अलग कर दिया गया था।

बीआरजीएफ कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 4.8 तथा 4.9 के अंतर्गत प्रावधान ने अभिकल्पना की कि बीआरजीएफ निधियों को संबंधित पंचायतों द्वारा एक राष्ट्रीयकृत बैंक या डाक-घर बैंक खाते में रखा जाएगा तथा जमा राशियों पर अर्जित ब्याज राशि को बीआरजीएफ के अधीन अतिरिक्त संसाधनों के रूप में माना जाना था तथा इसका कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग किया जाना था।

पंचायती राज मंत्रालय ने 2007 से 2015 तक की अवधि के दौरान 28 राज्यों[53] को बीआरजीएफ कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹ 27,638.12 करोड़ का सहायता

53 जम्मू और कश्मीर राज्य अब एक केन्द्र शासित प्रदेश है।

अनुदान जारी किया। तथापि, 2015-16 से केन्द्र सरकार की बजटीय सहायता से बीआरजीएफ योजना को अलग करने तथा कार्यक्रम को राज्य के संसाधनों से चलाने के लिए राज्यों को उसके स्थानांतरण पर, पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्यों से वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बीआरजीएफ कार्यक्रम के अधीन सभी देयताओं का निपटान करने का अनुरोध किया।

मार्च 2015 तक, राज्यों से केवल कुल ₹ 22,971.82 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्राप्त हुए जिससे राज्यों के पास ₹ 4,666.30 करोड़ की राशि उपयोग हेतु लंबित रह गई।

बाद में, मार्च 2015 से सितम्बर 2023 तक की अवधि के दौरान ₹ 4,666.30 करोड़ में से राज्यों से आगे कुल ₹ 3,341.32 करोड़ के यूसी प्राप्त हुए तथा ₹ 421.56 करोड़ वापस किए गए थे जिससें 17 राज्यों के पास अभी भी ₹ 903.42 करोड़ के अव्ययित अनुदान पड़ा हैं जैसा **अनुलग्नक 2.15** में विवरण दिया गया है।

यह पाया गया था कि पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों द्वारा वापसी योग्य होने से इन अव्ययित शेष पर अर्जित ब्याज का संज्ञान नहीं लिया था जो उनकी ओर से त्रुटिपूर्ण निगरानी का सूचक था।

मामला अध्ययन

मंत्रालय में निगरानी की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने हेतु ओडिशा राज्य सरकार (एसजीओओ) के संबंध में जारी निधियों के एक अध्ययन ने निम्नलिखित उजागर किया:

बीआरजीएफ कार्यक्रम में दो वित्तपोषण विन्डो थीं (i) विकास अनुदान, तथा (ii) क्षमता निर्माण निधि। 31 मार्च 2015 तक बीआरजीएफ (विकास अनुदान तथा क्षमता निर्माण निधि) के अंतर्गत एसजीओओ को संचयी निर्गम ₹ 2149.42 करोड़ था। सितंबर 2023 को, एसजीओओ के पास पड़ा अव्ययित शेष विकास अनुदान के अंतर्गत ₹ 61.55 करोड़ तथा क्षमता निर्माण निधि के अंतर्गत 'शून्य' था।

अभिलेखों की संवीक्षा पर यह देखा गया था कि एसजीओओ ने बीआरजीएफ क्षमता निर्माण के अंतर्गत ₹ 20.00 करोड़ के वार्षिक आवंटन हेतु वर्ष 2014-15 के लिए एक

अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। पंचायती राज मंत्रालय ने योजना को अनुमोदित किया तथा ₹ 18.00 करोड़ अर्थात् अनुमोदित योजना का 90 प्रतिशत संस्वीकृत किया। तदनुसार, पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य के पास पड़े ₹ 6.39 करोड़ की शेष राशि को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2014 में ₹ 11.61 करोड़ जारी किए। बीआरजीएफ को बजटीय सहायता से अलग करने के पश्चात, पंचायती राज मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बीआरजीएफ कार्यक्रम के अंतर्गत सभी देयताओं का निपटान करने का अनुरोध किया। बाद में एसजीओओ ने 06 जुलाई 2019 को पंचायती राज मंत्रालय को ₹ 18.00 करोड़ की सहायता अनुदान की पूर्ण राशि को वापस कर दिया। तथापि, यह पाया गया था कि पंचायती राज मंत्रालय ने इस अवधि के लिए ₹ 18 करोड़ के सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज की मांग नहीं की थी जिसके परिणामस्वरुप अप्रयुक्त सहायता अनुदान पर ₹ 2.07 करोड़[54] के ब्याज की अनुमानित हानि हुई।

फरवरी 2021/फरवरी 2022 में इसे इंगित किए जाने पर, पंचायती राज मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2021/मई 2022) कि राज्यों/जिलों ने बीआरजीएफ कार्यक्रम को अलग करने के पश्चात उनके पास उपलब्ध निधियों पर ब्याज के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी। आगे यह भी बताया गया था कि बीआरजीएफ कार्यान्वयन के दौरान राज्यों को जारी निधियों की वास्तविक राशि को ही राज्यों के प्रति बकाया के रूप में माना गया था।

पंचायती राज मंत्रालय ने आगे बताया (फरवरी 2023/नवम्बर 2023) कि बीआरजीएफ कार्यक्रम के अंतर्गत जारी अव्ययित निधियों की निगरानी एवं वसूली हेतु उनकी ओर से कई प्रयास किए गए थे। राज्यों के पास देयताओं/लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यूसी) के निपटान हेतु सख्त अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी जिस कारण राज्य सरकारों के पास पड़े शेष सितम्बर 2023 तक ₹ 4,666.30 करोड़ से घटकर ₹ 903.42 करोड़ हो गई है।

---

[54] 51 महीनों (अप्रैल 2015 से जून 2019 तक) के लिए ₹ 18.00 करोड़ पर 2.70 *प्रतिशत* की न्यूनतम ब्याज दर पर परिकलित

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि योजना के समापन के पश्चात अव्ययित शेष की समय पर वसूली की जिम्मेदारी मंत्रालय की है। वर्तमान मामले में, ₹ 903.42 करोड़ 8 वर्षों (2015-16 से) के बीत जाने के पश्चात भी बिना वसूल किए रहे। इसके अतिरिक्त, योजना दिशानिर्देशों के अनुसार निधियों पर अर्जित ब्याज को अतिरिक्त संसाधन के रुप में माना जाना था तथा इसका उपयोग योजना के लिए किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप तथा वित्तीय विवेक के आधार पर मंत्रालय को अव्ययित निधियों पर अर्जित ब्याज की भी वसूली करनी चाहिए।

इस प्रकार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों को जारी अनुदानों के उपयोग की त्रुटिपूर्ण निगरानी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कुल ₹ 903.42 करोड़ की निधियों तथा उस पर कुल ₹ 207.33[55] करोड़ के ब्याज को वापस न करने का कारण बनी। इसके अतिरिक्त, उन मामलों में, जहाँ सहायता अनुदान को पूरी तरह से वापस कर दिया गया था, अर्जित ब्याज घटक को न तो परिकलित किया गया था और न ही राज्यों के साथ लेखाओं के निपटान से पहले इस मामले पर सुविचारित निर्णय के लिए मांग की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों मूल एवं ब्याज राशियों से संबंधित अप्रयुक्त राशियों की उचित प्रकार से वसूली की गई है, अपने आंतरिक नियंत्रण तथा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

---

55 अप्रैल 2015 से सितंबर 2023 (आठ वर्ष और छः महीने या 102 महीने) तक ₹ 903.42 करोड़ की अप्रयुक्त अनुदान पर ₹ 2.70 *प्रतिशत प्रति वर्ष* के बचत बैंक ब्याज की रूढ़िवादी दर पर परिकलित।

अध्याय-III

विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेश

इस अध्याय में व्यय से संबंधित छः लेखापरीक्षा पैराग्राफ तथा राजस्व से संबंधित एक लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल है। यह लेखापरीक्षा निष्कर्ष पाँच केन्द्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।

(क) व्यय

केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

अंडमान लोक निर्माण विभाग

3.1 एमपीलैड्स[56] के अंतर्गत इंडोर स्पोर्ट्स हॉल के निर्माण पर ₹ 62.61 लाख का निष्फल व्यय

सड़क निर्माण प्रभाग, अंडमान लोक निर्माण विभाग, विम्बर्लीगंज ने सांसद और जिला प्राधिकरण की सहमति के बिना कार्य के दायरे और आवश्यकता में पर्याप्त परिवर्तन किए जिसके परिणामस्वरूप संस्वीकृत राशि कार्य पूरा होने से पहले ही समाप्त हो गई। ₹ 62.61 लाख का व्यय करने के बाद कार्य बंद कर दिया गया जिससे व्यय निष्फल हो गया।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) निर्माण कार्य मैनुअल 2014 के पैरा 4.2 में बताया गया है कि विस्तृत अनुमान और ड्राइंग तथा डिजाइन की तैयारी प्रस्ताव प्रायोजित करने वाले विभाग/मंत्रालय से आश्वासन प्राप्त करने के बाद ही की जानी चाहिए; कि साइट उपलब्ध है तथा उस पर कोई बाधा नहीं है अथवा उपयुक्त समय के भीतर उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के पैरा 2.3.4 में बताया गया है कि "ऐसे महत्वपूर्ण विचलन जो मूल संस्वीकृति से कार्य के दायरे को महत्वपूर्ण रूप से बदल देते हैं उन्हें उस प्राधिकारी की अनुमोदित

[56] सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाएँ

मंजूरी के बिना नहीं किया जाना चाहिए जिसने कार्य को प्रशासनिक अनुमोदन दिया है भले ही उसकी लागत को अन्य मदों पर बचत से पूरा किया जा सकता है"। सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य मैनुअल के पैरा 4.6 में आगे बताया गया है कि जब भी संस्वीकृत अनुमान से अधिक अनुमेय विचलन की संभावना हो और संशोधित अनुमान की तैयारी में अपरिहार्य विलम्ब होने की संभावना हो तो परिस्थितियों की तत्काल रिपोर्ट संस्वीकृति देने वाले प्राधिकारी को दी जानी चाहिए।

एमपीलैड्स के अंतर्गत दक्षिण अंडमान के मन्नारघाट ग्राम पंचायत के अंतर्गत मन्नारघाट गांव में "स्पोर्ट्स मिनी इंडोर हॉल का निर्माण" का कार्य सड़क निर्माण प्रभाग (आरसीडी), अंडमान लोक निर्माण विभाग (एपीडब्ल्यूडी), विम्बर्लीगंज द्वारा प्रारम्भ किया गया था जैसी तत्कालीन सांसद द्वारा सिफारिश की गई थी।

तदनुसार, प्रभाग ने प्रस्तावित साईट पर निर्माण के लिए पहले से तैयार अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य[57] के साइट प्लान और वास्तुशिल्प चित्रों के आधार पर ₹ 65.09 लाख (मई 2018) का प्रारंभिक अनुमान तैयार किया। उपायुक्त, दक्षिण अंडमान द्वारा ₹ 64.70 लाख (मई 2018) की अनुमानित लागत के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति प्रदान की गई। कार्यकारी अभियंता, आरसीडी द्वारा ₹ 63.57 लाख (मई 2018) की तकनीकी संस्वीकृति प्रदान की गई। ₹ 65.16 लाख की निविदा लागत पर कार्य सौंपा[58] गया (जुलाई 2018) जिसमें कार्य के प्रारंभ और समापन की निर्धारित तिथियाँ क्रमशः 17 अगस्त 2018 और 16 जून 2019 थी। जुलाई 2018 में कार्य सौंपे जाने के बाद प्रभाग द्वारा मूल साइट को बदल दिया गया (सितंबर 2018)।

---

[57] अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जिसका कार्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में संबद्ध सुविधाओं सहित पत्तन एनं बंदरगाह संरचनाएं प्रदान करना है।

[58] श्री ए. पलानी, सरकारी ठेकेदार अनुबंध संख्या 18/ईई/आरसीडी/2018-19

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रभाग ने नई साइट पर निर्माण के लिए कोई भी प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किए बिना एक परामर्शदाता (अगस्त 2018) को नई साइट के लिए संरचनात्मक चित्र तैयार करने का कार्य सौंपा।

प्रभाग ने नए संरचनात्मक डिजाइन के आधार पर मात्राओं का अनुमान लगाते समय उपयोग की जाने वाली मात्राओं में मूल अनुमान से महत्वपूर्ण विचलन पाया। कार्य के दायरे में पर्याप्त बदलाव के बावजूद प्रभाग उचित समय के भीतर संशोधित अनुमान तैयार करने तथा उपायुक्त, दक्षिण अंडमान या ग्राहक विभाग को परिस्थितियों की सूचना देने में विफल रहा। प्रभाग ने ठेकेदार को ₹ 62.61 लाख की राशि का भुगतान किया जिसमें विचलित मदों और अतिरिक्त मदों (जुलाई 2020 तक) के लिए ₹ 41.64 लाख[59] की राशि शामिल थी जिसके परिणामस्वरूप इस कार्य के लिए मूल रूप से संस्वीकृत ₹ 63.57 लाख की राशि कार्य पूरा होने से पहले ही समाप्त हो गई। बाद में, विभाग ने शेष कार्य को निष्पादित करने के लिए कुल ₹ 96.78 लाख (सितंबर 2021) का संशोधित अनुमान तैयार किया। संशोधित अनुमान संस्वीकृत नहीं किया गया तथा उपायुक्त, दक्षिण अंडमान ने प्रभाग को कार्य बंद करने (अक्टूबर 2021) तथा अपूर्ण संरचना पंचायत सचिव, मन्नारघाट ग्राम पंचायत को सौंपने का निर्देश दिया। तदनुसार, कार्य बंद कर दिया गया (दिसंबर 2021) तथा अपूर्ण संरचना सौंप दी गई (फरवरी 2022)।

इस संबंध में उपायुक्त ने कार्यकारी अभियंता आरसीडी, एपीडब्ल्यूडी, विम्बर्लीगंज को अनुमान की मंजूरी के बाद साइट के परिवर्तन, माननीय सांसद एवं जिला प्राधिकरण की सहमति के बिना अतिरिक्त मदों के निष्पादन, संस्वीकृति के लिए अपूर्ण अनुमान तैयार करने, अनुमान की संस्वीकृति के बाद बिल्डिंग के डिज़ाइन में बदलाव करने आदि के कारण से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया (दिसंबर 2021)।

---

59 एई/ईई/एसई द्वारा उनकी प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अनुसार संस्वीकृत।

प्रभाग ने लेखापरीक्षा पैरा (अक्टूबर 2023) के उत्तर में बताया कि मूल अनुमान तैयार किया गया था और भूमि का कब्ज़ा प्राप्त किए बिना संस्वीकृति प्राप्त की गई थी।

यह सीपीडब्लूडी निर्माण कार्य मैनुअल के पैरा 4.2 के प्रावधानों का उल्लंघन है जिसमें बताया गया है कि विस्तृत अनुमानों की तैयारी केवल संबंधित विभाग से आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात ही की जानी चाहिए कि साइट उपलब्ध है या उचित समय के भीतर उपलब्ध करा दी जाएगी।

इस प्रकार, कार्य शुरू होने और मन्नारघाट ग्राम पंचायत को अपूर्ण संरचना सौंपने के लगभग पांच वर्षों के पश्चात भी कार्य अभी भी अपूर्ण था (सितंबर 2023) जिससे ₹ 62.61 लाख का व्यय निष्फल हो गया।

मामला नवंबर 2023 में गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2025 तक प्रतीक्षित था।

कार्यालय श्रम आयुक्त, पोर्ट ब्लेयर

3.2 मृत कर्मचारियों के आश्रितों को कुल ₹ 33.90 लाख के मुआवजे का कम भुगतान

कार्यालय श्रम आयुक्त, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर द्वारा कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के अंतर्गत मृत कर्मचारियों के आश्रितों को देय मुआवज़ा के गलत परिकलन का परिणाम पांच कर्मचारियों के मामले में कुल ₹ 26.81 लाख के मुआवज़ा तथा उस पर ₹ 7.09 लाख की सीमा तक के ब्याज के कम भुगतान में हुआ।

कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 3 प्रावधान करती है कि यदि कर्मचारी को उसके रोजगार के दौरान दुर्घटना से कोई भी चोट लगती है तो उसका नियोक्ता इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा अदा करने का उत्तरदायी होगा।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 4(1)(ए) में दिया गया है कि जहां चोट से मृत्यु हो जाती है वहां मुआवजे की राशि मृत कर्मचारी के मासिक वेतन के पचास *प्रतिशत* को प्रासंगिक कारक[60] से गुणा करके प्राप्त राशि अथवा एक लाख बीस हजार रूपये की राशि, जो भी अधिक है, होगी। धारा 4(1बी) प्रावधान करता है कि केन्द्र सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु किसी कर्मचारी के संबंध में ऐसा मासिक वेतन निर्दिष्ट कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे। इसके अनुसरण में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, ने अपनी राजपत्रित अधिसूचना सं. 2020 एस.ओ. 71 (ई) दिनांक 03 जनवरी 2020 के माध्यम से 03 जनवरी 2020 से लागू ₹ 15,000/- की राशि को मासिक वेतन के रूप में निर्दिष्ट किया।

अधिनियम की धारा 4ए (3ए) यह भी प्रावधान करती है कि जहां नियोक्ता इस अधिनियम के अंतर्गत देय मुआवजे को देय[61] होने की तिथि से एक माह के भीतर भुगतान करने में चूक करता है, तो आयुक्त[62] निदेश देगा कि नियोक्ता, बकाया की राशि के अतिरिक्त, उस पर बारह *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर पर या ऐसी उच्च दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करेगा जो किसी भी अनुसूचित बैंक की अधिकतम उधार दरों से अधिक न हो, जैसा केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा देय राशि पर विनिर्दिष्ट किया गया हो।

कार्यालय श्रम आयुक्त, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि 2020-22 की अवधि के दौरान, पांच मुआवजों के

---

60 'प्रासंगिक कारक' से तात्पर्य उन वर्षों की संख्या को निर्दिष्ट करने वाले कारक से है जो कर्मचारी की उस तारीख से ठीक पहले उसके अंतिम जन्मदिन पर उसकी पूरी हुई आयु के वर्षों के समान हैं, जिस तारीख को मुआवजा देय था।

61 अधिनियम की धारा 10 के साथ धारा 4ए का तात्पर्य है कि श्रम आयुक्त द्वारा मुआवजे का आदेश पारित किए जाने के बाद मुआवजा देय हो जाता है।

62 वर्तमान मामले में, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के श्रम आयुक्त, श्रमिक मुआवज़ा आयुक्त (सीडब्ल्यूसी) के कार्य का निर्वहन करते हैं। श्रम आयुक्त द्वारा की गई गणना और जारी किए गए आदेश के आधार पर, संबंधित नियोक्ता सीडब्ल्यूसी को मुआवज़े की राशि जमा करता है, जिसे बाद में कार्यालय श्रम आयुक्त द्वारा लाभार्थियों में संवितरित किया जाता है।

मामले में (क) मासिक वेतन का गलत आकलन किए जाने, तथा/अथवा (ख) गलत आयु कारक को लागू करने के कारण मुआवजे के रूप में कम राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों में कम भुगतान की राशि को ₹ 26.81 लाख के रुप मे परिकलित किया गया है **(अनुलग्नक-3.1)**।

इसके अतिरिक्त, कार्यालय श्रम आयुक्त, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर मुआवजे के कम भुगतान के लिए धारा 4ए (3ए) के अंतर्गत कुल ₹ 7.09 लाख (सितंबर 2023 तक परिकलित) का ब्याज अदा करने के लिए भी उत्तरदायी है जैसा विवरण **अनुलग्नक-3.2** में दिया गया है।

इस प्रकार, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को कुल ₹ 33.90 लाख[63] के मुआवजे का कम भुगतान किया गया था।

अपने उत्तर में, विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि यह गलत गणना अनजाने में हुई थी क्योंकि 03 जनवरी 2020 के राजपत्र अधिसूचना को कोविड-19 महामारी के दौरान उन्हें प्रेषित नहीं किया गया था। उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत परिकलित की गई मुआवजे की राशि में संशोधन के लिए संबंधित नियोक्ताओं को अधिसूचित करने तथा लेखापरीक्षा को सूचित करने का भी आश्वासन दिया है। तथापि, उत्तर में संबंधित लाभार्थियों को मुआवजे के विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग लाभार्थियों को विलंबित भुगतान पर ब्याज सहित मुआवजे की शेष राशि के शीघ्र संवितरण को सुनिश्चित करे।

मामला अक्टूबर 2023 को गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2025 तक प्रतीक्षित था।

---

63 ₹ 26.81 लाख के मुआवजे का कम भुगतान + ₹ 7.09 लाख का लागू ब्याज (सितंबर 2023 तक)

जिला परिषद, दक्षिण अंडमान

3.3 ₹ 87.28 लाख का निष्फल व्यय

जिला परिषद, दक्षिण अंडमान (जेडपीएसए) की रखरखाव अनुबंध अवधि की समाप्ति के पश्चात शवदाहगृह का रखरखाव करने में असमर्थता के कारण यह गैर-कार्यात्मक एवं आर्थिक मरम्मत से परे हो गया, जिसके परिणामस्वरुप इसके निर्माण पर किया गया ₹ 87.28 लाख का व्यय निष्फल हुआ। अंडमान और निकोबार प्रशासन सीएजी के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित दो अन्य शवदाहगृहों से संबंधित समान मुद्दों के लिए सुधारात्मक उपाय करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरुप सभी तीन शवदाहगृह निष्क्रिय पड़े हैं।

जिला परिषद, दक्षिण अंडमान (जेडपीएसए) के अंतर्गत ग्राम सभा, शोर प्वाइंट ने शोर प्वाइंट, दक्षिण अंडमान में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) से चलने वाले शवदाहगृह के निर्माण का प्रस्ताव किया (मई 2004)। इसके लिए ₹ 55.60 लाख का प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति प्रदान की गई थी (अक्टूबर 2006)। कार्य को दिसम्बर 2007 की निर्धारित समाप्ति तिथि के साथ अप्रैल 2007 में एक अभिकरण को सौंपा गया। कार्य ₹ 87.28 लाख की लागत पर अंततः पूरा हुआ (जनवरी 2009)।

शवदाह गृह ने एलपीजी के बजाय हाईस्पीड डीजल (एचएसडी) ऑयल के साथ जनवरी 2010 में काम करना शुरु किया क्योंकि जेडपीएसए के पास अपेक्षित विस्फोटक लाइसेंस, अग्नि लाइसेंस एवं प्राधिकृत एलपीजी कनेक्शन नहीं था। शवदाहगृह का मार्च 2012 तक अभिकरण द्वारा निष्पादित अनुबंध के निबंधन और शर्तों के अनुसार परिचालन एवं रखरखाव किया गया था। अभिकरण ने जेडपीएसए को ₹ 8.90 लाख प्रतिवर्ष की लागत पर शवदाहगृह के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया (मार्च 2012)। तथापि, जेडपीएसए ने प्रस्ताव पर न तो कोई निर्णय लिया और न ही शवदाहगृह के सतत परिचालन को सुनिश्चित कर सका।

नवम्बर 2014 में ई-टेंडरिंग के माध्यम से शवदाहगृह की मरम्मत एवं उसे पुनः चालू करने के लिए एक अभिकरण का चयन किया गया। तथापि, जेडपीएसए प्रशासनिक कारणों को बताते हुए कार्य नहीं सौंप सका।

सितंबर 2017 में, जेडपीएसए के अनुरोध पर अंडमान लोक निर्माण विभाग (एपीडब्ल्यूडी) ने शवदाहगृह का निरीक्षण किया तथा बताया कि संयंत्र पूर्णतः क्षतिग्रस्त था एवं आर्थिक मरम्मत से परे था क्योंकि यह लम्बी अवधि से निष्क्रिय पड़ा हुआ था। लेखापरीक्षा द्वारा जेडपीएसए के अधिकारियों के साथ किए गए संयुक्त निरीक्षण (सितंबर 2023), ने ढांचे में और अधिक क्षति को प्रकट किया।

इस प्रकार, जेडपीएसए की रखरखाव अवधि की समाप्ति के पश्चात शवदाहगृह का रखरखाव करने में असमर्थता के कारण शवदाह गृह गैर-कार्यात्मक हो गया। इससे वह उद्देश्य विफल हुआ जिसके लिए शवदाहगृह की स्थापना की गई थी तथा इसके निर्माण पर ₹ 87.28 लाख का व्यय भी निष्फल हुआ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के पहले के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए दो अन्य शवदाहगृहों के संबंध में समान अभ्युक्तियों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि दोनों ही शवदाहगृह समान परिस्थितियों के अंतर्गत गैर-कार्यात्मक हो गए हैं।

सीएजी के 2011-12 के प्रतिवेदन सं. 33 ने उचित योजना की कमी एवं खराब समन्वय के कारण जंगलीघाट, पोर्ट बलेयर में शवदाह भट्टी के निर्माण के प्रति ₹ 74.09 लाख के निष्फल व्यय के मामलों को उजागर किया। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा पैरा पर अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी में बताया (फरवरी 2015) कि निष्पादन फर्म के तकनीशियनों द्वारा सुझाए गये सुधारात्मक उपाय प्रक्रियाधीन थे तथा शवदाहगृह थोड़े समय में चालू हो जाएगा।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा (सितंबर 2023) के दौरान यह पाया गया कि एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के प्रति ₹ 1.76 लाख का अतिरिक्त व्यय करने के पश्चात इसे फरवरी 2015 से चालू किया गया था। तथापि, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद (पीबीएमसी) के अधिकारियों के साथ शवदाहगृह के संयुक्त निरीक्षण से पता चला कि लंबे समय तक उपयोग न होने के कारण पूर्ण संरचना जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी। पीबीएमसी ने बताया (सितंबर 2023) कि आम जनता भावनात्मक कारणों से जलाऊ लकड़ी का उपयोग करके पारम्परिक तरीके से दाह-संस्कार को प्राथमिकता देती है।

इसी प्रकार, सीएजी के 2015 की प्रतिवेदन सं. 32 ने गराचर्मा, पोर्ट ब्लेयर में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) से चलने वाले शवदाहगृह के निर्माण पर ₹ 73.95 लाख के निष्फल व्यय को इंगित किया था। यद्यपि, शवदाहगृह का निर्माण 2010 में पूरा हो गया था फिर भी इसे इलेक्ट्रिक कनेक्शन (एलपीजी आधारित सिस्टम को शुरु करने हेतु आग प्रदान करने हेतु अपेक्षित) प्राप्त करने में विलम्ब तथा तत्पश्चात शवदाहगृह बिल्डिंग के अंदर आंतरिक वाइरिंग की गैर-उपलब्धता के कारण चालू नहीं किया जा सका था। मंत्रालय की कार्रवाई टिप्पणी (मार्च 2017) की अनुवर्ती कार्रवाई के दौरान (सितंबर 2023) यह पाया गया कि मार्च 2022 में विभाग के चार अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरु की गई थी जो अभी भी जारी है।

इस प्रकार, समान मुद्दों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के बावजूद खराब योजना एवं सुधारात्मक कार्य करने में विफलता के परिणामस्वरूप अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के अधीन तीन शवदाहगृहों के निर्माण पर निष्फल व्यय हुआ।

मामला नवंबर 2023 को गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2025 तक प्रतीक्षित था।

केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़

श्रम आयुक्त कार्यालय, चंडीगढ़

3.4 चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का कार्यकरण

सीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड को पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण हेतु एकत्रित श्रम उपकर का उपयोग करने का अधिकार है। लेखापरीक्षा ने पाया कि शासन तथा निगरानी संरचना, जिसमें बोर्ड, विशेषज्ञ समिति तथा सलाहकार समिति शामिल है, का या तो गठन नहीं किया गया था या फिर गैर-क्रियात्मक थी। पुनर्गठित बोर्ड तथा समितियों के अभाव में, कार्य श्रम विभाग चंडीगढ़ के अधिकारियों द्वारा संभाला जा रहा था जो बोर्ड के पदेन सदस्य है। नियमित बोर्ड के अभाव ने निम्नलिखित क्षेत्रों में बोर्ड के कार्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं के विकास और कार्यान्वयन पर नकारात्मक प्रभाव डाला:-

- **सभी पात्र प्रतिष्ठानों के पंजीकरण को सुनिश्चित करने तथा श्रमिकों को अधिनियम द्वारा प्रदत्त सुरक्षा छत्र में लाने के लिए उनकी पहचान/पंजीकरण हेतु तंत्र;**
- **सभी पात्र प्रतिष्ठानों/श्रमिकों के पंजीकरण को सुनिश्चित करने हेतु जमा उपकर के डाटा को एकत्रित करने तथा विश्लेषण करने की प्रणालियों;**
- **श्रमिकों को ऑनलाईन पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करने तथा उपलब्ध कल्याण योजनाओं की जागरुकता फैलाने की व्यवस्था; तथा**
- **उपकर के निर्धारण के उद्देश्य से निर्माण की लागत की दरों के संशोधन पर।**

अपने निष्कर्षों के आधार पर लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करती है:

- **बोर्ड तथा सलाहकार समिति का पुनर्गठन।**
- **निम्न के माध्यम से प्रतिष्ठानों के पंजीकरण की प्रणाली को परिष्कृत करना:**
  - **चालू बिलों के भुगतान या निर्माण योजनाओं के अनुमोदन के चरण में पात्र प्रतिष्ठानों एवं उनके श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए स्वघोषणा तंत्र विकसित करने हेतु उन सरकारी विभागों जो कार्य अनुबंध जारी करते है, चंडीगढ़ संपदा कार्यालय के साथ संपर्क स्थापित करना।**

- ❖ **बोर्ड को निर्माण श्रमिकों के लिए सुविधाओं के साथ-साथ सुरक्षा मानदण्डों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड में पंजीकरण हेतु पात्र प्रतिष्ठानों की पहचान करने के लिए नियमित निरीक्षण करना चाहिए।**
- ➢ **निम्नलिखित प्रकार से श्रमिकों के पंजीकरण की प्रणाली को परिष्कृत करना:**
    - ❖ **पंजीकृत श्रमिकों का पता लगाने वाली प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता है; तथा उन्हें सक्रिय रखने के लिए वार्षिक नवीकरण शुल्क को माफ किया जा सकता है।**
    - ❖ **बोर्ड को आम सेवा केन्द्रों के साथ अनुबंध करके श्रमिकों को पंजीकृत करने हेतु एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।**
    - ❖ **पंजीकरण की प्रक्रिया को मोबाइल वैनों के माध्यम से श्रमिकों के संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है; तथा अच्छे परिणामों हेतु ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सहायता/मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकता है।**
- ➢ **बाजार दरों के अनुरूप उपकर के निर्धारण के उद्देश्य हेतु प्रभारित निर्माण लगात की दरों के आवधिक संशोधन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।**
- ➢ **जागरूकता कार्यक्रमों विशेषकर सोशल मीडिया के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन का सुधार तथा लाभों का समय पर प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।**

प्रस्तावना

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (बीओसीडब्ल्यू अधिनियम) को भारत सरकार द्वारा 19 अगस्त 1996 को एक सामाजिक कल्याण कानून के रूप में अधिनियमित किया गया था जिसका उद्देश्य देश भर में भवन एवं निर्माण गतिविधियों में लगे श्रमिकों को लाभ पहुँचाना है। इस अधिनियम को 1 मार्च 1996 से लागू माना गया था। इस अधिनियम ने *अन्य बातों के साथ साथ* एक भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के गठन तथा प्रत्येक राज्य द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को लागू करने हेतु नियमावली तैयार करना अनिवार्य किया।

तदनुसार जुलाई 2008 में "चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड" (सीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड) का गठन किया गया था तथा चंडीगढ़ प्रशासन ने कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन, जैसा बीओसीडब्ल्यू अधिनियम में प्रवधान किया गया है, हेतु वर्ष 2009 में सीबीओसीडब्ल्यू नियमावली को अधिसूचित किया। चंडीगढ़ प्रशासन ने भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) के अधिदेशानुसार नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर एक *प्रतिशत* की दर से श्रम उपकर की वसूली को कार्यान्वित किया।

3.4.1 सीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड के कार्य/उत्तरदायित्व

सीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड (बोर्ड) (क) दुर्घटना की स्थिति में लाभार्थी[64] को तत्काल सहायता प्रदान करने; (ख) साठ वर्ष की आयु पूरी कर चुके लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान करने; (ग) लाभार्थी को घर के निर्माण हेतु उतनी राशि तक तथा उन नियमों एवं शर्तों पर, जैसा निर्धारित किया जाए, ऋण एवं अग्रिम संस्वीकृत करने; (घ) लाभार्थियों की समूह बीमा योजना के लिए प्रीमियम के संबंध में उतनी राशि का भुगतान करने जैसा निर्धारित किया जाए; (ङ) लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा हेतु उतनी वित्तीय सहायता प्रदान करना जैसा निर्धारित किया जाए; (च) लाभार्थी अथवा ऐसे आश्रित की गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु चिकित्सा व्ययों को पूरा करना जैसा निर्धारित किया जाए; (छ) महिला लाभार्थियों को मातृत्व लाभ का भुगतान करने; तथा (ज) ऐसे अन्य निर्धारित कल्याणकारी उपायों एवं सुविधाओं का प्रावधान एवं सुधार करने जैसा निर्धारित किया जाए के लिए उत्तरदायी है।

सीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड के पदाधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व

- श्रम विभाग, चंण्डीगढ़ के सचिव बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं तथा बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

---

64 लाभार्थी का तात्पर्य बीओसीडब्ल्यू अधिनियम 1996 की धारा 12 के अंतर्गत पंजीकृत भवन निर्माण श्रमिक से है

- श्रम आयुक्त, यूटी, चंडीगढ़ बोर्ड के पदेन सचिव और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। वह बोर्ड के कार्यकरण के समग्र नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी है। वह व्यय एवं अन्य आकास्मिक व्ययों, आपूर्तियों एवं सेवाओं तथा सामग्री की खरीद को संस्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत हैं। बोर्ड के सचिव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट की सीमा तक पूर्ण वित्तीय अधिकार है।
- श्रम विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं[65] के अनुसार, संयुक्त सचिव (सहायक श्रम आयुक्त) बीओसीडब्ल्यू अधिनियम 1996 के प्रयोजन हेतु तथा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियमावली 1998 के अनुसार क्रमशः पंजीकरण अधिकारी तथा निर्धारण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वह बोर्ड के सचिव के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे।
- बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 43(1)(ए) बोर्ड के निरीक्षकों को किसी भी प्रतिष्ठान के परिसर जहाँ निर्माण कार्य किया जा रहा है, का निरीक्षण करने का अधिकार प्रदान करती है जो किसी भी अपंजीकृत नियोक्ता/लाभार्थियों की पहचान करने में मदद करेगा।

3.4.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि सीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड के गठन तथा कार्यकरण, प्रतिष्ठानों/निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण, निधि के उपयोग तथा कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में कमियाँ थी।

3.4.2.1 सीबीओसीडब्लूडब्ल्यू बोर्ड का गठन तथा कार्यकरण

बोर्ड का कार्य अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि पात्र लाभार्थियों को दुर्घटना लाभों, बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय

---

[65] अधिसूचना संख्या 12/2/25-एचआईआई(4)-99/9190 दिनांक 13.05.1999 और 1849-एचआईआई(2)-2008/19141 दिनांक 06.10.2008

सहायता, मातृत्व लाभ, चिकित्सा व्ययों आदि के संदर्भ में विभिन्न कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराए गए हैं। सीबीओसीडब्ल्यू नियमावली अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए विभिन्न समितियों के गठन का प्रावधान करती है। लेखापरीक्षा ने बोर्ड तथा समितियों के गठन तथा कार्यकरण में निम्नलिखित कमियाँ पाई।

i) चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन न होना

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम 1996 की धारा 18 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत तिथि से एक बोर्ड को नियुक्त, गठन करेगी जिसे (राज्य का नाम) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के नाम से जाना जाएगा जो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को लागू करने तथा इसको सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करेगा। बोर्ड में एक अध्यक्ष, केन्द्र सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति और अधिकतम पन्द्रह ऐसे सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि बोर्ड में राज्य सरकार, नियोक्ताओं और भवन निर्माण श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या समान होगी तथा बोर्ड में कम से कम एक महिला सदस्य होगी। बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्षों का है।

सीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2009 के नियम 254 में प्रावधान है कि बोर्ड गतिविधियों की निगरानी के लिए आमतौर पर छः माह में एक बार बैठक करेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि नवम्बर 2018 में गठित बोर्ड का कार्यकाल 01 नवम्बर 2021 को समाप्त हो गया था। चंडीगढ़ प्रशासन ने अब तक (जनवरी 2024) नए बोर्ड का पुनर्गठन नहीं किया था। आगे यह पाया गया कि सितंबर 2019 के बाद से बोर्ड की कोई बैठक नहीं की गई थी। पदेन तथा नामांकित सदस्यों से युक्त उचित रुप से पुनर्गठित बोर्ड के अभाव में बोर्ड की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियां बोर्ड के पदेन सदस्यों द्वारा की जा रही है।

ii) चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति द्वारा बैठकें न करना

बोओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 4 प्रावधान करती है कि राज्य सरकार चंडीगढ़ प्रशासन को इस अधिनियम के क्रियान्वयन से उजागर ऐसे मामलों, जो इसे संदर्भित किए जाए, पर सलाह देने के लिए चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति (सीबीओसीडब्ल्यूएसी) नामक एक समिति का गठन करेगी। यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ नियोक्ताओं तथा निर्माण श्रमिकों का भी प्रतिनिधित्व कर सकती है।

नियम 20 के अनुसार, समिति कम से कम छः माह में एक बार बैठक करेगी।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला (नवम्बर 2023) कि सीबीओसीडब्ल्यूएसी का गठन 11 मई 2020 को किया गया था। तथापि, इसकी स्थापना के बाद से कोई बैठक नहीं हुई थी। इसके परिणामस्वरुप कार्यान्वयन प्रक्रिया में श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं हो पाई थी।

iii) विशेषज्ञ समितियों का गठन न करना

अधिनियम की धारा 5(1) अनुबंध करती है कि सरकार, अधिनियम के अंतर्गत नियमावली तैयार करने हेतु सरकार को सलाह देने के लिए विशेषतौर पर भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में योग्य व्यक्तियों को शामिल करके एक या अधिक विशेषज्ञ समितियों का गठन कर सकती है।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2023) कि 2008 में बोर्ड के गठन के बाद से किसी विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं किया गया था।

इंगित किए जाने पर (नवम्बर 2023) बोर्ड[66] (नवम्बर 2023) ने बताया कि बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में फाईल प्रक्रियाधीन थी तथा जैसे ही इसका पुनर्गठन किया जाएगा बैठकें आयोजित की जाएंगी। विशेषज्ञ समितियों के संबंध में बोर्ड ने बताया (दिसम्बर 2023) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

नियमित बोर्ड के पुनर्गठन में विलम्ब तथा नियमित रूप से इसकी बैठके न करना अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड के गठन के मुख्य उद्देश्य को ही विफल करता है। इसके परिणामस्वरुप न केवल बोर्ड द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होगी बल्कि नियोक्ताओं, निर्माण श्रमिकों के प्रतिनिधियों तथा महिला सदस्यों, जो व्यवस्था में प्राथमिक हितधारक हैं, से प्राप्त किए जाने वाले इनपुट से भी कल्याण तंत्र वंचित होगा।

चूंकि बोर्ड ने सितंबर 2019 से बैठक नहीं की थी इसलिए यह असंभव है कि मध्यवर्ती अवधि के दौरान सलाहकार समिति को कोई भी मामला संदर्भित किया गया हो जिसने ऐसी समिति के गठन के मुख्य उदेश्य को ही विफल किया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के कार्यकाल के दौरान भी सलाहकार समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ दर्शाती है कि अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु गठित की जाने वाली शासन संरचना लगातार सक्रिय नहीं थी जिससे प्राथमिक हितधारकों से इनपुट प्राप्त करने की प्रक्रिया से वंचित रहना पड़ा तथा इसका कार्यकरण भी त्रूटिपूर्ण था जिसे अनुवर्ती लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा बोर्ड के पुनर्गठन तथा बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण एवं निगरानी हेतु नियमित रूप से इसकी बैठकें आयोजित करने की सलाह देता है।

---

[66] संयुक्त सचिव, सीबीओसीडब्ल्यू बोर्ड, यूटी चंडीगढ़ (बोर्ड के स्थायी पदेन सदस्य होने के नाते) द्वारा दिए गए उत्तरों को बोर्ड से प्राप्त उत्तरों के रूप में माना गया है।

3.4.2.2 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 की धारा 1(4) प्रावधान करती है कि यह अधिनियम सभी प्रतिष्ठानों, जो किसी भी भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में दस या अधिक निर्माण श्रमिकों को रोजगार देता है या पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी भी दिन रोजगार दे चुका है, पर लागू होता है।

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 की धारा 7 में अधिनियम के लागू होने के साठ दिनों की अवधि के भीतर या इस अधिनियम के प्रतिष्ठान पर लागू होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर पंजीकरण अधिकारी के पास प्रतिष्ठान के पंजीकरण का प्रावधान करती है।

सीबीओसीडब्ल्यू नियम 26(ई) के अनुसार नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत तैयार की गई नियमावली का अनुपालन करेगा।

सीबीओसीडब्ल्यू नियमावली का नियम 23 प्रतिष्ठानों के पंजीकरण हेतु आवेदन करने की पद्धति को विनिर्दिष्ट करता है।

प्रतिष्ठानों का पंजीकरण नियोक्ता को निर्माण श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे, कल्याण उपायों, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों तथा कार्य की अन्य शर्तों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के प्रति उत्तरदायी बनाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2023[67] तक केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कुल 161 प्रतिष्ठान पंजीकृत किए गए थे जिसमें 10 प्रतिष्ठान शामिल थे जिन्हें वर्ष 2020-23 के दौरान पंजीकृत किया गया था, जैसा **तालिका संख्या 3.1** में दर्शाया गया है।

---

[67] बोर्ड के गठन के बाद

तालिका सं. 3.1: 2020-21 से 2022-23 तक पंजीकृत प्रतिष्ठानों की स्थिति

क्र.सं	वर्ष	पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कुल संख्या
1.	2020-21	2
2.	2021-22	1
3.	2022-23	7
कुल		**10**

लेखापरीक्षा ने अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों की पहचान तथा प्रतिष्ठानों के पंजीकरण की प्रक्रिया में कमियाँ पाई जैसा अनुवर्ती पैराग्राफो में चर्चा की गई है।

i) प्रतिष्ठानों की पहचान करने तथा उन्हे पंजीकृत करने का तंत्र

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम 1996 की धारा 1(4) तथा 7(बी) के कार्यान्वयन के संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया:

- उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 के अनुसार, सीबीओसीडब्ल्यू नियमावली के अंतर्गत उद्ग्रहित श्रम उपकर को प्रत्येक नियोक्ता से इस प्रकार तथा ऐसे समय पर वसूला जाएगा जिसमें किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के भवन या अन्य निर्माण कार्य के संबंध में स्रोत पर कटौती या ऐसे स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से अग्रिम की वसूली शामिल है, जहाँ ऐसे भवन या अन्य निर्माण कार्य के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन अपेक्षित है। वसूली गई उपकर की प्राप्तियों को उपकर एकत्रित कर रहे स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को अदा किया जाएगा।

  इस नियमावली के अनुपालन में, सरकारी साईटों के मामले में उपकर को बोर्ड के खाते में भुगतान के विभिन्न तरीकों (चैक/डीडी/एनईएफटी) से जमा किया जा रहा है। प्रत्येक सरकारी विभाग द्वारा पिछले महीने के दौरान उस विभाग द्वारा किए जा रहे, चालू निर्माण कार्यों से काटे गए उपकर के बारे में प्रत्येक माह एक समेकित रिपोर्ट बोर्ड को भेजी जा रही है। निजी निर्माण साईटों के

मामले में, उपकर व्यक्तिगत रूप से सम्पदा कार्यालय से साईट प्लानों का अनुमोदन प्राप्त करने के समय जमा किया जाता है। मासिक आधार पर, सम्पदा आधिकारी अनुमोदित योजनाओं के प्रति व्यक्तिगत अभिकरणों द्वारा जमा किए गए उपकर की रिपोर्ट बोर्ड को देता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ये रिपोर्ट बोर्ड के क्षेत्राधिकार में किए जा रहे निर्माण कार्यों की सूचना का स्वतंत्र स्त्रोत हैं तथा इसका उपयोग यह सत्यापित किए जाने हेतु किया जा सकता है कि क्या अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण हेतु शेष सभी प्रतिष्ठानों को विधिवत पंजीकृत किया गया है। तथापि, यह पाया गया कि बोर्ड में निगरानी तथा अनुपालन हेतु इस डाटा को एकत्र करने तथा विश्लेषण करने का कोई तंत्र नहीं था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 169 अपंजीकृत निजी प्रतिष्ठानों से ऑफलाइन मोड के माध्यम से 2020-23 के दौरान कुल ₹ 9.65 करोड़ (₹ 1.00 लाख से ₹ 4.16 करोड़ के बीच) का कुल उपकर एकत्र किया गया था। इन निजी प्रतिष्ठानों द्वारा जमा किए गए उपकर की राशि का तात्पर्य है कि इन निर्माण कार्यों की निर्माण लागत ₹ एक करोड़ से ₹ 416 करोड़[68] के बीच थी। इस अवधि के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किए गए चालू निर्माण कार्यों हेतु कुल ₹ 9.07 करोड़ (₹ 1.00 लाख से ₹ 84.28 लाख के बीच) का उपकर जमा किया गया था। ये सभी निर्माण कार्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत भी नहीं थे। बोर्ड यह सत्यापित करने में विफल रहा कि क्या इन साईटों पर दस से अधिक निर्माण श्रमिकों को रोजगार दिया गया था जिसके लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के साथ पंजीकरण की आवश्यकता है। इसने यह दर्शाया कि बोर्ड के पास यह क्रास जांच करने का कोई निगरानी तंत्र स्थापित नहीं था कि चालू निर्माण कार्य निजी या फिर सरकारी अभिकरणों द्वारा किया जा रहा है।

---

[68] निर्माण लागत की एक प्रतिशत की दर पर श्रम उपकर लगाया जा रहा है।

बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2023) कि प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करने हेतु भविष्य में और अधिक प्रयास किए जाएंगे।

- इसके अतिरिक्त, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 43(1)(ए) बोर्ड के निरीक्षकों को किसी भी प्रतिष्ठान, जहाँ निर्माण कार्य किया जा रहा है, के परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार प्रदान करती है जो किसी भी अपंजीकृत नियोक्ता/लाभार्थी की पहचान करने में मदद करेगा।

  लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड ने न तो निरीक्षण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए थे और न ही बोर्ड के निरीक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षणों का कोई विस्तृत डाटा अनुरक्षित किया था। लेखापरीक्षा में शामिल की गई अवधि अर्थात् 2020-21 से 2022-2023 के दौरान निरीक्षकों द्वारा केवल 25 निर्माण साईटों का निरीक्षण किया गया था जिसमें से 8 प्रतिष्ठान बोर्ड में पंजीकृत थे। बोर्ड ने लेखापरीक्षा को बोर्ड के निरीक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षणों की कोई विस्तृत रिपोर्ट प्रदान नहीं की जिससे यह जांच की जा सके कि निरीक्षण किए गए शेष 17 प्रतिष्ठानों की स्थिति क्या थी। यह भी पाया गया था कि इसने वर्ष/आवधिक रूप से किए जाने वाले निरीक्षणों का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था।

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मॉडल कल्याण योजना (अक्तूबर 2018) के अनुसार, राज्य में चल रही निर्माण गतिविधियों की जीआईएस तकनीक/मैपिंग आदि का उपयोग करके नियमित निगरानी की जानी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड द्वारा ऐसा कोई निगरानी तंत्र विकसित नहीं किया गया था।

बोर्ड ने लेखापरीक्षा बिन्दु को स्वीकार किया तथा बताया कि वह भविष्य में इसका अनुपालन करेगा।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा बोर्ड का उत्तर पुष्टि करते हैं कि संबंधित अभिकरणों से प्राप्त डाटा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करने तथा मिलान करने या योग्य प्रतिष्ठानों की पहचान करने तथा पंजीकृत करने हेतु साईटों के आवधिक रूप से निरीक्षणों का प्रणालीगत अनुपालन करने का कोई तंत्र नहीं था।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि बोर्ड को या तो चालू बिलों के भुगतान या फिर निर्माण योजनाओं के अनुमोदन के चरण में पात्र प्रतिष्ठानों तथा उनके श्रमिकों के पंजीकरण को सुनिश्चित करने हेतु स्वं-घोषणा तंत्र को विकसित करने के लिए उन सरकारी विभागों जो कार्य अनुबंध जारी करते है तथा चंडीगढ़ संपदा कार्यालय के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए।

बोर्ड को निर्माण श्रमिकों के लिए सुविधाओं की उपलब्धता के साथ साथ सुरक्षा मानदण्डों को सुनिश्चित करने हेतु उन प्रतिष्ठानों जिन्हें बोर्ड में पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता है, की पहचान करने के लिए नियमित निरीक्षण करने चाहिए।

ii) नियोक्ता द्वारा निर्धारित वार्षिक रिटर्न का गैर-प्रस्तुतीकरण

सीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2009 का नियम 242 अनुबंध करता है कि एक पंजीकृत प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत के बाद 15 फरवरी तक निर्धारित प्रारूप (फार्म XXV) में उस प्रतिष्ठान से संबंधित वार्षिक रिटर्न उनके क्षेत्राधिकार के पंजीकरण अधिकारी को प्रेषित करेगा।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया (अक्तूबर 2023) कि अपनी स्थापना के बाद से बोर्ड को पंजीकृत प्रतिष्ठानों से कोई भी वार्षिक रिटर्न प्राप्त नहीं हो रही है। रिटर्न के गैर-प्रस्तुतीकरण के मामले में जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है जिससे यह नियम अप्रभावी हो गया है।

बोर्ड ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2024) और सहमति व्यक्त की कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भविष्य में कड़ी अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि इस रिटर्न को प्रस्तुत करने को प्रभावी बनाने के लिए गैर-अनुपालन के मामले में दण्डात्मक निहितार्थ सहित इसे अनिवार्य किया जा सकता है।

iii) कार्य के प्रारम्भ होने से संबंधित सूचना के गैर-प्रस्तुतीकरण के परिणामस्वरूप जुर्माने की गैर-वसूली

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 46 के साथ पठित सीबीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2009 का नियम 239(1) प्रावधान करता है कि प्रत्येक नियोक्ता अपने नियंत्रण के अधीन किसी भी भवन या अन्य निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से कम से कम 30 दिन पहले उस क्षेत्राधिकार के निरीक्षक को उस भवन या अन्य निर्माण कार्य के प्रारम्भ की वास्तविक तिथि या समापन की संभावित तिथि की सूचना देते हुए एक लिखित नोटिस प्रेषित करेगा अथवा प्रेषित करवाएगा। इसके अतिरिक्त, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 48 यह अनुबंध करती है कि यदि कोई नियोक्ता निर्माण के प्रारम्भ का नोटिस देने में विफल होता है तो उसे तीन महीने तक की कैद या ₹ 2000 तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2023) कि नियमावली की शुरुआत से नियोक्ताओं द्वारा कार्य प्रारम्भ करने का कोई नोटिस प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा वर्ष 2020-23 के दौरान चूककर्ता नियोक्ताओं पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, इस सूचना की अनुपलब्धता के कारण बोर्ड कार्य साईट पर किसी भी सुरक्षा मानदण्डों के उल्लंघन या दुर्घटनाओं से अवगत नहीं होगा।

बोर्ड ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2024) तथा सहमति व्यक्त की कि उसे निर्माण कार्यों के प्रारम्भ तथा समापन के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी तथा इस बिन्दु को भविष्य में कड़ी अनुपालना हेतु नोट भी किया है।

3.4.2.3 निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 की धारा 12(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक भवन निर्माण श्रमिक जिसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है परंतु साठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है तथा जो पिछले बारह माह के दौरान कम से कम नब्बे दिनों तक किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में लगा रहा है, वह इस अधिनियम के अंतर्गत एक लाभार्थी के रूप में पंजीकरण का पात्र होगा।

सीबीओसीडब्ल्यू नियमावली 2009 का नियम 269(4) प्रावधान करता है कि प्रत्येक निर्माण श्रमिक जो निधि हेतु एक लाभार्थी बनने का पात्र है, सचिव अथवा इस संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को फार्म सं. XXVIII में एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ पच्चीस रुपये के पंजीकरण शुल्क सहित इस नियम में उल्लेखित दस्तावेज सलंग्न करने होगें।

निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण में पाई गई अनियमितताओं की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफो में की गई है।

i) छूटे हुए बीओसी श्रमिकों के पंजीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सभी पात्र बीओसीडब्ल्यू श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा छत्र प्रदान करने की धारणा से मिशन मोड परियोजना[69] को कार्यान्वित करने का निदेश दिया (जुलाई 2020)। प्रथम घटक की परिकल्पना चंडीगढ़ में 34,102 अनुमानित बीओसीडब्ल्यू श्रमिकों के पंजीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीन महीनों के भीतर सभी छूटे हुए निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण करने की थी जिसमें से 23,718 श्रमिक पहले से ही बोर्ड के पास पंजीकृत थे।

---

69 भारत सरकार द्वारा एमएमपी को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारम्भ किया गया था कि सभी छूटे हुए बीओसीडब्ल्यू श्रमिकों को पंजीकृत किया जाए ताकि वे कोविड अवधि के दौरान केंद्र/राज्य सरकार की कल्याणकारी/सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकें।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2023) कि 10,384 अपंजीकृत श्रमिकों के लक्ष्य के सापेक्ष में जुलाई से सितंबर 2020 के दौरान (तीन महीनों के लिए मिशन मोड परियोजना के अधीन) किसी भी बीओसीडब्ल्यू श्रमिक का पंजीकरण नहीं किया गया था। 31 मार्च 2024 तक केवल 30,051 पंजीकृत श्रमिक थे।

बोर्ड ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2023) तथा बताया कि इस अवधि के दौरान कोई नया कार्ड जारी नहीं किया गया था। किसी नए बीओसीडब्ल्यू श्रमिक का पंजीकरण नहीं किया गया था क्योंकि निर्माण गतिविधियाँ कोविड के कारण रोक दी गई थीं तथा उसने बोर्ड परिसर में शिविर लगाए थे। बोर्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत उसे श्रमिकों की कालोनियों, लेबर चौक तथा ऐसे अन्य स्थानों पर शिविर लगाने थे तथा अभिकल्पित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फील्ड में ऑनलाइन पंजीकरण सुविधाएं स्थापित करनी थी। इस प्रकार, मिशन मोड परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया था।

ii) सक्रिय[70] पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में गिरावट

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 11 ने प्रावधान किया कि इस अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत प्रत्येक निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा अपनी निधि से प्रदत्त लाभों का पात्र होगा। सीबीओसीडब्ल्यू नियम 270(1) के अनुसार, निधि का लाभार्थी निधि में उस दर पर अंशदान करेगा जैसा समय समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। नियम 270(2) के अनुसार, यदि लाभार्थी एक वर्ष की अवधि तक लगातार अंशदान के भुगतान में चूक करता है तो वह निधि का लाभार्थी नहीं रहेगा।

सीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड की 8वीं बैठक (28 सितंबर 2016) में यह निर्णय लिया गया था कि लाभार्थी श्रमिक द्वारा वार्षिक आधार पर भी ₹ 5.00 का मासिक नवीकरण शुल्क जमा किया जा सकता है। ₹ 60 का यह वार्षिक अंशदान श्रमिक को निधि के अंतर्गत योजनाओं के लाभों के लिए भागीदार बनाएगा।

---

70 ऐसे श्रमिक जो सीबीओसीडब्ल्यू नियम 270 (1) के अनुसार निधि में अंशदान कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2023) कि 2009 में बोर्ड की स्थापना से 31 मार्च 2024 तक कुल 30,051 श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत थे। 9,976 श्रमिक 2020-21 के दौरान सक्रिय थे, 3,426 श्रमिक 2021-22 के दौरान सक्रिय थे तथा 2,670 श्रमिक 2022-23 के दौरान सक्रिय थे जबकि 31 मार्च 2024 तक केवल 2,298 सक्रिय श्रमिक थे जैसा कि **तालिका संख्या 3.2** में विवरण दिया गया है:

तालिका सं. 3.2: सक्रिय श्रमिकों की संख्या

क्र.सं.	वर्ष	सक्रिय श्रमिकों की संख्या
1.	2020-21	9,976
2.	2021-22	3,426
3.	2022-23	2,670
4.	2023-24	2,298

इसलिए, सक्रिय श्रमिकों की संख्या में घटती हुई प्रवृत्ति थी। बोर्ड ने श्रमिकों की सदस्यता के नवीकरण तथा नए श्रमिकों को जोड़ना सुनिश्चित नहीं किया था जिसके कारण सक्रिय श्रमिकों की संख्या ने घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया।

बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2023) कि आवेदनों के लिए ऑनलाइन मोड मई 2022 से लागू है तथा आवेदनों को आवेदकों द्वारा संलग्न अनिवार्य दस्तावेजों की कमी तथा आवेदकों द्वारा उनके आवेदन प्रपत्रों में उल्लिखित निर्माण साईट पर उनकी अनुपलब्धता के कारण अस्वीकृत किया गया था। श्रमिकों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया गया था तथा उन्हें दस्तावेज पूरे करने का उचित अवसर प्रदान किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ऑनलाइन मोड के कार्यान्वयन से पहले, 2020-21 से 2021-22 तक (कोविड के बाद की अवधि) सक्रिय श्रमिकों की संख्या में भारी गिरावट आई थी तथा यह प्रवृत्ति जारी रही। आवेदनों को अस्वीकृत करने से पहले मार्गदर्शन/व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने का कोई तंत्र नहीं था।

लेखापरीक्षा की राय है कि पंजीकृत श्रमिकों का पता लगाने हेतु एक प्रणाली तैयार किए जाने की आवश्यकता है तथा उन्हें सक्रिय रखने के लिए वार्षिक नवीकरण शुल्क को माफ किया जा सकता है।

iii) पंजीकरण हेतु आवेदनों की अधिक संख्या में अस्वीकृति

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 12(2) प्रावधान करती है कि पंजीकरण हेतु आवेदन ऐसे प्रपत्र में किया जाएगा जिसे बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। धारा 12(4) ने प्रावधान किया कि उप-धारा (2) के अधीन बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इससे संतुष्ट है कि आवेदक ने इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत तैयार नियमावली के प्रावधान का अनुपालन किया है, तो वह इस अधिनियम के अंतर्गत एक लाभार्थी के रूप में निर्माण श्रमिक के नाम का पंजीकरण करेगा तथा आगे यह भी प्रावधान किया कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना पंजीकरण हेतु आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

तालिका सं. 3.3: नए मामले

क्र.सं.	वर्ष	अथ शेष	नए पंजीकरण प्राप्त	स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित	अस्वीकृति की प्रतिशतता
1.	2020-21	0	6305	4,079	2,226	0	35%
2.	2021-22	0	1956	893	748	315	38%
3.	2022-23	315	59 (ऑफलाइन)	374 (ऑफलाइन)	0	0	0%
			581 (ऑनलाइन)	376 (ऑनलाइन)	205 (ऑनलाइन)	0	35%

तालिका सं. 3.4: नवीकरण पंजीकरण

क्र. सं.	वर्ष	अथ शेष	नए पंजीकरण प्राप्त	स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित	अस्वीकृति की प्रतिशतता
1.	2020-21	0	5897	5,897	0	0	0
2.	2021-22	0	3498	2,533	552	413	15%
3.	2022-23	413	151 (ऑफलाइन)	564 (ऑफलाइन)	0	0	0
			1735 (ऑनलाइन)	1,356 (ऑनलाइन)	379 (ऑनलाइन)	-	21%

2020-2023 की अवधि के लिए अभिलेखों की संवीक्षा (दिसंबर 2023) ने दर्शाया कि 2021-22 से 2022-23 के दौरान नए पंजीकरण के मामले में पंजीकरण हेतु आवेदनों की अस्वीकृति दर 35 *प्रतिशत* से 38 *प्रतिशत* के बीच थी **(तालिका सं. 3.3)** जबकि नवीकरण मामलों **(तालिका सं. 3.4)** के मामले में

अस्वीकृति की प्रतिशतता में 15 *प्रतिशत* से 21 *प्रतिशत* तक की वृद्धि हुई थी। अस्वीकृत प्रपत्रों पर उल्लेखित प्रमुख कारण: श्रमिक का साईट पर मौजूद न होना, अपूर्ण प्रपत्र, उपयुक्त पता न देना, आदि थे।

बोर्ड ने स्वीकार किया (दिसंबर 2023 एवं मार्च 2024) कि अस्वीकृति के मुख्य कारण आवेदकों द्वारा संलग्न दस्तावेजों की कमी तथा भौतिक निरीक्षण के समय साईट पर श्रमिकों की गैर-मौजूदगी थी। बोर्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पंजीकरण तथा नवीकरण प्रक्रिया हेतु श्रमिकों को सहायता प्रदान करके नए पंजीकरण/पंजीकरण के नवीकरण को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रयासों की कमी थी।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि बोर्ड को आम सेवा केन्द्रों (सीएससी) के साथ अनुबंध करके श्रमिकों को पंजीकृत करने तथा प्रत्येक पंजीकरण हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने का एक तंत्र विकसित करना चाहिए। पंजीकरण की प्रक्रिया को मोबाइल वैन के माध्यम से इन श्रमिकों के सकेन्द्रण के क्षेत्रों में उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है तथा अच्छे परिणामों हेतु ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सहायता/मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकता है।

iv) नए श्रमिकों के पंजीकरण हेतु प्रयासों की कमी

सीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू की 11वीं बैठक में सचिव (श्रम)-सह-अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि उन श्रमिकों, जिन्होंने बोर्ड की योजनाओं से लाभ लिया है, के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन किया जाना चाहिए तथा ऐसे कार्यक्रमों का प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक श्रमिक बोर्ड के पास पंजीकृत होने को प्रोत्साहित हो। इसके अतिरिक्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु परिचालित (अक्तूबर 2018) मॉडल कल्याण योजना के अनुसार प्रतिष्ठानों, श्रमिकों के पंजीकरण तथा उपकर के संग्रहण हेतु तंत्र को मजबूत किये जाने के लिए कुछ उपाय किए जाने थे। इनसे संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर नीचे चर्चा की गई है:

- भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के उद्देश्य हेतु स्थानीय/नगरपालिका/पंचायत स्तर पर अधिकारियों को नियुक्त/प्रतिनियुक्त किया जाना था।

  लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड द्वारा ऐसी कोई पहल नहीं की गई थी। स्थानीय/नगरपालिका स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति/शक्तियों का प्रत्यायोजन न करने के कारण श्रमिकों का पंजीकरण काफी कम रहा। 31 मार्च, 2024 तक बोर्ड के पास केवल 2,298 सक्रिय पंजीकृत श्रमिक हैं।

  बोर्ड ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया (दिसंबर 2023) कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

- जागरुकता अभियानों का आयोजन करने तथा श्रमिकों के पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य के लिए प्रमुख श्रमिक चौकों/अड्डों पर शिविर लगाना/सुविधा केन्द्र बनाना बोर्ड का उत्तरदायित्व था।

  तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ऐसे कार्यक्रमों पर बोर्ड द्वारा कोई व्यय नही किया गया था।

  बोर्ड ने बताया कि बोर्ड द्वारा इस गतिविधि पर कोई व्यय नहीं किया गया था तथा अधिकतर जागरूकता शिविर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित किए गए थे।

  बोर्ड का उत्तर लेखापरीक्षा तर्क की पुष्टि करता है।

- श्रमिकों के प्रवास के मामले का निपटान करने के लिए प्रत्येक राज्य को पंजीकृत बीओसी श्रमिक को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) आवंटित करनी थी तथा पंजीकरण तथा नवीकरण की स्थिति सहित पंजीकृत श्रमिकों तथा उनके परिवारों के पूर्ण विवरण को "केवल पढ़ने" के मोड पर राज्य वेब पोर्टल तथा राष्ट्रीय बीओसीडब्ल्यू पोर्टल पर अपलोड करना था ताकि अन्य राज्यों द्वारा इसका उपयोग किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पंजीकृत बीओसी श्रमिकों को एक पंजीकरण संख्या आवंटित की जा रही थी परंतु यह यूआईएन नहीं थी क्योंकि वह केवल केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए वैध थी तथा डाटा को मई 2022 से serviceonline.gov.in पर अपलोड किया गया था परंतु यह अन्य राज्यों के लिए सुलभ नहीं था। यह पंजीकृत श्रमिकों को अन्य राज्यों में पंजीकरण का लाभ उठाने से रोकता है जहाँ वे नौकरी के अवसरो के लिए जा सकते है।

बोर्ड ने उत्तर दिया कि वह सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में अपनी सभी सेवाएं प्रदान कर रहा है तथा बोर्ड द्वारा आवंटित यूआईएन केवल केन्द्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के लिए वैध है।

तथ्य यह है कि डाटा अन्य राज्यों के लिए सुलभ नहीं था तथा इसका अखिल भारतीय कवरेज नहीं था।

3.4.2.4 निधि का प्रबंधन तथा उपयोग

बोर्ड की निधियों का मुख्य स्त्रोत इसके द्वारा उद्ग्रहित श्रम उपकर है। उपकर अधिनियम 1996 की धारा 3(1) के अनुसार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियम) अधिनियम, 1996 के प्रयोजन हेतु उस दर पर उपकर लगाया जाएगा तथा वसूला जाएगा जो नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत के दो *प्रतिशत* से अधिक नहीं होगा परंतु एक *प्रतिशत* से कम भी नहीं होगा जैसा केन्द्र सरकार समय समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित कर सकती है। धारा 3(2) के अनुसार, उप-धारा (1) के अंतर्गत वसूले गए उपकर को प्रत्येक नियोक्ता से, इस प्रकार और ऐसे समय पर वसूला जाएगा जिसमें सरकार के या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के भवन एवं अन्य निर्माण कार्य के संबंध मे स्त्रोत पर कटौती अथवा स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से अग्रिम संग्रह शामिल हैं जहां ऐसे भवन एवं अन्य निर्माण के लिए ऐसे स्थानीय प्राधिकरण से अनुमोदन अपेक्षित है, जैसा निर्धारित किया जाए। धारा 3(3) प्रावधान करती है कि उप-धारा (2) के अधीन एकत्रित उपकर की प्राप्तियों को उपकर की वसूली करने वाले स्थानीय

प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा ऐसे उपकर की वसूली की लागत जो एकत्रित राशि के एक *प्रतिशत* से अधिक न हो, की कटौती करके बोर्ड को अदा किया जाएगा।

2020-23 की अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा निधियों की प्राप्ति तथा उपयोग का विवरण नीचे **तालिका सं. 3.5** में दिया गया है।

तालिका सं. 3.5: निधियों की प्राप्ति तथा उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	एकत्रित उपकर	नए पंजीकरण के लिए शुल्क	लाभार्थी अंशदान (नवीकरण)	अर्जित ब्याज	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अंत शेष	व्यय का *प्रतिशत*
2020-21	156.46	12.73	0.03	0.05	8.00	177.27	5.34	171.93	3.01
2021-22	171.93	15.26	0.01	0.01	7.74	194.95	5.30	189.65	2.71
2022-23	189.65	21.93	0.01	0.02	10.35	221.96	5.31	216.65	2.39
कुल		**49.92**	**0.05**	**0.08**	**26.09**		**15.95**		

i) निर्माण की लागत में संशोधन न किए जाने के कारण श्रम उपकर का संभावित कम निर्धारण

श्रम विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, संयुक्त सचिव (सहायक श्रम आयुक्त) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियमावली 1998 के प्रायोजन हेतु निर्धारण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

उपकर अधिनियम 1996 की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, इस प्रकार से तथा ऐसे समय पर ऐसी रिटर्न प्रस्तुत करेगा जैसा निर्धारित किया जाए। यदि भवन या अन्य निर्माण कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, जो धारा 3 के अधीन उपकर अदा करने का उत्तरदायी है, उपधारा (1) के अधीन कोई रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल होता है तो अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को नोटिस देकर यह अपेक्षा करेगा कि वह नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि से पूर्व रिटर्न प्रस्तुत करेगा।

इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, वह अधिकारी या प्राधिकारी जिसे धारा 4 के अधीन रिटर्न प्रस्तुत की गई है, ऐसी जांच करने या करवाने, जैसा वह उचित समझे, के पश्चात तथा स्वयं संतुष्ट होने कि रिटर्न में वर्णित विवरण सही है के पश्चात, आदेश द्वारा, नियोक्ता द्वारा देय उपकर की राशि का निर्धारण करेगा। यदि धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारी या प्राधिकारी को रिटर्न प्रस्तुत नहीं की गई है तो वह ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात, जिसे वह उचित समझे, आदेश द्वारा, नियोक्ता द्वारा देय उपकर की राशि का निर्धारण करेगा। उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किए गए निर्धारण के आदेश में वह तिथि विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसके भीतर नियोक्ता द्वारा उपकर का भुगतान किया जाएगा।

बोर्ड ने 26 अप्रैल 2013 को अपर उपायुक्त सह अपर श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में संपदा कार्यालय, अभियांत्रिकी शाखा के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सहायक श्रम आयुक्त के साथ एक बैठक की। बैठक में निर्माण की अनुमानित लागत की एक *प्रतिशत* की दर पर श्रम उपकर प्रभारित करने का निर्णय लिया गया था जिसे मालिकों से **तालिका सं. 3.6** में दी गई निम्नलिखित दरों पर वसूला जाना है।

तालिका सं. 3.6: निर्माण की अनुमानित लागत

क्र.सं.	निर्माण का प्रकार	प्रति वर्ग फुट की दर पर परिकलित की जाने वाली निर्माण की लागत
1.	बूथ	₹ 1000/-
2.	आवासीय बिल्डिंगों/एससीओ	₹ 1500/-
3.	होटल/मॉल/आईटी बिल्डिंगों/स्कूल	₹ 2500/-
4.	पांच सितारा होटल	₹ 3000/-

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि बोर्ड ने 2013 से निर्माण की लागत की दरों का संशोधन नहीं किया था तथा वह इन दरों के अनुसार ही उपकर का निर्धारण/वसूली कर रहा है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि निर्माण की लागत प्रत्येक वर्ष बढ़ती है तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली की अनुसूचित दरों

(डीएसआर) (जो यूटी चंडीगढ़ पर भी लागू है) का भी आवधिक रूप से संशोधन किया जा रहा है। दिल्ली अनुसूचित दरें, 2013 तथा दिल्ली अनुसूचित दरें, 2023 के अनुसार 2013 से निर्माण की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जैसा **तालिका सं. 3.7** में विवरण दिया गया है।

तालिका सं. 3.7: 2013 से 2023 तक निर्माण की दरों में वृद्धि

क्र.सं.	विवरण	डीएसआर दरें 2013	डीएसआर दरें 2023	दरों की वृद्धि (प्रतिशतता में)
	श्रम की दरें			
1.	कारपेंटर प्रथम श्रेणी	393/दिन	897/दिन	128%
2.	मिस्त्री	393/दिन	897/दिन	128%
3.	पेंटर	361/दिन	816/दिन	126%
4.	बेलदार	297/दिन	736/दिन	147%
5.	भिश्ती	328/दिन	816/दिन	149%
6.	मेसन प्रथम श्रेणी	393/दिन	897/दिन	128%
7.	मेसन द्वित्तीय श्रेणी	361/दिन	816/दिन	126%
	सामग्री की दरें			
8.	बजरी	₹ 1000/घन-मीटर	₹ 1100/घन-मीटर	10%
9.	मुड़ा हुआ स्टील (विकृत टीएमटी बार)	₹ 4700/क्विंटल	₹ 5550/ क्विंटल	18%
10.	स्टोन डस्ट	₹ 1000/घन-मीटर	₹ 1100/घन-मीटर	10%
11.	जीआई पाईप 15 एमएम व्यास	₹ 85/मीटर	₹ 107/मीटर	26%
12.	जीआई पाईप 20 एमएम व्यास	₹ 110/मीटर	₹ 139/मीटर	26%
13.	स्टोन एग्रीगेटर (सिंगल साईज) 100 एमएम सांकेतिक आकार	₹ 800/घन-मीटर	₹ 1600/घन-मीटर	100%
14.	मशीन से ढाली गई सामान्य जली हुई मिट्टी की छिद्रित ईंटें	₹ 4600 प्रति 1000 सं.	₹ 5500 प्रति 1000 सं.	20%

इस अवधि के दौरान सामग्री तथा श्रम की दरों में वृद्धि 10 से 149 *प्रतिशत* के बीच थी। तथापि, बोर्ड ने, डीएसआर में वृद्धि के बावजूद, उपकर के निर्धारण के प्रयोजन हेतु प्रति वर्ग फुट निर्माण की लागत की दरों का संशोधन नहीं किया था। प्रचलित बाजार दरों/निर्माण लागत तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों (2013 में) के बीच इस बड़ी असमानता के परिणामस्वरूप उपकर के कम निर्धारण तथा वसूली की संभावना है।

दरों में 2013 से संशोधन न करने के कारण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि श्रम उपकर के निर्धारण के प्रयोजन हेतु प्रभारित प्रति वर्ग फुट निर्माण की लागत की दरों को प्रचलित बाज़ार दरों के अनुसार आवधिक रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

ii) निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु एकत्रित उपकर निधि का उपयोग न करना

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2023) कि 2020-23 के दौरान बोर्ड द्वारा ₹ 15.95 करोड़[71] (₹ 1.61 करोड़ के प्रशासनिक व्यय सहित) का व्यय किया गया था जो उस अवधि के दौरान उपलब्ध वार्षिक निधियों के 2.39 तथा 3.01 *प्रतिशत* के बीच था। इस व्यय में से, ₹ 9.66 करोड़ की राशि को कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया गया था जो उस अवधि के दौरान उपलब्ध वार्षिक निधियों के 0.86 तथा 2.09 *प्रतिशत* के बीच थी। यह दर्शाता है कि बोर्ड श्रमिकों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर रहा था।

इंगित किए जाने पर, बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2023) कि निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड ने एफएम रेडियो, चैनलों पर विभिन्न कल्याण योजनाओं का प्रसारण, विभिन्न समाचारपत्रों में विज्ञापनों, विभिन्न निर्माण साईटों

[71] इसमें कोविड काल के दौरान श्रमिकों को दी गई ₹ 3.2 करोड़ की वित्तीय सहायता, आयुष्मान और अन्य विविध व्ययों पर ₹ 1.2 करोड़ शामिल हैं।

पर हिन्दी में हैंडबिलों तथा हैंडआउट के वितरण जैसे विभिन्न प्रचार उपाय किए थे। बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याण योजनाओं के संबंध में आम जनता के बीच जागरुकता उत्पन्न करने हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों पर 2022-23 के दौरान ₹ 4.25 लाख का व्यय किया गया था।

सक्रिय पंजीकृत श्रमिकों की घटती हुई प्रवृत्ति के साथ-साथ बोर्ड के पास पड़ी अप्रयुक्त्त निधियों को देखते हुए उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

लेखापरीक्षा पंजीकरण के लाभो तथा आगे कल्याण योजनाओं तक पहुंच के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए उन स्थानों पर, जहाँ ये श्रमिक अक्सर आते है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परस्पर संवादात्मक कार्यशालाएं करने की अनुशंसा करती है। इसके अतिरिक्त, अधिक पहुंच के लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जा सकता है।

iii) कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन

कार्यान्वित योजनाओं के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

➢ **कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को विलंबित भुगतान**

2020-23 के दौरान बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन पर ₹ 9.66 करोड़ का व्यय किया गया था, जैसा **अनुलग्नक 3.3** में विवरण दिया गया है। इसमें से, कुल ₹ 8.02 करोड़ अर्थात 83 *प्रतिशत* का व्यय निम्न तीन मुख्य योजनाओं पर किया गया था:

❖ 'मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता योजना'- इस योजना के अंतर्गत बोर्ड लाभार्थी सदस्य की मृत्यु के मामले में, मृत्यु प्रमाणपत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात उनके बैंक खाते में ₹ 4.00 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लाभार्थी बोर्ड का सदस्य बनने के पहले दिन से लाभ प्राप्त करने का पात्र है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 04 अक्टूबर 2018 के आधार पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संशोधित मॉडल कल्याण योजना

के प्रावधान 1.1.3 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित समय सीमा जो लाभार्थी (पंजीकृत श्रमिक) की मृत्यु की तिथि से 60 दिनों से अधिक न हो, में मृत्यु योजना के अंतर्गत मुआवजा संवितरित किया जाएगा।

- 'कन्यादान योजना' - इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की पुत्री के विवाह प्रमाणपत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात ₹ 51,000/- की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। पंजीकृत लाभार्थी बोर्ड का लाभार्थी सदस्य बनने के छ: माह के पश्चात ही लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (जनवरी 2010) के अनुसार, लाभार्थी को संभावित रूप से छः माह के भीतर सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- 'शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना' - इस योजना के अंतर्गत, बोर्ड उस लाभार्थी श्रमिक जो छ: महीनों के लिए एक पंजीकृत श्रमिक रहा है, के बच्चों को शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (जनवरी 2010) के अनुसार, लाभार्थी को संभावित रूप से छः माह के भीतर सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय[72] के बार-बार के निर्देशों तथा योजना के प्रावधानों के बावजूद बोर्ड लाभार्थियों को समय पर भुगतान नहीं कर रहा था। लाभार्थियों को ये लाभ प्रदान करने में दो से 440 दिनों तक के बीच का विलम्ब था जैसा **तालिका सं. 3.8** में विवरण दिया गया है।

72 जनवरी 2010 और अक्टूबर 2018 में जारी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश।

तालिका सं. 3.8: लाभार्थियों को भुगतान में विलम्ब

क्र. सं.	योजना का नाम	निम्न दिनों में किया जाने वाला भुगतान	प्राप्त आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत	लाभार्थियों की कुल संख्या	मामले जिनमें भुगतान विलंबित था	भुगतान करने में विलंब (सीमा दिनों में)
1.	मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता योजना (मॉडल कल्याण योजना के अंतर्गत) तथा सर्वोच्च न्यायालय के अक्टूबर 2018 के निर्देश	60	95	10	85 (89%)	33	2 से 440 दिन
2.	कन्यादान योजना (सर्वोच्च न्यायालय के जनवरी 2010 के निर्देश अनुसार)	180	110	29	81 (73%)	10	40 से 141 दिन
3.	शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना (सर्वोच्च न्यायालय के जनवरी 2010 के निर्देशों के अनुसार)	180	3580	139	3441 (96%)	1351	03 से 114

लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2023 एवं मार्च 2024) कि 'मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता' योजना के मामले में 95 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 85 मामले अनुमोदित किए गए थे। अनुमोदित मामलों में से 33 नामांकित व्यक्तियों को नियत 60 दिनों से दो से 440 दिनों के बीच के विलम्ब से मुआवजा अदा किया गया था (**अनुलग्नक 3.4**)। इसी प्रकार 'कन्यादान योजना' के 110 आवेदन प्राप्त किए गए थे जिनमें से 81 मामलों को अनुमोदित किया गया था। अनुमोदित मामलो में से 10 लाभार्थियों को 40 से 141 दिनों के बीच के विलम्ब से भुगतान किया गया था (**अनुलग्नक 3.5**)।

'शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना' के मामले में, 3580 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनमें से 3441 अनुमोदित किए गए थे। अनुमोदित मामलों में से, 1351 लाभार्थियों को 2020-23 के दौरान 180 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद तीन से 114 दिनों के बीच के विलम्ब से भुगतान किए गए थे **(अनुलग्नक 3.6)**।

इस प्रकार, बोर्ड ने लाभार्थियों को निर्धारित अवधि के भीतर समय पर भुगतान न करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया।

इंगित किए जाने (मार्च 2024) पर उन्होने उत्तर दिया कि अब बोर्ड ने सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएस) के अंतर्गत सभी सेवाओं को प्रदान करने हेतु निर्धारित समय सीमा की घोषणा कर दी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों 2010/2018 ने भी एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकृत श्रमिकों को लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया था जिसका अनुपालन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा का मत है कि लाभों का समय पर प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि यह कल्याणकारी योजनाओं को प्रासंगिक तथा प्रभावी बनाने के लिए एक मुख्य घटक है।

- **महिला श्रमिकों को "महिला लाभार्थी श्रमिकों (18-50 वर्ष) की स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता " योजना के लाभ प्रदान न करना**

सीबीओसीडल्यूडब्ल्यू बोर्ड ने 08 दिसंबर 2017 को हुई अपनी 9वीं बैठक में 18-50 वर्षों के आयु समूह के बीच की महिला श्रमिकों में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वच्छता की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना "महिला लाभार्थी श्रमिकों (18-50 वर्ष) की स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता" को अनुमोदित किया। इस योजना के अनुसार, पंजीकरण के वार्षिक नवीकरण के समय उन्हें ₹ 1000/- की राशि दी जानी थी।

2020-23 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 50 वर्षों से कम आयु की 773 महिला श्रमिकों ने 2020-23 के दौरान अपने पंजीकरण का नवीकरण करवाया था। 773 महिला श्रमिकों में से केवल 96 महिला श्रमिकों को इस योजना के लाभ प्रदान किए गए थे। इसका परिणाम 677 महिला श्रमिकों को योजना के

लाभ प्रदान न किए जाने में हुआ जिससे न केवल व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा मिलता बल्कि लाभार्थियों को ₹ 6,77,000 की सहायता भी प्राप्त होती।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 2023) में इंगित किए जाने पर, बोर्ड ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को इसके लिए आवेदन करना होता है परंतु बहुत कम लोग इसका लाभ उठाते हैं। बोर्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि योजना में प्रावधान था कि लाभ वार्षिक नवीकरण के समय प्रदान किया जाना था जो बोर्ड द्वारा नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, महिला श्रमिकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वार्षिक नवीकरण के समय उन्हें इससे अवगत कराया जाना चाहिए था।

- **मृत सदस्य के नामांकित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी को अशंदान की वापसी न करना**

सीबीओसीडब्ल्यूबी का नियम 276 प्रावधान करता है कि सदस्य की मृत्यु पर उसके क्रेडिट में जमा अंशदान की राशि को उसके नामांकित व्यक्ति को अदा किया जाएगा। नामांकित व्यक्ति के अभाव में' राशि बराबर हिस्सों में लाभार्थी के कानूनी उत्तराधिकारियों को अदा की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2023) कि बोर्ड ने 2020-23 के दौरान मृत्यु के मामले में 85 मृत श्रमिकों के नामांकित व्यक्तियों/कानूनी उत्तराधिकारियों को वित्तीय सहायता का भुगतान किया था परंतु नामांकित व्यक्तियों/कानूनी उत्तराधिकारियों को मार्च 2023 तक अदा किए गए ₹ 9865/- के अंशदान की वापसी नहीं की गई थी। इस प्रकार, पीड़ित परिवार अपने वैध हक से वंचित रहे थे।

बोर्ड ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (दिसंबर 2023) तथा बताया कि मृत लाभार्थी श्रमिकों के नामांकित व्यक्तियों/कानूनी उत्तराधिकारियों को नए/नवीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क वापस की जाएगी।

➢ **पारगमन के दौरान आवास प्रदान न करना**

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मॉडल कल्याण योजना (एमडब्ल्यूएस) बीओसीडब्ल्यू श्रमिकों को अपनी पारगमन अवधि के दौरान या एक शहर या महानगर में उनके एकत्रित होने के आम क्षेत्रों में तथा आस-पास उनको काम मिलने तक बोर्ड द्वारा पारगमन आवास/होस्टल/श्रम शेड-सह-रात्रि आश्रय/मोबाईल शौचालय का प्रावधान करता है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया था।

बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2023) कि बीओसीडब्ल्यू अधिनियम 1996 की धारा 33 एवं 34 तथा सीबीओसीडब्ल्यू नियमावली 2009 के नियम 243 के अनुसार, निर्माण साईटों पर श्रमिकों को मूल सुख-सुविधाएं प्रदान करना ठेकेदार का उत्तरदायित्व है। बोर्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पारगमन आवास/होस्टल/श्रम शैड की व्यवस्था बोर्ड द्वारा की जानी थी जो कि नहीं की गई।

iv) कल्याण योजनाओं के संबंध में जागरुकता उत्पन्न करने के प्रयासों में कमी

एमडब्ल्यूएस योजना के अनुसार निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण तथा विभिन्न योजनाओं के लाभ के संबंध में बीओसीडब्ल्यू श्रमिकों के स्मार्टफोन पर कल्याण योजानाओं का प्रसारण, समाचार पत्रों या टीवी चैनलों पर विज्ञापन करने के बजाए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी बिल्डिंगों की दीवारों पर जागरुकता संदेश लिखना जैसे जमीनी स्तर के जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जागरुकता उत्पन्न की जानी थी।

सीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड की 11वीं बैठक (17 सितंबर 2019) में, सचिव (श्रम) सह-अध्यक्ष ने सुझाव दिया था कि उन श्रमिकों, जिन्हें बोर्ड की योजनाओं से लाभ मिला है, के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समय समय पर अयोजन किया जाना चाहिए तथा ऐसे कार्यक्रमों का प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार

किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को बोर्ड के पास अपने आप को पंजीकृत करने को प्रोत्साहित किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याण योजनाओं के संबंध में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए आईईसी गतिविधियों (बिग एफएम एवं प्रमुख हिन्दी समाचार पत्र में विज्ञापन) पर 2022-23 के दौरान ₹ 4.25 लाख की अल्प राशि के सिवाए कोई व्यय नहीं किया गया था।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों, स्मार्टफोन के माध्यम से प्रसारण तथा बिल्डिंगों पर जागरुकता संदेश लिखने के माध्यम से प्रचार नहीं किया गया था।

बोर्ड ने बताया (दिसंबर 2023) कि 2020-23 के दौरान, 65 शिविर लगाए गए थे तथा एफएम चैनल पर आईईसी गतिविधियों तथा हिंदी समाचार पत्रों में विज्ञापन पर ₹ 4.25 लाख का व्यय किया गया था।

तथ्य यह है कि पंजीकृत बीओसी श्रमिकों की संख्या में 2020-21 में 9976 से मार्च 2024 में 2298 तक की घटती हुई प्रवृत्ति रही है। बीओसी श्रमिकों के पंजीकरण तथा पंजीकृत श्रमिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभों के संबंध में अधिक जागरुकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है।

v) निर्धारित सीमा से अधिक प्रशासनिक व्यय

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार तथा सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 24(3) के अनुसार, कोई भी बोर्ड किसी भी वित्तीय वर्ष में, अपने सदस्यों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्ते एवं अन्य पारिश्रमिक के प्रति तथा अन्य प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कुल व्यय के पाँच *प्रतिशत* से अधिक का व्यय नहीं करेगा। व्यय का वर्ष-वार विवरण **तालिका सं. 3.9** में दिया गया है।

तालिका सं. 3.9: निर्धारित सीमा से अधिक प्रशासनिक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यय	प्रशासनिक व्यय	5 *प्रतिशत* की दर पर अनुमत व्यय	अधिक व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता के अनुसार प्रशासनिक व्यय	अधिक प्रशासनिक व्यय की प्रतिशतता
2020-21	5.34	0.43	0.27	0.17	8.12%	3.12%
2021-22	5.29	0.54	0.26	0.27	10.19%	5.19%
2022-23	5.31	0.65	0.27	0.38	12.14%	7.14%

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसंबर 2023) कि लेखापरीक्षा अवधि 2020-23 के दौरान बोर्ड का प्रशासनिक व्यय इसके कुल व्यय के आठ से 12 *प्रतिशत* के बीच था। कुल मिलाकर, बोर्ड ने कुल ₹ 82 लाख का अधिक प्रशासनिक व्यय किया था।

इंगित किए जाने पर, बोर्ड ने स्वीकार किया (दिसंबर 2023) तथा बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

3.4.2.5 विविध मामले

i) चंडीगढ़ स्थित निर्माण प्रभाग, पीडब्ल्यूडी बीएण्डआर, हरियाणा द्वारा चंडीगढ़ बोर्ड के पास ₹ 1.1 करोड़ का श्रम उपकर जमा न करना

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3(1) तथा 3(3) के अनुसरण में, यह देखा गया (दिसंबर 2023) कि चंडीगढ़ स्थित निर्माण प्रभाग, पीडब्ल्यूडी बीएण्डआर, हरियाणा ने चंडीगढ़ क्षेत्र में विभिन्न मरम्मत/अनुरक्षण निर्माण कार्य किए। प्रदत्त सूचना से पता चला कि 2020-23 के दौरान प्रभाग द्वारा चंडीगढ़ क्षेत्र में कुल ₹ 114.89 करोड़ की लागत के मरम्मत/अनुरक्षण निर्माण कार्य किए गए थे तथा ₹ 1.14 करोड़ का श्रम उपकर भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़ के बजाए हरियाणा सरकार के भवन एवं निर्माण बोर्ड के सचिव के खाते में जमा किया गया था।

बोर्ड ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया (जनवरी 2024) तथा बताया कि इस संबंध में संबंधित विभाग के साथ संपर्क किया जाएगा तथा वसूली की प्रक्रिया शुरु की जाएगी।

3.4.2.6 लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान निष्कर्ष

लाभार्थियों की पहचान, बोर्ड की विभिन्न कल्याण योजनाओं के संबंध में जागरुकता, लाभार्थियों के पंजीकरण, आवेदनों की संवीक्षा तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए नवम्बर तथा दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान संबंधित श्रम बोर्ड के अधिकारियों के साथ नौ निर्माण साईटों (दो पंजीकृत प्रतिष्ठानों एवं सात गैर-पंजीकृत प्रतिष्ठानों) पर लाभार्थी सर्वेक्षण किया गया था। कुल 106 श्रमिकों का सर्वेक्षण किया गया था (**अनुलग्नक 3.7**)।

सर्वेक्षण किए गए कुल 106 श्रमिकों में से, केवल 35 श्रमिक ही बोर्ड के पास पंजीकृत पाए गए थे। 71 श्रमिक उनकी अजागरुकता के कारण पंजीकृत नहीं थे। किसी भी श्रमिक को कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं मिला था। हालांकि, श्रमिक बोर्ड के अधिकारियों द्वारा मौके पर इन 71 श्रमिकों का पंजीकरण करने का कोई तंत्र नहीं था।

यह पंजीकरण के मौजूदा तंत्र की अपर्याप्तता को इंगित करता है जिसे और अधिक श्रमिक अनुकूल तथा सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है।

3.4.2.7 निष्कर्ष

- बोर्ड का गठन न होने, राज्य सलाहकार समिति तथा विशेषज्ञ समिति की बैठक न होने से बोर्ड का कार्यकरण एवं योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ।
- प्रतिष्ठानों/श्रमिकों का पंजीकरण करने हेतु प्रभावी तंत्र का अभाव था। पंजीकरण प्रयोजन तथा श्रमिकों के आगे के पंजीकरण हेतु योग्य प्रतिष्ठानों की पहचान हेतु आवधिक निरीक्षणों की कमी थी।

- पंजीकरण/नवीकरण की प्रक्रिया में श्रमिकों को मार्गदर्शन/सहायता प्रदान करने तथा इस प्रकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभों तक पहुंच प्रदान करने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। लाभार्थियों का पता लगाने एवं पहचान करने तथा विभिन्न कल्याण उपाय प्रदान करने के प्रयासों में कमी थी। श्रमिकों द्वारा पंजीकरण की कम संख्या ने दर्शाया कि बडी संख्या में श्रमिक कल्याण एवं सुरक्षा के दायरे से बाहर रह गए होंगे।

- बहुत बड़ी राशि अप्रयुक्त पड़ी थीं। 2020-23 के दौरान उपलब्ध वार्षिक निधियों के दो से तीन *प्रतिशत* तक के बीच की निधियों का अल्प व्यय हुआ था जिसमें से कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय 0.86 से 2.09 *प्रतिशत* के बीच और भी कम था।

- लक्षित समूह में जागरुकता फैलाने तथा कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए बोर्ड में पंजीकृत होने के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आईईसी गतिविधियों पर मात्र ₹ 4.25 लाख की राशि का व्यय किया गया था जो बोर्ड के लापरवाह दृष्टिकोण को दर्शाता है।

- बोर्ड ने, वर्तमान बाज़ार दरों को प्रदर्शित करने हेतु, 2013 से उपकर के निर्धारण के प्रायोजन के लिए निर्माण की लागत की दरों का संशोधन नहीं किया था जिसका परिणाम उपकर के कम निर्धारण एवं वसूली की संभावना में हुआ।

मामला 19 जुलाई 2024 को बोर्ड तथा गृह मंत्रालय को तथा 12 अगस्त 2024 को फिर से बोर्ड को प्रेषित किया गया था। मंत्रालय का उत्तर जून 2025 तक प्रतीक्षित है।

केन्द्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव

लोक निर्माण प्रभाग, दमन

3.5 विभागीय प्रभारों के गैर-उद्ग्रहण के कारण राजस्व की हानि

पीडब्ल्यूडी-दमन स्थानीय निकाय की ओर से निष्पादित निर्माण कार्यों पर, सीपीडब्ल्यूडी नियम पुस्तिका के प्रावधानों के उल्लंघन में, विभागीय प्रभारों का उद्ग्रहण करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरुप ₹ 66.74 लाख के राजस्व की हानि हुई।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) निमार्ण कार्य नियम पुस्तिका 2019 की धारा 3.1.1.4 *अन्य बातों के साथ-साथ* स्थानीय निकायों की ओर से निष्पादित निमार्ण कार्यों पर निर्धारित दरों के अनुसार विभागीय प्रभारों (डीसी) के उद्ग्रहण तथा वसूली का प्रावधान करती है।

सीपीडब्ल्यूडी नियम पुस्तिका 2019 की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अनुलग्नक 5 *'₹ 2.00 करोड़ तक', '₹ 2.00 करोड़ से ₹ 5.00 करोड़ के बीच' तथा '₹ 5.00 करोड़ से अधिक'* की लागत के निर्माण कार्यों हेतु क्रमश: 12 *प्रतिशत*, आठ *प्रतिशत* तथा सात *प्रतिशत* की दरों पर विभागीय प्रभारों को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त, सीपीडब्ल्यूडी नियम पुस्तिका 2019 के 3/2 के एसओपी के खण्ड सं. 11 के अनुसार विभागीय प्रभारों को प्रारम्भिक अनुमानों (पीई) में जोड़ा जाना है। इसके अतिरिक्त, इस अनुलग्नक 5 का टिप्पण 3 सांविधिक गैर-वाणिज्यिक (गैर-लाभकारी) संगठनों, जिनकी सेवाओं को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की ऋणात्मक सूची में रखा गया है, के लिए इन मानक विभागीय प्रभारों पर 50 *प्रतिशत* की छूट निर्धारित करता है।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), निर्माण कार्य प्रभाग-1, दमन को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जिला पंचायत, दमन की ओर से ₹ 18.54 करोड़ की राशि वाले दो पूंजीगत निर्माण कार्य (**अनुलग्नक 3.8**) सौंपे गए थे। उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, पीडब्ल्यूडी-दमन इन पूंजीगत निर्माण कार्यों पर जिला पंचायत, दमन से

₹ 66.74 लाख (**अनुलग्नक 3.8**) के विभागीय प्रभारों के उद्ग्रहण तथा वसूली का हकदार था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि पीडब्ल्यूडी-दमन ने अपने प्रारंभिक अनुमानों (पीई) में इन विभागीय प्रभारों हेतु कोई प्रावधान नहीं किया था। तद्नुसार, पीडब्ल्यूडी-दमन अपनी सीपीडब्ल्यूडी नियम पुस्तिका के प्रावधानों के उल्लंघन में विभागीय प्रभारों का उद्ग्रहण करने में विफल रहा जिसका परिणाम ₹ 66.74 लाख के राजस्व की हानि में हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर (फरवरी 2023), पीडब्ल्यूडी-दमन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2023) कि विभागीय प्रभारों को इसके प्रारंभिक अनुमानों में शामिल नहीं किया गया था तथा जिला पंचायत हेतु निष्पादित पिछले निर्माण कार्यों के लिए इसकी वसूली नहीं की गई थी। विभाग भविष्य में विभागीय प्रभारों को शामिल करेगा। इसके अतिरिक्त, उसने लागू विभागीय प्रभारों को जमा करने का अनुरोध करते हुए इस मामले को जिला पंचायत के साथ उठाया गया है (अक्तूबर 2023)।

जिला पंचायत ने, उपरोक्त मांग के अपने उत्तर (दिसम्बर 2023) में यह बताते हुए उद्ग्रहण का विरोध किया कि वे केवल *सरकारी निर्माण कार्य* निष्पादित करते हैं जिन्हें सीपीडब्ल्यूडी नियम पुस्तिका के खण्ड 3.1.1.4(1) के अंतर्गत विभागीय प्रभारों से छूट प्राप्त है।

जिला पंचायत का उत्तर इस तथ्य के दृष्टिकोण से तर्कसंगत नहीं है कि स्थानीय निकायों के निर्माण कार्यों को स्वयं सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तिका 2019 के खण्ड 3.1.1.4 (1) में सरकारी निर्माण कार्यों (विभागीय प्रभारों से छूट प्राप्त) से विशिष्ट रूप से अलग किया गया है। सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियम पुस्तिका 2019 की प्रमुख विशेषता संख्या-10 भी बताती है कि *विभागीय प्रभारों का केवल पीएसयू, **स्थानीय निकायों** तथा निजी संगठनों के निर्माण कार्यों पर उद्ग्रहण किया जाएगा*। इसके अतिरिक्त, सीपीडब्ल्यूए संहिता के अध्याय-16 (गैर-सरकारी निर्माण कार्य) के प्रस्तावना पैरा सं. 16.1.1 भी *जमा निर्माण कार्यों* को *गैर-सरकारी निर्माण कार्यों* की एक श्रेणी के रूप में शामिल करता है।

इस प्रकार, प्रावधानों के अनुसार, विभागीय प्रभारों का उद्ग्रहण करने में पीडब्ल्यूडी दमन की विफलता का परिणाम ₹ 66.74 लाख के राजस्व की हानि में हुआ।

मामला अगस्त 2023 में गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2025 तक प्रतीक्षित था।

केन्द्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप

लक्षद्वीप लोक निर्माण प्रभाग

3.6 बचत बैंक खाते में निधियों को अनियमित रुप से रखना

लक्षद्वीप लोक निर्माण विभाग, केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ने विद्युत कार्यों के लिए आवंटित वार्षिक बजटीय निधियों को विद्युत विभाग के पृथक बचत बैंक खाते में जमा किया (2013 से 2023) एवं अप्रयुक्त शेष राशि को सरकारी खाते में जमा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.97 करोड़ से ₹ 4.08 करोड़ के बीच की निधियां अनियमित रूप से रखी गई।

केंद्र सरकार लेखा (प्राप्तियाँ एवं भुगतान) नियमावली (आर एण्ड पी नियमावली) 1983 का नियम 100(2) निर्धारित करता है कि "सरकारी खाते से धन को तब तक आहरित नहीं किया जाएगा जब तक कि तत्काल संवितरण अपेक्षित न हो" तथा "धन को मांग के पूर्वानुमान या बजट अनुदानों को समाप्त होने से रोकने" के लिए सरकारी खाते से आहरित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 का नियम 62(2) निर्धारित करता है कि "बचतों के साथ-साथ प्रावधान, जिनका लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता है, का वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना उनका पूर्वानुमान होते ही तुरंत सरकार को अभ्यर्पित किया जाएगा।" इसके अतिरिक्त, जीएफआर (नियम 96) में सरकारी मंत्रालयों या विभागों को व्यक्तिगत जमा खाते खोलने का प्रावधान है। सिविल लेखा नियम पुस्तिका 2024 की धारा 19.7 के अनुसार व्यक्तिगत जमा खाता किसी मान्यता प्राप्त बैंक में सरकारी खाते के सार्वजनिक खाता भाग में खोले जाने के लिए प्राधिकृत है तथा खाते के प्रशासक को प्राप्तियों को जमा करने और खाते से सीधे

आहरण को सुगम बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में अभिप्रेत है। सरकारी विभाग को सरकारी खाते से आहरित धनराशि जमा करने के लिए बचत बैंक खाता खोलने का मौजूदा नियम-विनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

लक्षद्वीप लोक निर्माण विभाग (एलपीडब्ल्यूडी) केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप (यूटीएल) यूटीएल के अंतर्गत सभी विभागों के लेखाओं (पूंजी एवं राजस्व) के सिविल निर्माण कार्य शीर्षों का संचालन करता है। अधीक्षक अभियंता, एलपीडब्ल्यूडी इन शीर्षों के लिए बजट नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। सिविल निर्माण कार्य के अंतर्गत वार्षिक बजट आवंटन में यूटीएल प्रशासन के विभिन्न सरकारी विभागीय भवनों के विद्‌युत कार्यों के लिए आवंटन भी शामिल है।

लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2019) किः

- विद्‌युत प्रभाग, कावारत्ती ने जुलाई 2013 में कैनरा बैंक (तब सिंडीकेट बैंक), कावारत्ती में एक बचत बैंक (एसबी) खाता खोला। एलपीडब्ल्यूडी ने विद्‌युत कार्यों के लिए अपेक्षित धनराशि को सरकारी खाते से आहरित किया और उसे 2013-14 से इसी बचत बैंक खाते में जमा किया। इन निधियों का कार्यकारी अभियंता (इलेक्ट्रिकल्स) द्‌वारा यूटीएल प्रशासन के अंतर्गत सरकारी विभाग के भवनों में विद्‌युत कार्यों के निष्पादन से संबंधित बिलों के भुगतान हेतु आहरित किया गया था। इस प्रकार से बचत खाता खोलना तथा सरकारी खाते से बाहर बजटीय निधियों का आहरण एवं जमा करना अनियमित था।
- इसके अतिरिक्त, अप्रयुक्त शेष राशि को तुरंत सरकारी खाते में अभ्यर्पित करने, जैसा ऊपर उल्लिखित जीएफआर प्रावधान में निर्धारित किया गया है, के बजाय विद्‌युत विभाग ने इसे बचत बैंक खाते में ही रखा। बचत बैंक खाता खोलने के बाद की अवधि से अब तक विभाग ने 2017-18 में सरकार को अप्रयुक्त अनुदान को केवल ₹ 516.62 लाख का केवल एक प्रेषण ही किया है। इसने सरकार को अर्जित ब्याज का आवधिक प्रेषण भी किया है। 2014 से 2024 तक प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को बचत बैंक खाते में संचित शेष

₹ 12.97 करोड़ से ₹ 4.08 करोड़ के बीच था। बचत बैंक खाते में वर्ष-वार अथ तथा अंत शेष को नीचे **तालिका संख्या 3.10** में दर्शाया गया है।

तालिका सं. 3.10: बचत बैंक खाते में वर्ष-वार अथ तथा अंत शेष

(₹ लाख में)

वर्ष	1 अप्रैल को बचत बैंक खाते में शेष	उपार्जित ब्याज	सरकारी खाते में जमा राशि	31 मार्च को बचत बैंक खाते में शेष
2013-14	0	7.23	0	436.86
2014-15	436.86	24.04	0	758.75
2015-16	758.75	32.29	0	1027.30
2016-17	1027.30	39.41	81.81[73]	1164.26
2017-18	1164.26	49.12	549.57[74]	1297.21
2018-19	1297.21	48.02	0	1143.28
2019-20	1143.28	42.10	0	1238.99
2020-21	1238.99	30.41	0	1224.15
2021-22	1224.15	33.30	157.90[75]	972.38
2022-23	972.38	27.26	60.56[76]	713.87
2023-24[77]	713.87	17.25	0	408.10

उपरोक्त पद्धति ने वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रयुक्त निधियों के सरकारी खाते में प्रेषण में गतिरोध पैदा किया। इसके परिणामस्वरुप प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 और जीएफआर 2017 के प्रावधानों के उल्लंघन में 2013-14 से 2023-24 की अवधि के दौरान ₹ 4.08 करोड़ से ₹ 12.97 करोड़ के बीच की सरकारी निधियों को विभागीय बचत बैंक खाते में अनियमित रूप से रखा गया।

[73] 28 दिसंबर 2016 को ₹ 81.81 लाख का ब्याज

[74] 25 सितम्बर 2017 को ₹ 32.94 लाख का ब्याज तथा 23 फरवरी 2018 को ₹ 516.63 लाख का अप्रयुक्त अनुदान

[75] 27 सितंबर 2021 को ₹ 37.35 लाख, 04 अक्टूबर 2021 को ₹ 42.11 लाख, 08 अक्टूबर 2021 को ₹ 48.03 लाख, 11 अक्टूबर 2021 को ₹ 30.42 लाख का ब्याज

[76] 24 नवंबर 2022 को ₹ 47.30 लाख और 06 मार्च 2023 को ₹ 13.26 लाख

[77] 01-02-2024 तक

एलपीडब्ल्यूडी ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि बजटीय निधि से आहरण की पद्धति को रोक दिया गया है तथा विद्युत विभाग से अव्ययित राशि को सरकारी खाते में जमा करने का अनुरोध किया गया है (नवंबर 2023)।

तथापि, खाता अभी भी संचालित किया जा रहा था तथा फरवरी 2024 तक बचत बैंक खाते में ₹ 4.08 करोड़ की राशि शेष थी।

मामला गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया (सितंबर 2023) था तथा उनका उत्तर जून 2025 तक प्रतीक्षित था।

(ख) राजस्व

केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख

अपर उपायुक्त, लेह

3.7 स्टाम्प शुल्क का कम उदग्रहण

42 पारिवारिक निपटान विलेखों एवं चार विभाजन विलेखों के मामलों में स्टाम्प शुल्क कम लगाया गया जिसके परिणामस्वरुप सरकारी राजकोष को ₹ 92.82 लाख के राजस्व की हानि हुई। ₹ 53.45 लाख का जुर्माना भी बकाया था।

जम्मू एवं कश्मीर स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम 2011 की धारा 39 के अनुसार, 'विभाजन' के मामले में सम्पत्ति के अलग किए गए हिस्से या हिस्सों के बाजार मूल्य की राशि के दो *प्रतिशत* की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जाना है। इसी प्रकार, उपरोक्त अधिनियम की धारा 50(ए) में निपटान की गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य की राशि के दो *प्रतिशत* की दर पर स्टाम्प शुल्क प्रभारित करने का प्रावधान है।

उक्त अधिनियम की धारा 33 में यह भी प्रावधान है कि विधि द्वारा सशक्त कोई भी अधिकारी, जिसके समक्ष कोई भी लिखत प्रस्तुत की जाती है जो उसकी राय में शुल्क सहित प्रभार्य है या उसके कार्यों के निष्पादन में आती है, यदि उसे ऐसा प्रतीत

होता है कि ऐसी लिखत पर विधिवत मुहर नहीं लगी है तो वह उसे जब्त कर लेगा। इसके अतिरिक्त, जब्त की गई लिखत पर कलेक्टर धारा 40(सी) के अंतर्गत, यदि उसकी राय है कि ऐसी लिखत शुल्क सहित प्रभार्य है एवं विधिवत मुहर नहीं लगी है तो उसे उचित शुल्क या उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि के भुगतान की आवश्यकता होगी, साथ ही लिखत के निष्पादन की तिथि से प्रत्येक माह या उसके हिस्से के लिए स्टाम्प शुल्क के कमी वाले हिस्से का दो *प्रतिशत* की दर पर जुर्माना जो न्यूनतम एक सौ रुपए होगा, भी लगा सकता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम)[78] लेह के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान ₹ 4675.57 लाख[79] के बाजार मूल्य[80] के 46[81] भूमि विलेख का निष्पादन किया गया। स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन विलेखों पर दो *प्रतिशत* की दर पर कुल ₹ 93.51 लाख का स्टाम्प शुल्क उदग्रहित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने इन विलेखों पर ₹ 0.69 लाख की नगण्य राशि का स्टाम्प लगाया, जिसका परिणाम ₹ 92.82 लाख के कम उद्ग्रहण में हुआ।

इस प्रकार, विभाग द्वारा स्टाम्प शुल्क के कम उद्ग्रहण के कारण ₹ 92.82 लाख के राजस्व की हानि हुई थी। इसके अतिरिक्त, निष्पादन की तिथि से अक्टूबर 2020[82] तक प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए कम राशि के दो *प्रतिशत*

---

78 पंजीकरण अधिनियम के तहत दस्तावेजों के पंजीकरण की अधिकार अब आदेश संख्या 01-राजस्व (यूटीएल) 2019 दिनांक 18.12.2019 के माध्यम से अपर उपायुक्त (एडीसी), लेह को सौंपा गया है।

79 पारिवारिक निपटान विलेखों के संबंध में ₹ 4456 लाख और विभाजन विलेखों के संबंध में ₹ 219.57 लाख

80 निष्पादित विलेखों में भूमि श्रेणी के किसी उल्लेख के अभाव तथा विभाग के पास भूमि श्रेणी के किसी विवरण की गैर-उपलब्धता में भूमि के बाजार मूल्य को न्यूनतम दर के अनुसार परिकलित किया गया है।

81 चार विभाजन विलेख तथा 42 निपटान विलेख

82 जम्मू-कश्मीर स्टाम्प अधिनियम, एसवीटी 1977 को दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 के राजपत्र आदेशों के माध्यम से निरस्त कर दिया गया था।

की दर पर उद्ग्राहय ₹ 53.45 लाख का जुर्माना भी पार्टियों (जैसा कि **अनुलग्नक 3.9** में विवरण दिया गया है) से वसूल किया जाना था।

इंगित किए जाने पर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने उत्तर (अगस्त 2021) में बताया कि सभी संबंधितों को नोटिस जारी किए जाएंगे तथा उनसे वसूली को उचित समय पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। वसूली की स्थिति के बारे में पुनः पुष्टि करने पर, रजिस्ट्रार (अब एडीसी, लेह) ने पुष्टि की (19 जुलाई 2024) कि रजिस्ट्रार के नए सौंपे गए कर्तव्यों जो 24 जनवरी 2020 से शुरु हुए थे, के पश्चात उनके द्वारा स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प शुल्क की राशि लगाई गई थी। पैराग्राफ में वर्णित विसंगतियों के संबंध में, एडीसी, लेह ने 46 मामलों में स्टाम्प शुल्क की कम वसूली की पुष्टि की (अक्टूबर 2024)। विभाग ने आगे बताया कि कोई जुर्माना नहीं लगाया है क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर स्टाम्प अधिनियम, 1977 को भारत सरकार के आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2020 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

उत्तर कम वसूली के लेखापरीक्षा निष्कर्ष की पुष्टि करता है। तथापि, जुर्माना न लगाने का कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर स्टाम्प अधिनियम, संवत 1977 को निरस्त करने के आदेश अक्टूबर 2020 में जारी किए गए थे तथा इस अवधि से पूर्व जुर्माने की वसूली अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जानी है।

मामला मई तथा अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2025 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय-IV

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

इस अध्याय में सीपीएसई से संबंधित एक लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल है।

(I) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड

4.1 लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों से विचलन में अर्जित छुट्टी का नकदीकरण

डीपीई दिशानिर्देशों के विचलन में अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा 2014-15 से 2022-23 के दौरान ₹ 45.61 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी अनुदेशों (अप्रैल 1987) के अनुसार, प्रत्येक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) अपने कर्मचारियों के लिए भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्धारित नीति दिशानिर्देशों के व्यापक मानदंडो के अंतर्गत छुट्टी नियमावली तैयार कर सकते हैं।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन (25 सितम्बर 2008) के द्वारा निर्धारित किया कि अर्जित छुट्टी (ईएल) तथा अर्ध वेतन छुट्टी (एचपीएल) दोनों को छुट्टी के नकदीकरण के लिए गिना जाएगा बशर्ते कुल सीमा 300 दिनों की हो। भारत सरकार ने दिनांक 25 सितम्बर 2008 के कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों को *आवश्यक परिवर्तनों के साथ* रेलवे के अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों/विभागों के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए भी विस्तारित कर दिया (28 दिसम्बर 2012)। डीपीई अनुदेशों के अनुसार, सीपीएसई को अपने कर्मचारियों

के लिए ईएल तथा एचपीएल के नकदीकरण हेतु 300 दिनों की समग्र सीमा का अनुपालन करना अपेक्षित था।

दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (कंपनी) ने डीपीई दिशानिर्देशों से हटकर अपनी छुट्टी नियमावली (जनवरी 1977 से प्रभावी, समय-समय पर यथासंशोधित) में *अन्य बातों के साथ-साथ* यह प्रावधान किया कि 'सेवा में रहते हुए जिन कर्मचारियों का पीएल[83] (विशेषाधिकार छुट्टी) संचय 300 दिनों से अधिक है, उन्हें प्रत्येक वर्ष उनके छुट्टी खाते में छुट्टी जमा होने (प्रबंधकीय के लिए 1 जनवरी एवं 1 जुलाई तथा गैर-प्रबंधकीय के लिए 1 जनवरी, 1 मई एवं 1 सितम्बर') से पूर्व 300 दिनों से अधिक की विशेषाधिकार छुट्टी (पीएल) के नकदीकरण की अनुमति दी जाएगी । छुट्टी नियमावली में आगे बताया गया है कि नकदीकरण एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिनों के नकदीकरण के साथ पीएल क्रेडिट करने से पूर्व ऑटोमैटिक होगा।

कंपनी की छुट्टी नियमावली डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं थी क्योंकि वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित 300 दिनों की सीमा से अधिक ईएल तथा एचपीएल के नकदीकरण की अनुमति देती है। इसके परिणामस्वरूप 2014-15 से 2022-23 के दौरान 300 दिनों की निर्धारित सीमा से अधिक अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के कारण ₹ 45.61 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ है, जैसा **तालिका सं. 4.1** में दिया गया है:

---

83 पूर्ण वेतन पर अर्जित छुट्टी

तालिका सं. 4.1: निर्धारित सीमा से अधिक अर्जित छुट्टी का नकदीकरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मामलों की सं.	भुगतान की गई राशि	वर्ष	मामलों की सं.	भुगतान की गई राशि
2014-15	917	4.95	2019-20	862	6.05
2015-16	959	5.51	2020-21	813	4.77
2016-17	984	6.05	2021-22	400	2.99
2017-18	946	5.90	2022-23	400	3.49
2018-19	902	5.90	**कुल**		**45.61**

कंपनी ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2022) कि छुट्टी लेने के बजाय उसके संचय को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑटोमैटिक नकदीकरण को कार्य में सुगमता के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में अधिकतम संचय तक पहुंचने वालों तक सीमित करके अनुमत किया गया था।

मंत्रालय ने स्पष्ट उत्तर प्रस्तुत किए बिना बताया (अप्रैल 2023) कि कंपनी को छुट्टी नियमावली में सुधारात्मक उपाय, यदि अपेक्षित है, करने का निर्देश दिया गया है। उसने आगे कम्पनी को छुट्टी नियमावली में आवश्यक परिवर्तन करने तथा जहां कहीं अपेक्षित हो वसूली करने का निर्देश दिया तथा साथ ही, इस चूक के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया (अप्रैल 2023)।

संक्षेप में, यह प्रतिवेदन निम्नलिखित पर प्रकाश डालती है:

- **विदेश मंत्रालय में, भारतीय उच्चायोग, लंदन ने बिना प्राधिकार के शपथ पत्र शुल्क (₹ 2.35 करोड़) वसूला; जबकि भारत में पांच क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों ने ₹ 2.96 करोड़ के जीएसटी का गलत भुगतान किया।**

- **गृह मंत्रालय में, आईटीबीपी के लिए 'X' में ₹ 14.57 करोड़ की लागत से निर्मित विशेष भवन का उपयोग न किए जाने; ₹ 11.75 करोड़ का व्यय करने के पश्चात सीआईएसएफ के स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण को रोकने; आईटीबीपी द्वारा मोर्टार फील्ड फायरिंग रेंज के लिए गलत साइट का चयन करने; स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए आईटीबीपी द्वारा ₹ 6.93 करोड़ के अवरोधन; तथा ₹ 80.91 लाख का**

भुगतान करने के पांच वर्षों के पश्चात भी एसएसबी द्वारा भूमि अधिग्रहण न करने के मामले सामने आए।

- इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय में, सीआईएसएफ को मृतक कर्मचारियों के परिजनों को किए गए अनुग्रह भुगतान के प्रति संबंधित पीएसयू से ₹ 1.10 करोड़ की वसूली अभी भी करनी थी। साथ ही, सीआईएसएफ एवं एसएसबी ने अपने कर्मचारियों को कुल ₹ 33.19 करोड़ के जोखिम एवं कठिनाई भत्ते का अनियमित भुगतान किया।
- राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी तथा राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने बिजली बिलों के प्रति क्रमशः ₹ 1.97 करोड़ और ₹ 1.99 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया।
- अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए दोनों प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रणालीगत मुद्दों ने इन योजनाओं की प्रभावकारिता को सीमित किया जिससे छात्रों को छात्रवृत्तियों के संवितरण में देरी हुई और कई मामलों में दिशा-निर्देशों से विचलन हुआ।
- पंचायती राज मंत्रालय ने 17 राज्यों से अव्ययित अनुदान की वापसी सुनिश्चित नहीं की जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 903.42 करोड़ की निधि अवरुद्ध हुई।
- चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (सीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) प्रतिष्ठानों एवं श्रमिकों के पंजीकरण; श्रम उपकर निधि के निर्धारण एवं उपयोग; तथा निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों के प्रति अपने वैधानिक दायित्व को पूरा नहीं कर रहा था। सीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड, विशेषज्ञ समिति तथा सलाहकार समिति का या तो गठन नहीं किया गया था या फिर उन्हें अक्रियाशील पाया गया।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में, एमपीलैड योजना के अंतर्गत निष्फल व्यय (₹ 62.61 लाख); मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को मुआवजे के कम भुगतान (₹ 33.90 लाख); तथा ₹ 87.28 लाख की लागत से निर्मित शवदाहगृह का रखरखाव न करने के मामले सामने आए।
- लक्षद्वीप में, लोक निर्माण प्रभाग अप्रयुक्त शेष राशि को सरकारी खाते में प्रेषित करने में विफल रहा तथा ₹ 12.97 करोड़ से ₹ 4.08 करोड़ के बीच की राशि को अनियमित रूप से बचत बैंक खाते में रखा।

- लोक निर्माण प्रभाग, दमन द्वारा विभागीय प्रभारों के गैर-उद्ग्रहण के कारण राजस्व की हानि (₹ 66.74 लाख) तथा लद्दाख में स्टाम्प शुल्क (₹ 92.82 लाख) एवं उस पर जुर्माने (₹ 53.45 लाख) की कम वसूली के मामले सामने आए।
- दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड में डीपीई दिशानिर्देशों से विचलन में अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 45.61 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

नई दिल्ली
दिनांक: 19 सितम्बर 2025

(सौरभ कुमार जयपुरियार)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 30 सितम्बर 2025

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(विहंगावलोकन एवं पैराग्राफ सं.1.3 में संदर्भित)

सामान्य और सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत सिविल मंत्रालयों/विभागों का विवरण

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	
1.	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
2.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
आयुष मंत्रालय	
3.	आयुष मंत्रालय
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
4.	उर्वरक विभाग
5.	औषध विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
6.	उपभोक्ता मामले विभाग
7.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
सहकारिता मंत्रालय	
8.	सहकारिता मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय	
9.	संस्कृति मंत्रालय
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	
10.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय	
11.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
12.	उच्चतर शिक्षा विभाग
विदेश मंत्रालय	
13.	विदेश मंत्रालय
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	
14.	मत्स्य पालन विभाग

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग
15.	पशुपालन और डेयरी विभाग
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
16.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
17.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
18.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
गृह मंत्रालय	
19.	गृह मंत्रालय
20.	मंत्रिमंडल
21.	पुलिस
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
23.	चंडीगढ़
24.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
25.	लद्दाख
26.	लक्षद्वीप
27.	दिल्ली में स्थानांतरण
28.	जम्मू एवं कश्मीर में स्थानांतरण
29.	पुडुचेरी में स्थानांतरण
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
30.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
जलशक्ति मंत्रालय	
31.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
32.	पेयजल और स्वच्छता विभाग
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	
33.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
विधि और न्याय मंत्रालय	
34.	विधि और न्याय

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग
35.	निर्वाचन आयोग
36.	भारत का सर्वोच्च न्यायालय
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
37.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
पंचायती राज मंत्रालय	
38.	पंचायती राज मंत्रालय
संसदीय कार्य मंत्रालय	
39.	संसदीय कार्य मंत्रालय
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	
40.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
41.	केंद्रीय सतर्कता आयोग
योजना मंत्रालय	
42.	योजना मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय	
43.	ग्रामीण विकास विभाग
44.	भूमि संसाधन विभाग
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	
45.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
46.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
47.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
जनजातीय कार्य मंत्रालय	
48.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	
49.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
युवा मामले और खेल मंत्रालय	
50.	युवा मामले और खेल मंत्रालय

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग
संवैधानिक निकाय और सचिवालय	
51.	राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते
52.	लोकसभा
53.	राज्यसभा
54.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय
55.	संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-II

(विहंगावलोकन एवं पैराग्राफ सं.1.4 में संदर्भित)

2021-22 और 2022-23 के दौरान संस्वीकृत प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	2021-22			2022-23		
		संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय							
1.	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	1,23,017.62	1,14,840.43	-8,177.19	1,24,000.08	1,01,572.54	-22,427.54
2.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	8,513.64	8,439.94	-73.70	8,658.91	8,578.15	-80.76
आयुष मंत्रालय							
3.	आयुष मंत्रालय	2,970.35	2,538.42	-431.93	3,050.02	2,663.30	-386.72
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय							
4.	उर्वरक विभाग	1,57,736.55	1,57,866.87	130.32	2,54,856.54	2,54,841.43	-15.11
5.	औषध विभाग	1,906.32	1,858.14	-48.18	2,270.36	2,050.10	-220.26
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय							
6.	उपभोक्ता मामले विभाग	3,237.60	2,262.69	-974.91	1,769.15	249.72	-1,519.43
7.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	3,54,879.58	3,04,361.32	-50,518.26	3,06,311.10	2,93,774.96	-12,536.14

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	2021-22			2022-23		
		संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
सहकारिता मंत्रालय[84]							
8.	सहकारिता मंत्रालय	--	--	--	2,056.04	1,636.52	-419.52
संस्कृति मंत्रालय							
9.	संस्कृति मंत्रालय	2,688.05	2,559.41	-128.64	3,363.10	3,284.12	-78.98
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय							
10.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	2,723.70	2,662.47	-61.23	2,924.78	1,118.71	-1,806.07
शिक्षा मंत्रालय							
11.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	1,03,673.71	81,611.54	-22,062.17	1,11,549.40	96,890.12	-14,659.28
12.	उच्चतर शिक्षा विभाग	65,350.74	37,582.39	-27,768.35	55,091.06	53,244.90	-1,846.16
विदेश मंत्रालय							
13.	विदेश मंत्रालय	18,524.75	14,173.70	-4,351.05	17,706.62	16,684.78	-1,021.84
मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय							
14.	मत्स्य पालन विभाग	1,418.24	1,360.14	-58.10	2,118.50	1,360.56	-757.94
15.	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	3,610.03	3,008.67	-601.36	4,319.99	2,660.83	-1,659.16

[84] सहकारिता मंत्रालय का गठन 6 जुलाई, 2021 के राजपत्र अधिसूचना के तहत किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सहकारिता मंत्रालय के लिए किसी भी निधि का प्रावधान नहीं किया गया।

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	2021-22			2022-23		
		संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय							
16.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,308.69	1,147.39	-161.30	2,942.02	1,455.13	-1,486.89
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय							
17.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1,36,090.84	96,264.66	-39,826.18	1,13,458.10	98,985.70	-14,472.40
18.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	3,189.29	2,690.61	-498.68	3,200.67	2,432.11	-768.56
गृह मंत्रालय							
19.	गृह मंत्रालय	7,691.08	4,365.68	-3,325.40	7,621.08	4,287.64	-3,333.44
20.	मंत्रिमंडल	2,098.05	1,322.31	-775.74	1,711.05	1,057.14	-653.91
21.	पुलिस	1,12,092.17	1,08,043.82	-4,048.35	1,22,016.86	1,16,509.67	-5,507.19
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,129.95	5,765.34	-364.61	5,763.97	5,558.69	-205.28
23.	चंडीगढ़	5,186.28	4,940.30	-245.98	5,846.07	5,778.80	-67.27
24	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	3,671.88	3,671.68	-0.20	3,882.12	2,493.42	-1,388.70
25.	लद्दाख	7,223.81	5,060.66	-2,163.15	5,958.22	4,179.88	-1,778.34
26.	लक्षद्वीप	1,467.32	1,275.32	-192.00	1,457.46	1,283.37	-174.09
27.	दिल्ली में स्थानांतरण	1,030.01	1,029.42	-0.59	1,168.01	960.49	-207.52
28.	जम्मू एवं कश्मीर में स्थानांतरण	34,746.18	34,746.18	0.00	44,696.13	44,696.13	0.00
29.	पुडुचेरी में स्थानांतरण	1,879.79	1,879.77	-0.02	3,129.79	3,129.77	-0.02

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	2021-22			2022-23		
		संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
सूचना और प्रसारण मंत्रालय							
30.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	4,079.71	3,728.99	-350.72	4,182.01	4,024.13	-157.88
जलशक्ति मंत्रालय							
31.	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग	17,937.92	17,333.51	-604.41	19,047.06	12,201.48	-6,845.58
32.	पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	1,28,024.46	1,09,478.53	-18,545.93	1,34,413.14	59,790.44	-74,622.70
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय							
33.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	24,518.47	24,036.34	-482.13	16,893.69	14,800.61	-2,093.08
विधि एवं न्याय मंत्रालय							
34.	विधि एवं न्याय	4,403.08	4,163.99	-239.09	6,789.22	6,323.31	-465.91
35.	निर्वाचन आयोग	259.00	253.93	-5.07	327.25	320.23	-7.02
36.	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	350.86	341.41	-9.45	405.47	392.78	-12.69
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय							
37.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	4,810.79	4,325.24	-485.55	5,020.50	837.68	-4,182.82
पंचायती राज मंत्रालय							
38.	पंचायती राज मंत्रालय	913.44	864.84	-48.60	905.78	901.18	-4.60

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	2021-22			2022-23		
		संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
संसदीय कार्य मंत्रालय							
39.	संसदीय कार्य मंत्रालय	65.07	48.79	-16.28	66.40	52.20	-14.20
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय							
40.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	2,058.65	1,877.73	-180.92	2,502.68	2,280.59	-222.09
41.	केंद्रीय सतर्कता आयोग	38.67	37.49	-1.18	43.46	43.16	-0.30
योजना मंत्रालय							
42.	योजना मंत्रालय	1,070.79	1,064.81	-5.98	960.30	849.11	-111.19
सांविधिक निकाय एवं सचिवालय							
43.	राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते	74.47	67.68	-6.79	84.80	80.38	-4.42
44.	लोकसभा	855.01	596.30	-258.71	800.02	666.57	-133.45
45.	राज्यसभा	446.51	366.61	-79.90	431.71	383.52	-48.19
46.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	7.43	7.04	-0.39	8.64	8.31	-0.33
47.	संघ लोक सेवा आयोग	316.18	316.17	-0.01	370.00	369.99	-0.01
ग्रामीण विकास मंत्रालय							
48.	ग्रामीण विकास विभाग	2,90,726.11	2,88,446.44	-2,279.67	3,37,943.79	3,31,820.80	-6,122.99
49.	भूमि संसाधन विभाग	2,197.60	1,464.82	-732.78	2,269.62	1,259.13	-1,010.49

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	2021-22			2022-23		
		संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	संस्वीकृत प्रावधान	कुल व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय							
50.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	2,820.27	2,125.15	-695.12	2,999.01	1,387.85	-1,611.16
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय							
51.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	10,667.15	7,526.29	-3,140.86	13,030.68	7,769.89	-5,260.79
52.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	1,171.79	1,009.45	-162.34	1,212.43	989.35	-223.08
जनजातीय कार्य मंत्रालय							
53.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	7,524.90	6,175.71	-1,349.19	8,461.88	7,278.77	-1,183.11
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय							
54.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	24,935.03	21,783.56	-3,151.47	25,672.30	24,012.07	-1,660.23
युवा मामले और खेल मंत्रालय							
55.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	2,801.27	2,376.96	-424.31	3,062.63	2,568.49	-494.14

स्रोत: संघ सरकार विनियोग लेखा (सिविल) 2021-22 और 2022-23

परिशिष्ट -III

(पैराग्राफ सं.1.6 में संदर्भित)

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग/मंत्रालय	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	वसूली गई राशि
1.	सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय	गृह मंत्रालय ने राज्यों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं की उचित जाँच नहीं की, जिसके परिणामस्वरुप वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दो गैर-अनुमेय/अस्वीकार्य/अस्वीकृत कार्यों/परियोजनाओं पर कुल ₹15 लाख की निधियां अनियमित रुप से जारी/उपयोग की गईं। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, ₹15 लाख की राशि भारत की समेकित निधि में वापस कर दी गई (अक्टूबर 2024)।	0.15
2.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	भूमि सुधार कार्यालय-1, सिलवासा ने राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) को सरकारी भूमि आवंटित की, लेकिन ₹45.41 लाख का अधिभोग शुल्क वसूल नहीं किया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, एनएचएसआरसीएल से ₹45.41 लाख की राशि वसूल की गई।	0.45
3.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	पर्यटन विभाग, दीव 105 तंबुओं के किराए के भुगतान में देरी के लिए ठेकेदार से ₹41.13 लाख का दंडात्मक ब्याज वसूलने में विफल रहा। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, ठेकेदार से यह राशि वसूल की गई।	0.41
		कुल	**1.01**

परिशिष्ट -IV

(पैराग्राफ सं. 1.7 में संदर्भित)

सामान्य और सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत सीपीएसई/पीएसयू

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	
1.	कृषि वित्त निगम लिमिटेड
2.	एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
3.	गंगावती शुगर्स लिमिटेड[85]
4.	सीसीएस एनआईएएम का नवाचार और उद्यमिता महासंघ
5.	कर्नाटक मीट एंड पोल्ट्री मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड[86]
6.	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड[87]
7.	नैबकिसान फाइनेंस लिमिटेड[87]
8.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
आयुष मंत्रालय	
9.	इंडियन मेडिसिंस फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
उर्वरक विभाग	
10.	ब्रहमपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11.	एफएसीटी-आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड
12.	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13.	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14.	हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड
15.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

---

85 सीएजी के पत्र सं. 840-CA-V/Misc/24-2012 दिनांक 16.11.2012 के अनुसार परिसमापन के अधीन है, इसलिए कोई पूरक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

86 सीएजी के पत्र सं. 840-CA-V/Misc/24-2012 दिनांक 16.11.2012 के अनुसार कंपनी बंद हो गई, इसलिए कोई पूरक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

87 नाबार्ड की सहायक तथा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के रूप में वर्गीकृत।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
16.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
17.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
18.	रामागुंडम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
19.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
20.	तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
21.	द एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड
22.	द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
23.	उर्वरक विदेश लिमिटेड
औषध विभाग	
24.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
25.	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड
26.	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
27.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
28.	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लिमिटेड
29.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल)
30.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
31.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
32.	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
33.	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
34.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
35.	स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
36.	केंद्रीय भंडारण निगम
37.	भारतीय खाद्य निगम
38.	हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
39.	नालंदा सिरामिक्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
सहकारिता मंत्रालय	
40.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	
41.	नेडफी ट्रस्टी लिमिटेड (नेडफी की सहायक)
42.	नेडफी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (नेडफी की सहायक)
43.	नॉर्थ-ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेडफी)
44.	उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
45.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
शिक्षा मंत्रालय	
46.	ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड
47.	उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण अभिकरण
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
48.	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्सलिमिटेड
49.	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड
50.	एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड
51.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड (एचएलएल)
52.	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड
गृह मंत्रालय	
53.	एआईसी आरआरयू इनक्यूबेशन फाउंडेशन
54.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड
55.	अंडमान फिशरीज लिमिटेड
56.	चंडीगढ़ महिला एवं बाल विकास निगम
57.	चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
58.	चंडीगढ़ एससी,बीसी एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
59.	चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड
60.	दादरा और नगर हवेली, दमन दीव एससी,एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वित्त

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
	एवं विकास निगम लिमिटेड
61.	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
62.	दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड
63.	डीएनएच एंड डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
64.	कवारत्ती स्मार्ट सिटी लिमिटेड
65.	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड
66.	लक्षद्वीप पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
67.	नई दिल्ली नगर परिषद स्मार्ट सिटी लिमिटेड
68.	दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली ओमनी बस औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
69.	पोर्टब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
70.	सुरक्षा और वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान संघ
71.	सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड
72.	सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
73.	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
74.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
जल शक्ति मंत्रालय	
75.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड
76.	वैपकोस लिमिटेड
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
77.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्तनिगम
78.	राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	
79.	कर्मयोगी भारत

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	
80.	भारतीय कृत्रिम अंगनिर्माण निगम
81.	राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	
82.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
83.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
84.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
जनजातीय कार्य मंत्रालय	
85.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

परिशिष्ट -V

(पैराग्राफ संख्या 1.7 में संदर्भित)

(ए) सीपीएसई की पूरक लेखापरीक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण टिप्पणियां

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियाँ
लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ		
1.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	*वर्ष में लाभ- ₹45.25 करोड़* (i) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए किए गए अनुबंध के खंड बी.3.0 में उल्लेख किया गया है कि मंत्रालय परियोजना व्यय के लिए पीएमसी को "रोलिंग क्रेडिट" प्रदान करेगा तथा परियोजना निधि पर प्रोद्भूत ब्याज मंत्रालय की संपत्ति होगी और परियोजना निधियों पर यथा लागू आयकर की कटौती करने के बाद ब्याज पर पीएमसी का कोई ग्रहणाधिकार नहीं होगा। कंपनी ने उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार को परियोजना निधियों में से दिए गए जुटाव अग्रिम पर अर्जित ब्याज की राशि को अपनी आय के रूप में माना। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ को ₹73.31 लाख तक, प्रतिधारित आय को ₹7.07 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप देनदारियों को ₹7.80 करोड़ तक कम दर्शाया गया। (ii) राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति (एनईएसटीएस) के साथ किए गए अनुबंध के खंड 2.5 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेखित है कि यदि निर्माण एजेंसी ठेकेदार से अग्रिम भुगतान पर कोई ब्याज प्राप्त करती है तो उसे एनईएसटीएस के खाते मे जमा किया जाएगा। इसी प्रकार, सीमा चौकियों के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार (एमएचए) के साथ किए गए अनुबंध में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि निधियों पर अर्जित ब्याज गृह मंत्रालय को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन कंपनी ने ठेकेदारों को दिए गए अग्रिमों पर अर्जित ब्याज की राशि ₹40.79 लाख को अपनी आय माना और उसी के अनुसार हिसाब लगाया। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष के लिए लाभ ₹40.79 लाख तक अधिक दर्शाया गया जिसके

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियाँ
		परिणामस्वरूप उतनी ही राशि तक देनदारियों को कम दर्शाया गया।
2.	राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड	(i) देनदारी का प्रावधान न करने (गेल द्वारा की गई मांग) के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ को ₹15.17 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप उतनी ही राशि तक देनदारियों को कम दर्शाया गया। (ii) कंपनी ने अधिशेष अमोनिया का आयात समता मूल्य (आईपीपी) निर्धारित करने के लिए निर्धारित नीति का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व को ₹11.87 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप देनदारी (सरकार को देय) को उतनी ही राशि तक कम दर्शाया गया।
वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ		
3.	उच्च शिक्षा वित्तपोषण अभिकरण	कंपनी ने प्रोद्भवन आधार पर टीडीएस का हिसाब नहीं लगाया और फॉर्म 26 एएस में दर्शाए ₹12.39 करोड़ के बजाय ₹11.33 करोड़ का हिसाब लगाया। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों को ₹1.06 करोड़ की तक कम दर्शाया गया।
4.	उत्तरपूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड	*पूंजीगत कार्य प्रगति - ₹14.30 करोड़* उपर्युक्त में सिक्स माइल, गुवाहाटी में विपणन परिसर के निर्माण पर व्यय की जा रही ₹12.31 करोड़ की राशि शामिल थी। कंपनी ने मंत्रालय से प्राप्त अनुदान में से भवन के निर्माण पर ₹12.87 करोड़ की राशि खर्च की। परियोजना को पूर्ण किया गया (प्रचार पर ₹18 लाख सहित ₹12.87 करोड़ का कुल व्यय) और ठेकेदार द्वारा उसे 20 दिसंबर 2022 को नेरामेक को सौंप दिया गया। अतः ₹12.69 करोड़ की राशि का पूंजीकरण किया जाना चाहिए था लेकिन वर्ष के दौरान भवन को पूंजीकृत नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप अन्य वर्तमान देनदारियों और पूंजीगत कार्य-प्रगति को क्रमशः ₹37.51 लाख और ₹12.31 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को ₹12.69 करोड़ तक कम दर्शाया गया। व्ययों के पूंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप मूल्यह्रास (राशि अनिश्चित) भी कम दर्शाया गया।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियाँ
5.	तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	कंपनी ने 16 जनवरी 2023 से 20 मार्च 2023 के दौरान निष्पादित भूमि विकास कार्यों के लिए एएनएस निर्माण के बिलों के लिए ₹1.05 करोड़ (कुल बिल राशि ₹3.55 करोड़ जिसके लिए ₹2.50 करोड़ प्रदान किए गए थे) की शेष राशि का प्रावधान नहीं किया था, जिसे अप्रैल 2023 में प्राप्त और प्रमाणित किया गया था। यह प्रावधान न करना आईएनडी एएस 10 के पैरा 8 के अनुपालन में नहीं था, जिसमें कहा गया है कि संस्था रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात समायोजनों को दर्शाने के लिए अपनी वित्तीय विवरणियों में स्वीकृत राशियों का समायोजन करेगी। चूंकि यह बिल अप्रैल 2023 में प्राप्त हुआ था जो कि 16 जनवरी 2023 से 20 मार्च 2023 की अवधि से संबंधित था इसलिए यह समायोजन विवरणों के अंतर्गत आता था और इसके लिए खातों में प्रावधान किया जाना चाहिए था। प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप 'सीडब्ल्यूआईपी-भूमि एवं विकास' तथा 'देय व्यय के लिए प्रावधान को ₹1.05 करोड़ प्रत्येक तक कम दर्शाया गया।
6.	हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड	(i) *गैर-चालू प्रावधान - ₹589.78 करोड़* कंपनी की सभी तीनों परियोजनाओं के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी की विशिष्ट शर्तों के अनुसार, परियोजना की कुल लागत का कम से कम 2.5 *प्रतिशत* उद्यम सामाजिक प्रतिबद्धता (ईएससी) के लिए निर्धारित किया जाएगा, जिसका कार्यान्वयन पांच साल के भीतर समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। निदेशक मंडल ने 11 अप्रैल 2023 को आयोजित 61वीं बोर्ड बैठक में परियोजनाओं की संशोधित लागत को ₹25,120.79 करोड़ से बढ़ाकर ₹27,894.60 करोड़ करने की मंजूरी दी। इस प्रकार, कंपनी द्वारा ₹697.36 करोड़ का कुल प्रावधान किया जाना अपेक्षित था जिसके प्रति 31 मार्च 2023 तक कुल प्रावधान ₹581.81 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप प्रावधानों और प्रगति पर पूंजीगत कार्य (क्योंकि कि इसे निर्माण अवधि के दौरान व्यय के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाना है) दोनों को ₹103.77 करोड़ तक कम दर्शाया गया। (ii) *आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल) - ₹30.35 करोड़*

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियाँ
		28 अप्रैल 2022 को आयोजित 53वीं बोर्ड बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार, एचयूआरएल के सभी कर्मचारियों को फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट, 01 जनवरी 2022 से मूल वेतन पर 15 *प्रतिशत* की तदर्थ वृद्धि, सहित तत्काल और अंतरिम राहत दी गई। एचयूआरएल ने वेतन संशोधन के लिए प्रावधान किया और कर्मचारियों को भुगतान की गई राशि को कर्मचारियों को अग्रिम के रूप में माना जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ वेतन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना लंबित है। गोरखपुर इकाई के संबंध में, इसके प्रति ₹4.15 करोड़ का प्रावधान किया गया लेकिन आस्थगित कर परिसंपत्ति की गणना करते समय इस पर विचार नहीं किया गया हालांकि कर्मचारियों को अंतरिम राहत अस्थायी अंतर का एक उदाहरण है और एक समय अंतर मद है जो आईएनडी एएस 12 के अनुसार डीटीए के सृजन के लिए योग्य है। इसके परिणामस्वरूप आस्थगित कर परिसंपत्तियों को ₹1.04 करोड़ तक कम बताया गया तथा उतनी राशि तक हानि को अधिक बताया गया।
प्रकटीकरण के बारे में टिप्पणियाँ		
7.	वैपकोस लिमिटेड	*आकस्मिक देनदारियां: - ₹1515.00 करोड़* उपर्युक्त में साबरमती नदी तल के साथ-साथ डायाफ्राम दीवार के निर्माण में विवाद के मामले में मैसर्स ठक्कर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में आकस्मिक देनदारियों के रूप में ₹53.70 करोड़ शामिल नहीं थे। कॉन्ट्रैक्टर ने 04 फरवरी 2023 को कंपनी द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष ₹75.65 करोड़ का दावा किया है। वैपकोस ने किए गए ₹75.65 करोड़ के दावे के प्रति ₹21.95 करोड़ की सुनिश्चित देनदारी बनाई है। इस प्रकार, आकस्मिक देनदारियों को ₹53.70 करोड़ तक कम दर्शाया गया था।
अन्य टिप्पणियाँ		
8.	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ	*प्रगतिरत पूंजीगत कार्य- ₹11.78 करोड़* तुलनपत्र (प्रभाग II) तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेशों (बिंदु

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियाँ
	इंडिया लिमिटेड	सं. X) के अनुसार, पूंजीगत अग्रिम 'अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों' के अंतर्गत दर्शाया जाना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III पर मार्गदर्शन नोट के पैरा संख्या 8.7.1.3 ने स्थिति को स्पष्ट किया और कहा कि अनुसूची III के अनुसार, पूंजीगत अग्रिमों को दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए और इसलिए, प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। नोएडा में एफसीआईएल कार्यालय भवन के निर्माण की योजना, डिजाइन और निष्पादन से संबंधित कार्यों के लिए एनबीसीसी के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (मई 2021) के अनुसार, कंपनी ने मार्च 2023 तक एनबीसीसी को दो अग्रिम (₹ 9.93 करोड़) जारी किए। लेकिन कंपनी ने इसे पूंजीगत अग्रिम के रूप में लेखागत करने के बजाय इसे प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के रूप में माना। इस प्रकार, प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को ₹9.93 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया था जिसके परिणामस्वरूप अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों (पूंजीगत अग्रिम) को उसी राशि तक कम दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत प्रगतिरत कार्य को ₹1.36 करोड़ तक कम दर्शाया गया, जो कि कार्यालय भवन के निर्माण पर व्यय (अप्रैल 2023 में एनबीसीसी द्वारा प्रस्तुत 01 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि को शामिल करने वाला चौथा चालू खाता बिल) की राशि थी, जिसे वर्ष के दौरान दर्ज नहीं किया गया था हालांकि यह आईएनडी एएस 10 द्वारा प्रदान की गई एक समायोजन घटना थी। इसके परिणामस्वरूप प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को ₹1.36 करोड़ तक कम दर्शाया गया और 'पूंजीगत अग्रिम' को ₹1.36 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया।
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ		
9.	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में निम्नलिखित कमियां हैं: (क) रिपोर्ट के अभिमत खंड में, लेखापरीक्षकों ने लाभ के संबंध में अपना अभिमत दिया है जबकि कंपनी को वर्ष के दौरान ₹10.23

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियाँ
		करोड़ की हानि हुई थी जैसा कि लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है। (ख) रिपोर्ट के अनुलग्नक ए के बिंदु vii (अ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग सही नहीं थी क्योंकि इसमें 31 मार्च 2023 को देय विवादित राशियों के बारे में बताया गया था जो कि होने की तिथि से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए थी जबकि कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के पैरा 3 (vii) के अनुसार, 'अविवादित राशि' के संबंध में रिपोर्टिंग की जानी थी।
10.	वैपकोस लिमिटेड	पैरा 1 (ई) में 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत रिपोर्टिंग सही नहीं थी क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के प्रावधान 05 जून 2015 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इस सीमा तक कमी है।
11.	सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड	(i) 'मामले का महत्व' अनुच्छेद के अंतर्गत, वाक्यांश 'मामले के महत्व के संबंध में लेखापरीक्षक के अभिमत को संशोधित नहीं किया गया है' का उल्लेख नहीं किया गया था, हालांकि एसए 706 के पैरा 9 (सी) द्वारा ऐसा करना आवश्यक था। (ii) पैरा 1 (ई) और 1 (जी) में 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत रिपोर्टिंग सही नहीं थी क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) और धारा 197 के प्रावधान 05 जून 2015 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और लेखापरीक्षकों को इस प्रकार रिपोर्ट करना आवश्यक था।

(बी) सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत महत्वपूर्ण टिप्पणियां

क्र.सं.	निगम का नाम	टिप्पणियाँ
तुलन पत्र पर टिप्पणियाँ		
1.	भारतीय खाद्य निगम	(i) *अन्य विविध देनदारियां- ₹1104.83 करोड़* इसमें वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खाद्य निगम अधिनियम (मई 2000 में संशोधित) की धारा 34 (2) के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय को लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में देय ₹54.40 करोड़ (18% पर जीएसटी को छोड़कर) की राशि शामिल नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों को ₹54.40 करोड़ तक कम दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप अन्य व्यय (लेखापरीक्षा शुल्क) को उसी सीमा तक कम दर्शाया गया। (ii) *व्यापार देय (नोट-5): ₹28957.52 करोड़* (क) निगम ने तेलंगाना राज्य सहकारी विपणन संघ (टीएससीएमएफ) से संबंधित ₹9.86 करोड़ की राशि को 2022-23 के दौरान समयबद्ध ऋण के रूप में आय के लिए बट्टे खाते में डाल दिया है। लेकिन लेखांकन नीति संख्या 17 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित टीएससीएमएफ से ₹14.92 करोड़ (एफसीआई के अनुसार ₹9.86 करोड़) की मांग (27 फरवरी 2023) के तथ्य के बावजूद देनदारी को पुनः सृजित नही किया गया था। इसके परिणामस्वरूप देनदारी (व्यापार देनदारियों) को ₹9.86 करोड़ तक कम दर्शाया गया और विविध आय को ₹9.86 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया। (ख) रबी विपणन सत्र 2007-08 से 2013-14 के लिए अभिरक्षा और अनुरक्षण प्रभारों के लिए राज्य खरीद अभिकरणों के दावों के कारण नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीएससीए), पंजाब को देय ₹14.31 करोड़ भी व्यापार देयताओं में शामिल नहीं थे। डीसीएससीए, पंजाब ने ₹750.14 करोड़ की राशि का दावा किया जिसमें से निगम ने ₹501.81 करोड़ की देनदारी स्वीकार की लेकिन भारत सरकार के निर्देश के आधार पर ₹487.50 करोड़ जारी किए। पिछले वर्ष के

क्र.सं.	निगम का नाम	टिप्पणियाँ
		लेखाओं में इंगित किए जाने के बावजूद पूरी राशि का हिसाब नहीं दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप व्यापार देनदारियों और व्यय दोनों में ₹14.31 करोड़ तक कम दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप सब्सिडी को भी उतनी ही राशि तक कम दर्शाया गया। (iii) *चालू परिसंपत्तियां व्यापार प्राप्य (नोट-11): ₹3912.46 करोड़* (क) वर्ष 2007-08 से लंबित ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्य राशि (₹2454.03 करोड़) तथा एमएमटीसी के प्रति 1991 से लंबित ₹61.75 करोड़ की राशि को शामिल करने के कारण उपर्युक्त राशि को ₹2515.78 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया। चूंकि यह राशि 11 वर्षों से अधिक समय से लंबित है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 16 (ए) के अनुसार बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के विरुद्ध दावों जिन्हे लगातार दस वित्तीय वर्षों के लिए लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है, उन्हे 11वें वर्ष में उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप ₹2515.78 करोड़ तक व्यापार प्राप्तियों को अधिक तथा व्यय को कम दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप 'अन्य व्यय' को भी उतनी ही राशि तक कम दर्शाया गया। पिछले दो वर्षों के लेखाओं में इसका उल्लेख करने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। (ख) अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में फोर्टिफाइड बिस्कुटों की आगे आपूर्ति के लिए एडब्ल्यूएफपी को गेहूं की आपूर्ति के लिए विदेश मंत्रालय से 17.03.2023 को ₹47.99 करोड़ के लंबे समय से लंबित बकाये के प्रति प्राप्त ₹44.23 करोड़ का समायोजन न करने के कारण व्यापार प्राप्तियों को अधिक दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹44.23 करोड़ की सीमा तक व्यापार प्राप्तियों (एमईए) को अधिक दर्शाया गया और उसी सीमा तक देयता (बिक्री के लिए ग्राहकों से जमा राशि) को भी अधिक दर्शाया गया।

क्र.सं.	निगम का नाम	टिप्पणियाँ
2.	केंद्रीय भंडारण निगम	*बकाया देनदारियां- ₹601.16 करोड़* (क) उपर्युक्त में वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों को देय लागत वसूली प्रभारों के लिए ₹2.60 करोड़ की राशि शामिल नहीं थी। सीमा शुल्क अधिकारियों ने दिनांक 13.04.2023 को मांग पत्र भेजा था जिसमें ₹8.08 करोड़ (₹30.02 लाख + ₹518.51 लाख + ₹259.69 लाख) की मांग की गई थी। उत्तर में सीडब्ल्यूसी ने बताया कि ₹30.02 लाख की राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और ₹5.18 करोड़ की जांच चल रही है और ₹2.60 करोड़ के लिए उन्होंने और विवरण मांगा है। अतः ₹2.60 करोड़ की मांग निश्चित है तो इसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप बकाया देनदारियों को ₹2.60 करोड़ तक कम दर्शाया गया और वर्ष के लिए लाभ को ₹2.60 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप आकस्मिक देनदारियों को उतनी ही राशि तक अधिक दर्शाया गया। (ख) उपर्युक्त में लोनी (रेलवे रिकार्ड के अनुसार नोली) में सीडब्ल्यूसी साइडिंग के लिए वाणिज्यि कर्मचारियों की लागत और निरीक्षण तथा अनुरक्षण प्रभार के संबंध में उत्तर रेलवे को देय ₹3.98 करोड़ भी शामिल नहीं थे। 2018-19 से 2022-23 से संबंधित ₹5.24 करोड़ के निरीक्षण और रखरखाव शुल्क की मांग उठाई गई थी, जिसमें से सीडब्ल्यूसी ने पहले ही 2021-22 (₹3.65 करोड़) तक की मांग का भुगतान कर दिया था इसलिए, 2022-23 की मांग को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि केवल छूट का अनुरोध किया गया था लेकिन रेलवे द्वारा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, सीडब्ल्यूसी ने पहले ही ₹3.65 करोड़ का भुगतान कर देनदारी को स्वीकार कर लिया था। इसलिए, ₹1.59 करोड़ का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, उसी मांग पत्र (06.04.2023) में आईसीडी लोनी में तैनात कर्मचारियों की लागत के लिए ₹2.39 करोड़ की

क्र.सं.	निगम का नाम	टिप्पणियाँ
		मांग शामिल थी, जिसके लिए सीडब्ल्यूसी ने कहा कि मांग सुलह के अधीन थी जिससे सीडब्ल्यूसी को देनदारी सृजित करने से छूट नहीं मिली। इस प्रकार, बकाया देनदारियों को ₹3.98 करोड़ तक कम दर्शाया गया था। प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप बकाया देनदारियों को ₹3.98 करोड़ तक कम दर्शाया गया और वर्ष के लिए लाभ को ₹3.98 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप आकस्मिक देनदारियों को उतनी ही राशि तक अधिक दर्शाया गया।
लाभ एवं हानि लेखे पर टिप्पणियां		
3.	भारतीय खाद्य निगम (एफसीआईई)	*(क) कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ (नोट-जे): ₹2970.96 करोड़* लेखांकन निति के अनुसार, निगम मंत्रालय से प्राप्त निदेशों (मई, 2001) के आधार पर नकद आधार पर उपदान और अवकाश नकदीकरण का लेखा-जोखा रख रहा है। नोट 16 (3) में बताई गई कुल देनदारी ₹2632.23 करोड़ (उपदान के लिए ₹1955.68 करोड़ और छुट्टी नकदीकरण के लिए ₹676.65 करोड़) थी। लेखांकन नीति एएस-15 के पैरा-61 के अनुपालन में नहीं है जो अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहता है कि एक उद्यम को लाभ और हानि विवरण में सेवानिवृत्ति लाभ लागत को शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, लेखांकन नीति के चयन के लिए एएस-1 में दिए गए तीन प्रमुख विचारों विवेक, रूप और भौतिकता में से निगम द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति भौतिकता की दृष्टि से सही नहीं है। साथ ही, एएस-1 के पैरा 23 के अनुसार, 'लेखांकन नीतियों या उनमें परिवर्तनों का प्रकटीकरण लेखाओं में मद के गलत या अनुचित व्यवहार को सही नहीं कर सकता है'। गलत लेखांकन के परिणामस्वरूप व्यय और देनदारियों, दोनों में ₹2632.23 करोड़ की कमी दर्ज की गई है। *गत वर्षों के लेखाओं में इसे इंगित किए जाने के बावजूद भी कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।*

क्र.सं.	निगम का नाम	टिप्पणियाँ
		(ख) अन्य प्राप्तियां- ₹185.07 करोड़ इसमें दालों की मूल्य समर्थन योजना संचालन (नोट सी 2) पर ₹27.48 करोड़ का ब्याज शामिल है, जिसे मंत्रालय के अनुमोदन के बिना आय के रूप में माना गया है। यह लेखांकन मानक के अनुसार नहीं है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि 'राजस्व को तब मान्यता नहीं दी जानी चाहिए जब उसके अंतिम संग्रहण के संबंध में अनिश्चितता हो'। इसके परिणामस्वरूप आय को ₹27.48 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप प्राप्तियों को उतनी ही राशि तक अधिक दर्शाया गया है। *गत वर्ष के लेखाओं में इसे इंगित किए जाने के बावजूद भी कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।*
4.	केंद्रीय भंडारण निगम	*रणनैतिक गठबंधन के अंतर्गत सीएफएस/आईसीडी से आय - ₹17.80 करोड़* उपरोक्त आय में मार्च 2023 के महीने के लिए सीएफएस लॉजिस्टिक पार्क से प्राप्त आय से संबंधित ₹67.77 लाख की राशि शामिल नहीं थी। निगम ने इसे उस वर्ष के लिए आय मानने के बजाय, अप्रैल 2023 के महीने (2023-24 के लेखाओं में) के आय के रूप में दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप आय को ₹67.77 लाख की सीमा तक कम दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ को उतनी ही राशि तक कम दर्शाया गया।

परिशिष्ट -VI

(पैराग्राफ सं. 1.7 में संदर्भित)

वित्त वर्ष 2022-23 के लेखाओं की लेखापरीक्षा पर शून्य टिप्पणी वाले सीपीएसई की सूची

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1.	एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
2.	एआईसी आरआरयू इनक्यूबेशन फाउंडेशन
3.	ब्रहमपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4.	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
5.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड
6.	दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड
7.	डीएनएच एवं डीडी पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8.	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
9.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
10.	कर्मयोगी भारत
11.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
12.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
13.	नैशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
14.	राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम
15.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
16.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
17.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
18.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
19.	राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड
20.	नेडफी ट्रस्टी लिमिटेड (नेडफी की सहायक)
21.	नेडफी वेन्चर कैपिटल लिमिटेड (नेडफी की सहायक)
22.	उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (नेडफी)

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
23.	दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली ओमिनस औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
24.	रामागुंडम फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
25.	द एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड
26.	द फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड

परिशिष्ट -VII

(पैराग्राफ सं. 1.8 में संदर्भित)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित/पत्राचाराधीन (30 जून, 2025 तक) कार्रवाई की टिप्पणियों का ब्यौरा

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	शेष	प्राप्त नहीं हुआ	पत्राचाराधीन
1.	संस्कृति	2021	1	0	1
2.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	2022	1	1	0
3.	उर्वरक विभाग	2022	1	1	0
4.	उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास	2014	1	0	1
5.	शिक्षा	2022	1	0	1
6.	गृह मंत्रालय	2009	3	0	3
7.	सूचना एवं प्रसारण	2022	1	0	1
8.	जल शक्ति	2017	1	1	0
		2023	1	1	0
9.	अल्पसंख्यक मामले	2011	1	0	1
10.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	2022	1	0	1
11.	कौशल विकास एवं उद्यमशीलता	2022	1	0	1
12.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	2011	1	0	1
13.	जनजातीय मामले	2022	2	0	2
		कुल	17	4	13

परिशिष्ट -VIII

(पैराग्राफ सं. 1.8 में संदर्भित)

विभिन्न विधायिका रहित केन्द्र शासित प्रदेशों से प्रतीक्षित/पत्राचार के अधीन (30 जून 2025 तक) कार्रवाई टिप्पणियों का ब्यौरा

क्र.सं.	केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट	शेष	प्राप्त नहीं हुआ	पत्राचार के अधीन
1.	चंडीगढ़	2022	7	0	7
2.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2017	1	0	1
3.	लक्षद्वीप	2014	1	0	1
		कुल	**9**	**0**	**9**

अनुलग्नक

अनुलग्नक-2.1

(पैराग्राफ संख्या 2.4 में संदर्भित)

आरएचए के अनियमित और अधिक भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	आरएचए का भुगतान	कुल देय एसडीए एवं एससीए	अनियमित भुगतान	अवधि
1.	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) इकाई गुवाहाटी हवाई अड्डा	11.21	6.57	4.64	मार्च 2020 से मार्च 2023
2.	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) इकाई, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा	3.10	1.78	1.32	मार्च 2020 से मार्च 2023
3.	68 बटालियन, एसएसबी, देबेन्द्रनगर, सोणितपुर, असम	18.88	9.31	9.57	अप्रैल 2020 से जनवरी 2023
कुल		**33.19**	**17.66**	**15.53**	

अनुलग्नक-2.2

(पैराग्राफ संख्या 2.6 में संदर्भित)

अनुग्रह भुगतान और वसूली का विवरण

क्र. सं.	मृतक सीआईएसएफ कर्मियों के नाम	पोस्ट किया गया पीएसयू	सीआईएसएफ द्वारा भुगतान की गई अनुग्रह राशि	पीएसयू से वसूली गई राशि
2020-21				
1.	एसआई बेनी पीजे	बीपीसीएल कोचीन	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
2.	सीटी मुन्नीवाले तस्लीम सलीम	बीएआरसी-टीएपीएस तारापुर	₹ 25 लाख	₹ 25 लाख
3.	सीटी संजय ठाकरे	केएपीएस काकरापारा	₹ 25 लाख	₹ 25 लाख
4.	रमेश चंद्र होता	एनएएलसीओ अंगुल	₹ 10 लाख	₹ 10 लाख
5.	एचसी नत्थो सिंह	एचटीपीपी कासिमपुर	₹ 25 लाख	₹ 25 लाख
6.	एचसी सुभाष चंद्र नायक	वीएसपी विजाग	₹ 25 लाख	₹ 25 लाख
7.	एचसी अंबरेश कुमार राहुल	एसएसटीपीएस शक्तिनगर	₹ 25 लाख	₹ 25 लाख
8.	सीटी रमना बुसा	एसएसपी सलेम	₹ 25 लाख	प्रक्रियाधीन
9.	सीटी पंकज कुमार	एनएचपीसी धौलीगंगा	₹ 35 लाख	प्रक्रियाधीन
10.	सीटी अलख निरंजन सिंह	जीआरएसईएल कोलकाता	₹ 25 लाख	₹ 25 लाख
2021-22				
11.	सीटी बासवराज टी	पीएचएफपी हरिद्वार	₹ 25 लाख	प्रक्रियाधीन
12.	एएसआई ठाकर गुणवंत लाल	ओएनजीसी मेहसाणा	₹ 25 लाख	₹ 25 लाख
13.	एचसी नरेन चंद्र दास	ओएनजीसी नाजिरा	₹ 25 लाख	प्रक्रियाधीन
14.	सीटी गकुल चौधरी रे	बीपीसीएल डिब्रूगढ़	₹ 25 लाख	₹ 25 लाख
2022-23				
15.	सीटी कुलदीप	सीसीएल पिपरवार	₹ 25 लाख	₹ 25 लाख
16.	सीटी भूमिका बासनेट	एफबीपी फरक्का	₹ 25 लाख	₹ 25 लाख
17.	एचसी राजा सिंह	पीटीपीपी पारीछा	₹ 25 लाख	₹ 25 लाख
		कुल	**₹ 4.05 करोड़**	**₹2.95 करोड़**

अनुलग्नक-2.3

(पैराग्राफ संख्या 2.12.1 में संदर्भित)

प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ

	प्री-मैट्रिक	पोस्ट-मैट्रिक
पात्रता	➢ छात्र जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50 *प्रतिशत* से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं। ➢ माता-पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹1.00 लाख से अधिक न हो।	➢ छात्र जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50 *प्रतिशत* से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं। ➢ माता-पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹2.00 लाख से अधिक न हो।
छात्रवृत्ति संवितरण का लक्ष्य	25 लाख नवीकरण छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त वार्षिक रूप से 'नई छात्रवृत्ति' के रूप में कुल 30 लाख छात्रवृत्तियों का संवितरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया था।	2.5 लाख नवीकरण छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त वार्षिक रूप से 'नई छात्रवृत्ति' के रूप में कुल 5 लाख छात्रवृत्तियों का संवितरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया था।

छात्रवृत्तियों का निर्धारण

- राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में 30 *प्रतिशत (न्यूनतम सीमा न कि अधिकतम सीमा)* छात्रवृत्तियां प्रत्येक समुदाय की महिला विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है जो संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में महिला विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के मामले में उसी समुदाय के पुरूष विद्यार्थियों को हस्तांतणीय हैं।
- किसी राज्य विशेष/केन्द्र शासित प्रदेश में निवास करने वाला छात्र उस राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के कोटे के अंतर्गत छात्रवृति का हकदार है, भले ही उसकी/उसका अध्ययन स्थान कुछ भी हो।

छात्रवृत्तियों की दर

प्री-मैट्रिक छात्रवृति योजना

छात्रवृत्ति दर	कक्षा I से V	कक्षा VI से X*
प्रवेश शुल्क (प्रतिवर्ष)	शून्य	₹500
फीस (प्रतिमाह)	शून्य	₹350
अनुरक्षण भत्ते (एक शैक्षणिक वर्ष में 10 माह के लिए)	अनावासी छात्र के लिए ₹100 प्रतिमाह	अनावासी छात्र के लिए ₹100 प्रतिमाह/छात्रावासी के लिए ₹600 प्रतिमाह

**मंत्रालय की वेबसाईट पर उनकी अधिसूचना के अनुसार 2022-23 से प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केवल कक्षा IX और X के लिए हैं।*

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना

छात्रवृत्ति दर (₹ प्रतिवर्ष)	कक्षा XI से XII	कक्षा XI से XII (तकनीकी, व्यावसायिक)	यूजी/पीजी स्तर	एम. फिल और पीएचडी
प्रवेश शुल्क+फीस	₹7000 (वास्तविक आंकड़ों के अधीन)	₹10000 (वास्तविक आंकड़ों के अधीन)	₹3000 (वास्तविक आंकड़ों के अधीन)	शून्य
अनुरक्षण भत्ते (एक शैक्षणिक वर्ष में 10 माह के लिए)	छात्रवास में रहने वाले छात्रों के लिए ₹380 प्रति माह तथा अनावासी छात्रों के लिए ₹230 प्रतिमाह		छात्रावास मे रहने वाले छात्रों के लिए ₹570 प्रतिमाह तथा अनावासी छात्रों के लिए ₹300 प्रति माह	छात्रावास मे रहने वाले छात्रों के लिए ₹1200 प्रति माह और अनावासी छात्रों के लिए ₹550 प्रतिमाह

अनुलग्नक-2.4
(पैराग्राफ संख्या 2.12.4.2 (i) में संदर्भित)

न्यूनतम अंक प्राप्त किए बिना छात्रवृत्ति का नवीनीकरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना		पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	
		लाभार्थियों की सं.	राशि	लाभार्थियों की सं.	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	9	0.84
2.	बिहार	-	-	88	4.75
3.	छत्तीसगढ़	2	0.06	1	0.03
4.	गोवा	1	0.02	-	-
5.	गुजरात	114	3.70	39	2.40
6.	हरियाणा	15	0.80	-	-
7.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	20	2.63
8.	लद्दाख	-	-	14	0.98
9.	महाराष्ट्र	-	-	1	0.02
10.	मणिपुर	12	0.67	25	1.89
11.	मेघालय	37	1.38	598	37.34
12.	नागालैण्ड	7	0.32	15	1.56
13.	ओडिशा	18	0.28	35	1.90
14.	पंजाब	1289	20.99	165	5.65
15.	राजस्थान	345	8.18	41	2.61
16.	उत्तर प्रदेश	11	0.16	636	39.37
17.	पुडुचेरी	5	0.09	2	0.12
18.	पश्चिम बंगाल	46	0.75	27	1.43
19.	उत्तराखण्ड	-	-	9	0.58
कुल		**1902**	**37.40**	**1725**	**104.10**

अनुलग्नक-2.5

(पैराग्राफ संख्या 2.12.4.2 (ii) में संदर्भित)

एक परिवार से दो से अधिक छात्रों को संवितरित छात्रवृत्ति

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना		पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	
		लाभार्थियों की सं.	राशि	लाभार्थियों की सं.	राशि
1.	गुजरात	125	2.17	-	-
2.	जम्मू एवं कश्मीर	370	6.86	86	5.76
3.	लद्दाख	38	1.19	25	0.26
4.	ओडिशा	118	1.77	2	0.09
5.	उत्तर प्रदेश	123	2.39	33	2.31
कुल		**774**	**14.38**	**146**	**8.42**

अनुलग्नक-2.6

(पैराग्राफ संख्या 2.12.4.2 (iii) में संदर्भित)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार विवरण जहां आय मानदंड के उल्लंघन में छात्रवृत्ति प्रदान की गई

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना		पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	
		लाभार्थियों की सं.	राशि	लाभार्थियों की सं.	राशि
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	0.01	-	-
2.	बिहार	-	-	2	0.18
3.	छत्तीसगढ़	3	0.11	-	-
4.	गोवा	5	0.05	-	-
5.	गुजरात	410	12.91	2	0.10
6.	हरियाणा	7	0.39	2	0.09
7.	हिमाचल प्रदेश	2	0.02	-	-
8.	जम्मू एवं कश्मीर	619	24.28	6	0.49
9.	मणिपुर	33	2.16	18	1.65
10.	मिज़ोरम	3	0.04	2	0.12
11.	कर्नाटक	1	0.01	-	-
12.	केरल	1	0.05	-	-
13.	लद्दाख	37	1.50	-	-
14.	ओडिशा	-	-	2	0.17
15.	राजस्थान	11	0.53	2	0.25
16.	उत्तर प्रदेश	16	0.54	6	0.33
17.	पुडुचेरी	1	0.06	-	-
कुल		**1150**	**42.66**	**42**	**3.38**

अनुलग्नक-2.7

(पैराग्राफ संख्या 2.12.4.2 (iv) में संदर्भित)

छात्रवृत्ति का संवितरण या तो बिना आय प्रमाण-पत्र के या बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के किया गया

क्र.सं.	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का नाम	प्री-मैट्रिक लाभार्थियों की सं.		पोस्ट-मैट्रिक लाभार्थियों की सं.	
		आय प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं	सक्षम प्राधिकारी द्वारा आय प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए	आय प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं	सक्षम प्राधिकारी द्वारा आय प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए
1.	आंध्र प्रदेश	178	-	-	-
2.	चण्डींगढ़	58	55	-	47
3.	छत्तीसगढ़	363	23	-	-
4.	दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	110	-	-	-
5.	दिल्ली	28	-	21	-
6.	गुजरात	-	74	-	-
7.	हरियाणा	-	106	-	17
8.	हिमाचल प्रदेश	3	18	7	8
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	33
10.	महाराष्ट्र	194	141	-	-
11.	मेघालय	-	88	-	222
12.	ओडिशा	288	-	-	-
13.	पुडुचेरी	301	-	-	-
14.	पंजाब	-	582	-	401
15.	राजस्थान	998	374	327	-
16.	त्रिपुरा	-	20	-	-
17.	उत्तराखण्ड	-	74	-	28
कुल		**2521**	**1555**	**355**	**756**

अनुलग्नक-2.8

(पैराग्राफ संख्या 2.12.4.2 (v) में संदर्भित)

स्कूल/संस्थान में नामांकित न होने वाले छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना		पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	
		फर्जी या किसी भी संस्थान में नामांकित न होने वाले लाभार्थियों की सं.	राशि	फर्जी या किसी भी संस्थान में नामांकित न होने वाले लाभार्थियों की सं.	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	247	26.13	237	23.70
2.	असम	419	40.24	339	34.96
3.	एएनआई	7	0.59	-	-
4.	बिहार	394	28.58	679	63.23
5.	छत्तीसगढ़	102	10.58	-	-
6.	दिल्ली	25	-	-	-
7.	गोवा	-	-	19	1.66
8.	गुजरात	76	2.61	-	-
9.	हरियाणा	337	30.97	115	13.53
10.	हिमाचल प्रदेश	14	1.17	99	8.10
11.	जम्मू और कश्मीर	229	16.31	490	36.52
12.	झारखण्ड	711	64.90	2271	124.11
13.	लद्दाख	160	7.22	51	2.24
14.	महाराष्ट्र	3	0.16	275	25.16
15.	मेघालय	-	-	6	0.56
16.	मिज़ोरम	35	0.60	80	16.62
17.	ओडिशा	244	24.41	210	20.13
18.	राजस्थान	12	1.10	79	8.44
19.	सिक्किम	41	-	-	-
20.	तमिलनाडु	17	0.96	9	0.88
21.	तेलंगाना	101	9.96	3	0.40
22.	त्रिपुरा	-	-	8	0.81
23.	पुडुचेरी	2	0.07	-	-
24.	उत्तराखण्ड	266	14.18	66	6.40
25.	पश्चिम बंगाल	37	1.06	154	12.46
कुल		**3479**	**281.80**	**5190**	**399.91**

अनुलग्नक-2.9

(पैराग्राफ संख्या 2.12.4.2 (vi) में संदर्भित)

असंचालित स्कूलों से छात्रवृत्ति संवितरण का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	केन्द्र शासित प्रदेशों/ राज्य	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना		पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	
		लाभार्थियों की सं.	राशि	लाभार्थियों की सं.	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	262	19.49	10	0.85
2.	असम	824	81.81	-	-
3.	बिहार	256	26.17	24	2.23
4.	हरियाणा	-	-	1	0.01
5.	जम्मू और कश्मीर	32	1.15	28	2.43
6.	झारखण्ड	489	49.48	-	-
7.	महाराष्ट्र	-	-	14	1.50
8.	मिज़ोरम	40	0.84	-	-
9.	नागालैण्ड	3	0.10	-	-
10.	तेलंगाना	412	42.16	15	1.13
11.	उत्तराखण्ड	307	17.30	-	-
कुल		**2625**	**238.50**	**92**	**8.15**

अनुलग्नक-2.10

(पैराग्राफ संख्या 2.12.4.2 (viii) में संदर्भित)

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में विभिन्न बार छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों	लाभार्थियों की सं.	राशि	अभ्युक्ति
(i) एक ही योजना के अंतर्गत एक से अधिक दावे				
1.	जम्मू और कश्मीर	10	0.29	चयनित जिला कुपवाड़ा में, छः संस्थानों के 10 छात्र उसी योजना के अंतर्गत दो छात्रवृत्तियां (एक विशेष शैक्षणिक वर्ष के दौरान एक से अधिक छात्रवृत्ति) प्राप्त करने में सफल रहे।
2.	मेघालय	9	0.45	नौ लाभर्थियों ने उसी वर्ष के दौरान विभिन्न छात्रवृत्तियों का लाभ उठाया, जिससे ₹0.45 लाख का अधिक भुगतान हुआ।
(ii) विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत दावे				
3.	गोवा	1	0.023	एक लाभार्थी को दोनो योजनाओं अर्थात् अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया।
4.	महाराष्ट्र	34	0.34	34 छात्रों ने अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के साथ-साथ अनुसूचित जाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ उठाया।
5.	मणिपुर	140	4.07	अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित 140 छात्रों ने 2017-18 के दौरान दोनों अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना एवं अनुसूचित जनजाति योजना के अंतर्गत दोहरी छात्रवृत्ति का लाभ उठाया। ऐसे 140 छात्रों में से 114 छात्रों का दोनों अल्पसंख्यक एवं एसटी छात्रवृत्ति योजना में खाता संख्या एवं पता एक ही था। 26 छात्रों की दोनों योजनाओं में उल्लिखित आधार संख्या एक ही थी।
6.	नागालैण्ड	88	2.01	अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (₹5.29 लाख) एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (₹2.01 लाख) दोनो से 88 छात्रों ने ₹7.31 लाख का लाभ उठाया।

(iii) केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत किए गए दावे				
7.	ओडिशा	21	0.32	राष्ट्रीय योजना एवं राज्य सरकार की बानिश्री योजना दोनों के अंतर्गत उन्हीं छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान
8.	उत्तर प्रदेश	169	10.54	131 मामलों में लाभार्थियों ने दोनों केन्द्र के साथ-साथ राज्य योजना से छात्रवृत्ति प्राप्त की। 38 मामलों में लाभार्थियों ने केन्द्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना से कई बार छात्रवृत्ति प्राप्त की।
कुल		**472**	**18.04**	

अनुलग्नक-2.11

(पैराग्राफ संख्या 2.12.4.2 (viii) में संदर्भित)

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में अनेक बार छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	लाभार्थियों की सं.	राशि	अभ्युक्तियां
(i) एक ही योजना के अंतर्गत एक से अधिक दावे				
1.	जम्मू और कश्मीर	26	2.17	लाभार्थियों ने एक वर्ष में एक से अधिक बार पोस्ट-मैट्रिक योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त की।
(ii) कई केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत दावे				
2.	हिमाचल प्रदेश	11	0.40	लाभार्थियों ने एक से अधिक योजना में आवेदन किया एवं पोस्ट-मैट्रिक अल्पसंख्यक योजना के साथ-साथ अनुसूचित जाति/एसट/ओबीसी के लिए अन्य पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में प्रतिपूर्ति प्राप्त की।
3.	महाराष्ट्र	02	-	दो छात्राओं ने अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के साथ-साथ बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए मंत्रालय द्वारा संचालित एक अन्य योजना) के अंतर्गत छात्रवृत्ति का लाभ उठाया।
		1180	51.91	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल में डाटा एवं अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 1180 छात्रों ने ₹51.91 लाख की राशि की छात्रवृत्ति अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से एवं अनुसूचित जाति के पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से ₹68.37 लाख की छात्रवृत्ति प्राप्त की।
4.	मणिपुर	138	9.33	छात्रों ने पोस्ट-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना एवं पोस्ट-मैट्रिक अनुसूचित

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	लाभार्थियों की सं.	राशि	अभ्युक्तियां
				जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दोहरी छात्रवृत्तियों का लाभ उठाया।
5.	नागालैण्ड	1476	122.74	यह पाया गया कि छात्र पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के साथ अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना से लाभ उठा रहे थे।
(iii)	**द्र एवं राज्य सरकार योजनाओं दोनों के अंतर्गत किए गए दावे**			
6.	आंध्र प्रदेश	92	7.05	11 कॉलेजों में छात्रों ने मंत्रालय द्वारा चलाई गई छात्रवृत्ति योजना के अतिरिक्त राज्य सरकार योजना से भी छात्रवृत्ति का दावा किया।
7.	हिमाचल प्रदेश	5	0.30	लाभार्थियों ने एक से अधिक योजनाओं में आवेदन किया एवं पोस्ट-मैट्रिक अल्पसंख्यक योजना के साथ-साथ राज्य सरकार योजना से भी प्रतिपूर्ति प्राप्त की।
8.	झारखण्ड	527	28.77	लाभार्थियों ने दो योजनाओं अर्थात् अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के साथ-साथ राज्य सरकार की पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना से भी छात्रवृत्तियां प्राप्त की।
9.	मध्य प्रदेश	509	28.01	लाभार्थियों ने 2017-20 के दौरान दोनों अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के साथ-साथ ओबीसी छात्रों के लिए राज्य योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ उठाया।
10.	ओडिशा	30	1.72	लाभार्थियों ने राज्य छात्रवृत्ति योजना (ई-मेधावृत्ति) के साथ-साथ पोस्ट-मैट्रिक योजना के अंतर्गत लाभ उठाया।
11.	तेलंगाना	248	23.37	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लाभार्थी राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा रहे थे।

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	लाभार्थियों की सं.	राशि	अभ्युक्तियां
12.	उत्तर प्रदेश	550	35.84	वर्ष 2018-21 के दौरान दोनों केन्द्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना एवं राज्य अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभार्थी लाभान्वित हुए।
कुल		**4794**	**311.61**	

अनुलग्नक-2.12

(पैराग्राफ संख्या 2.12.4.3 (i) में संदर्भित)

छात्रवृत्ति का अधिक भुगतान

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना		पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	
		लाभार्थियों की सं.	राशि	लाभार्थियों की सं.	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	1182	42.56	104	4.42
2.	बिहार	226	7.12	89	1.00
3.	गुजरात	-	-	188	10.50
4.	जम्मू एवं कश्मीर	1114	31.27	5979	250.85
5.	केरल	-	-	241	3.05
6.	लद्दाख	332	9.79	923	27.73
7.	ओडिशा	-	-	240	3.29
8.	राजस्थान	-	-	109	1.21
9.	उत्तराखण्ड	-	-	10	0.10
	कुल	**2854**	**90.74**	**7883**	**302.15**

अनुलग्नक-2.13

(पैराग्राफ संख्या 2.12.4.3 (ii) में संदर्भित)

छात्रवृत्ति के कम भुगतान का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों	लाभार्थियों की सं.	राशि
1.	ओडिशा	218	2.23
2.	गुजरात	256	11.28
3.	जम्मू एवं कश्मीर	82	2.33
4.	केरल	80	1.97
कुल		**636**	**17.81**

अनुलग्नक-2.14

(पैराग्राफ संख्या 2.12.4.3 (iii) में संदर्भित)

अनुरक्षण भत्ते का अनियमित संवितरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना		पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	
		लाभार्थियों की सं.	राशि	लाभार्थियों की सं.	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	39	1.95	357	6.84
2.	बिहार	1192	59.60	220	5.43
3.	हरियाणा	49	2.45	-	-
4.	जम्मू एवं कश्मीर	13	0.92	73	2.49
5.	झारखण्ड	3	0.15	-	-
6.	लद्दाख	2	0.10	1	0.02
7.	ओडिशा	10	0.46	9	0.47
8.	तेलंगाना	17	0.99	-	-
9.	उत्तराखण्ड	-	-	242	3.63
10.	पश्चिम बंगाल	605	35.28	4152	150.12
	कुल	**1930**	**101.90**	**5054**	**169.00**

अनुलग्नक-2.15

(पैराग्राफ संख्या 2.13 में संदर्भित)

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम के अंतर्गत अव्ययित शेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	2007 से 2015 तक जारी कुल अनुदान	31.03.2015 तक प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र की राशि	31.03.2015 तक अप्रयुक्त राशि	30.09.2023 तक प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र	31.03.2022 तक प्राप्त हुआ रिफंड	30.09.2023 तक राज्यों के पास पड़ी अव्ययित शेष/अप्रयुक्त राशि
1	आंध्र प्रदेश	831.45	768.92	62.53	46.28	0	16.25
2	अरुणाचल प्रदेश	78.97	63.62	15.35	15.35	0	0
3	असम	736.13	535.26	200.87	200.20	0.67	0
4	बिहार	3828.43	3202.51	625.92	159.24	1.06	465.62
5	छत्तीसगढ़	1837.85	1583.11	254.74	251.32	2.43	0.99
6	गुजरात	479.73	378.36	101.37	78.81	17.16	5.40
7	हरियाणा	200.47	169.47	31.00	15.90	1.10	14.00
8	हिमाचल प्रदेश	207.76	176.73	31.03	31.03	0	0
9	जम्मू एवं कश्मीर	225.16	161.86	63.30	-8.58	0	71.88*
10	झारखण्ड	1526.37	1148.67	377.70	266.00	0	111.70
11	कर्नाटक	633.53	506.05	127.48	94.95	16.13**	16.40
12	केरल	163.27	128.20	35.07	32.65	0	2.42
13	मध्य प्रदेश	2995.59	2480.96	514.63	514.63	0	0
14	महाराष्ट्र	1562.30	1294.73	267.57	188.50	79.07	0
15	मणिपुर	262.22	218.04	44.18	44.18	0	0
16	मेघालय	206.58	186.93	19.65	4.02	0	15.63
17	मिज़ोरम	165.20	140.18	25.02	25.02	0	0
18	नागालैंड	301.56	240.12	61.44	61.29	0	0.15
19	ओडिशा	2149.42	1824.42	325.00	233.18	30.27	61.55
20	पंजाब	76.70	61.62	15.08	15.08	0	0
21	राजस्थान	1761.57	1449.78	311.79	276.87	25.30	9.62

क्र. सं.	राज्य	2007 से 2015 तक जारी कुल अनुदान	31.03.2015 तक प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र की राशि	31.03.2015 तक अप्रयुक्त राशि	30.09.2023 तक प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र	31.03.2022 तक प्राप्त हुआ रिफंड	30.09.2023 तक राज्यों के पास पड़ी अव्ययित शेष/अप्रयुक्त राशि
22	सिक्किम	87.55	73.10	14.45	14.45	0	0
23	तमिलनाडु	632.53	557.27	75.26	70.48	0.02	4.76
24	तेलंगाना	1607.02	1422.84	184.18	116.56	53.81	13.81
25	त्रिपुरा	86.70	74.07	12.63	12.63	0	0
26	उत्तर प्रदेश	3187.07	2644.01	543.06	335.94	194.34	12.78
27	उत्तराखंड	148.66	91.03	57.63	57.43	0.20	0
28	पश्चिम बंगाल	1658.33	1389.96	268.37	187.91	0	80.46
	कुल	**27638.12**	**22971.82**	**4666.30**	**3341.32**	**421.56**	**903.42**

** राज्य सरकार से प्राप्त संकलित आंकड़ों और उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अनुसार (डोडा जिला के लिए)*

*** उपयोग अव्ययित शेष कॉलम में शामिल नहीं है क्योंकि प्राप्त प्रतिदाय उन जिलों के संबंध में है जिन्होंने जारी की गई कुल राशि से अधिक राशि वापस कर दी है*

अनुलग्नक-3.1

(पैराग्राफ संख्या 3.2 में संदर्भित)

मृत कर्मचारियों के आश्रितों को मुआवजे के कम भुगतान की गणना

क्र. सं.	मृतक/दिव्यांग श्रमिक का नाम	जन्म/ दुर्घटना की तिथि	उम्र[88]	आहरित मुआवजा			देय मुआवजा			मुआवजे का कम भुगतान
				मासिक वेतन (₹)	आयु का कारक	मुआवज़ा (₹)	मासिक वेतन (₹)	आयु का कारक	मुआवजा (₹)	
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ) = 0.5 x (ङ) x (च)	(ज)	(झ)	(ञ) = 0.5 x (ज) x (झ)	(ट) = (ञ) – (छ)
1	स्वर्गीय माधव राव	15.07.1970/ 04.02.2020	49	8000	153.09	6,12,360	15000	156.47	11,73,525	5,61,165
2	स्वर्गीय हरि किशन	08.08.1962/ 27.05.2020	57	8000	124.70	4,98,800	15000	128.33	9,62,475	4,63,675
3	स्वर्गीय निरंजन जयधर	03.01.1971/ 13.07.2020	49	8000	156.47	6,25,880	15000	156.47	11,73,525	5,47,645
4	स्वर्गीय बी गोपाल	10.06.1962/ 23.09.2020	58	8000	124.70	4,98,800	15000	124.70	9,35,250	4,36,450
5	स्वर्गीय जी. सरवनन	18.08.1983/ 01.01.2021,	37	8000	192.14	7,68,560	15000	192.14	14,41,050	6,72,490
									कुल कम भुगतान	₹26,81,425

[88] कामगार ने अंतिम जन्मदिन पर उस तारीख से ठीक पहले की आयु पूरी कर ली हो जिस पर मुआवजा देय था।

अनुलग्नक-3.2

(पैराग्राफ संख्या 3.2 में संदर्भित)

लाभार्थियों को मुआवजे के कम भुगतान पर देय ब्याज की गणना

क्र.सं.	मृत कर्मचारी का नाम	मृत्यु तिथि	श्रम आयुक्त द्वारा मुआवजा भुगतान आदेश पारित करने की तिथि	कम भुगतान	मुआवजा भुगतान आदेश पारित करने की तारीख से एक महीने की अनुमति देने के बाद की तारीख	कम भुगतान पर सितंबर 2023 तक देरी (महीनों और दिनों में)*	कम भुगतान पर ब्याज की गणना के लिए देरी (महीनों में) को ध्यान में रखा जाता है	देय ब्याज (प्रति माह एक *प्रतिशत)*
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ=(30 सितंबर 2023-च)	ज	झ = ङ *ज *1%
1	स्वर्गीय माधव राव	04-02-2020	05-10-2021	₹ 5,61,165.00	05-11-2021	22 म 25 दि	23	₹ 1,29,068
2	स्वर्गीय जी. सरवनन	04-01-2021	05-10-2021	₹ 6,72,490.00	05-11-2021	22 म 25 दि	23	₹ 1,54,673
3	स्वर्गीय बी. गोपाल	23-09-2020	15-04-2021	₹ 4,36,450.00	15-05-2021	28 म 15 दि	29	₹ 1,26,571
4	स्वर्गीय हरि किशन	27-05-2020	22-09-2020	₹ 4,63,675.00	22-10-2020	23 म 08 दि	23	₹ 1,06,645
5	स्वर्गीय निरंजन जयधर	13-07-2020	06-10-2020	₹ 5,47,645.00	06-11-2020	34 म 26 दि	35	₹ 1,91,676
				₹ 26,81,425.00				**₹ 7,08,633**
						लाभार्थियों को मुआवजे के कम भुगतान पर देय कुल ब्याज	**₹ 7,08,633**	

**श्रम आयुक्त द्वारा क्षतिपूत आदेश पारित करने की तारीख को उस तारीख से एक माह की अनुमति देने के बाद, विलंब की गणना के लिए आधार तिथि मानते हुए.*

अनुलग्नक-3.3

(पैराग्राफ संख्या 3.4.2.4 (iii) में संदर्भित)

कल्याणकारी योजनाओं पर किया गया व्यय

(₹ हजारों में)

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या			संवितरित राशि		
		2020-21	2021-22	2022-23	2020-21	2021-22	2022-23
1	मातृत्व लाभ	63	139	61	1323	2919	1281
2	बेटी का सावधि जमा	97	59	24	2425	1475	600
3	बेटी की शादी (कन्यादान)	23	29	29	1173	1479	1479
4	विधवा पेंशन	14	17	22	252	358	572
5	वृद्धावस्था पेंशन	37	58	69	1141	1197	1572
6	विकलांगता पेंशन	02	02	02	46	42	58
7	शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बच्चा (बेटी या बेटा)	01	02	01	4	42	20
8	परिवार-नियोजन	0	0	0	0	0	0
9	मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता	22	31	32	8300	11800	12800
10	महिला लाभार्थी कार्यकर्ता की स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता (18-50 वर्ष)	13	27	56	13	27	56
11	टूल किट/साइकिल	100	43	65	456	195	312
12	लाभार्थी श्रमिक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सहायता	04	1329	2108	40	15387	27766
	कुल	**376**	**1732**	**2476**	**15173**	**34921**	**46516**

अनुलग्नक-3.4

(पैराग्राफ संख्या 3.4.2.4 (iii) में संदर्भित)

'मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता' के लाभार्थियों को विलंबित भुगतान'

क्र. संख्या	नामांकित व्यक्ति का नाम	पंजीकृत मृत श्रमिक का नाम	मृत्यु तिथि	लाभार्थी कार्यकर्ता की पंजीकरण संख्या (बीओसीडब्ल्यू संख्या)	वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्राप्त करने की तिथि	वित्तीय सहायता के वितरण की तिथि	देरी (60 दिनों की अवधि के बाद दिनों की संख्या)
1	गीता देवी	सुरजीत कुमार	15-11-2019	17828	14-12-2020	29-06-2021	137
2	आरती	गोविंदा	09-11-2020	22946	24-12-2020	29-06-2021	127
3	माधुरी	लालाराम वर्मा	23-06-2020	20054	04-01-2021	29-06-2021	116
4	वाला देवी	अमन सिंह	05-05-2020	20495	19-01-2021	29-06-2021	101
5	रूमन	राम शरण	09-09-2020	9907	21-01-2021	29-06-2021	99
6	लीलावती	रामदेव	08-08-2020	13078	28-01-2021	29-06-2021	92
7	वीना देवी	मंगल मंडल	25-11-2020	16825	01-02-2021	29-06-2021	88
8	ज़रीना	अख्तर	25-09-2020	19369	13-10-2020	29-01-2021	48
9	माधुरी देवी	मनु मिश्रा	02-01-2021	21620	06-04-2021	26-10-2021	143
10	मीना देवी	राजमन विश्वकर्मा	27-02-2021	18595	15-04-2021	26-10-2021	134
11	करमी	किशन चंद	12-03-2021	18793	16-04-2021	26-10-2021	133
12	वीणा देवी	शशिकांत शर्मा	27-03-2021	25544	26-04-2021	26-10-2021	123

क्र. संख्या	नामांकित व्यक्ति का नाम	पंजीकृत मृत श्रमिक का नाम	मृत्यु तिथि	लाभार्थी कार्यकर्ता की पंजीकरण संख्या (बीओसीडब्ल्यू संख्या)	वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्राप्त करने की तिथि	वित्तीय सहायता के वितरण की तिथि	देरी (60 दिनों की अवधि के बाद दिनों की संख्या)
13	उर्मिला देवी	कमलेश	27-01-2021	15801	16-04-2021	26-10-2021	133
14	अमरजीत कौर	गुरमेल सिंह	26-01-2021	19331	15-02-2021	05-01-2022	264
15	किश्मती	रमेश यादव	07-07-2020	21674	22-02-2021	05-01-2022	257
16	शोभा देवी	छेदीलाल	29-10-2020	5668	04-03-2021	05-01-2022	247
17	फूला देवी	दिनेश शर्मा	15-02-2021	18851	10-03-2021	05-01-2022	241
18	बिमला	छेदी लाल	02-03-2021	21408	31-03-2021	05-01-2022	220
19	मल्लिका	कासमनी	19-10-2020	12237	24-03-2021	05-01-2022	227
20	सिल्वी	चिन्ना स्वामी	23-03-2020	21766	07-09-2020	20-01-2022	440
21	सूरज पाल	हर पियारी	10-06-2021	21016	30-09-2020	20-01-2022	417
22	सरोज देवी	शमशेर सिंह	04-10-2020	22841	10-11-2020	20-01-2022	376
23	दानम	राजू	31-08-2020	9453	07-10-2020	20-01-2022	410
24	मुन्नी देवी	प्रेम शंकर	06-05-2022	15183	04-07-2022	15-11-2022	74
25	मीरा	वीर सिंह	27-06-2022	21314	27-07-2022	12-12-2022	78
26	दिनेश यादव	स्वामी दयाल	30-04-2022	28051	16-09-2022	11-10-2023	330
27	नूतन देवी	कन्हैया लाल	22-03-2022	21701	28-09-2022	12-12-2022	15
28	कारी पासवान	मंती देवी	13-09-2022	28136	04-10-2022	12-12-2022	9

क्र. संख्या	नामांकित व्यक्ति का नाम	पंजीकृत मृत श्रमिक का नाम	मृत्यु तिथि	लाभार्थी कार्यकर्ता की पंजीकरण संख्या (बीओसीडब्ल्यू संख्या)	वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्राप्त करने की तिथि	वित्तीय सहायता के वितरण की तिथि	देरी (60 दिनों की अवधि के बाद दिनों की संख्या)
29	जानकी	कलावती	20-01-2022	27905	10-10-2022	29-05-2023	171
30	मनोजा देवी	राम प्रीत	06-03-2022	14527	11-10-2022	21-04-2023	132
31	ममता	संजय	27-03-2022	21023	11-10-2022	12-12-2022	2
32	रविंदर यादव	देवता राम	25-08-2022	28137	17-12-2022	29-05-2023	103
33	रोहानी देवी	विनोद कुमार	24-11-2022	23226	06-01-2023	09-03-2023	2

अनुलग्नक-3.5

(पैराग्राफ संख्या 3.4.2.4 (iii) में संदर्भित)

'कन्यादान योजना' के लाभार्थियों को विलंबित भुगतान

क्र सं	नाम	आवेदन की तिथि	भुगतान की तिथि	देरी	180 (दिन) से अधिक की देरी
1.	लोंगशिरी	02-11-2020	17-06-2021	227	47
2.	मुनीश्वर प्रसाद	31-07-2020	17-06-2021	321	141
3.	ज्ञान सिंह	12-04-2021	05-01-2022	268	88
4.	ओम प्रकाश	13-04-2021	05-01-2022	267	87
5.	मोहर सिंह	26-04-2021	05-01-2022	254	74
6.	मेजर सिंह	20-05-2021	05-01-2022	230	50
7.	राम बाबू	28-05-2021	05-01-2022	222	42
8.	किशन कुमार	04-07-2022	04-03-2023	243	63
9.	सीता राम	04-07-2022	04-03-2023	243	63
10.	उदय मिस्त्री	27-07-2022	04-03-2023	220	40

अनुबंध-3.6

(पैराग्राफ संख्या 3.4.2.4 (iii) में संदर्भित)

'शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता' के लाभार्थियों को भुगतान में देरी

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
1	बंटी	सुनाक्षी	15-09-2021	06-07-2022	114
2	रामजीवन	पायल	16-09-2021	06-07-2022	113
3	फजल अहमद	आमिर	16-09-2021	06-07-2022	113
4	प्रमोद शर्मा	सोनू	16-09-2021	06-07-2022	113
5	प्रमोद शर्मा	आदित्य	16-09-2021	06-07-2022	113
6	जितेंद्र	वंदना	16-09-2021	06-07-2022	113
7	गीता सिसोरिया	चाहत	16-09-2021	06-07-2022	113
8	फूलवती	पिंकी	17-09-2021	06-07-2022	112
9	फूलवती	राधिका	17-09-2021	06-07-2022	112
10	शिव कुमार	कृष्णा	17-09-2021	06-07-2022	112
11	शिव कुमार	ज्योति	17-09-2021	06-07-2022	112
12	विनोद कुमार	गौरव	17-09-2021	06-07-2022	112
13	विनोद कुमार	शायना	17-09-2021	06-07-2022	112
14	बिजनाथ शर्मा	रोहन	20-09-2021	06-07-2022	109
15	परवीन शर्मा	अंजलि	20-09-2021	06-07-2022	109
16	परवीन शर्मा	आशु	20-09-2021	06-07-2022	109
17	राम अजोर शर्मा	अंजलि	17-09-2021	06-07-2022	112
18	राम अजोर शर्मा	संजना	17-09-2021	06-07-2022	112
19	सुरेश प्रसाद	अमन	17-09-2021	06-07-2022	112
20	सुरेश प्रसाद	तनु	20-09-2021	06-07-2022	109
21	कैलाश	हिमांशु	20-09-2021	06-07-2022	109
22	कैलाश	साक्षी	20-09-2021	06-07-2022	109
23	सुरेश प्रसाद	काजल	20-09-2021	06-07-2022	109
24	सुरेश प्रसाद	हिमांशु	20-09-2021	06-07-2022	109
25	प्रताप चंद	दीक्षा	20-09-2021	06-07-2022	109
26	प्रताप चंद	आंचल	20-09-2021	06-07-2022	109
27	राम प्रवेश साह	हिमांशु	20-09-2021	06-07-2022	109
28	राम प्रवेश साह	सोनाली	20-09-2021	06-07-2022	109
29	धीर सिंह	विकास	21-09-2021	06-07-2022	108
30	धीर सिंह	ऐंजल	21-09-2021	06-07-2022	108
31	सुशील	नंदिनी	21-09-2021	06-07-2022	108
32	सुशील	अवदित्य	21-09-2021	06-07-2022	108

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
33	रामकयास गुप्ता	साधना	21-09-2021	06-07-2022	108
34	उमेश शाह	रजनीश	21-09-2021	06-07-2022	108
35	उमेश शाह	सोमी	21-09-2021	06-07-2022	108
36	कमलेश	पार्वती	21-09-2021	06-07-2022	108
37	कमलेश	मालती	21-09-2021	06-07-2022	108
38	कमलेश	संजना	21-09-2021	06-07-2022	108
39	लक्ष्मण कुमार	सतिमा	21-09-2021	06-07-2022	108
40	मिथलेश झा	खुशी	22-09-2021	06-07-2022	107
41	मिथलेश झा	सुमित	22-09-2021	06-07-2022	107
42	महेश कुमार	हीना	22-09-2021	06-07-2022	107
43	महेश कुमार	अभय	22-09-2021	06-07-2022	107
44	धर्मेंद्र प्रसाद	नेहा	22-09-2021	06-07-2022	107
45	धर्मेंद्र प्रसाद	निभा	22-09-2021	06-07-2022	107
46	राम कृष्ण वर्मा	राजेंद्र	22-09-2021	06-07-2022	107
47	शिव प्रसाद साहू	अंजू	22-09-2021	06-07-2022	107
48	शिव प्रसाद साहू	वासुदेव	22-09-2021	06-07-2022	107
49	मंगत राम	हिमांशी	22-09-2021	06-07-2022	107
50	मंगत राम	पल्लवी	22-09-2021	06-07-2022	107
51	विजय कुमार	निखिल	22-09-2021	06-07-2022	107
52	विजय कुमार	अंकुश	22-09-2021	06-07-2022	107
53	श्री पाल	शुभम	22-09-2021	06-07-2022	107
54	श्री पाल	भरतल	22-09-2021	06-07-2022	107
55	राजा राम पंडित	कोमल	22-09-2021	06-07-2022	107
56	राजा राम पंडित	खुश्बू	22-09-2021	06-07-2022	107
57	रवि कांत शर्मा	सुमित	22-09-2021	06-07-2022	107
58	रवि कांत शर्मा	अनन्या	22-09-2021	06-07-2022	107
59	लाला बहादुर	गुडिया	22-09-2021	06-07-2022	107
60	लाला बहादुर	सुप्रिया	22-09-2021	06-07-2022	107
61	अर्जुन प्रसाद	बंदना	22-09-2021	06-07-2022	107
62	अर्जुन प्रसाद	संध्या	22-09-2021	06-07-2022	107
63	शनि देव शर्मा	गणेश	22-09-2021	06-07-2022	107
64	शनि देव शर्मा	प्रियांशु	22-09-2021	06-07-2022	107
65	राज कुमार शर्मा	कुमकुम	22-09-2021	06-07-2022	107
66	राज कुमार शर्मा	करिश्ना	22-09-2021	06-07-2022	107
67	दया राम	विवेक	22-09-2021	06-07-2022	107
68	दया राम	लक्ष्मी	22-09-2021	06-07-2022	107
69	विभाष शर्मा	प्रथम	23-09-2021	06-07-2022	106

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
70	नरेश कुमार	अंकित	23-09-2021	06-07-2022	106
71	नरेश कुमार	अनामिका	23-09-2021	06-07-2022	106
72	त्रिभवन सिंह	नेहा	23-09-2021	06-07-2022	106
73	त्रिभवन सिंह	राजप्रताप सिंह	23-09-2021	06-07-2022	106
74	सुरेश कुमार वर्मा	नीतू	23-09-2021	06-07-2022	106
75	राकेश शर्मा	सोनिया	23-09-2021	06-07-2022	106
76	सुभाष यादव	कृष्णा	23-09-2021	06-07-2022	106
77	सुभाष यादव	कृति	23-09-2021	06-07-2022	106
78	अबधेश कुमार	शिवम	23-09-2021	06-07-2022	106
79	अबधेश कुमार	सुनैना	23-09-2021	06-07-2022	106
80	रामू	निशा	23-09-2021	06-07-2022	106
81	कृष्ण	अमन	23-09-2021	06-07-2022	106
82	राज किशोर	आरती	23-09-2021	06-07-2022	106
83	राज किशोर	पूजा	23-09-2021	06-07-2022	106
84	सत्तन चौहान	रीना	23-09-2021	06-07-2022	106
85	सत्तन चौहान	जसवंत	23-09-2021	06-07-2022	106
86	सुभाष शर्मा	आंचल	23-09-2021	06-07-2022	106
87	सुभाष शर्मा	आयु	23-09-2021	06-07-2022	106
88	दुर्गा नंद पंडित	नोशन	23-09-2021	06-07-2022	106
89	दुर्गा नंद पंडित	गगन	23-09-2021	06-07-2022	106
90	रामाज्ञा चौहान	गरिमा चौहान	23-09-2021	06-07-2022	106
91	कन्हैया लाल	खुशबू	23-09-2021	06-07-2022	106
92	कन्हैया लाल	महक	23-09-2021	06-07-2022	106
93	संतोष	खुश	24-09-2021	06-07-2022	105
94	संतोष	मुस्कान	24-09-2021	06-07-2022	105
95	सुरेश कुमार	सोनिया	24-09-2021	06-07-2022	105
96	सुरेश कुमार	शिवानी	24-09-2021	06-07-2022	105
97	जय सिंह	रमन	24-09-2021	06-07-2022	105
98	जय सिंह	संजना	24-09-2021	06-07-2022	105
99	भानुमति	धर्मिंदर	24-09-2021	06-07-2022	105
100	शिव नारायण	नेहा	24-09-2021	06-07-2022	105
101	सुरजीत सिंह	हरमनजोत	24-09-2021	06-07-2022	105
102	देवानंद	आकाश	24-09-2021	06-07-2022	105
103	शिव प्रकाश	अनान्या	24-09-2021	06-07-2022	105
104	वारिश अली	तमन्ना	24-09-2021	06-07-2022	105
105	वारिश अली	तैबा	24-09-2021	06-07-2022	105
106	जगदीश	रानी	24-09-2021	06-07-2022	105

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
107	शाहजाद	आरज़ू	24-09-2021	06-07-2022	105
108	शाहजाद	अमन	24-09-2021	06-07-2022	105
109	राजू	काजल	24-09-2021	06-07-2022	105
110	राजू	रानी	24-09-2021	06-07-2022	105
111	सुरेश	सलोनी	24-09-2021	06-07-2022	105
112	सुरेश	मोहित	24-09-2021	06-07-2022	105
113	गौरी शंकर पाल	शिवानी	27-09-2021	06-07-2022	102
114	गौरी शंकर पाल	अमन कुमार	27-09-2021	06-07-2022	102
115	इंदर लाल	अंजनी	27-09-2021	06-07-2022	102
116	शशि रंजन प्रसा	चांदनी	27-09-2021	06-07-2022	102
117	शशि रंजन प्रसा	अमृता	27-09-2021	06-07-2022	102
118	राज कुमार	सोनू	27-09-2021	06-07-2022	102
119	राज कुमार	करण	27-09-2021	06-07-2022	102
120	ब्रिंद कुमार	शिवांशी	27-09-2021	06-07-2022	102
121	राम प्रीत	काजल	27-09-2021	06-07-2022	102
122	घुरन भंडारी	दीपेश	27-09-2021	06-07-2022	102
123	घुरन भंडारी	दीपांशू	27-09-2021	06-07-2022	102
124	सुरेश	मनप्रीत	27-09-2021	06-07-2022	102
125	शाहिद अहमद	सलमान	27-09-2021	06-07-2022	102
126	शाहिद अहमद	शाहीन	27-09-2021	06-07-2022	102
127	राम कुमार	करिश्मा	27-09-2021	06-07-2022	102
128	राम कुमार	शिवम	27-09-2021	06-07-2022	102
129	निरंजन शर्मा	अंकुश	27-09-2021	06-07-2022	102
130	निरंजन शर्मा	साक्षी	27-09-2021	06-07-2022	102
131	डबलू कुमार यादव	कन्हैया	27-09-2021	06-07-2022	102
132	डबलू कुमार यादव	पुरुषोत्तम	27-09-2021	06-07-2022	102
133	सर्वेश कुमार	मीनाक्षी	27-09-2021	06-07-2022	102
134	सर्वेश कुमार	मानशी	27-09-2021	06-07-2022	102
135	सुभाष यादव	परी	27-09-2021	06-07-2022	102
136	सुभाष यादव	खुशी	27-09-2021	06-07-2022	102
137	विनोद कुमार	आशीष	27-09-2021	06-07-2022	102
138	अनिल कुमार प्रजापति	दिव्यांशी	27-09-2021	06-07-2022	102
139	अनिल कुमार प्रजापति	महक	27-09-2021	06-07-2022	102
140	अर्जुन	सोनू	27-09-2021	06-07-2022	102
141	अर्जुन	अमित	27-09-2021	06-07-2022	102
142	सुभाष कुमार सोनी	आंचल	27-09-2021	06-07-2022	102
143	सुभाष कुमार सोनी	शिखा	27-09-2021	06-07-2022	102

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
144	सूरज पाल	आशा	27-09-2021	06-07-2022	102
145	सूरज पाल	रूबी	27-09-2021	06-07-2022	102
146	बद्री प्रसाद	संजना	27-09-2021	06-07-2022	102
147	बद्री प्रसाद	शिवानी	27-09-2021	06-07-2022	102
148	नानू	मोहिनी	27-09-2021	06-07-2022	102
149	नानू	अनिकेत	27-09-2021	06-07-2022	102
150	शिव लोचन	शनवीर	28-09-2021	06-07-2022	101
151	पुजी	रानी	28-09-2021	06-07-2022	101
152	राकेश कुमार	जय सिंह	28-09-2021	06-07-2022	101
153	राकेश कुमार	कविता	28-09-2021	06-07-2022	101
154	राजीव शर्मा	हार्दिक कुमार	28-09-2021	06-07-2022	101
155	राजीव शर्मा	आकांक्षा	28-09-2021	06-07-2022	101
156	करपगम	काव्या	28-09-2021	06-07-2022	101
157	करपगम	अश्विता	28-09-2021	06-07-2022	101
158	लाल बहादुर	मंजरी	28-09-2021	06-07-2022	101
159	रानु	अभय	28-09-2021	06-07-2022	101
160	विष्णु प्रसाद	आशु	28-09-2021	06-07-2022	101
161	उदय कांत शर्मा	मनीषा कुमार	28-09-2021	06-07-2022	101
162	कमलेश	प्रज्ञा गौतम	28-09-2021	06-07-2022	101
163	कमलेश	रीता गौतम	28-09-2021	06-07-2022	101
164	सुभाष राम	मोनिका	28-09-2021	06-07-2022	101
165	सुभाष राम	सूरज	28-09-2021	06-07-2022	101
166	सुनील चौपाल	ज्योति कुमारी	28-09-2021	06-07-2022	101
167	भरत सिंह	दिव्या	28-09-2021	06-07-2022	101
168	भरत सिंह	सुमित कुमार	28-09-2021	06-07-2022	101
169	सुंदर लाल	प्रिया	28-09-2021	06-07-2022	101
170	सुंदर लाल	रिया	28-09-2021	06-07-2022	101
171	पतिराज	बिट्टू	28-09-2021	06-07-2022	101
172	पतिराज	खुशी	28-09-2021	06-07-2022	101
173	सोम पाल	रजनी कुमार	28-09-2021	06-07-2022	101
174	सोम पाल	गौरव	28-09-2021	06-07-2022	101
175	महिंदर कुमार	सिमरन	29-09-2021	06-07-2022	100
176	महिंदर कुमार	सोनालिका	29-09-2021	06-07-2022	100
177	शिव पूजन सिंह	आयुषी	29-09-2021	06-07-2022	100
178	शिव पूजन सिंह	सान्या सिंह	29-09-2021	06-07-2022	100
179	जगवती	शिवानी	29-09-2021	06-07-2022	100
180	जगवती	देवेंद्र	29-09-2021	06-07-2022	100

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
181	अजय कुमार	मुस्कान	29-09-2021	06-07-2022	100
182	अजय कुमार	अंजलि	29-09-2021	06-07-2022	100
183	रामकिशोर	रोहित	29-09-2021	06-07-2022	100
184	रामकिशोर	शिवकांत	29-09-2021	06-07-2022	100
185	सतीश चंदेर	संजना	29-09-2021	06-07-2022	100
186	सतीश चंदेर	मोहित	29-09-2021	06-07-2022	100
187	इंदु देवी	मनखुश	29-09-2021	06-07-2022	100
188	इंदु देवी	रवि	29-09-2021	06-07-2022	100
189	रेखा	दीपांशु	29-09-2021	06-07-2022	100
190	रेखा	अर्जुन	29-09-2021	06-07-2022	100
191	हीरा लाल मौर्य	रोहित	29-09-2021	06-07-2022	100
192	मनोज शर्मा	नंदिनी कुमारी	29-09-2021	06-07-2022	100
193	मनोज शर्मा	निधि	29-09-2021	06-07-2022	100
194	रामहित मौर्य	अंश मौर्य	29-09-2021	06-07-2022	100
195	रामहित मौर्य	आदर्श मौर्य	29-09-2021	06-07-2022	100
196	गुलाब प्रजापत	पूजा	29-09-2021	06-07-2022	100
197	श्री निवास	सौरभ कुमार गुप्ता	29-09-2021	06-07-2022	100
198	जय प्रकाशयादव	साधना यादव	29-09-2021	06-07-2022	100
199	जय प्रकाशयादव	साधना यादव	29-09-2021	06-07-2022	100
200	सरफ राज	मोहम्मद साद	29-09-2021	06-07-2022	100
201	सरफ राज	आयशा परवीन	29-09-2021	06-07-2022	100
202	प्रदीप कुमार	गुनगुन	29-09-2021	06-07-2022	100
203	प्रदीप कुमार	तन्नू	29-09-2021	06-07-2022	100
204	रामसरीका यादव	नेहा यादव	29-09-2021	06-07-2022	100
205	रामसरीख यादव	महिमा यादव	29-09-2021	06-07-2022	100
206	सुशीला यादव	गौरव	29-09-2021	06-07-2022	100
207	सुशीला यादव	बर्षा	29-09-2021	06-07-2022	100
208	गुलजार	मुस्कान	29-09-2021	06-07-2022	100
209	गुलजार	रहनुमा	29-09-2021	06-07-2022	100
210	गुड्डी देवी	डिंपल	29-09-2021	06-07-2022	100
211	अनिल कुमार	कंचन	29-09-2021	06-07-2022	100
212	हंसवती	नीलम	29-09-2021	06-07-2022	100
213	पूनम	अंकित	29-09-2021	06-07-2022	100
214	अनारकली	सुमन	29-09-2021	06-07-2022	100
215	कमला	गोविंदा	29-09-2021	06-07-2022	100
216	कमला	गौतम	29-09-2021	06-07-2022	100
217	तोता	फूलवती	29-09-2021	06-07-2022	100

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
218	तोता	काजल	29-09-2021	06-07-2022	100
219	जय प्रकाश	नागेंद्र	29-09-2021	06-07-2022	100
220	जय प्रकाश	पूजा	29-09-2021	06-07-2022	100
221	नन्हे लाल	मोहित	29-09-2021	06-07-2022	100
222	लाल जी	लक्ष्मी देवी	29-09-2021	06-07-2022	100
223	लाल जी	जसवंत कुमार	29-09-2021	06-07-2022	100
224	हीरा लाल	अर्चना	29-09-2021	06-07-2022	100
225	हीरा लाल	बंदनी	29-09-2021	06-07-2022	100
226	कृष्ण चंद	रोशनी कुमारी	29-09-2021	06-07-2022	100
227	मजय कुमार	सरिता	29-09-2021	06-07-2022	100
228	मजय कुमार	रोहित	29-09-2021	06-07-2022	100
229	धुनु	अर्चना	30-09-2021	06-07-2022	99
230	नूर आलम मंसूरी	रुकशद आलम मंसूरी	30-09-2021	06-07-2022	99
231	शेर बहादुर	किरण	30-09-2021	06-07-2022	99
232	ऋषि देव सिंह	मनीषा	30-09-2021	06-07-2022	99
233	उदय शंकर	खुशबू कुमारी	30-09-2021	06-07-2022	99
234	उदय शंकर	आकांक्षा कुमारी	30-09-2021	06-07-2022	99
235	संदीप कुमार	दीपशिखा	30-09-2021	06-07-2022	99
236	रणधीर कुमार	शिवानी	30-09-2021	06-07-2022	99
237	रणधीर कुमार	रेणु देवी	30-09-2021	06-07-2022	99
238	दारुगा हरिजन	लुवकुश	30-09-2021	06-07-2022	99
239	दारुगा हरिजन	जयकेश	30-09-2021	06-07-2022	99
240	राम सनेही	कोमल	30-09-2021	06-07-2022	99
241	राम सनेही	रीता	30-09-2021	06-07-2022	99
242	धरोपा	सत्यम कुमार	30-09-2021	06-07-2022	99
243	धरोपा	शिवम	30-09-2021	06-07-2022	99
244	राम रतन	अनमोल	30-09-2021	06-07-2022	99
245	सुभाष शर्मा	अंजलि कुमारी	30-09-2021	06-07-2022	99
246	सुभाष शर्मा	हिमांशु कुमार	30-09-2021	06-07-2022	99
247	सुरेश कुमार यादव	चन्द्र कुमार यादव	30-09-2021	06-07-2022	99
248	सुरेश कुमार यादव	अनीता कुमारी	30-09-2021	06-07-2022	99
249	लव	खुशी	30-09-2021	06-07-2022	99
250	हदीश मोहम्मद	गुलाब हुसैन	30-09-2021	06-07-2022	99
251	आमिर अंसारी	नगमा	30-09-2021	06-07-2022	99
252	पूरन कुमार	आरोही	30-09-2021	06-07-2022	99
253	विक्रम	वंशिका	30-09-2021	06-07-2022	99
254	विक्रम	इशिका	30-09-2021	06-07-2022	99

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
255	राम चंदर	प्रमोद	30-09-2021	06-07-2022	99
256	राम चंदर	काजल	30-09-2021	06-07-2022	99
257	दलजीत	प्रिया	30-09-2021	06-07-2022	99
258	सुमित कुमार	अमृत शर्मा	30-09-2021	06-07-2022	99
259	सुमित कुमार	राजेंद्र शर्मा	30-09-2021	06-07-2022	99
260	इशरार अहमद	उबैद उर रहमान	30-09-2021	06-07-2022	99
261	बहादुर सिंह	विक्की	30-09-2021	06-07-2022	99
262	लोंगश्री	रवि	30-09-2021	06-07-2022	99
263	अजय कुमार	अर्जुन	30-09-2021	06-07-2022	99
264	अजय कुमार	आनंदी	30-09-2021	06-07-2022	99
265	नेमवती	प्रकाश	30-09-2021	06-07-2022	99
266	नेमवती	खुशबू	30-09-2021	06-07-2022	99
267	गोपी चंद गुप्ता	जय चंद गुप्ता	30-09-2021	06-07-2022	99
268	गोपी चंद गुप्ता	सतीश चंद गुप्ता	30-09-2021	06-07-2022	99
269	श्रीमान यादव	अंशिका	30-09-2021	06-07-2022	99
270	श्रीमान यादव	शिवांगी	30-09-2021	06-07-2022	99
271	पप्पू शर्मा	आकाश शर्मा	30-09-2021	06-07-2022	99
272	पप्पू शर्मा	काजल कुमारी	30-09-2021	06-07-2022	99
273	दुर्गेश मौर्य कुमार	अरुण मौर्य	30-09-2021	06-07-2022	99
274	अमर सिंह	खुशी	30-09-2021	06-07-2022	99
275	अमर सिंह	रीना	30-09-2021	06-07-2022	99
276	मिथलेश	नंदिनी	30-09-2021	06-07-2022	99
277	मिथलेश	नीतीश	30-09-2021	06-07-2022	99
278	महाबीर	आकाश	30-09-2021	06-07-2022	99
279	महाबीर	विकास	30-09-2021	06-07-2022	99
280	शिव शंकर	रागिनी	30-09-2021	06-07-2022	99
281	शिव शंकर	खुशबू	01-10-2021	06-07-2022	98
282	राजा राम	आश्विन	01-10-2021	06-07-2022	98
283	राजा राम	मानवी	01-10-2021	06-07-2022	98
284	खालिद	मोहम्मद अनस	01-10-2021	06-07-2022	98
285	सचिन कुमार	कोमल	01-10-2021	06-07-2022	98
286	तीर्थराज	सोनी	01-10-2021	06-07-2022	98
287	तीर्थराज	शिखा	01-10-2021	06-07-2022	98
288	राम सरन सिंह	प्रीति कुमारी	01-10-2021	06-07-2022	98
289	देवेंद्र कुमार	किरण कुमारी	01-10-2021	06-07-2022	98
290	देवेंद्र कुमार	करण कुमार	01-10-2021	06-07-2022	98
291	धर्मेंद्र सिंह	पूजा	01-10-2021	06-07-2022	98

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
292	धर्मेंद्र सिंह	शालू देवी	01-10-2021	06-07-2022	98
293	विनोद शाह	निशा	01-10-2021	06-07-2022	98
294	विनोद शाह	नेहा यादव	01-10-2021	06-07-2022	98
295	बाल्मीकि पंडित	माधुरी कुमारी	01-10-2021	06-07-2022	98
296	बाल्मीकि पंडित	ममता कुमारी	01-10-2021	06-07-2022	98
297	अंसार अली	हसनैन अली	01-10-2021	06-07-2022	98
298	अंसार अली	हसन अली	01-10-2021	06-07-2022	98
299	राम की	पवन कुमार	01-10-2021	06-07-2022	98
300	क्रांति	संतोष	01-10-2021	06-07-2022	98
301	क्रांति	दीपक	01-10-2021	06-07-2022	98
302	राजू	बादल कुमार	01-10-2021	06-07-2022	98
303	मनोज शर्मा	ज्योति कुमारी	01-10-2021	06-07-2022	98
304	मनोज शर्मा	आकाश कुमार	01-10-2021	06-07-2022	98
305	शाम बहादुर	रमाकांत	01-10-2021	06-07-2022	98
306	शाम बहादुर	चांदनी	01-10-2021	06-07-2022	98
307	कन्हैया लाल	नैना देवी	01-10-2021	06-07-2022	98
308	कन्हैया लाल	संदीप कुमार	01-10-2021	06-07-2022	98
309	निर्मल कुमार	अमन सौरभ	01-10-2021	06-07-2022	98
310	नंद किशोर शर्मा	अजीत शर्मा	01-10-2021	06-07-2022	98
311	विनोद कुमार	गौरव यादव	01-10-2021	06-07-2022	98
312	विनोद कुमार	श्रेया	04-10-2021	06-07-2022	95
313	तारा देवी	करुणा	04-10-2021	06-07-2022	95
314	शाम लाल	किरण	04-10-2021	06-07-2022	95
315	मुंशी	रिंकू	04-10-2021	06-07-2022	95
316	मुंशी	संजना	04-10-2021	06-07-2022	95
317	भानवती	अंजलि	04-10-2021	06-07-2022	95
318	भानवती	राजकुमारी	04-10-2021	06-07-2022	95
319	वासदेव	कोमल प्रजापति	04-10-2021	06-07-2022	95
320	वासदेव	पायल प्रजापति	04-10-2021	06-07-2022	95
321	राजेश सिंह	अनुराग सिंह	04-10-2021	06-07-2022	95
322	राजेश सिंह	आदित्य सिंह	04-10-2021	06-07-2022	95
323	सुरेंद्र कुमार	चांदनी	04-10-2021	06-07-2022	95
324	सुरेंद्र कुमार	बंदनी	04-10-2021	06-07-2022	95
325	छोटेलाल शर्मा	नंदनी	04-10-2021	06-07-2022	95
326	छोटेलाल शर्मा	रोशनी	04-10-2021	06-07-2022	95
327	सरबजीत शर्मा	भूषण	04-10-2021	06-07-2022	95
328	सरबजीत शर्मा	अमित शर्मा	04-10-2021	06-07-2022	95

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
329	वकील शर्मा	कोमल	04-10-2021	06-07-2022	95
330	वकील शर्मा	अनुज शर्मा	04-10-2021	06-07-2022	95
331	राम दास प्रजापति	रागिनी	04-10-2021	06-07-2022	95
332	सोनिया	आकांक्षा	04-10-2021	06-07-2022	95
333	विजय कुमार सान्याल	मनीष कुमार सान्याल	04-10-2021	06-07-2022	95
334	विजय कुमार सान्याल	मोहित कुमार सान्याल	04-10-2021	06-07-2022	95
335	विकास शर्मा	अभिषेक कुमार	04-10-2021	06-07-2022	95
336	विकास शर्मा	अंजलि कुमारी	04-10-2021	06-07-2022	95
337	चंदर शेखर	मन्नत	04-10-2021	06-07-2022	95
338	चंदर शेखर	भानवी	04-10-2021	06-07-2022	95
339	राकेश कुमार	दीपक	04-10-2021	06-07-2022	95
340	राममिलन बांसकार	प्रिंस	04-10-2021	06-07-2022	95
341	शंभु पासवान	स्वेथा कुमारी	04-10-2021	06-07-2022	95
342	शंभु पासवान	अभिषेक	04-10-2021	06-07-2022	95
343	योगेश शर्मा	सुमन	04-10-2021	06-07-2022	95
344	योगेश शर्मा	रोली	04-10-2021	06-07-2022	95
345	अशोक शर्मा	भारती कुमारी	04-10-2021	06-07-2022	95
346	ब्रह्मा नंद	सोनम	04-10-2021	06-07-2022	95
347	ब्रह्मा नंद	मनिता	04-10-2021	06-07-2022	95
348	रति कांत दास	बरसा रानी	04-10-2021	06-07-2022	95
349	रति कांत दास	रुद्र कांता	04-10-2021	06-07-2022	95
350	योगिंदर प्रसाद	संजीव कुमार	04-10-2021	06-07-2022	95
351	कुष्मवती	अजय सिंह	04-10-2021	06-07-2022	95
352	कुष्मवती	किरण	04-10-2021	06-07-2022	95
353	शिव कुमार	भोला	05-10-2021	06-07-2022	94
354	शिव कुमार	भारती	05-10-2021	06-07-2022	94
355	बंसी लाल	आकाश	05-10-2021	06-07-2022	94
356	बंसी लाल	विशाल कुमार	05-10-2021	06-07-2022	94
357	इंदर पाल	नैन्सी	05-10-2021	06-07-2022	94
358	इंदर पाल	नितिन	05-10-2021	06-07-2022	94
359	हरि किशोर शर्मा	अंकुश शर्मा	05-10-2021	06-07-2022	94
360	नीलम	आरती	05-10-2021	06-07-2022	94
361	नीलम	राजू	05-10-2021	06-07-2022	94
362	हरि बलम सिंह	आकाश कुमार	05-10-2021	06-07-2022	94
363	हरि बलम सिंह	मेघा कुमारी	05-10-2021	06-07-2022	94
364	जीबछ मघतो	हेमचंद	05-10-2021	06-07-2022	94
365	प्रमोद कुमार	उपासना	05-10-2021	06-07-2022	94

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
366	प्रमोद कुमार	सुमित	05-10-2021	06-07-2022	94
367	राजेश कुमार	सानिया	05-10-2021	06-07-2022	94
368	संजू	हिमांशु	05-10-2021	06-07-2022	94
369	संजू	दीपांशु	05-10-2021	06-07-2022	94
370	मोहम्मद नशीम	कशिश	05-10-2021	06-07-2022	94
371	अमित	अजय	05-10-2021	06-07-2022	94
372	अमित	अभय	05-10-2021	06-07-2022	94
373	कृषण कुमार	अंकेश भीम बोध	05-10-2021	06-07-2022	94
374	कृषण कुमार	अंकिता बोध	05-10-2021	06-07-2022	94
375	जय बहादुर यादव	काजल	05-10-2021	06-07-2022	94
376	जय बहादुर यादव	सोनम	05-10-2021	06-07-2022	94
377	शिव कुमार	बंदना	05-10-2021	06-07-2022	94
378	शिव कुमार	विकास कुमार	05-10-2021	06-07-2022	94
379	गुरबचन	नेहा	05-10-2021	06-07-2022	94
380	गुरबचन	लक्ष्मी	05-10-2021	06-07-2022	94
381	विजय सिंह	उदय सिंह	06-10-2021	06-07-2022	93
382	शत्रु	शिवम	06-10-2021	06-07-2022	93
383	शत्रु	काजल	06-10-2021	06-07-2022	93
384	अमरजीत	राखी	06-10-2021	06-07-2022	93
385	अमरजीत	अमित कुमार	06-10-2021	06-07-2022	93
386	अमरनाथ	प्रदीप कुमार	06-10-2021	06-07-2022	93
387	लखविंदर सिंह	सक्षम सिंह	06-10-2021	06-07-2022	93
388	लखविंदर सिंह	गुरजोत सिंह	06-10-2021	06-07-2022	93
389	रतन लाल	अरविंद	06-10-2021	06-07-2022	93
390	राजा राम शर्मा	उदय शर्मा	06-10-2021	06-07-2022	93
391	राजा राम शर्मा	काजल कुमारी	06-10-2021	06-07-2022	93
392	बिपिन पंडित	गौरव कुमार	06-10-2021	06-07-2022	93
393	बिपिन पंडित	सानिया कुमारी	06-10-2021	06-07-2022	93
394	फिरतू	काजल	06-10-2021	06-07-2022	93
395	इबरार अली	आयशा	06-10-2021	06-07-2022	93
396	राधा कृष्ण	अजय	06-10-2021	06-07-2022	93
397	अजय शर्मा	विवेक शर्मा	06-10-2021	06-07-2022	93
398	रामवती	संजीव	06-10-2021	06-07-2022	93
399	पवन कुमार	पंकज	06-10-2021	06-07-2022	93
400	प्रभु दयाल	संजय	06-10-2021	06-07-2022	93
401	विजय मेहता	आकाश	06-10-2021	06-07-2022	93
402	गणेश शर्मा	राकेश कुमार शर्मा	06-10-2021	06-07-2022	93

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
403	गणेश शर्मा	आंचल	06-10-2021	06-07-2022	93
404	अर्जुन	शिवम	06-10-2021	06-07-2022	93
405	अर्जुन	राजू	06-10-2021	06-07-2022	93
406	दलीप कुमार	रेशम कुमारी	06-10-2021	06-07-2022	93
407	लाल बचन यादव	ज्योति यादव	06-10-2021	06-07-2022	93
408	अमित जैन	धृति जैन	06-10-2021	06-07-2022	93
409	सावित्री	उर्मिला	06-10-2021	06-07-2022	93
410	राजा राम	संजली	07-10-2021	06-07-2022	92
411	राजा राम	शिवानी कुमारी	07-10-2021	06-07-2022	92
412	दिनेश सिंह	दीपक सिंह	07-10-2021	06-07-2022	92
413	उपकार सिंह	अंकिता	07-10-2021	06-07-2022	92
414	उपकार सिंह	अवंतिका सिंह	07-10-2021	06-07-2022	92
415	लाल बहादुर	निखिल	07-10-2021	06-07-2022	92
416	लाल बहादुर	सूरज	07-10-2021	06-07-2022	92
417	प्रेम पाल	ललित	07-10-2021	06-07-2022	92
418	बाबू राम	काजल	07-10-2021	06-07-2022	92
419	बाबू राम	आकाश	07-10-2021	06-07-2022	92
420	राजेंद्र शर्मा	रूबी	07-10-2021	06-07-2022	92
421	निसार हम्माद	मोहम्मद सोयाब	07-10-2021	06-07-2022	92
422	निसार हम्माद	सुहेल खान	07-10-2021	06-07-2022	92
423	दिनेश	अमर गौतम	07-10-2021	06-07-2022	92
424	निरंजन शर्मा	प्रिया कुमारी	08-10-2021	06-07-2022	91
425	निरंजन शर्मा	हरविंदर शर्मा	08-10-2021	06-07-2022	91
426	सुबोध शर्मा	रुचि कुमारी	08-10-2021	06-07-2022	91
427	सुबोध शर्मा	अभिषेक शर्मा	08-10-2021	06-07-2022	91
428	संजय यादव	अंशिका	08-10-2021	06-07-2022	91
429	मंजू देवी	जय किशन	08-10-2021	06-07-2022	91
430	मंजू देवी	चैतन	08-10-2021	06-07-2022	91
431	लक्ष्मी	खुशी	08-10-2021	06-07-2022	91
432	लक्ष्मी	शालिनी	08-10-2021	06-07-2022	91
433	श्याम सिंह	नैना	08-10-2021	06-07-2022	91
434	श्याम सिंह	देवराज	08-10-2021	06-07-2022	91
435	शेर सिंह	जानकी	08-10-2021	06-07-2022	91
436	शेर सिंह	रवि	08-10-2021	06-07-2022	91
437	दया राम वर्मा	सुमन देवी वर्मा	08-10-2021	06-07-2022	91
438	दया राम वर्मा	हरिराम वर्मा	08-10-2021	06-07-2022	91
439	अजोरा	सुमित	11-10-2021	06-07-2022	88

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
440	अजोरा	कशिश	11-10-2021	06-07-2022	88
441	चंद्र देव शर्मा	रोहित कुमार	11-10-2021	06-07-2022	88
442	चंद्र देव शर्मा	रूपेश कुमार	11-10-2021	06-07-2022	88
443	सूरज पाल	अशोक	11-10-2021	06-07-2022	88
444	सूरज पाल	प्रीति	11-10-2021	06-07-2022	88
445	राम मूर्ति पंडित	जानवी	11-10-2021	06-07-2022	88
446	राम मूर्ति पंडित	निकिता	11-10-2021	06-07-2022	88
447	मुख्तार अहमद	मंत्शा	11-10-2021	06-07-2022	88
448	मुख्तार अहमद	साधिक अंसारी	11-10-2021	06-07-2022	88
449	भीरुग प्रसाद	राज कुमार	11-10-2021	06-07-2022	88
450	अनीता	कुमकुम	11-10-2021	06-07-2022	88
451	अनीता	पिंकी	11-10-2021	06-07-2022	88
452	विनोद कुमार	वीरू	11-10-2021	06-07-2022	88
453	घनश्याम	कमलेश	11-10-2021	06-07-2022	88
454	घनश्याम	सितल	11-10-2021	06-07-2022	88
455	राजेंद्र चौहान	खुशबू	11-10-2021	06-07-2022	88
456	राजेंद्र चौहान	पुष्पा कुमारी	11-10-2021	06-07-2022	88
457	त्रिलोकी	प्रतिमा	11-10-2021	06-07-2022	88
458	शिव चंद	कमल	11-10-2021	06-07-2022	88
459	शिव चंद	सुधा	11-10-2021	06-07-2022	88
460	राजेंद्र कुमार	कुसुम	11-10-2021	06-07-2022	88
461	राजेंद्र कुमार	रवि	11-10-2021	06-07-2022	88
462	राजेश चौहान	निकिता	11-10-2021	06-07-2022	88
463	मुन्नी राज	हिमांशु	11-10-2021	06-07-2022	88
464	राम चन्द्र	खुशबू	11-10-2021	06-07-2022	88
465	अमित कुमार	आदित्य	11-10-2021	06-07-2022	88
466	अमित कुमार	शालू	11-10-2021	06-07-2022	88
467	भूरे	संजना	11-10-2021	06-07-2022	88
468	भूरे	निधि	11-10-2021	06-07-2022	88
469	इंदुवती	नंदिनी	11-10-2021	06-07-2022	88
470	दीवान पासवान	सोनू पासवान	11-10-2021	06-07-2022	88
471	रतन लाल	निशा	11-10-2021	06-07-2022	88
472	रतन लाल	राहुल	11-10-2021	06-07-2022	88
473	जिया लाल	आरती	12-10-2021	06-07-2022	87
474	बसंत पंडित	लक्ष्मी कुमारी	12-10-2021	06-07-2022	87
475	बसंत पंडित	कोमल कुमारी	12-10-2021	06-07-2022	87
476	राम निवास	सनी	12-10-2021	06-07-2022	87

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
477	राम निवास	लीला देवी	12-10-2021	06-07-2022	87
478	विनीता देवी	प्रिंस कुमार	12-10-2021	06-07-2022	87
479	विनीता देवी	रागिनी कुमारी	12-10-2021	06-07-2022	87
480	सहदेव मंडल	मांशु	12-10-2021	06-07-2022	87
481	महेश शाह	साक्षी रानी	12-10-2021	06-07-2022	87
482	महेश शाह	नेहा	12-10-2021	06-07-2022	87
483	राम कृपाल	नेहा	12-10-2021	06-07-2022	87
484	राम कृपाल	विकास	12-10-2021	06-07-2022	87
485	संजय कुमार	अर्पित	12-10-2021	06-07-2022	87
486	श्याम लाल	अनूप कुमार	12-10-2021	06-07-2022	87
487	जयंत कुमार	आयुष कुमार	12-10-2021	06-07-2022	87
488	जयंत कुमार	कशिश	12-10-2021	06-07-2022	87
489	कैलाश	खुशबू	12-10-2021	06-07-2022	87
490	नंद किशोर	नैवेद्य	12-10-2021	06-07-2022	87
491	नंद किशोर	जिज्ञासा	12-10-2021	06-07-2022	87
492	बिट्टू	वंशिका	12-10-2021	06-07-2022	87
493	बिट्टू	हिमांशु	12-10-2021	06-07-2022	87
494	असमंजन कुमार शर्मा	अंश कुमार शर्मा	13-10-2021	06-07-2022	86
495	चंदर शेखर	करिश्मा	13-10-2021	06-07-2022	86
496	हेतिलाल	कोमल कुमारी	13-10-2021	06-07-2022	86
497	हेतिलाल	सचिन शर्मा	13-10-2021	06-07-2022	86
498	सोनू	शिवांगी	13-10-2021	06-07-2022	86
499	पिंटू शर्मा	कोमल कुमारी	13-10-2021	06-07-2022	86
500	पिंटू शर्मा	कमलदीप शर्मा	13-10-2021	06-07-2022	86
501	मोहम्मद नाजिम	मोहम्मद दानिश	13-10-2021	06-07-2022	86
502	मोहम्मद नाजिम	अलीशा	13-10-2021	06-07-2022	86
503	ओम प्रकाश पटेल	सूरज पटेल	13-10-2021	06-07-2022	86
504	ओम प्रकाश पटेल	ऋषभ	13-10-2021	06-07-2022	86
505	नंदन सिंह	सपना कुमारी	13-10-2021	06-07-2022	86
506	माला देवी	अरुण	13-10-2021	06-07-2022	86
507	राज कुमार	राखी	13-10-2021	06-07-2022	86
508	राजकुमार	नमन	13-10-2021	06-07-2022	86
509	नन्हे लाल	मुस्कान	13-10-2021	06-07-2022	86
510	नन्हे लाल	आंचल	13-10-2021	06-07-2022	86
511	त्रिलोकी	अभिमन्यु	13-10-2021	06-07-2022	86
512	मनोज शाह	काजल	13-10-2021	06-07-2022	86
513	मनोज शाह	विक्रम	13-10-2021	06-07-2022	86

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
514	कुसुम	रोहित	13-10-2021	06-07-2022	86
515	कुसुम	रितेश	13-10-2021	06-07-2022	86
516	बिंटू	दीपांशु	14-10-2021	06-07-2022	85
517	बिंटू	नेहा	14-10-2021	06-07-2022	85
518	शिश पाल	नीरज	14-10-2021	06-07-2022	85
519	शिश पाल	आरती	14-10-2021	06-07-2022	85
520	बंसीलाल	मुकेश	14-10-2021	06-07-2022	85
521	मोहिंदर सिंह	प्रियंका	14-10-2021	06-07-2022	85
522	मोहिंदर सिंह	हर्षित	14-10-2021	06-07-2022	85
523	रजनीकांत राम	नेहा भारती	14-10-2021	06-07-2022	85
524	रजनीकांत राम	बलबीर कुमार भारती	14-10-2021	06-07-2022	85
525	रामजीत	अभिषेक गौतम	14-10-2021	06-07-2022	85
526	शिवचरण	चांदनी	14-10-2021	06-07-2022	85
527	बिलाल	रहमान	14-10-2021	06-07-2022	85
528	बिलाल	रिहान	14-10-2021	06-07-2022	85
529	रामबचन	दीपक	14-10-2021	06-07-2022	85
530	इरफान अहमद	समीर अहमद	14-10-2021	06-07-2022	85
531	इरफान अहमद	आयशा जहाँ	14-10-2021	06-07-2022	85
532	विजय कुमार	सरिता देवी	14-10-2021	06-07-2022	85
533	विजय कुमार	नंदिनी राठौर	14-10-2021	06-07-2022	85
534	अमरपाल	अमन	14-10-2021	06-07-2022	85
535	राज किशोर	इंद्रसेन	14-10-2021	06-07-2022	85
536	सुशील कुमार	दमन	14-10-2021	06-07-2022	85
537	सुशील कुमार	नंदिनी	14-10-2021	06-07-2022	85
538	राजेश कुमार	राजकुमार	14-10-2021	06-07-2022	85
539	राजेश कुमार	नवजोत	14-10-2021	06-07-2022	85
540	मान सिंह	पहलाद	14-10-2021	06-07-2022	85
541	मान सिंह	लक्ष्मी	14-10-2021	06-07-2022	85
542	रविंदर शर्मा	इंद्रजीत कुमार शर्मा	14-10-2021	06-07-2022	85
543	शिव बहादुर	सौरव	14-10-2021	06-07-2022	85
544	शिव बहादुर	गौरव	14-10-2021	06-07-2022	85
545	जादू शर्मा	संदीप शर्मा	18-10-2021	06-07-2022	81
546	जादू शर्मा	संजना	18-10-2021	06-07-2022	81
547	प्रमोद कुमार	सुमित कुमार शर्मा	18-10-2021	06-07-2022	81
548	प्रमोद कुमार	दीपक कुमारी	18-10-2021	06-07-2022	81
549	रेखा	सोहना	18-10-2021	06-07-2022	81
550	रेखा	भगवान दास	18-10-2021	06-07-2022	81

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
551	सहदेव यादव	अमन कुमार	18-10-2021	06-07-2022	81
552	सहदेव यादव	अमृत यादव	18-10-2021	06-07-2022	81
553	मोहम्मद नासिर	आरज़ू तसकी	18-10-2021	06-07-2022	81
554	मोहम्मद नासिर	मोहम्मद जसमेद अंसारी	18-10-2021	06-07-2022	81
555	राम बूध जोहान	शिवानी	18-10-2021	06-07-2022	81
556	वीर पाल सिंह	अंकिता	18-10-2021	06-07-2022	81
557	वीर पाल सिंह	हिमांशी	18-10-2021	06-07-2022	81
558	लखमी सिंह	प्राची	18-10-2021	06-07-2022	81
559	लखमी सिंह	सुरजीत सिंह	18-10-2021	06-07-2022	81
560	राम अवतार	शिवा	18-10-2021	06-07-2022	81
561	राम अवतार	शिवानी	18-10-2021	06-07-2022	81
562	दिनेश गुप्ता	दीपेश गुप्ता	18-10-2021	06-07-2022	81
563	राजिंदर कुमार	अंजलि	18-10-2021	06-07-2022	81
564	राजिंदर कुमार	अंश कुमार	18-10-2021	06-07-2022	81
565	कन्हैया लाल यादव	प्रियंका	18-10-2021	06-07-2022	81
566	कन्हैया लाल यादव	कविता	18-10-2021	06-07-2022	81
567	मोहम्मद इरफान	राफिया	18-10-2021	06-07-2022	81
568	मोहम्मद इरफान	सोफिया	18-10-2021	06-07-2022	81
569	राज कुमार	कृष्णा	18-10-2021	06-07-2022	81
570	कुसुम देवी	जीवन	18-10-2021	06-07-2022	81
571	कुसुम देवी	बीरेंद्र	18-10-2021	06-07-2022	81
572	कमलेश	दीपक	18-10-2021	06-07-2022	81
573	कमलेश	पिंकी	18-10-2021	06-07-2022	81
574	सतीश शर्मा	अमित	18-10-2021	06-07-2022	81
575	सतीश शर्मा	नकाह शर्मा	18-10-2021	06-07-2022	81
576	दया शंकर	मनीष	19-10-2021	06-07-2022	80
577	अच्छेलाल वर्मा	निखिल	19-10-2021	06-07-2022	80
578	अच्छेलाल वर्मा	आयुष	19-10-2021	06-07-2022	80
579	मुकेश	शिवम	19-10-2021	06-07-2022	80
580	मुकेश	सत्यम	19-10-2021	06-07-2022	80
581	रंजीत कुमार शर्मा	करण कुमार	19-10-2021	06-07-2022	80
582	रंजीत कुमार शर्मा	खुशी शर्मा	19-10-2021	06-07-2022	80
583	मुन्नी लाल शर्मा	रितिका कुमारी	19-10-2021	06-07-2022	80
584	मुन्नी लाल शर्मा	प्रिंस कुमार	19-10-2021	06-07-2022	80
585	सोमबीर	मोहित कुमार	19-10-2021	06-07-2022	80
586	सोमबीर	रजत कुमार	19-10-2021	06-07-2022	80
587	अजयपाल सिंह	अरुण	19-10-2021	06-07-2022	80

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
588	अजयपाल सिंह	अंजलि	19-10-2021	06-07-2022	80
589	कृष्ण पाल	विनिता	19-10-2021	06-07-2022	80
590	कृष्ण पाल	लता	19-10-2021	06-07-2022	80
591	मोहम्मद गुफ़रान	शाहीन	19-10-2021	06-07-2022	80
592	जानकी देवी	सूरज	19-10-2021	06-07-2022	80
593	जानकी देवी	अमित	19-10-2021	06-07-2022	80
594	छोटे लाल	हेम लता	19-10-2021	06-07-2022	80
595	आनंद पाल	नीलम	19-10-2021	06-07-2022	80
596	आनंद पाल	प्रीति	19-10-2021	06-07-2022	80
597	तारावती	राजकुमार	19-10-2021	06-07-2022	80
598	धर्मवती	अरुण	19-10-2021	06-07-2022	80
599	धर्मवती	चंद्रशेखर	19-10-2021	06-07-2022	80
600	महिंदर महतो	आरती	19-10-2021	06-07-2022	80
601	महिंदर महतो	अमित	19-10-2021	06-07-2022	80
602	रामजी शाह	कंचन	19-10-2021	06-07-2022	80
603	दीप नारायण सिंह	ओम प्रिया कुमारी	19-10-2021	06-07-2022	80
604	दीप नारायण सिंह	प्रिंस कुमार	19-10-2021	06-07-2022	80
605	रामानंद साहनी	माया कुमारी	19-10-2021	06-07-2022	80
606	बीरपाल	खुशबू	19-10-2021	06-07-2022	80
607	बीरपाल	लक्ष्मी	19-10-2021	06-07-2022	80
608	राजेंद्र	मीना	19-10-2021	06-07-2022	80
609	राजेंद्र	खुशी	19-10-2021	06-07-2022	80
610	रामनवल यादव	अनु कुमारी	19-10-2021	06-07-2022	80
611	रामनवल यादव	अनुष्का कुमारी	19-10-2021	06-07-2022	80
612	नानक सिंह	हीना देवी	19-10-2021	06-07-2022	80
613	नानक सिंह	राजविंदर सिंह	19-10-2021	06-07-2022	80
614	गुरबान पुरबे	अनिल कुमार पुरबे	19-10-2021	06-07-2022	80
615	राजेश कुमार	रोशनी	19-10-2021	06-07-2022	80
616	राजेश कुमार	रागिनी कुमारी	19-10-2021	06-07-2022	80
617	शीला	भारती	19-10-2021	06-07-2022	80
618	राम कोमल	नीतीश कुमार	21-10-2021	06-07-2022	78
619	राम किशोर पासवान	सुमन कुमारी	21-10-2021	06-07-2022	78
620	राम किशोर पासवान	सनी कुमारी	21-10-2021	06-07-2022	78
621	अखिलेश कुमार	राजा बाबू	21-10-2021	06-07-2022	78
622	अखिलेश कुमार	लक्ष्मी	21-10-2021	06-07-2022	78
623	फुरखान अहमद	मो. फैजान	21-10-2021	06-07-2022	78
624	शाहबुदीन	अस्मा	21-10-2021	06-07-2022	78

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
625	शाहबुदीन	आशिया	21-10-2021	06-07-2022	78
626	मनोज कुमार	आकाश	21-10-2021	06-07-2022	78
627	मनोज कुमार	अंजलि	21-10-2021	06-07-2022	78
628	रामदीन यादव	सुमन	21-10-2021	06-07-2022	78
629	राम समुझ	आशीष चौहान	21-10-2021	06-07-2022	78
630	फूलचंद	अमन	21-10-2021	06-07-2022	78
631	फूलचंद	अंजलि	21-10-2021	06-07-2022	78
632	नदीम अहमद	तमन्ना परवीन	21-10-2021	06-07-2022	78
633	नदीम अहमद	अरमान	21-10-2021	06-07-2022	78
634	मांदिया	रजनी	21-10-2021	06-07-2022	78
635	मांदिया	पवन कुमार	21-10-2021	06-07-2022	78
636	अभय राज	अमित वर्मा	21-10-2021	06-07-2022	78
637	अभय राज	सुमित	21-10-2021	06-07-2022	78
638	हरिकरन सिंह	स्नेहा	21-10-2021	06-07-2022	78
639	जय प्रकाश	हरपाल	21-10-2021	06-07-2022	78
640	जय प्रकाश	राधा	21-10-2021	06-07-2022	78
641	नंदलाल	चांदनी	21-10-2021	06-07-2022	78
642	दिलीप शर्मा	शुभम कुमार	21-10-2021	06-07-2022	78
643	राम सेवक	काजल	21-10-2021	06-07-2022	78
644	राम सेवक	राहुल कुमार	21-10-2021	06-07-2022	78
645	राम सुंदर	पायल	21-10-2021	06-07-2022	78
646	राम सुंदर	खुशबू	21-10-2021	06-07-2022	78
647	नानक यादव	कीर्ति	21-10-2021	06-07-2022	78
648	बाबूलाल	सिया	21-10-2021	06-07-2022	78
649	बाबूलाल	रिया	21-10-2021	06-07-2022	78
650	अजय कुमार	श्याम कुमार	21-10-2021	06-07-2022	78
651	करमजीत सिंह	सुमनजीत कौर	21-10-2021	06-07-2022	78
652	अच्छेलाल चौहान	रोशनी कुमारी	22-10-2021	06-07-2022	77
653	राम सुरमन पाल	तानिया	22-10-2021	06-07-2022	77
654	राम सुरमन पाल	प्रिया	22-10-2021	06-07-2022	77
655	प्रेम शंकर	सुनील	22-10-2021	06-07-2022	77
656	प्रेम शंकर	बबलू	22-10-2021	06-07-2022	77
657	अनिल कुमार	प्रियंका	22-10-2021	06-07-2022	77
658	अरुण पासवान	स्नेहा	22-10-2021	06-07-2022	77
659	अरुण पासवान	सचिन	22-10-2021	06-07-2022	77
660	कपूर चंद	मोनिका कुमारी	22-10-2021	06-07-2022	77
661	कपूर चंद	राधिका	22-10-2021	06-07-2022	77

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
662	मुन्ना लाल	दीपिका	22-10-2021	06-07-2022	77
663	संजय यादव	दिवांशु यादव	22-10-2021	06-07-2022	77
664	दयाराम	मुस्कान साहू	22-10-2021	06-07-2022	77
665	प्रवीण कुमार	महक	22-10-2021	06-07-2022	77
666	दिनेश सिंह	स्नेहा	22-10-2021	06-07-2022	77
667	दिनेश सिंह	ऋषभ सिंह	22-10-2021	06-07-2022	77
668	राम लाल	अंकित कश्यप	22-10-2021	06-07-2022	77
669	राम लाल	गौरी कश्यप	22-10-2021	06-07-2022	77
670	कमलजीत सिंह	सिमरन कौर	22-10-2021	06-07-2022	77
671	कमलजीत सिंह	तरनवीर सिंह	22-10-2021	06-07-2022	77
672	राम बहादुर	आजाद	22-10-2021	06-07-2022	77
673	राम बहादुर	अनीता	22-10-2021	06-07-2022	77
674	शेर बहादुर	अनुराग	22-10-2021	06-07-2022	77
675	संतोष	मनीष	22-10-2021	06-07-2022	77
676	उदय धन	ज्योति	25-10-2021	06-07-2022	74
677	राजा राम शर्मा	उर्मिला कुमारी	25-10-2021	06-07-2022	74
678	चरण सिंह	आकाश	25-10-2021	06-07-2022	74
679	चरण सिंह	सागर	25-10-2021	06-07-2022	74
680	सुधीर शर्मा	निशु कुमारी	25-10-2021	06-07-2022	74
681	सुधीर शर्मा	सिंटू कुमार	25-10-2021	06-07-2022	74
682	बृजभान सिंह	प्रियांशी	25-10-2021	06-07-2022	74
683	तस्लीम अहमद	अलसमद	25-10-2021	06-07-2022	74
684	लोकेंदर	खुशी	25-10-2021	06-07-2022	74
685	लोकेंदर	वीर	25-10-2021	06-07-2022	74
686	परमिला	प्रियंका	25-10-2021	06-07-2022	74
687	उर्मिला देवी	विजय	25-10-2021	06-07-2022	74
688	उर्मिला देवी	जितेंद्र	25-10-2021	06-07-2022	74
689	गीता	नेहा कुमारी	25-10-2021	06-07-2022	74
690	त्रिलोकीनाथ शर्मा	तुलसी	25-10-2021	06-07-2022	74
691	त्रिलोकीनाथ शर्मा	नारायण	25-10-2021	06-07-2022	74
692	राम कृष्ण प्रजापति	आशीष कुमार	25-10-2021	06-07-2022	74
693	राम कृष्ण प्रजापति	अजीत कुमार	25-10-2021	06-07-2022	74
694	जोगिंदर शर्मा	अखिलेश कुमार	25-10-2021	06-07-2022	74
695	जोगिंदर शर्मा	पूनम कुमारी	25-10-2021	06-07-2022	74
696	रमेश	अर्चना	25-10-2021	06-07-2022	74
697	प्रेम चंद	वंश	25-10-2021	06-07-2022	74
698	प्रेम चंद	अरुण	25-10-2021	06-07-2022	74

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
699	तारावती	पायल	26-10-2021	06-07-2022	73
700	तारावती	प्रियंका	26-10-2021	06-07-2022	73
701	विनोद कुमार	कविता	26-10-2021	06-07-2022	73
702	शंकर शर्मा	अंशिका शर्मा	26-10-2021	06-07-2022	73
703	शंकर शर्मा	नीतीश कुमार शर्मा	26-10-2021	06-07-2022	73
704	संदीप कुमार	सोनालिका	26-10-2021	06-07-2022	73
705	संदीप कुमार	विनीत	26-10-2021	06-07-2022	73
706	प्रमोद पंडित	राज कुमारी	26-10-2021	06-07-2022	73
707	प्रमोद पंडित	राज कुमार	26-10-2021	06-07-2022	73
708	चन्द्र किशोर	सूरज	26-10-2021	06-07-2022	73
709	नौशाद अहमद	शादिया	26-10-2021	06-07-2022	73
710	सतरोहण साहनी	रवेंद्र साहनी	26-10-2021	06-07-2022	73
711	सतरोहण साहनी	सुरेंद्र साहनी	26-10-2021	06-07-2022	73
712	मीनू	सुनीता	26-10-2021	06-07-2022	73
713	मीनू	दयाल कुमार	26-10-2021	06-07-2022	73
714	राम लाल	बलविंदर वर्मा	26-10-2021	06-07-2022	73
715	जय प्रकाश	महिमा	26-10-2021	06-07-2022	73
716	जय प्रकाश	सपना	26-10-2021	06-07-2022	73
717	रूबी	उज्जला	26-10-2021	06-07-2022	73
718	दया राम यादव	वंदना	26-10-2021	06-07-2022	73
719	दया राम यादव	अर्चना	26-10-2021	06-07-2022	73
720	कमला देवी	पूजा कुमारी	26-10-2021	06-07-2022	73
721	कमला देवी	आरती	26-10-2021	06-07-2022	73
722	भगवती	किशन	26-10-2021	06-07-2022	73
723	रविंदर कुमार	रीता कुमारी	26-10-2021	06-07-2022	73
724	रविंदर कुमार	सलोनी कुमारी	26-10-2021	06-07-2022	73
725	ममता	सविता	26-10-2021	06-07-2022	73
726	ममता	दीपक	26-10-2021	06-07-2022	73
727	राम ललन	राहुल	26-10-2021	06-07-2022	73
728	राम ललन	अंजू	26-10-2021	06-07-2022	73
729	राम सिंगार	रंजना	27-10-2021	06-07-2022	72
730	मो. शाहिद	मुस्कान	27-10-2021	06-07-2022	72
731	मो. शाहिद	मो. याकूब	27-10-2021	06-07-2022	72
732	राम तीरथ	अजय प्रकाश	27-10-2021	06-07-2022	72
733	राम तीरथ	आशना	27-10-2021	06-07-2022	72
734	राजपति यादव	आकाश	27-10-2021	06-07-2022	72
735	जोगिंदर	सुमित	27-10-2021	06-07-2022	72

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
736	मोहिंदर शर्मा	निधि कुमारी	27-10-2021	06-07-2022	72
737	राज कुमार शर्मा	शिवानी	27-10-2021	06-07-2022	72
738	लाखन	गोपाल	27-10-2021	06-07-2022	72
739	सर्वेश कुमार वर्मा	सम्राट कुमार वर्मा	27-10-2021	06-07-2022	72
740	सर्वेश कुमार वर्मा	सतवीर वर्मा	27-10-2021	06-07-2022	72
741	शिव नाथ सिंह	सोनी	27-10-2021	06-07-2022	72
742	शिव नाथ सिंह	गुरजिग सिंह	27-10-2021	06-07-2022	72
743	प्रमोद सिंह यादव	लक्ष्मी	27-10-2021	06-07-2022	72
744	प्रमोद सिंह यादव	दुर्गा	27-10-2021	06-07-2022	72
745	शिव नारायण पंडित	खुशी कुमारी	28-10-2021	06-07-2022	71
746	प्रमोद कुमार	रोहित	28-10-2021	06-07-2022	71
747	प्रमोद कुमार	अंकित	28-10-2021	06-07-2022	71
748	अनिल कुमार	सचिन	28-10-2021	06-07-2022	71
749	अनिल कुमार	विभा	28-10-2021	06-07-2022	71
750	नागा चौधरी	करिश्मा	28-10-2021	06-07-2022	71
751	अरविंद कुमार	गौतम कुमार	28-10-2021	06-07-2022	71
752	अरविंद कुमार	ऋषि कुमार	28-10-2021	06-07-2022	71
753	तारा वती	दीपक	28-10-2021	06-07-2022	71
754	तारा वती	लता	28-10-2021	06-07-2022	71
755	मो. शाहबुद्दीन	अनीशा खातून	28-10-2021	06-07-2022	71
756	मो. शाहबुद्दीन	मनीषा खातून	28-10-2021	06-07-2022	71
757	कमलेश	कमल	28-10-2021	06-07-2022	71
758	कमलेश	शिवा	28-10-2021	06-07-2022	71
759	राहुल	प्रिया	29-10-2021	06-07-2022	70
760	राहुल	अमन यादव	29-10-2021	06-07-2022	70
761	पप्पू कुमार पंडित	रचना कुमारी	29-10-2021	06-07-2022	70
762	पप्पू कुमार पंडित	परिणीति कुमारी	29-10-2021	06-07-2022	70
763	जितेंद्र शर्मा	नेहा	29-10-2021	06-07-2022	70
764	जितेंद्र शर्मा	कुमारी आरुषि	29-10-2021	06-07-2022	70
765	सोने लाल	शीतल	29-10-2021	06-07-2022	70
766	सोने लाल	राधे श्याम	29-10-2021	06-07-2022	70
767	असलम	रुखसार	29-10-2021	06-07-2022	70
768	असलम	मनीषा	29-10-2021	06-07-2022	70
769	ओमवीर	माधव	29-10-2021	06-07-2022	70
770	सुदामा	साधना	29-10-2021	06-07-2022	70
771	सुदामा	आराधना	29-10-2021	06-07-2022	70
772	मोनू	पंकज	29-10-2021	06-07-2022	70

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
773	मोनू	नंदिनी	29-10-2021	06-07-2022	70
774	लाल चंद	करिश्मा	29-10-2021	06-07-2022	70
775	इस्लाम अली	तबस्सुम	29-10-2021	06-07-2022	70
776	इस्लाम अली	मुस्कान	29-10-2021	06-07-2022	70
777	मो. रफत	मो. हमजा अंसारी	29-10-2021	06-07-2022	70
778	हीरा लाल यादव	प्रीति	29-10-2021	06-07-2022	70
779	हीरा लाल यादव	प्रिया	29-10-2021	06-07-2022	70
780	सुनील कुमार	हरि ओम	29-10-2021	06-07-2022	70
781	सुनील कुमार	सुमित कुमार	29-10-2021	06-07-2022	70
782	प्रभु मुखिया	अंकित कुमार मुखिया	29-10-2021	06-07-2022	70
783	प्रभु मुखिया	दिव्या कुमारी	29-10-2021	06-07-2022	70
784	सुमन	मीनू	29-10-2021	06-07-2022	70
785	राम ऋषि	विवेक	29-10-2021	06-07-2022	70
786	अशोक कुमार	साहिल	29-10-2021	06-07-2022	70
787	मिंटू मुखिया	कार्तिक कुमार	29-10-2021	06-07-2022	70
788	मिंटू मुखिया	सृष्टि	29-10-2021	06-07-2022	70
789	राजमन	रीमा	29-10-2021	06-07-2022	70
790	राजमन	अभिनेश यादव	29-10-2021	06-07-2022	70
791	संजय	ज्योति	29-10-2021	06-07-2022	70
792	संजय	आयुष शर्मा	29-10-2021	06-07-2022	70
793	सोनू	शिवैन माचल	01-11-2021	06-07-2022	67
794	सोनू	समित माचल	01-11-2021	06-07-2022	67
795	दीप चंद गुप्ता	रोशनी कुमारी	01-11-2021	06-07-2022	67
796	दीप चंद गुप्ता	नरिंदर	01-11-2021	06-07-2022	67
797	नईम अहमद	फैज़ल खान	01-11-2021	06-07-2022	67
798	नईम अहमद	फलक	01-11-2021	06-07-2022	67
799	राम चंदर यादव	महक यादव	01-11-2021	06-07-2022	67
800	कपिल देव शर्मा	दीपक शर्मा	01-11-2021	06-07-2022	67
801	अरविंद कुमार	अंकिता	01-11-2021	06-07-2022	67
802	अरविंद कुमार	सुनैना	01-11-2021	06-07-2022	67
803	राजेश कुमार	नीतीश कुमार	01-11-2021	06-07-2022	67
804	राजेश कुमार	तृषा	01-11-2021	06-07-2022	67
805	उमेश साहू	कृष्ण कुमार	01-11-2021	06-07-2022	67
806	उमेश साहू	राजू कुमार	01-11-2021	06-07-2022	67
807	कमलेश गुप्ता	अंकिता गुप्ता	01-11-2021	06-07-2022	67
808	कमलेश गुप्ता	सृष्टि गुप्ता	01-11-2021	06-07-2022	67
809	नित्यानंद पांडे	प्रगति	01-11-2021	06-07-2022	67

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
810	नित्यानंद पांडे	प्रतिज्ञा पाण्डेय	01-11-2021	06-07-2022	67
811	निर्मला देवी	रिमझिम	01-11-2021	06-07-2022	67
812	निर्मला देवी	अमित कुमार	01-11-2021	06-07-2022	67
813	छोटू प्रसाद	राहुल	01-11-2021	06-07-2022	67
814	छोटू प्रसाद	रवि कुमार	01-11-2021	06-07-2022	67
815	बाल कृष्ण	भारती	01-11-2021	06-07-2022	67
816	बाल कृष्ण	नंदनी	01-11-2021	06-07-2022	67
817	सतबीर	पल्लवी	01-11-2021	06-07-2022	67
818	मिथलेश कुमार	दिव्या	01-11-2021	06-07-2022	67
819	मिथलेश कुमार	दीपिका	01-11-2021	06-07-2022	67
820	महर्षि	योगिता चौहान	01-11-2021	06-07-2022	67
821	महर्षि	दिव्या चौहान	01-11-2021	06-07-2022	67
822	राम आनंद	देवेंद्र वर्मा	01-11-2021	06-07-2022	67
823	लक्ष्मण	शिव वर्मा	01-11-2021	06-07-2022	67
824	हेम सिंह	नक्ष	01-11-2021	06-07-2022	67
825	हेम सिंह	तपस्या	01-11-2021	06-07-2022	67
826	जितेंद्र	दीपक कुमार	01-11-2021	06-07-2022	67
827	जितेंद्र	ज्योति	01-11-2021	06-07-2022	67
828	सावित्री	बेबी	01-11-2021	06-07-2022	67
829	सुभाष	रेशम	01-11-2021	06-07-2022	67
830	सुभाष	शुभम	01-11-2021	06-07-2022	67
831	किरण देवी	ज्योति	01-11-2021	06-07-2022	67
832	किरण देवी	रजनी	01-11-2021	06-07-2022	67
833	कन्हैया	सुधांशु शर्मा	01-11-2021	06-07-2022	67
834	कन्हैया	दृष्टि कुमारी	01-11-2021	06-07-2022	67
835	माया	देव	01-11-2021	06-07-2022	67
836	माया	सुशील कुमार	01-11-2021	06-07-2022	67
837	रूप राम	केशव	01-11-2021	06-07-2022	67
838	हरनूर अंसारी	मो. मदार	02-11-2021	06-07-2022	66
839	हरनूर अंसारी	नसीबा खातून	02-11-2021	06-07-2022	66
840	चंद्र शेखर	विवेक	02-11-2021	06-07-2022	66
841	लाल बहादुर	निशा	02-11-2021	06-07-2022	66
842	लाल बहादुर	मनीषा	02-11-2021	06-07-2022	66
843	रविंदर यादव	रितिका	02-11-2021	06-07-2022	66
844	सिया राम	उत्तम	02-11-2021	06-07-2022	66
845	सिया राम	सिधी	02-11-2021	06-07-2022	66
846	श्याम बिहारी	योगिता	02-11-2021	06-07-2022	66

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
847	नसीम अहमद	मो. साकिब	02-11-2021	06-07-2022	66
848	नसीम अहमद	मो. रक़ीब	02-11-2021	06-07-2022	66
849	गोपाल शर्मा	रविना कुमारी	02-11-2021	06-07-2022	66
850	गोपाल शर्मा	करीना कुमारी	02-11-2021	06-07-2022	66
851	अवतार सिंह	जशन	02-11-2021	06-07-2022	66
852	अवतार सिंह	प्रणव	02-11-2021	06-07-2022	66
853	विजय शर्मा	ज्योति कुमारी	02-11-2021	06-07-2022	66
854	बैजू ठाकुर	सानिया	02-11-2021	06-07-2022	66
855	बैजू ठाकुर	कंचन	02-11-2021	06-07-2022	66
856	नित्या नंद	नब्या	02-11-2021	06-07-2022	66
857	नित्या नंद	नंदनी	02-11-2021	06-07-2022	66
858	हरिलाल यादव	खुशी	02-11-2021	06-07-2022	66
859	हरिलाल यादव	संजय यादव	02-11-2021	06-07-2022	66
860	धर्म वती	आकाश	02-11-2021	06-07-2022	66
861	धर्म वती	दीपक	02-11-2021	06-07-2022	66
862	दशरथ पासवान	अवनीश कुमार	02-11-2021	06-07-2022	66
863	दशरथ पासवान	मनीष कुमार	02-11-2021	06-07-2022	66
864	राम मिलन	रबीना	02-11-2021	06-07-2022	66
865	राम कैलाश गुप्ता	अलका गुप्ता	02-11-2021	06-07-2022	66
866	राम कैलाश गुप्ता	अंकित गुप्ता	02-11-2021	06-07-2022	66
867	रफीक अली	रामजन	02-11-2021	06-07-2022	66
868	रफीक अली	परवीना	02-11-2021	06-07-2022	66
869	जोगेश्वर सिंह	संगीता	02-11-2021	06-07-2022	66
870	जोगेश्वर सिंह	आरती कुमारी	02-11-2021	06-07-2022	66
871	प्रताप	सीमा	03-11-2021	06-07-2022	65
872	प्रताप	शिवानी	03-11-2021	06-07-2022	65
873	सुभाष	पूजा	03-11-2021	06-07-2022	65
874	सुभाष	अमित	03-11-2021	06-07-2022	65
875	रानी देवी	तनवीर	03-11-2021	06-07-2022	65
876	रूपा	राजा	03-11-2021	06-07-2022	65
877	ऊषा	सोनू	03-11-2021	06-07-2022	65
878	ऊषा	विजय	03-11-2021	06-07-2022	65
879	मुकेश कुमार	प्रतिज्ञा	03-11-2021	06-07-2022	65
880	राज कुमार	अश्मिता	03-11-2021	06-07-2022	65
881	रमेश कुमार	सोनाली कुमारी	03-11-2021	06-07-2022	65
882	कमल सिंह	हर्ष	03-11-2021	06-07-2022	65
883	कमल सिंह	मोहित सिंह	03-11-2021	06-07-2022	65

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
884	विनोद	रूबी कुमारी	03-11-2021	06-07-2022	65
885	ज़ाहिद हुसैन	शमा	05-11-2021	06-07-2022	63
886	ज़ाहिद हुसैन	अमन	05-11-2021	06-07-2022	63
887	तेज बहादुर	आंचल	05-11-2021	06-07-2022	63
888	बाबू राम	मनोज	08-11-2021	06-07-2022	60
889	बाबू राम	प्रियंका	08-11-2021	06-07-2022	60
890	श्री राम यादव	अनुपम	08-11-2021	06-07-2022	60
891	श्री राम यादव	सोनम	08-11-2021	06-07-2022	60
892	कन्हैया लाल	सूरज	08-11-2021	06-07-2022	60
893	लाल बहादुर पाल	मोना	08-11-2021	06-07-2022	60
894	लाल बहादुर पाल	शिवानी	08-11-2021	06-07-2022	60
895	दूधनाथ पांडे	संदीप पांडे	08-11-2021	06-07-2022	60
896	दूधनाथ पांडे	संध्या पांडे	08-11-2021	06-07-2022	60
897	हरकेश	मनीष कुमार	08-11-2021	06-07-2022	60
898	सोनू	गीतांशु	08-11-2021	06-07-2022	60
899	सोनू	वंशिका	08-11-2021	06-07-2022	60
900	प्रकाश सिंह	संतोष कुमार	08-11-2021	06-07-2022	60
901	प्रकाश सिंह	रोहित कुमार	08-11-2021	06-07-2022	60
902	प्रमोद कुमार	वीर प्रताप	08-11-2021	06-07-2022	60
903	प्रमोद कुमार	अलका	08-11-2021	06-07-2022	60
904	लीला धर	विनोद	08-11-2021	06-07-2022	60
905	लीला धर	सीमा	08-11-2021	06-07-2022	60
906	अर्जुन शर्मा	मनीषा शर्मा	09-11-2021	06-07-2022	59
907	अर्जुन शर्मा	आशुतोष	09-11-2021	06-07-2022	59
908	गोपाल सिंह	स्नेहा	09-11-2021	06-07-2022	59
909	गोपाल सिंह	निशा	09-11-2021	06-07-2022	59
910	नीलम देवी	सपना	09-11-2021	06-07-2022	59
911	नीलम देवी	संजीत	09-11-2021	06-07-2022	59
912	राम चंद्र	अमरजीत	09-11-2021	06-07-2022	59
913	वीरेंद्र पाल	साक्षी	09-11-2021	06-07-2022	59
914	जगवती	चंदर प्रकाश	09-11-2021	06-07-2022	59
915	जगवती	जसबीर	09-11-2021	06-07-2022	59
916	रीता रानी	खुशहाल सिंह	09-11-2021	06-07-2022	59
917	रीता रानी	देवांश	09-11-2021	06-07-2022	59
918	बुद्धि राम	करण	09-11-2021	06-07-2022	59
919	बुद्धि राम	मोनिका	09-11-2021	06-07-2022	59
920	राज कुमार	अनिश	10-11-2021	06-07-2022	58

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
921	हस्मत मिस्त्री	शाहिद आलम	10-11-2021	06-07-2022	58
922	हरिशंकर	विजयंती	10-11-2021	06-07-2022	58
923	हरिशंकर	बबीता	10-11-2021	06-07-2022	58
924	शशि	नेहा	10-11-2021	06-07-2022	58
925	शशि	स्नेहा	10-11-2021	06-07-2022	58
926	पवन कुमार	गोपाल	10-11-2021	06-07-2022	58
927	पवन कुमार	हनुमान	10-11-2021	06-07-2022	58
928	मीना देवी	रजनी	10-11-2021	06-07-2022	58
929	मीना देवी	अमित	10-11-2021	06-07-2022	58
930	मेम पाल	प्रियांशी	10-11-2021	06-07-2022	58
931	मेम पाल	चिराग	10-11-2021	06-07-2022	58
932	संजय यादव	कार्तिक	10-11-2021	06-07-2022	58
933	संजय यादव	करण	10-11-2021	06-07-2022	58
934	हरीश चंद चौहान	लक्ष्मी	10-11-2021	06-07-2022	58
935	हरीश चंद चौहान	कृष्ण चौहान	10-11-2021	06-07-2022	58
936	कमलेश	सतीश कुमार	10-11-2021	06-07-2022	58
937	कमलेश	मोहन	10-11-2021	06-07-2022	58
938	गुड्डू सिंह	खुश्बू	10-11-2021	06-07-2022	58
939	प्रभात कुमार	हिमांशु कुमार	11-11-2021	06-07-2022	57
940	राज कुमार	हेमंत सिंह	11-11-2021	06-07-2022	57
941	राज कुमार	संजू	11-11-2021	06-07-2022	57
942	प्रिंस	रोहन	11-11-2021	06-07-2022	57
943	प्रिंस	पायल	11-11-2021	06-07-2022	57
944	कमलेश	नैतिक	11-11-2021	06-07-2022	57
945	अशोक कुमार	हिमानी देवी	11-11-2021	06-07-2022	57
946	अशोक कुमार	खमेंदर सिंह	11-11-2021	06-07-2022	57
947	जीवू पासवान	दिपींस कुमार	11-11-2021	06-07-2022	57
948	सुरेश कुमार	सनी कुमार	11-11-2021	06-07-2022	57
949	बाबू लाल	पूजा	11-11-2021	06-07-2022	57
950	बाबू लाल	आरती	11-11-2021	06-07-2022	57
951	किरपा शंकर	देवराज	11-11-2021	06-07-2022	57
952	किरपा शंकर	अनुराग	11-11-2021	06-07-2022	57
953	चंदर भान	अंजलि	11-11-2021	06-07-2022	57
954	चंदर भान	समीर	11-11-2021	06-07-2022	57
955	इशरार	आरजू	11-11-2021	06-07-2022	57
956	इशरार	आयशा	11-11-2021	06-07-2022	57
957	राम कुमार	राज किशन	11-11-2021	06-07-2022	57

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
958	सोनू कुमार	प्राची	12-11-2021	06-07-2022	56
959	सुचिंद्र कुमार	सुमनजीत कुमार	12-11-2021	06-07-2022	56
960	सुचिंद्र कुमार	साक्षी कुमारी	12-11-2021	06-07-2022	56
961	संजय कुमार	ज्योति	12-11-2021	06-07-2022	56
962	संजय कुमार	हिमांशु यादव	12-11-2021	06-07-2022	56
963	अजमल खान	मोहम्मद यूसुफ खान	12-11-2021	06-07-2022	56
964	अजमल खान	मोहम्मद अहमद	12-11-2021	06-07-2022	56
965	राम राज	ऋचा	12-11-2021	06-07-2022	56
966	राम राज	रितिक	12-11-2021	06-07-2022	56
967	जमुना प्रसाद	सोनम	12-11-2021	06-07-2022	56
968	जमुना प्रसाद	अभिषेक	12-11-2021	06-07-2022	56
969	अमजद खान	मोहम्मद उमर	12-11-2021	06-07-2022	56
970	मुन्नी देवी	लक्ष्मी	12-11-2021	06-07-2022	56
971	मुन्नी देवी	उमा	12-11-2021	06-07-2022	56
972	बसंत पंडित	नेहा कुमारी	12-11-2021	06-07-2022	56
973	बसंत पंडित	ज्योति	12-11-2021	06-07-2022	56
974	राधे श्याम	स्नेहा	12-11-2021	06-07-2022	56
975	राधे श्याम	रानी	12-11-2021	06-07-2022	56
976	विमला	खुशी	12-11-2021	06-07-2022	56
977	विमला	राहुल	12-11-2021	06-07-2022	56
978	मोहन शाह	शिल्पा	12-11-2021	06-07-2022	56
979	नेमवती	मुकेश	12-11-2021	06-07-2022	56
980	देवांत प्रसाद	प्रतिभा आर्य	15-11-2021	06-07-2022	53
981	देवांत प्रसाद	अमन कुमार आर्य	15-11-2021	06-07-2022	53
982	ओम प्रकाश	अंजलि	15-11-2021	06-07-2022	53
983	खेमपाल	मोहिंदर	15-11-2021	06-07-2022	53
984	अनारकली	दीपक	15-11-2021	06-07-2022	53
985	रमेश कुमार	आरुषि	15-11-2021	06-07-2022	53
986	हरजीत सिंह	हरजोत सिंह	15-11-2021	06-07-2022	53
987	कृपा शंकर सिंह	सुनीता	15-11-2021	06-07-2022	53
988	कृपा शंकर सिंह	पलक सिंह	15-11-2021	06-07-2022	53
989	अशोक	रजनी	15-11-2021	06-07-2022	53
990	कौशल्या	गायत्री	15-11-2021	06-07-2022	53
991	पंकज शर्मा	अंकित शर्मा	15-11-2021	06-07-2022	53
992	श्याम देव	सोनू कुमार	15-11-2021	06-07-2022	53
993	श्याम देव	दीपक	15-11-2021	06-07-2022	53
994	मीना	नेहा	15-11-2021	06-07-2022	53

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
995	धर्मेंद्र कुमार	राजेश कुमार	15-11-2021	06-07-2022	53
996	भरत सिंह	विशाल	15-11-2021	06-07-2022	53
997	भरत सिंह	अभिषेक	15-11-2021	06-07-2022	53
998	सरिता देवी	शाल्मी	15-11-2021	06-07-2022	53
999	सरिता देवी	देव	15-11-2021	06-07-2022	53
1000	महेश कुमार	विनीत कुमार	15-11-2021	06-07-2022	53
1001	सत्तो	राज कुमार	15-11-2021	06-07-2022	53
1002	सत्तो	काजल	15-11-2021	06-07-2022	53
1003	दिनेश कुमार	सेजल	16-11-2021	06-07-2022	52
1004	दिनेश कुमार	शिवा	16-11-2021	06-07-2022	52
1005	रामू यादव	राजू यादव	16-11-2021	06-07-2022	52
1006	रामू यादव	रागिनी	16-11-2021	06-07-2022	52
1007	अमित कुमार	रौशन कुमार	16-11-2021	06-07-2022	52
1008	अमित कुमार	रोहित कुमार	16-11-2021	06-07-2022	52
1009	फूल देव कुमार	रूबी कुमार	16-11-2021	06-07-2022	52
1010	फूल देव कुमार	रवि राज	16-11-2021	06-07-2022	52
1011	नारायण दास	सनी	16-11-2021	06-07-2022	52
1012	जगदीश कुमार	साक्षी	16-11-2021	06-07-2022	52
1013	मोहम्मद इमरान	मोहम्मद राशिद	16-11-2021	06-07-2022	52
1014	मोहम्मद इमरान	मोहम्मद इरसाद	16-11-2021	06-07-2022	52
1015	राम कुमार	प्रीति	16-11-2021	06-07-2022	52
1016	राम कुमार	मनीषा	16-11-2021	06-07-2022	52
1017	पूनम	मनीष	16-11-2021	06-07-2022	52
1018	पूनम	पंकज	16-11-2021	06-07-2022	52
1019	रंजीत	मीनाक्षी	16-11-2021	06-07-2022	52
1020	बबली	ज्योति	16-11-2021	06-07-2022	52
1021	बबली	अमित	16-11-2021	06-07-2022	52
1022	सवरू यादव	अर्जुन यादव	16-11-2021	06-07-2022	52
1023	सवरू यादव	अनु	16-11-2021	06-07-2022	52
1024	संजय कुमार	प्रिंस	16-11-2021	06-07-2022	52
1025	कुलदीप सिंह	चिराग वर्मा	16-11-2021	06-07-2022	52
1026	कुलदीप सिंह	राखी वर्मा	16-11-2021	06-07-2022	52
1027	बिक्रम सरोज	अर्जुन	16-11-2021	06-07-2022	52
1028	बिक्रम सरोज	अखिलेश	16-11-2021	06-07-2022	52
1029	अमरजीत	सनी	17-11-2021	06-07-2022	51
1030	उमा शंकर	अंशु	17-11-2021	06-07-2022	51
1031	उमा शंकर	अदिति	17-11-2021	06-07-2022	51

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
1032	संजय कुमार	कविता कुमारी	17-11-2021	06-07-2022	51
1033	संजय कुमार	बबिता कुमारी	17-11-2021	06-07-2022	51
1034	शिव मूर्ति	रिया यादव	17-11-2021	06-07-2022	51
1035	गिरधारी लाल	विवेक	17-11-2021	06-07-2022	51
1036	गिरधारी लाल	श्वेता	17-11-2021	06-07-2022	51
1037	टिंकू	पूजा	17-11-2021	06-07-2022	51
1038	टिंकू	काजल	17-11-2021	06-07-2022	51
1039	रूबी	उषा कुमारी	17-11-2021	06-07-2022	51
1040	परदीप कुमार सूद	रिया सूद	17-11-2021	06-07-2022	51
1041	परदीप कुमार सूद	अश्वनी सूद	17-11-2021	06-07-2022	51
1042	राम बेटी	कपिल	17-11-2021	06-07-2022	51
1043	राम बेटी	रजनी	17-11-2021	06-07-2022	51
1044	करम चंद्र	दिव्या	17-11-2021	06-07-2022	51
1045	करम चंद्र	मानसी	17-11-2021	06-07-2022	51
1046	भुनेश्वर	विकास कुमार	18-11-2021	06-07-2022	50
1047	भुनेश्वर	पवन कुमार	18-11-2021	06-07-2022	50
1048	राम नरेश	अतुल कुमार राजभर	18-11-2021	06-07-2022	50
1049	राम नरेश	अनुराग	18-11-2021	06-07-2022	50
1050	अमीरुद्दीन	बदिउद्दीन	18-11-2021	06-07-2022	50
1051	ललाई गिरि	लक्ष्मी	18-11-2021	06-07-2022	50
1052	प्रेम चंद	पीयूष	18-11-2021	06-07-2022	50
1053	प्रेम चंद	सलोनी	18-11-2021	06-07-2022	50
1054	सियाराम वर्मा	महक	18-11-2021	06-07-2022	50
1055	सियाराम वर्मा	अमन वर्मा	18-11-2021	06-07-2022	50
1056	मोती राम	युगराज	18-11-2021	06-07-2022	50
1057	मोती राम	सिमरन	18-11-2021	06-07-2022	50
1058	शिव कुमार	शुभम	18-11-2021	06-07-2022	50
1059	शिव कुमार	शगुन	18-11-2021	06-07-2022	50
1060	बाबू राम	पूनम	18-11-2021	06-07-2022	50
1061	शंकर सैनी	रिया सैनी	22-11-2021	06-07-2022	46
1062	शंकर सैनी	गौरन सैनी	22-11-2021	06-07-2022	46
1063	हरिओम प्रजापति	ओम प्रकाश	22-11-2021	06-07-2022	46
1064	हरिओम प्रजापति	दिव्या	22-11-2021	06-07-2022	46
1065	अखिलेश कुमार	कार्तिकेय	22-11-2021	06-07-2022	46
1066	अंजू पाल	मनप्रीत	22-11-2021	06-07-2022	46
1067	अंजू पाल	तमन्ना	22-11-2021	06-07-2022	46
1068	कन्यावती	जगरानी	22-11-2021	06-07-2022	46

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
1069	कन्यावती	रणवीर	22-11-2021	06-07-2022	46
1070	परषोत्तम लाल	कोमल	22-11-2021	06-07-2022	46
1071	विपिन	वंश ठाकुर	22-11-2021	06-07-2022	46
1072	दिनेश कुमार	मुकेश	23-11-2021	06-07-2022	45
1073	मोहम्मद फिरोज	मोहम्मद आमिर	23-11-2021	06-07-2022	45
1074	मोहम्मद फिरोज	मोहम्मद अयान	23-11-2021	06-07-2022	45
1075	मोहम्मद असलम	मोहम्मद समीर	23-11-2021	06-07-2022	45
1076	संजय पुरबे	दीपक के पुरबे	23-11-2021	06-07-2022	45
1077	राम अवतार	मोनू	23-11-2021	06-07-2022	45
1078	राम अवतार	सुशील	23-11-2021	06-07-2022	45
1079	उमा शंकर	शिवानी	23-11-2021	06-07-2022	45
1080	उमा शंकर	मनीष	23-11-2021	06-07-2022	45
1081	सुरेश गुप्ता	अंकु गुप्ता	23-11-2021	06-07-2022	45
1082	सुरेश गुप्ता	जया गुप्ता	23-11-2021	06-07-2022	45
1083	विरजेश यादव	गुड्डू	23-11-2021	06-07-2022	45
1084	विरजेश यादव	खुशबू यादव	23-11-2021	06-07-2022	45
1085	शिव बहादुर	प्रियांशु	24-11-2021	06-07-2022	44
1086	शिव बहादुर	आदित्य	24-11-2021	06-07-2022	44
1087	दलबीर सिंह	नवजोत कौर	24-11-2021	06-07-2022	44
1088	राम परी	नवीन कुमार	24-11-2021	06-07-2022	44
1089	धर्म राज	अजीत	24-11-2021	06-07-2022	44
1090	धर्म राज	रंजना	24-11-2021	06-07-2022	44
1091	बंटी कुमार	जानवी	24-11-2021	06-07-2022	44
1092	गिरिधारी लाल	मीनाक्षी	24-11-2021	06-07-2022	44
1093	गिरिधारी लाल	योगिता	24-11-2021	06-07-2022	44
1094	हरिबंश प्रजापति	पवन प्रजापति	24-11-2021	06-07-2022	44
1095	हरिबंश प्रजापति	खुशबू	24-11-2021	06-07-2022	44
1096	राज बाला	रीता	24-11-2021	06-07-2022	44
1097	सोम चंद	अवनीश	24-11-2021	06-07-2022	44
1098	नागेश्वर	सुमन	24-11-2021	06-07-2022	44
1099	विनोद शर्मा	अमन कुमार	24-11-2021	06-07-2022	44
1100	विनोद शर्मा	मनीषा	24-11-2021	06-07-2022	44
1101	अमरजीत	सुमित	25-11-2021	06-07-2022	43
1102	संजीव कुमार	शुभम	25-11-2021	06-07-2022	43
1103	संजीव कुमार	सूरज कुमार	25-11-2021	06-07-2022	43
1104	अरविंद कुमार	सनी	25-11-2021	06-07-2022	43
1105	अरविंद कुमार	चांदनी	25-11-2021	06-07-2022	43

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
1106	हरि किशन	राज कुमार	25-11-2021	06-07-2022	43
1107	संजय शर्मा	अंजलि	25-11-2021	06-07-2022	43
1108	संजय शर्मा	सुनैना	25-11-2021	06-07-2022	43
1109	चंद्र कुमार पांडे	कंचन	25-11-2021	06-07-2022	43
1110	चंद्र कुमार पांडे	रवि कुमार	25-11-2021	06-07-2022	43
1111	इसरार हमीद	ज़ियाउर	25-11-2021	06-07-2022	43
1112	सुरेश पाल	रोहन पाल	25-11-2021	06-07-2022	43
1113	सुरेश पाल	ज्योति	25-11-2021	06-07-2022	43
1114	अमरजीत	सुनिधि	25-11-2021	06-07-2022	43
1115	अमरजीत	लवदीप	25-11-2021	06-07-2022	43
1117	रघुनाथ यादव	यश यादव	25-11-2021	06-07-2022	43
1118	रघुनाथ यादव	सुधा यादव	25-11-2021	06-07-2022	43
1119	चांद राम	अंकित	25-11-2021	06-07-2022	43
1120	सबीर अली	नाज़िया	25-11-2021	06-07-2022	43
1121	अनिल कुमार पाल	शशि पाल	25-11-2021	06-07-2022	43
1122	राजू	रोशनी	26-11-2021	06-07-2022	42
1123	राज कुमार	सुनैना	26-11-2021	06-07-2022	42
1124	राज कुमार	सोनम	26-11-2021	06-07-2022	42
1125	ओम प्रकाश	सौरब	26-11-2021	06-07-2022	42
1126	ओम प्रकाश	गौरव	26-11-2021	06-07-2022	42
1127	राम ओपनदेव यादव	धीरज	26-11-2021	06-07-2022	42
1128	राम ओपनदेव यादव	नीरज	26-11-2021	06-07-2022	42
1129	नेत्र सिंह	गुरदीप सिंह	26-11-2021	06-07-2022	42
1130	कमलेश	शुभम	26-11-2021	06-07-2022	42
1131	मोनवती	लक्ष्मी	26-11-2021	06-07-2022	42
1132	मोनवती	पूजा	26-11-2021	06-07-2022	42
1133	विराज वती	नीलम	26-11-2021	06-07-2022	42
1134	विराज वती	तनु	26-11-2021	06-07-2022	42
1135	मुन्ना लाल	बलजीत	26-11-2021	06-07-2022	42
1136	मुन्ना लाल	हरि कृष्ण	26-11-2021	06-07-2022	42
1137	राम अवध गुप्ता	साहिल गुप्ता	26-11-2021	06-07-2022	42
1138	माया राम	रागिनी	29-11-2021	06-07-2022	39
1139	माया राम	शगुन	29-11-2021	06-07-2022	39
1140	अजीत कुमार	पवन कुमार	29-11-2021	06-07-2022	39
1141	अजीत कुमार	कृष्ण सिंह	29-11-2021	06-07-2022	39
1142	संजय कुमार मौर्य	अंशिका	29-11-2021	06-07-2022	39
1143	बोटलाल महंत	गरिमा महंत	29-11-2021	06-07-2022	39

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
1144	बोटलाल महंत	कृष्ण महंत	29-11-2021	06-07-2022	39
1145	संदीप गौर	सुशील गौर	29-11-2021	06-07-2022	39
1146	संदीप गौर	साहिल गौर	29-11-2021	06-07-2022	39
1147	बिकास कुमार शर्मा	साक्षी शर्मा	29-11-2021	06-07-2022	39
1148	बिकास कुमार शर्मा	संजीव कुमार शर्मा	29-11-2021	06-07-2022	39
1149	राज कुमार शर्मा	मोहित कुमार शर्मा	29-11-2021	06-07-2022	39
1150	राज कुमार शर्मा	काजल कुमारी	29-11-2021	06-07-2022	39
1151	सलमान	फरमान	29-11-2021	06-07-2022	39
1152	सलमान	रिमशा	29-11-2021	06-07-2022	39
1153	उमेश	कृष्ण	29-11-2021	06-07-2022	39
1154	अमिन्नूर खान	मोहम्मद वलीनूर खान	29-11-2021	06-07-2022	39
1155	अमीन्नूर खान	शबाना अंजुम	29-11-2021	06-07-2022	39
1156	बाबू लाल	मोहिनी	29-11-2021	06-07-2022	39
1157	अशोक कुमार	नमन	29-11-2021	06-07-2022	39
1158	अशोक कुमार	हरमन	29-11-2021	06-07-2022	39
1159	राम चंद्र	आस्था	29-11-2021	06-07-2022	39
1160	राम चंद्र	हिमांशु	29-11-2021	06-07-2022	39
1161	संजय कुमार	मोनू	29-11-2021	06-07-2022	39
1162	संजय कुमार	प्रीति	29-11-2021	06-07-2022	39
1163	राम ध्यान	नीलम	29-11-2021	06-07-2022	39
1164	ननके	ताजेंदर पाल	30-11-2021	06-07-2022	38
1165	कामता प्रसाद	साक्षी यादव	30-11-2021	06-07-2022	38
1166	लक्ष्मण महतो	पुष्पा	30-11-2021	06-07-2022	38
1167	हरकेश कुमार	मोहन	30-11-2021	06-07-2022	38
1168	अमरजीत	अन्वी	30-11-2021	06-07-2022	38
1169	अमरजीत	चिराग	30-11-2021	06-07-2022	38
1170	प्रमोद कुमार	ईशा भारद्वाज	30-11-2021	06-07-2022	38
1171	प्रमोद कुमार	ऋचा	30-11-2021	06-07-2022	38
1172	चमन लाल	जसप्रीत	30-11-2021	06-07-2022	38
1173	राकेश कुमार	नैन्सी	30-11-2021	06-07-2022	38
1174	सुनीता देवी	काजल	01-12-2021	06-07-2022	37
1175	सुनीता देवी	सूरज	01-12-2021	06-07-2022	37
1176	प्रहलाद	सौरव	01-12-2021	06-07-2022	37
1177	सुखवीर	सुरजीत	01-12-2021	06-07-2022	37
1178	सुखवीर	प्रिया	01-12-2021	06-07-2022	37
1179	परमिंदर यादव	अमन	01-12-2021	06-07-2022	37
1180	नरेश	जूही	01-12-2021	06-07-2022	37

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
1181	पुष्पा	रोहन	01-12-2021	06-07-2022	37
1182	संतोष	वरिंदर	01-12-2021	06-07-2022	37
1183	विनोद कुमार पाल	आचल	01-12-2021	06-07-2022	37
1184	विनोद कुमार पाल	विवेक पाल	01-12-2021	06-07-2022	37
1185	नीरज	अनिल	01-12-2021	06-07-2022	37
1186	नीरज	महक	01-12-2021	06-07-2022	37
1187	रंजीत कुमार	राजगुरु कुमार	01-12-2021	06-07-2022	37
1188	फूल चंद	निशा	02-12-2021	06-07-2022	36
1189	चंद्र मोहन मौर्य	संजना	02-12-2021	06-07-2022	36
1190	सुधा	राधिका	02-12-2021	06-07-2022	36
1191	सुधा	राशि	02-12-2021	06-07-2022	36
1192	अशोक मंडल	सुबोध मंडल	02-12-2021	06-07-2022	36
1193	छोटे लाल	शिवानी	02-12-2021	06-07-2022	36
1194	शत्रुघ्न	शिवा	02-12-2021	06-07-2022	36
1195	शत्रुघ्न	देवा	02-12-2021	06-07-2022	36
1196	निर्मला	अरमान	02-12-2021	06-07-2022	36
1197	धर्मपाल	तानिया	03-12-2021	06-07-2022	35
1198	धर्मपाल	रवि	03-12-2021	06-07-2022	35
1199	उमा शंकर	लविश	03-12-2021	06-07-2022	35
1200	राज कुमारी	प्रिया	03-12-2021	06-07-2022	35
1201	भीकू निषाद	प्रियंका	03-12-2021	06-07-2022	35
1202	भीकू निषाद	मनीषा	03-12-2021	06-07-2022	35
1203	जसपाल गिर	गौरव गिर	03-12-2021	06-07-2022	35
1204	जसपाल गिर	सौरव	03-12-2021	06-07-2022	35
1205	गुरदयाल	शिवम	03-12-2021	06-07-2022	35
1206	गुरदयाल	शुभम	03-12-2021	06-07-2022	35
1207	राकेश कुमार	अक्षरा	03-12-2021	06-07-2022	35
1208	राम हर्ष	किरण	06-12-2021	06-07-2022	32
1209	मीना देवी	आरती	06-12-2021	06-07-2022	32
1210	परमानंद महतो	प्रीति	06-12-2021	06-07-2022	32
1211	परमानंद महतो	हरि ओम	06-12-2021	06-07-2022	32
1212	राजेश कुशवाह	रोशन कुमार	06-12-2021	06-07-2022	32
1213	यशवंत	स्वाति	07-12-2021	06-07-2022	31
1214	यशवंत	श्रुति	07-12-2021	06-07-2022	31
1215	सुधीर	सिमरन	07-12-2021	06-07-2022	31
1216	सुधीर	साहिल कुमार	07-12-2021	06-07-2022	31
1217	मोहम्मद कलाम	जसमीन परवीन	07-12-2021	06-07-2022	31

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
1218	नागेंद्र	सागर	07-12-2021	06-07-2022	31
1219	नागेंद्र	रवि किशन	07-12-2021	06-07-2022	31
1220	सूरज सिंह	अमित सिंह	09-12-2021	06-07-2022	29
1221	राम कुमार वर्मा	अंशिका	09-12-2021	06-07-2022	29
1222	राम कुमार वर्मा	सौरव वर्मा	09-12-2021	06-07-2022	29
1223	संदीप कुमार	सिमरन	09-12-2021	06-07-2022	29
1224	संदीप कुमार	आदित्य सिंह	09-12-2021	06-07-2022	29
1225	महंत कुमार शर्मा	सावन शर्मा	09-12-2021	06-07-2022	29
1226	उमानाथ	मोनिका	10-12-2021	06-07-2022	28
1227	उमानाथ	सारिका	10-12-2021	06-07-2022	28
1228	जगत पाल	कीर्ति	10-12-2021	06-07-2022	28
1229	राम नयन	खुशी	10-12-2021	06-07-2022	28
1230	पवन कुमार	अनुष्का	13-12-2021	06-07-2022	25
1231	पवन कुमार	आर्यन	13-12-2021	06-07-2022	25
1232	धनजी पाल	रागिनी	13-12-2021	06-07-2022	25
1233	महिंदर पासवान	सविता	13-12-2021	06-07-2022	25
1234	महिंदर पासवान	सरिता	13-12-2021	06-07-2022	25
1235	साहेब अली	साहिल	13-12-2021	06-07-2022	25
1236	सरवन कुमार दास	काजल	14-12-2021	06-07-2022	24
1237	प्रेम शंकर	कन्हैया	14-12-2021	06-07-2022	24
1238	प्रेम शंकर	अरुण कुमार	14-12-2021	06-07-2022	24
1239	अमरजीत मौर्य	अकांक्षा मौर्य	14-12-2021	06-07-2022	24
1240	अमरजीत मौर्य	अंश मौर्य	14-12-2021	06-07-2022	24
1241	सुनील शर्मा	बिशेक शर्मा	14-12-2021	06-07-2022	24
1242	जितेंद्र	शुभप्रीत	14-12-2021	06-07-2022	24
1243	संदीप कुमार	ईशू	14-12-2021	06-07-2022	24
1244	संदीप कुमार	शिव नंदन	14-12-2021	06-07-2022	24
1245	डबलू शर्मा	आशुतोष कुमार	14-12-2021	06-07-2022	24
1246	डबलू शर्मा	सचिन कुमार	14-12-2021	06-07-2022	24
1247	पप्पू	तवस्सुम	14-12-2021	06-07-2022	24
1248	पप्पू	महक	14-12-2021	06-07-2022	24
1249	अंजलि	शिवम	14-12-2021	06-07-2022	24
1250	अनिल पंडित	अमित पंडित	15-12-2021	06-07-2022	23
1251	अनिल पंडित	किरण कुमारी	15-12-2021	06-07-2022	23
1252	मही पाल	नेहा	15-12-2021	06-07-2022	23
1253	राम बाबू	शीतल	15-12-2021	06-07-2022	23
1254	सतपाल	सतीश	15-12-2021	06-07-2022	23

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
1255	सतपाल	कुमकुम	16-12-2021	06-07-2022	22
1256	रामनिवास चौहान	आर.पी. सिंह	16-12-2021	06-07-2022	22
1257	प्रदीप कुमार	संदीप सिंह	17-12-2021	06-07-2022	21
1258	प्रदीप कुमार	सतेंद्र सिंह	17-12-2021	06-07-2022	21
1259	रोशन लाल	डिंपल	17-12-2021	06-07-2022	21
1260	सपन दत्त	श्यामा दत्त	17-12-2021	06-07-2022	21
1261	सरिता देवी	दुर्विजय	20-12-2021	06-07-2022	18
1262	सरिता देवी	सुनैना यादव	20-12-2021	06-07-2022	18
1263	निर्मला	मनील कुमार भारद्वाज	20-12-2021	06-07-2022	18
1264	सूरजभान सिंह	अमनदीप सिंह	20-12-2021	06-07-2022	18
1265	सूरजभान सिंह	प्रभजोत सिंह	20-12-2021	06-07-2022	18
1266	प्रभु शर्मा	नंदिनी	20-12-2021	06-07-2022	18
1267	किशन कुमार	करण	21-12-2021	06-07-2022	17
1268	किशन कुमार	सत्यम	21-12-2021	06-07-2022	17
1269	यदुवंश कुमार	काजल यादव	21-12-2021	06-07-2022	17
1270	राम नगीना	प्रीति	21-12-2021	06-07-2022	17
1271	राम सेवक	सूर्या	21-12-2021	06-07-2022	17
1272	राम सेवक	सूरज	21-12-2021	06-07-2022	17
1273	कन्हई सिंह	महेश	21-12-2021	06-07-2022	17
1274	दविंदर गिरि	अनमोल गिरि	22-12-2021	06-07-2022	16
1275	दविंदर गिरि	तारा कुमारी	22-12-2021	06-07-2022	16
1276	मनवीर	अनुराग	22-12-2021	06-07-2022	16
1277	अजय शर्मा	अमन शर्मा	22-12-2021	06-07-2022	16
1278	अजय शर्मा	सुमित शर्मा	22-12-2021	06-07-2022	16
1279	राधेश्याम	तन्वी	22-12-2021	06-07-2022	16
1280	मनोज कुमार	आयुष कुमार	22-12-2021	06-07-2022	16
1281	मनोज कुमार	पायल	22-12-2021	06-07-2022	16
1282	प्रेम चंद	दुष्यंत	22-12-2021	06-07-2022	16
1283	प्रेम चंद	भावना	22-12-2021	06-07-2022	16
1284	राजू	ओमकार	22-12-2021	06-07-2022	16
1285	राजू	ओम प्रकाश	22-12-2021	06-07-2022	16
1286	श्याम कुमार	इशिका	22-12-2021	06-07-2022	16
1287	श्याम कुमार	वंशिका	22-12-2021	06-07-2022	16
1288	बाबू राम	साधना	22-12-2021	06-07-2022	16
1289	राकेश कुमार	फलक	22-12-2021	06-07-2022	16
1290	राकेश कुमार	दीक्षा	22-12-2021	06-07-2022	16
1291	वीरेंद्र यादव	मानवी यादव	23-12-2021	06-07-2022	15

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
1292	वीरेंद्र यादव	रिया	23-12-2021	06-07-2022	15
1293	हरिशंकर	प्रीति कुमारी	23-12-2021	06-07-2022	15
1294	विनय कुमार	तेजस शर्मा	23-12-2021	06-07-2022	15
1295	चंद्र कला	मोनिका	23-12-2021	06-07-2022	15
1296	मुसाफिर	सनी	23-12-2021	06-07-2022	15
1297	मुसाफिर	चांदनी	23-12-2021	06-07-2022	15
1298	देसराज	लक्ष्मी	23-12-2021	06-07-2022	15
1299	देसराज	साहिल कुमार	23-12-2021	06-07-2022	15
1300	मनोज कुमार	स्वीटी	23-12-2021	06-07-2022	15
1301	अजय कुमार पाल	आर्यन पाल	23-12-2021	06-07-2022	15
1302	अजय कुमार पाल	कृष्ण पाल	23-12-2021	06-07-2022	15
1303	मोती लाल बर्मा	ममता	27-12-2021	06-07-2022	11
1304	मो. अख्तर अली	रागिब अली	27-12-2021	06-07-2022	11
1305	राम विलास	सोहना	27-12-2021	06-07-2022	11
1306	राजू दास	आरती	28-12-2021	06-07-2022	10
1307	राजू दास	अमित	28-12-2021	06-07-2022	10
1308	धर्मेंद्र	रागनी	28-12-2021	06-07-2022	10
1309	धर्मेंद्र	राजबीर	28-12-2021	06-07-2022	10
1310	रोहित	शिवम	28-12-2021	06-07-2022	10
1311	शिवा शर्मा	पूजा कुमारी	28-12-2021	06-07-2022	10
1312	भीम सिंह	अंशु	29-12-2021	06-07-2022	9
1313	संजय राम	पूनम कुमारी	29-12-2021	06-07-2022	9
1314	लालू सिंह	निखिल	29-12-2021	06-07-2022	9
1315	लालू सिंह	लाखन सिंह	29-12-2021	06-07-2022	9
1316	कुबरी महतो	सोनिया कुमारी	29-12-2021	06-07-2022	9
1317	कुबरी महतो	कन्हैया	29-12-2021	06-07-2022	9
1318	धर्म लाल	सोनू	29-12-2021	06-07-2022	9
1319	सकुंतला	तनिशा	30-12-2021	06-07-2022	8
1320	सकुंतला	तनिश कुमार	30-12-2021	06-07-2022	8
1321	वीरवती	सचिन	30-12-2021	06-07-2022	8
1322	वीरवती	पंकज	30-12-2021	06-07-2022	8
1323	बसंत लाल	नीतू	30-12-2021	06-07-2022	8
1324	बसंत लाल	निशा	30-12-2021	06-07-2022	8
1325	शिव मूरत सिंह	कुमकुम	30-12-2021	06-07-2022	8
1326	शिव मूरत सिंह	अमन सिंह	30-12-2021	06-07-2022	8
1327	ओम प्रकाश	करिश्मा	30-12-2021	06-07-2022	8
1328	ओम प्रकाश	पूजा	30-12-2021	06-07-2022	8

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	छात्र का नाम	प्राप्त आवेदन की तिथि	किए गए भुगतान की तिथि	देरी
1329	लीलाधर	प्रीति	30-12-2021	06-07-2022	8
1330	विजय शर्मा	निकिता शर्मा	30-12-2021	06-07-2022	8
1331	मुन्ना कुमार चौधरी	कोमल	31-12-2021	06-07-2022	7
1332	मुन्ना कुमार चौधरी	कमलजीत चौधरी	31-12-2021	06-07-2022	7
1333	अनिल कुमार	साहिल	31-12-2021	06-07-2022	7
1334	राम कुमार	आकाश यादव	31-12-2021	06-07-2022	7
1335	राम कुमार	अर्चना यादव	31-12-2021	06-07-2022	7
1336	अरुण कुमार महतो	ज्योति	31-12-2021	06-07-2022	7
1337	अरुण कुमार महतो	जितेंद्र	03-01-2022	06-07-2022	4
1338	अजय कुमार	अंकित कुमार	03-01-2022	06-07-2022	4
1339	नेकराम	अंजू	03-01-2022	06-07-2022	4
1340	नेकराम	राखी	03-01-2022	06-07-2022	4
1341	राजू	सुधा देवी	04-01-2022	06-07-2022	3
1342	राजू	उमा	04-01-2022	06-07-2022	3
1343	शिरजू ठाकुर	अभय ठाकुर	04-01-2022	06-07-2022	3
1344	शिरजू ठाकुर	अनुराधा कुमारी	04-01-2022	06-07-2022	3
1345	प्रमोद साव	सपना कुमारी	04-01-2022	06-07-2022	3
1346	प्रमोद साव	सिमरन कुमारी	04-01-2022	06-07-2022	3
1347	सुरेंद्र कुमार	विशाल	04-01-2022	06-07-2022	3
1348	सुनीता	कल्पना	04-01-2022	06-07-2022	3
1349	सुनीता	कार्तिक	04-01-2022	06-07-2022	3
1350	गीता	रवि	04-01-2022	06-07-2022	3
1351	गीता	जसवंत	04-01-2022	06-07-2022	3

अनुलग्नक-3.7

(पैराग्राफ संख्या 3.4.2.6 में संदर्भित)

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान निष्कर्ष

क्रमांक	निर्माण स्थल का नाम	निर्माण स्थल की स्थिति	सर्वेक्षित श्रमिक	पंजीकृत कार्यकर्ता	गैर पंजीकृत कार्यकर्ता
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भवन सेक्टर-30	पंजीकृत	11	0	11
2.	167, औदयौगिक क्षेत्र, फेज II	पंजीकृत	11	02	09
3.	उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र	गैर पंजीकृत	18	05	13
4.	पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर-46	गैर पंजीकृत	10	05	05
5.	पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर - 46 हॉस्टल ब्लॉक	गैर पंजीकृत	09	09	0
6.	धनवंतरी महाविद्यालय एवं अस्पताल सेक्टर-46	गैर पंजीकृत	12	07	05
7.	1085 वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट, सेक्टर 27	गैर पंजीकृत	10	04	06
8.	लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास ब्लॉक का निर्माण, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्टर-50	गैर पंजीकृत	11	03	08
9.	फुटपाथ का निर्माण, सेक्टर-50	गैर पंजीकृत	14	0	14
		कुल	**106**	**35**	**71**

अनुलग्नक-3.8

(पैराग्राफ संख्या 3.5 में संदर्भित)

विभागीय प्रभार न लगाए जाने के कारण राजस्व की हानि

क्र.सं.	काम का नाम	कार्य आदेश & दिनांक	काम की लागत (₹ में)	लगाये जाने वाले विभागीय प्रभार का %	लगाया जाने वाला विभागीय प्रभार (₹ में)
1.	दमन जिले में अंतियावाड़, घेलवाड़, सोमनाथ और वरकुण्ड ग्राम पंचायत के लिए नए पंचायत घर का निर्माण।	कार्य आदेश -78 दिनांक 28.09.2021	3,71,19,425/-	काम की लागत का 4%	14,84,777/-
2.	काचीगाम, दमन में सरकारी स्कूल भवन का निर्माण।	डीपी पत्र दिनाँक 28.10.2021	14,82,65,454/-	काम की लागत का 3.5%	51,89,291/-
	कुल				**66,74,068/-**

अनुलग्नक-3.9

(पैराग्राफ संख्या 3.7 में संदर्भित)

(अ) पारिवारिक निपटान विलेख (निर्धारित दरों के लागू न होने के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली)

(राशि ₹ में)

क्रमांक	मामला सं.	निष्पादन की तिथि	पक्षों के मध्य	खसरा सं	भूमि माप	भूमि माप (मारला में)	अवस्थिति	प्रति कनाल भूमि का मूल्य	प्रति मारला भूमि का मूल्य	भूमि का कुल मूल्य	2% की दर से देय स्टाम्प ड्यूटी	प्रभारित स्टाम्प ड्यूटी	कम उगाही गई स्टाम्प ड्यूटी	देरी (22/10/2020 तक के महीनों में)	प्रति माह 2% की दर पर देय जुर्माना (10/2020 तक)
1	32	12.04.17	1. नसरुल्लाह	8804			चूलून्ग								
			2. मोहम्मद रमजान				शेनम लेह								
			3. अब्दुल रहमान		4क 16मा	96		1100000	55000	5280000	105600	100	105500	42	88620
			4. गुलाम नबी												
2	141	15.05.17	1. सोनम दोरजे	1633/ 558			आल्ची								
			2. नोर्बो गेयलस्तान												
			3. सोनम दावा		12 क 19 मा	259		139150	6957.5	1801992.5	36039.9	100	35939.9	41	29471
			नामग्याल अंचुक												
			जिग्मिट अंचुक												
3	143	15.05.17	1. थुपस्तान गुरमीत	3041/ 1533			चुचोट								
			2. मोहम्मद हुसैन												
			मोहम्मद अली												
			नजीर हुसैन		9 क 11 मा	191		118277	5913.85	1129545.4	22590.9	100	22490.9	41	18443
			ताहिर हुसैन												
			अमीना बानो												
			हसीना बानो												
			जीएच मोहम्मद												
			मोहम्मद अब्बास												

क्रमांक	मामला सं.	निष्पादन की तिथि	पक्षों के मध्य	खसरा सं	भूमि माप	भूमि माप (मारला में)	अवस्थिति	प्रति कनाल भूमि का मूल्य	प्रति मारला भूमि का मूल्य	भूमि का कुल मूल्य	2% की दर से देय स्टाम्प ड्यूटी	प्रभारित स्टाम्प ड्यूटी	कम उगाही गई स्टाम्प ड्यूटी	देरी (22/10/2020 तक के महीनों में)	प्रति माह 2% की दर पर देय जुर्माना (10/2020 तक)
4	153	17.05.17	1. कुशोक टोकदान	2892-मिन			साबू लेह								
			2. रिनपोचा	2856-मिन											
			3. डायसकोंग नामगेल												
			4. जिग्मे दादुल दोरजे		27 क 5 मा	545		125235	6261.75	3412653.8	68253.1	300	67953.1	41	55722
			5. स्टैनज़िन डेज़												
			6. लोबज़ंड चोरिल												
5	207	03.06.17	1. ईशे नामग्याल	3742, 5883, 4729, 5878,- 5887, 6106, 6118			लेह								
			2. ईशे अंगडू												
			फुनसुख डोलमा												
			सोनम अंचुक		25 क 14मा	514		1100000	55000	28270000	565400	100	565300	40	452240
			सेरिंग ताशी												
			फुनुख वांगाक												
			जामांग नोरबो												
6	209	05.06.17	1. सेरिंग टुंडुप	657, 101, 413, 415, 426, 434, 457, 458, 556, 557, 833, 423, 280			तरु								
			2. लोबज़ोंग थुपसुन		19 क 1मा	381		97405	4870.25	1855565.3	37111.3	100	37011.3	40	29609
7	283	29.06.17	1. सोनम चुस्किट	3771, 3772, 3773			लेह								
			2. स्टैनज़िन वांग्याल		8 क 9 मा	169		1100000	55000	9295000	185900	100	185800	40	148640
8	285	30.06.17	1. सेरिंग गोम्बो	4026			टुक्चा								
			2. ईशे दोरजे												
			3. ताशी नामग्याल		3क 8मा	68		1100000	55000	3740000	74800	100	74700	40	59760
			4. स्कर्मा सोनम												
			5. नवांग सेरिंग												

क्रमांक	मामला सं.	निष्पादन की तिथि	पक्षों के मध्य	खसरा सं	भूमि माप	भूमि माप (मारला में)	अवस्थिति	प्रति कनाल भूमि का मूल्य	प्रति मारला भूमि का मूल्य	भूमि का कुल मूल्य	2% की दर से देय स्टाम्प ड्यूटी	प्रभारित स्टाम्प ड्यूटी	कम उगाही गई स्टाम्प ड्यूटी	देरी (22/10/2020 तक के महीनों में)	प्रति माह 2% की दर पर देय जुर्माना (10/2020 तक)
9	328	17.07.17	1. सोनम अंगचुक	खेवट 24			लेह								
			सेरिंग अंगचुक		6क 13मा	554		1100000	55000	30470000	609400	100	609300	39	475254
			ताशी डोल्कर												
			2. सेवांग चोस्पेल												
10	337	19.07.17	1. ताशी अंगडो	4977, 4978, 5029, 6178, 6212, 4213, 6215, 6216, 6319, 6320, 6425, 6427-6430			स्कारा लेह								
			2. दोरजय नामग्याल		17क 1मा	341		1100000	55000	18755000	375100	100	375000	39	292500
			3. सेरिंग लोदोल												
11	355	24.07.17	1. सेवांग नोरबो	6201, 6206- 6211, 7132/ 6204, 6126, 6033, 6033/1 6720- 6722, 6200, 6173, 7214, 6205, 6252, 6722, 6033, 6072, 9138			स्कारा लेह								
			2. सोनम अंगचुक		26क 13मा	533		1100000	55000	29315000	586300	110	586190	39	457228
			3. यांगचन डोलमा												
			4. सोनम डोलमा												
12	554	11.10.17	1. रिगज़िन डोलमा,	2726, 3859,			चांगस्पा								
			2. सेरिंग अंगचुक	3869, 3870, 4199, 4873, 4874, 5612, 8096/5613,			लेह								
			3. सेरिंग अंगडु												
			4. सोनम तेरगैस		15क 10मा	310		1100000	55000	17050000	341000	100	340900	36	245448
			5. सोनम एंगमो एवं												
			6. यांगचन डोलमा												
13	593	20.10.17	1. सेरिंग डोलमा	4736			लेह								
			2. पद्मा यांचन												
			3. रिगज़िन एंगमो		3क	60		1100000	55000	3300000	66000	100	65900	36	47448
			4. सांगे दोरजे												

क्रमांक	मामला सं.	निष्पादन की तिथि	पक्षों के मध्य	खसरा सं	भूमि माप	भूमि माप (मारला में)	अवस्थिति	प्रति कनाल भूमि का मूल्य	प्रति मारला भूमि का मूल्य	भूमि का कुल मूल्य	2% की दर से देय स्टाम्प ड्यूटी	प्रभारित स्टाम्प ड्यूटी	कम उगाही गई स्टाम्प ड्यूटी	देरी (22/10/2020 तक के महीनों में)	प्रति माह 2% की दर पर देय जुर्माना (10/2020 तक)
14	640	14.11.17	1. बशीर अहमद	9104			योऊरटूँग								
			2. परवेज अहमद				लेह								
			3. शकीला बानो		21क	420		1100000	55000	23100000	462000	100	461900	35	323330
			4. रुखसाना परवीन												
15	651	16.11.17	1. गुलाम नबी	459/951			लेह								
			2. दौलत दीदी												
			3. गुलाम रसूल बेली		31क 18मा	638		1100000	55000	35090000	701800	100	701700	35	491190
			4. ताहिरा बानो												
16	37	19.04.18	1. कुंजस एंगमो	2,69,52,696			चांगस्पा								
			2. डेस्किट एंगमो		1क 5मा	25	लेह	1210000	60500	1512500	30250	110	30140	30	18084
17	63	24.04.18	1. पद्मा नामग्याल,	3113			चुबी लेह								
			2. टुंडुप एंगमो		19मा	19		1210000	60500	1149500	22990	110	22880	30	13728
18	69	02.05.18	1. ताशी तारगिस	10863/10548/ 7493			मैनिटसेल्डिंग लेह								
			2. सोनम स्टोबग्याल		5क 15मा	115		1210000	60500	6957500	139150	110	139040	29	80643
19	111	17.05.18	1. लोबज़ोंग पंचुक	6996/3130, 6997/3130			संकर								
			2. डेस्किट एंगमो		1क 8मा	28	योरटोंग	1210000	60500	1694000	33880	110	33770	29	19587
20	117	17.05.18	1. सेरिंग अंगचुक	9778/9355/ 6095			लेह								
			2. स्टैनज़िन ओत्सल		1क 18मा	38		1210000	60500	2299000	45980	100	45880	29	26610

क्रमांक	मामला सं.	निष्पादन की तिथि	पक्षों के मध्य	खसरा सं	भूमि माप	भूमि माप (मारला में)	अवस्थिति	प्रति कनाल भूमि का मूल्य	प्रति मारला भूमि का मूल्य	भूमि का कुल मूल्य	2% की दर से देय स्टाम्प ड्यूटी	प्रभारित स्टाम्प ड्यूटी	कम उगाही गई स्टाम्प ड्यूटी	देरी (22/10/2020 तक के महीनों में)	प्रति माह 2% की दर पर देय जुर्माना (10/2020 तक)
21	123	18.05.18	1. सेरिंग गोम्बो 2. ईशे दोरजे 3. स्कर्मा सोनम 4. ताशी नामग्याल 5. नवांग सेरिंग	3982, 3983, 3989, 3992	8क 2मा	162	लेह	1210000	60500	9801000	196020	100	195920	29	113634
22	148	23.05.18	1. जीएच नबी 2. जुमा मलिक	3381	2क 7मा	47	योरटोंग, लेह	1210000	60500	2843500	56870	500	56370	29	32695
23	197	07.06.18	1. सेरिंग एंगमो 2. फुंटसोग स्टोबडान 3. सेरिंग लेज़ेस 4. रिगज़िन वांगमु 5. नामग्याल वांचुक	1664, 1714, 2395, 2394, 4112, 1694, 3058, 2448	19क 1मा	381	लेह	1210000	60500	23050500	461010	100	460910	28	258110
24	330	16.07.18	1. सेरिंग नोरबू 2. स्टैनज़िन लोटस 3. रिंचन दोरजे 4. पंचक दोरजे 5. कुंजेस डोलमा 6. रिंचेन पाल्मो	1790-मिन, 9329/ 6862/ 1789, 9327 790, 1887, 1551, 8526/ 1567, 8521/ 1569, 8523/ 1571, 1941, 1944, 1945, 1949, 1950, 1790 मिन, 9329/ 6862 मिन/ 1789, 1729 मिन	25क 7मा	507	लेह	1210000	60500	30673500	613470	100	613370	27	331220
25	451	10.09.18	1. अब्दुल कादिर एवं 2. कमाल खान	6491	1क 3मा	23	लेह	1210000	60500	1391500	27830	100	27730	25	13865

क्रमांक	मामला सं.	निष्पादन की तिथि	पक्षों के मध्य	खसरा सं	भूमि माप	भूमि माप (मारला में)	अवस्थिति	प्रति कनाल भूमि का मूल्य	प्रति मारला भूमि का मूल्य	भूमि का कुल मूल्य	2% की दर से देय स्टाम्प ड्यूटी	प्रभारित स्टाम्प ड्यूटी	कम उगाही गई स्टाम्प ड्यूटी	देरी (22/10/2020 तक के महीनों में)	प्रति माह 2% की दर पर देय जुर्माना (10/2020 तक)
26	748	16.02.19	1. चुनिट आंगमो	2428, 2965,			स्नकार लेह								
			2. सेवांग नूरबू	2967, 2968,	4क 17मा	97		1391500	69575	6748775	134976	100	134876	20	53950.2
			3. सोनम टुंडुप												
27	772	27.02.19	1. डोलमा पुटिट	374, 184,			फे लेह								
			2. सेरिंग स्टोबडान		6क 4मा	124		158423	7921.15	982222.6	19644.5	100	19544.5	20	7818
			3. सेरिंग डोलमा												
28	798	08.03.19	1. सेवांग नोरबू	1723			खगशाल, लेह								
			2. सेरिंग डोल्कर												
			3. स्टैनज़िन दोरजे		13क 6मा	266		1391500	69575	18506950	370139	100	370039	19	140615
			4. डाचिन यंगडोल												
			5. सेरिंग ल्हामो												
29	834	15.03.19	1. सोनम डोलमा	1895			खगशाल, लेह								
			2. सोनम रिंचिन		1क 15मा	35		1391500	69575	2435125	48702.5	100	48602.5	19	18469
30	873	26.03.19	1. चेमेट अंगचुक	3884			लेह								
			2. दावा डोलमा		2क 7मा	47		1391500	69575	3270025	65400.5	100	65300.5	19	24814
			3. कुंजांग नामग्याल												
			4. रिगज़िन गुरमेट												
31	935	25.04.19	1. दोरजय चेरिंग	4108, 4228,			निमालुंग,								
			2. जिग्मेट स्टोबग्यास	4519	5क 4मा	104	मालपाक,	1391500	69575	7235800	144716	100	144616	18	52062
			सेरिंग डोल्कर				टुक्चा (लेह)								
32	966	04.05.19	1. सोनम डोलमा	1946, 1947,	2क 18मा	58	खगशाल, लेह	1391500	69575	4035350	80707	100	80607	17	27406
			2. फुंटसोग	1948											

क्रमांक	मामला सं.	निष्पादन की तिथि	पक्षों के मध्य	खसरा सं	भूमि माप	भूमि माप (मारला में)	अवस्थिति	प्रति कनाल भूमि का मूल्य	प्रति मारला भूमि का मूल्य	भूमि का कुल मूल्य	2% की दर से देय स्टाम्प ड्यूटी	प्रभारित स्टाम्प ड्यूटी	कम उगाही गई स्टाम्प ड्यूटी	देरी (22/10/2020 तक के महीनों में)	प्रति माह 2% की दर पर देय जुर्माना (10/2020 तक)
33	1066	07.06.19	1. सेरिंग दोरजे	3151, 8378/			चुबी लेह								
			2. टुंडुप वांग्याल	3254	5क 3मा	103		1391500	69575	7166225	143325	100	143225	16	45832
34	1126	29.06.19	1. अब्दुल मजीद	204, 864, 677/638/164,			चोगलमसर								
			2. अब्दुल मतीन	558/664/164, 565/3, 4,9, 11,											
			3. अब्दुल वाहिद	733/ 688/ 632 /45, 865, 669											
			4. जीएच रसूल		38क 19मा	779		183678	9183.9	7154258.1	143085	100	142985	16	45755
			5. अब्दुल लतीफ												
35	1138	04.07.19	1. जीएच रसूल	565/3, 4, 9, 11, 21, 44/ 558/ 664/			चोगलमसर								
			2. नियाज अहमद	164, 733/ 688/											
			3. ज़ुलेखा बानो	632/45,612/606/1 64,146/2164,											
			4. शहनाज परवीन	46/864, 2148/669, 2146/ 864, 2146/	24क 6मा	486		183678	9183.9	4463375.4	89267.5	100	89167.5	15	26750
			5. शबीना अख्तर	862											
36	1171	17.07.19	1. पंचुक दोरजे	445, 446,553			गोनपा (लेह)								
			2. ताशी दावा	712, 717,750											
			3. यांगचान डोलमा	71,87,51,752	21क 18मा	438		1391500	69575	30473850	609477	100	609377	15	182813
			4. रिगज़िन डोलमा	753, 57,889											
			5.सेरिंग यांगस्कित	915,440,869											
37	1189	24.07.19	1. सेरिंग मोरुप	5456/1			टुक्चा (लेह)								
			2. सेवांग डोलमा		1क 19मा	39		1391500	69575	2713425	54268.5	100	54168.5	15	16251
			3. रिगज़िन टोल्डन												
38	1239	07.08.19	1. मोहम्मद इब्राहिम खान	8108/4351			लेह								
			2. मोहम्मद यूनुस खान		1क 6मा	26		1391500	69575	1808950	36179	100	36079	14	10102
			फिरोज़ खान												

क्रमांक	मामला सं.	निष्पादन की तिथि	पक्षों के मध्य	खसरा सं	भूमि माप	भूमि माप (मारला में)	अवस्थिति	प्रति कनाल भूमि का मूल्य	प्रति मारला भूमि का मूल्य	भूमि का कुल मूल्य	2% की दर से देय स्टाम्प ड्यूटी	प्रभारित स्टाम्प ड्यूटी	कम उगाही गई स्टाम्प ड्यूटी	देरी (22/10/2020 तक के महीनों में)	प्रति माह 2% की दर पर देय जुर्माना (10/2020 तक)
39	1287	29.08.19	1. सेरिंग अंगडु	7364	19क 3मा	383	स्टोक	136610	6830.5	2616081.5	52321.6	100	52221.6	14	14622
			2. रिगज़िन नामग्याल		36क 4मा	724	चुचोट	136605	6830.25	4945101	98902	100	98802	14	27665
			3. सेरिंग अंगचुक												
40	1351	14.09.19	1. सोनम रिगज़िन	3741			टुक्चा (लेह)								
			2. सेवांग स्टैंज़िन		8क 8मा	168		1391500	69575	11688600	233772	110	233662	13	60752
41	1384	12.10.19	1. फुंचुक अंगचुक	9085/4632			शेनम लेह								
			2. सोनम फुंचुक		25क	500		1391500	69575	34787500	695750	120	695630	12	166951
			3. सेवांग नुरबो												
42	1399	16.10.19	1. नवांग रिगज़िन	1023/ 3134			स्टोक								
			2. सेवांग डोलमा	3211											
			3. सेरिंग लोंगमो		9क 15मा	195		136610	6830.5	1331947.5	26639	100	26539	12	6369
			4. सोनम पारदान												
										445600818	**8912016**	**4980**	**8907036.36**		**5052073**

(ब) विभाजन विलेख (निर्धारित दरों के लागू न होने के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली)

क्र. सं.	मामला सं.	निष्पादन की तिथि	पक्षों के मध्य	खसरा नं	भूमि माप	भूमि माप (मारला में)	स्थान	प्रति कनाल भूमि का मूल्य	प्रति मरला भूमि का मूल्य	भूमि का कुल मूल्य	2% की दर से देय स्टाम्प शुल्क	प्रभारित स्टाम शुल्क	प्रभारित कम स्टाम्प शुल्क	(10/2020 तक महीनों में) देरी	प्रति महीने 2% की दर पर जुर्माना (10/2020 तक)
1	68	26.04.17	1. स्टैनज़िन डोलमा	7941/ 6605, 2090/ 10	4क 7मा	87	स्कारा	1100000	55000	4785000					
			2. स्टैनज़िन रबगिस		8क 9मा	169	हुंडर नुब्रा	66550	3328	562432	106949	100	106849	42	89753
			3. स्टैनज़िन शाक्य												
2	74	27.04.17	1. सेरिंग नोरबो	3249			लेह								
			2. लोबज़ोंग सेरिंग												
			3. समस्तान चिस्किट		1क 4मा	24		1100000	55000	1320000	26400	100	26300	42	22092
			4. सेरिंग स्टैनज़िन												
			5. स्टैनज़िन जिग्मेट												
			6. फुंटसोग सेरिंग												
3	333	18.07.17	1. लोबज़ोंग कोरोल	8611/ 138, 288, 291, 295			गंगल्स लेह								
			सेरिंग डोलमा												
			2. ताशी डोलमा												
			3. पदमा यांगज़ोम		8क 6मा	166		1100000	55000	9130000	182600	100	182500	39	142350
			4. उर्गेन नोरबो												
			5. रंचन अंगमो												

क्र. सं.	मामला सं.	निष्पादन की तिथि	पक्षों के मध्य	खसरा नं	भूमि माप	भूमि माप (मारला में)	स्थान	प्रति कनाल भूमि का मूल्य	प्रति मरला भूमि का मूल्य	भूमि का कुल मूल्य	2% की दर से देय स्टाम्प शुल्क	प्रभारित स्टाम शुल्क	प्रभारित कम स्टाम्प शुल्क	(10/2020 तक महीनों में) देरी	प्रति महीने 2% की दर पर जुर्माना (10/2020 तक)
			6. फुनसुख अंगमो												
			7. रिगज़िन टैमचोस												
4	731	29.01.18	1. सोनम टुंडुप	3247, 1820			करज़ू, लेह								
			2. नीमा अंगदस	2379, 2380											
			3. सेवांग फनसोक		5क 12मा	112		1100000	55000	6160000	123200	63600	59600	33	39336
कुल										**21957432**	**439149**	**63900**	**375249**		**293531**

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/hi/page-audit-report-22-of-25